ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

मुगलकालीन भारत में चित्रकला का उद्भव व विकास

मानवेन्द्र कुमार यादव
शोधध्येता, शासकीय कन्या महाविद्यालय रांझी, जिला–जबलपुर, सम्बद्ध– रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

भारत पर मुगलों के आक्रमण से पूर्व एक अतिसमृद्ध एवं विकसित समाज का बोलबाला था, मुगलकाल चित्रकला के विकास तथा पतन से सम्बन्धित है। यह काल चित्रकला के प्रेरणास्रोत के उत्थान एवं पतन से सम्बन्धित है। इस युग में चित्रकला का प्रेरणास्रोत समरकन्द तथा हेरात रहा है। तैमूरी चित्रशैली के जन्मदाता नक्वतुल मुहर्रीन थे। इस शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने का श्रेय बेहजाद को है, जिसे पूर्व का राफेल कहा जा सकता है।[1] इसका जन्म पन्द्रहवीं सदी के मध्य में हुआ था और कुछ समय तक इसने मंसूर इब्न बैकरा के दरबार को संरक्षण प्राप्त चित्रकार के रूप में सुशोभित किया। 1506 में इसे शाह इस्माइल सफवी का राज्याश्रय प्राप्त हुआ तथा 1526 में इसकी मृत्यु हुई।

मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर एक महान कला प्रेमी था। उसकी विशेष रूचि चित्रकला में थी। वह बेहजाद का समकालीन था और इस महान चित्रकार से मिलने का अवसर उसे हिरात तथा शाह इस्माइल सफवी के दरबार में मिला था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बेहजाद की प्रशंसा में लिखा है कि वह समकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ था। इससे स्पष्ट है कि उसने बेहजाद के चित्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया था। इस प्रकार बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डालने के साथ ही मुगल चित्रशैली की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।[2]

बाबर प्रकृति का महान प्रेमी था। पूर्ण रात्रि की निरन्तर यात्रा करने के बाद सेव वृक्ष के नीचे शरद कालीन रंगीन पत्तों के सौन्दर्य को देख कर वह आत्मविभोर हो जाता था। उसने अपनी लेखनी से प्रकृति के सौन्दर्य का इतना यथार्थ चित्रण किया है जो किसी चित्रकार की तूलिका से सम्भव नहीं है। लेनपूल ने लिखा है कि बाबर सदैव प्राकृतिक सौन्दर्य के अन्वेषण में व्यस्त रहता था। वह कुछ विशेष प्रकार के पुष्पों की सुगन्ध को ढँढ़ने में आनन्द का अनुभव करता है। अपने विशेष बगीचे के सुन्दर फूलों का चित्रण करने में उसने कभी थकान का अनुभव नहीं किया। भारतवर्ष में उसका चार वर्ष का शासनकाल इतना व्यस्त रहा कि वह चित्रकला के विकास में विशेष योगदान न दे सका। परन्तु उसकी आत्मकथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबर ने अनेक चित्रकारों को संरक्षण तथा राज्याश्रय प्रदान किया था। उसने जिस चित्रशैली की नींव डाली वह एशिया की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में सक्षम है।

हुमायूँ अपने पिता की भाँति कला का प्रेमी था। शासनकाल की निरन्तर कठिनाइयों के बावजूद उसने चित्रकला के क्षेत्र में जो कुछ किया उसे क्लार्क ने हुमायूँ शैली की संज्ञा देकर उसके प्रति सम्मान प्रकट किया है। समकालीन लेखक जौहर के अनुसार हुमायूँ ने एक दिन अमरकोट के किले में एक सुन्दर फाख्ता को पकड़कर उसका चित्र बनवाया और फिर उसे मुक्त कर दिया। भारतवर्ष से निष्कासित होने के बाद वह ईरान के शाह तहमास्व के दरबार में पहुँचा। महान चित्रकार आगा मीरक तथा मुजफ्फर अली से उसने भेंट की। मंसूर तथा उसके पुत्र मीर सैयद अली को काबुल आने के लिए आमन्त्रित किया। हुमायूँ के आमन्त्रण पर ख्वाजा अब्दुस समद तथा मीर सैय्यद अली 1550 ई0 में काबुल पहुँचे। इन कलाकारों ने राजकुमार अकबर को चित्रकारी की शिक्षा दी। मीर सैय्यद अली को दविस्तान–ए–अमीर हम्जा को चित्रित करने का कार्य सुपुर्द किया गया।[3] इन दोनों की शैली में ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बादल, पर्वत शिखर, जल वृक्ष, पक्षी के चित्रण में इन दो कलाकारों ने अपनी कलात्मक शैली का अभूतपूर्व परिचय दिया है। प्रो0 शेरवानी ने तो इन्हें शाही अथवा मुगल कलम का जन्मदाता स्वीकार किया है।

अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकारी का एक अलग विभाग खोल दिया तथा इस महान चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि से विभूषित किया। प्रारम्भिक अवस्था में हिन्दू चित्रकार भगवती ने ईरानी शैली को अपनाने में अपनी दक्षता का परिचय दिया। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि वह एक गुलाम के रूप में विदेशी शैली का अक्षरशः अनुकरण करने लगा। समय परिवर्तन के साथ–साथ विदेशी शैली का लोप होता गया और कुछ समय के बाद अकबर के समय के चित्रों का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातन्त्रवादी होता गया। सम्राट अकबर ने इन चित्रकारों को मनसब, अहदी तथा

पैदल सिपाहियों के पदों पर नियुक्ति की। अब्दुस समद को मुल्तान का दीवान बनाया गया तथा दसवन्त को टकसाल में पद प्रदान किया गया। अबुल फजल के अनुसार ''अकबर के समय में सौ चित्रकार कला के प्रसिद्ध स्वामी हो गये; उनमें पूर्णता को प्राप्त करने वालों अथवा मध्यम श्रेणी के लोगों की संख्या अधिक है। यह विशेषकर हिन्दुओं के साथ–सत्य है। उनके चित्र हमारी वस्तु कल्पना को लाँघ जाते हैं। वास्तव में सम्पूर्ण विश्व में कुछ ही उनकी समानता कर सकते हैं।[4] अकबर के समय में जिन चित्रों को तैयार किया गया उनमें सभी वर्गों एवं जातियों का योगदान है।

जहाँगीर के व्यक्तिगत प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप चित्रकला विदेशी प्रभावों से मुक्त होकर स्वावलम्बी बन गई। दरबार के संरक्षण में चित्रकला के गुणों में भी विकास हुआ। यह पूर्णरूप में प्रौढ़ तथा परिपक्व बन कर विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच गई। सम्राट स्वयं सुन्दर चित्रों का संग्रहकर्ता था। कश्मीर घाटी में फूल पत्तों एवं सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों को देख कर वह इतना मुग्ध हो जाता था था कि शीघ्र चित्रकारों को बुलाकर प्राकृति के सौन्दर्य का चित्रण कराता था। साम्राज्य के तथा विदेशी चित्रकार अपनी सुन्दरतम् कृतियों को सम्राट की सेवा में भेजते थे। जहाँगीर चित्र के गुणों के आधार पर उन्हें पुरस्कृत करता था। वह स्वयं चित्रशैली सम्बन्धी निर्देशन भी देता था।[5]

मुगल चित्रशैली के वर्णन के अन्त में यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि राजकुमारियों और बेगमों के भी चित्र लिये जाते थे। कुछ समय पहले यह विश्वास था कि ये चित्र काल्पनिक हैं, परन्तु प्रो0ओ0सी0 गांगुली ने शोध के आधार पर प्रमाणित किया है कि बेगमों तथा राजकुमारियों के चित्र, स्त्री चित्रकारों द्वारा बनाये जाते थे। राजमहल में इनके प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।[6]

एम0एस0 रंधवा के अनुसार कांगड़ा चित्रकला अपनी पंक्तियों व रंगों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध है। इस शैली का विस्तार व प्रसार कांगड़ा के प्रमुख शासक संसारचंद को जाता है। नादिरशाह और अहमदशाह के आक्रमण के समय इस कला शैली को पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा था। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रों में भगवतपुराण, गीत गोविन्द, कवि बिहारी का सतसैया, रागमाला व बारहमासा प्रमुख है। कांगड़ाशैली के रंगो में जो चमक दिखाई देती है। वह किसी अन्य में नहीं। इस शैली की मुख्य प्रकृति प्रेम और नारी सौन्दर्य था।[7]

भारतीय इतिहास का मध्यकाल विशेषकर मुगलकाल महान सांस्कृतिक समन्वय का काल था जिसका प्रभाव हमारी कला, संस्कृति एवं सम्पूर्ण जीवन पर गहरायी से पड़ा। स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में तो आश्चर्यजनक समन्वय था। स्थापत्य की तरह मुगल चित्रकला शैली में भी भारतीय व ईरानी शैलियों का सुन्दर समन्वय हुआ था। ईरानी एवं राजपूत शैली के समिश्रण से मुगलशैली का जन्म हुआ। मुगलकाल में चित्रकला प्रारंभिक रूप में ईरानी थी। वस्तुतः वह हिन्दू और मुस्लिम विचारों के समन्वय का परिणाम थी जो बाद में मुगल व राजपूत इन दो शैलियों के रूप में विकसित हुई।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पाण्डेय, एस0के0 मध्यकालीन भारत पृ0 641
2. ताराचन्द्र, मध्यकालीन भारत पृ 265
3. पाण्डे, एस0के0 मध्यकालीन भारत पृ0 642
4. वियान, एल कोर्ट पेंटर्स ऑफ मुगल्स पृ0 41–42
5. पर्सी ब्राउन पृ0 सं0 50–51
6. शेरवानी पृ0सं0 60–61
7. शर्मा, एल0पी0 मध्यकालीन भारत भाग–2 पृ0सं0 653

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

आधुनिककरण पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

बिन्द बहादुर कुशवाहा
शोधार्थी (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांश :– आज आधुनिकता का मानव जीवन से सीधा संबंध है। समय के बदलते परिवेश के साथ मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं में भी परिवर्तन किया, यही परिवर्तन धीरे–धीरे आधुनिकता का रूप लेने लगी। जहाँ तक भारत में 'आधुनिकता' का प्रश्न है, वह गुलामी के समय से ही प्रारंभ हो गया था। जब अंग्रेज इस देश को अपने अधीन कर अपनी पश्चिमी सभ्यता की परतें इस देश के ऊपर जमाने लगे थे। आजादी के बाद देश में तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। लोगों में जागरूकता बढ़ी, शिक्षा के स्तर में परिवर्तन हुआ। औद्योगीकरण की प्रणालियॉ विकसित हुई, संचार एवं आवागमन के साधनों में विकास हुआ। आज का युग संचार युग है बिना संचार के सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यद्यपि संचार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव, परन्तु संचार के क्षेत्र में प्रगति कुछ सौ वर्ष पूर्व और क्रांति बीसवीं सदी की ही देन है। प्रस्तुत शोध पत्र में आधुनिकीकरण पर जनसंचार के माध्यमों को परिभाषित करते हुए संचार क्रांति के विविध पक्षों एवं प्रभावों का वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है एवं निष्कर्ष निकाला गया है कि संचार क्रांति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विशेष रूप से प्रभावित किया है और इसका प्रभाव विश्वव्यापी है।

मुख्य शब्द (Keyword) : आधुनिकीकरण, जनसंचार साधन, इलेक्ट्रानिक मीडिया।

प्रस्तावना :– मनुष्य का प्रारंभिक चरण आदिम समाज का था, इसलिये उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी। जैसे–जैसे वह सभ्यता की लकीर की ओर बढ़ता गया वैसे–वैसे उसकी विचारधारा और आवश्यकताओं में बदलाव होने लगा। उसकी अपनी अज्ञानता के प्रति जानने की स्वाभाविक वृत्ति ने अनेक नये संदर्भो की खोज की, यही खोज आगे चलकर समाज परिवार समूह समुदाय में विकसित होती रही। सभ्यता की ऊँचाइयों की तरह बदलते उसके कदम विविध रूपों में सवरते गये। वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नये समीकरणों को विकसित किया। समय के साथ सिर्फ आवश्यकताओं में ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि उनकी पूर्ति में भी बदलाव आया और उसी बदलाव ने आधुनिक युग को जन्म दिया। आज विज्ञान के बढ़ते चरण धरती से लेकर आकाश तक की दूरी माप चुके हैं।

उसके साथ ही आधुनिकता की परतें भी हिन्दुस्तानी सभ्यता में अपनी जड़े जमा ली। सामूहिक व्यवहार के रूप में आधुनिक जन समूह अथवा सामूहिक घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है। यह सामान्य से थोड़ा अलग जाने वाला प्रचलन होता है तथा किसी जन समूह द्वारा अपनाये जाने वाला नूतन व्यवहार प्रतिमान होता है। 'संचार' शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना है। यह शब्द संस्कृत की मूल धातु 'चर' से निर्मित है जिसका अर्थ है चलना जब कोई शब्द या विचार दूसरों तक पहुॅचता है तो वह संचार कहलाता है। अतः संचार की परिभाषा करते हुय कहा जा सकता है कि यह संदेश या सूचना को दूसरे तक किसी उद्देश्य से पहुॅचाने की कला है।[1] इस रूप में समाज में 'संचार' का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है यही कारण है कि प्रारम्भ से ही मानव 'संचार' के विविध साधनों का उपयोग और विकास करता रहा है अभी रूका नहीं, और न ही कभी रूकेगा, यह प्रकृति की नियम है कोई नहीं कह सकता कि प्रगति की दिशा कौन सी होगी।

मनुष्य राष्ट्र और सामाजिक व्यवस्था का नियामक भी है भोक्ता भी। वह समाज को बदलता भी है। और समाज के सॉचे में खुद ढलता भी है। हमारा मौजूदा युग अथवा भारतीय समाज अपनी प्राचीनतम, समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक प्राकृतिक परम्पराओं का पोषण करता हुआ साथ ही उससे पोषित होता हुआ आज जिस मुकाम पर खड़ा दिखाई दे रहा है वहॉ से आधुनिकता की सारी राहें खुलती है। इस कालखण्ड को संक्रमण का युग, सूचना विस्फोट का युग, बाजारवाद का युग मशीनयुग, उपभोक्तावादी युग विज्ञापन का युग महिला सशक्तीकरण युग, जनसंख्या विस्फोट का युग, वैश्वीकरण का युग, एटम युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युग, आदि अनेक संज्ञाओं से संबोधित किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकासशील भारत, विकसित देशों के साथ कदमताल करने के लिये निरंतर अग्रसर है। पिछले लगभग तीन दशकों में भारतीय समाज बड़ी तेजी से पश्चिमोन्मुख

हुआ है। आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हम पाश्चात्य देशों की तर्ज पर अपना चोला बदलते आ रहे है।

परंपरागत माध्यम (ट्रेडीशनल मीडिया) माध्यम अत्यन्त प्राचीन रहा है अतः हमारी संस्कृति और दैनिक जीवन का विशिष्ट तथा अपरिहार्य अंग बना गया है इसमें संचार व्यापक एवं सामूहिक स्तर पर होता है। परम्परागत माध्यम धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के लिये अत्यन्त, उपयुक्त समझे जाते है। इनके प्रमुख रूपों में लोक कला, संगीत, लोकगीत, समारोह, मेला, धार्मिक आयोजन, सम्मेलन इत्यादि सम्मिलित हैं।

मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया) छपे स्वरूप में व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुँचता है अतः केवल शिक्षित लोग ही इसका लाभ ले सकते हैं। शिक्षित जन समुदाय में इसका महत्व अत्याधिक होता है। इसके अन्तर्गत पुस्तकें, समाचार पत्र–पत्रिकायें, जर्नल, विज्ञापन, पम्पलेट, कैलेण्डर स्टिकर इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) वर्तमान समय में सर्वाधिक सशक्त माध्यम है क्योंकि इसका लाभ शिक्षित, अशिक्षित सभी लोग से सकते हैं, अतः इसकी पहुॅच विशिष्ट से लेकर सामान्य जन तक एक समान है। इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से संचार संभव होता है।

इसके अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, वीडियो, टेलीफोन, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–मेल, फैक्स इत्यादि साधन आते हैं। प्रसार की दृष्टि से इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और विश्व व्यापी स्तर का है। अतः यह राष्ट्रो की सीमाओं से परे है।

इलेक्ट्रानिक माध्यमों में टेलीविजय नवीन एवं प्रभावी है, इसी कारण से प्रस्तुत अध्ययन को इसी पर केन्द्रित किया गया है।

उद्देश्य :–

- जनसंचार साधनों के द्वारा ग्रामीणों के जीवन पर पड़ने वाली वास्तविक स्थिति का पता लगाना।
- आधुनिकीकरण के प्रभाव से ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन का पता लगाना।
- जनसंचार साधनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के उपर होने वाले अपराध व हिंसा का पता लगाना।
- घर के बाहर काम करने वाले युवाओं को जनसंचार साधनों के माध्यम से सर्वाधिक हितकारी हो सकने वाले माध्य का पता लगाना।

उपकल्पना :–

- जनसंचार के कारण ग्रामीणों युवाओं में शैक्षणिक विकास हुआ है।
- जनसंचार के कारण ग्रामीण महिला एवं पुरूषों में राजनैतिक क्षेत्र में समानता आई है।
- जनसंचार के फलस्वरूप आजीविका के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है।

शोध क्षेत्र क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :– प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन ग्राम अजगरहा जिला रीवा के संदर्भ में है। यहां के मुख्य निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहां की जनसंख्या लगभग 2250 है। यह रीवा के हुजूर तहसील के अंतर्गत है।

शोध प्रविधि – ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। शोध कार्यों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है, जिनका उत्तर उपलब्ध नही है। उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है जिनका समाधान उपलब्ध नही है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्याधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

तथ्यों का सारणीयन :– शोध कार्य में रीवा जिले के अजगरहा ग्राम में जनसंचार साधनों के सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आँकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतो द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न प्रकाशित–अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

1. व्यवसाय –

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
कृषि	30	60%
मजदूरी	15	30%
अन्य	5	10%
योग	**50**	**100%**

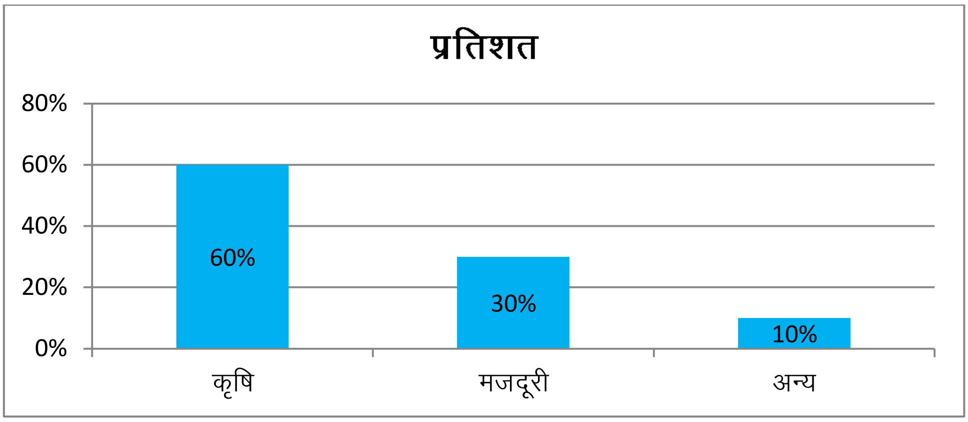

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि रीवा जिले के अमहा ग्राम में 50 परिवारों से साक्षात्कार किया गया जिसमें 60 प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित कार्य, 30 प्रतिशत लोग मजदूरी, 10 प्रतिशत लोग अन्य कार्य में लगे हुये है।

2. परिवार की प्रकृति –

परिवार की प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
संयुक्त	10	20%
एकाकी	40	80%
योग	**50**	**100%**

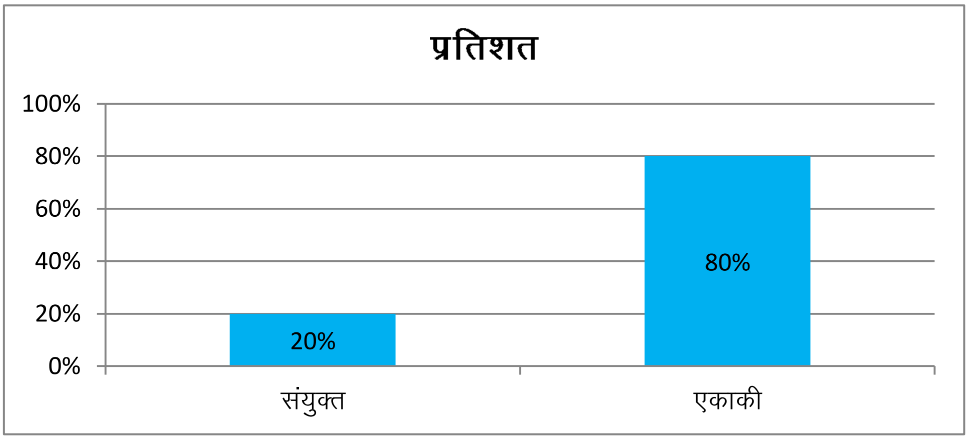

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि रीवा जिले के अजगरहा ग्राम में 50 परिवारों से साक्षात्कार किया गया जिसमें 20 प्रतिशत लोग संयुक्त परिवार में एवं 80 प्रतिशत लोग एकाकी परिवार में रह रहें है।

आधुनिकीकरण से प्रभावित क्षेत्र :–

क्र.	प्रभावित क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
01	चिकित्सा का क्षेत्र	20	20
02	शिक्षा का क्षेत्र	10	20
03	व्यापार का क्षेत्र	05	10
04	मनोरंजन का क्षेत्र	10	20
05	बैंकिग का क्षेत्र	15	30
	योग	**50**	**100**

तलिका क्र0 1 में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण का प्रभाव मुख्यतः सभी क्षेत्रों में पड़ा है। चिकित्सा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। प्राचीन समय में स्वास्थ्य केन्द्रों में हस्तलिखित पंजीयन पर्ची मिलती थी, दवाओं तथा डॉ डाक्टरों से सीधा संवाद और बीमारियों का इलाज होता था, लेकिन आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण ऑनलाइन पंजीयन पर्ची, तथा एक्सरे–मशीन, सोनोग्राफी द्वारा बीमारियों का पता लगा लिया जाता है। आधुनिकीकरण के कारण स्वास्थ्य केन्द्रों में पारदर्शिता आ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण का 20 प्रतिशत प्रभाव पड़ा है। जब से आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है तब से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गयी है, जिसके कारण प्रवेश प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और सुनिश्चित हो गयी है।

व्यापार के क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण का भी प्रभाव पड़ा है। व्यापार ज्यादातर आमने–सामने से होते थे परन्तु व्यापार के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो आधुनिकीकरण से प्रभावित हुए है जैसे ऑनलाइन शांपिग व्यवस्था किये है।

आधुनिकीकरण का प्रभाव मनोरंजन के क्षेत्र में 20 प्रतिशत पड़ा है प्राचीन समय में ग्रामीण समाज में मनोरंजन के साधन के रूप में लोक कथाएं, कजलियां, दादर, फाग, लोकगीत तथा चौपाल व नृत्य थे। आधुनिकीकरण के कारण इनका स्थान, मोबाइल गेम, टेलीविजन, संगीत ने ले लिया है। फिल्मों ने ले लिया है।

बैंकिंग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का प्रभाव सर्वाधिक 30 प्रतिशत पड़ा है। आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण जहाँ पहले लेन–देने सीधे हाथों द्वारा होकर पासबुक में बनाया जाता था राशि शेश हाथ से लिख दी जाती थी आज कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों और गणना मशीन द्वारा लेन–देन किया जाता है। प्रिन्टरों द्वारा पासबुक में जमा और शेश राशि की इंट्री कर दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी जमा होने की जानकारी भी आज मो0 पर मैसेज द्वारा आ जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। आधुनिकीकरण के कारण ग्रामीण व्यवस्था में और कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन आया है।

3. परिवार में संचार माध्यम (मोबाईल वगैरह) का प्रयोग करने वाले सदस्यों की संख्या –

सदस्य संख्या	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
3–5	18	36%
5–7	20	40%
7–9	12	24%
10 - <	0	0%
योग	**50**	**100%**

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

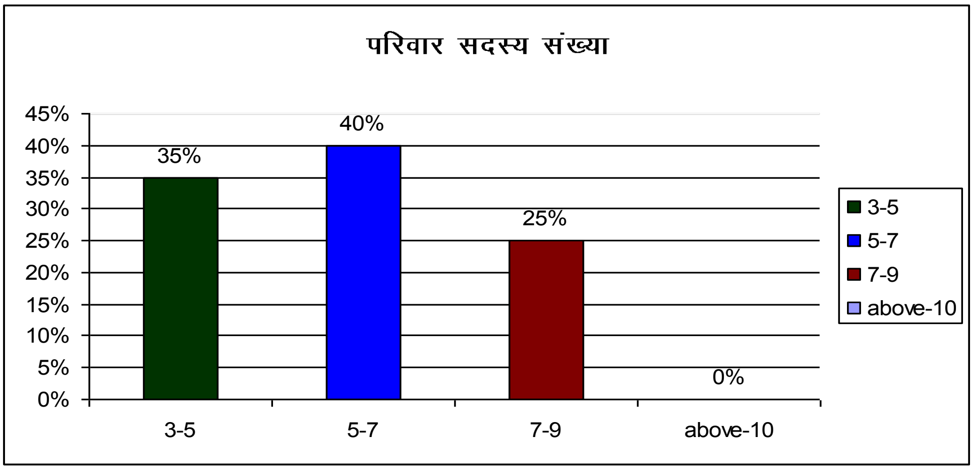

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि रीवा जिले के अजगरहा ग्राम में 50 परिवारों से साक्षात्कार किया गया जिसमें 36 प्रतिशत परिवार में 3–5 लोग है जो जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, 40 प्रतिशत परिवार में 5–7 लोग एवं 24 प्रतिशत परिवार जिनमें 7–9 लोग जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करते है।

तालिका क्रमांक–4

परिवार में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करने वाले वर्ग

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	युवा वर्ग	20	40 %
2.	वयस्क वर्ग	17	35 %
3.	वृद्धि वर्ग	13	25 %
योग		**50**	**100 %**

उपर्युक्त तालिका के आधार पर युवा वर्ग में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग का स्तर 40 प्रतिशत है तथा वयस्क वर्ग मं 34 प्रतिशत और वृद्ध वर्ग में 25 प्रतिशत यानी सबसे कम वृद्ध वर्ग में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :– पश्चिमी देशों में जहॉ सचमुच संचार क्रांति हो चुकी है, यहॉ बहुत सी चीजें आसान हो गयी हैं। व्यवस्था चुस्त हो गयी है, बहुत से कार्य बटन दबाने मात्र से सम्पन्न हो जाते है, सूचनायें तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं पर उसके नकारात्मक पक्ष भी तेजी से उभर कर सामने आ रहें है।''

संचार क्रांति ने संपूर्ण विश्व में मीडिया साम्राज्यवाद पर बहस छेड़ दी है क्योंकि इसके सूत्र मुख्य रूप से विकसित देशों के हाथ में है। अतः यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि औद्योगिक क्रांति की तह पिछड़े देशों को विशिष्ट प्रकार से नव उपनिवेश न बना दिया जाये। यह उपभोक्तावादी समाज के विकास के रूप में होगा। मुक्त बाजार की वकालत उसी का एक हिस्सा है। संपूर्ण मीडिया आज इसी विचार को आगे बढ़ाने और स्थापित करने में जुटा है कि मुक्त बाजार एकी एक अच्छी धारणा है और सभी राष्ट्रों को विकास एवं प्रतिस्पर्धा का अवसर उपलब्ध करायेगा। परन्तु अविकसित, गरीब एवं विकासशील देश कैसे इनका मुकाबला कर पायेगें यह भविष्य के गर्भ में हैं। आशंका यही है कि संचार क्रांति का लाभ बड़े देश ही अधिक ले पायेंगे।

संचार क्रांति का दूसरा पक्ष सांस्कृतिक है विश्व के विकसित देश संचार माध्यमों के द्वारा अपनी संस्कृति को अविकसित एवं पिछड़े देशों पर थोपना

चाहते हैं। भारत में इसे पाश्चात्य संस्कृति कि प्रभावों के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विशेष रूप से टीवी चैनलों का योगदान अन्य माध्यमों से अधिक एवं प्रभावी है, अतः संचार क्रांति को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के विकास के वाहक के रूप में देखा जा रहा है।

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संचार क्रांति ने संचार माध्यमों विशेषतः इलेक्ट्रानिक मीडिया को विशेष रूप से प्रभावित किया है। टेलीविजन इसी का एक भाग है। सेटेलाइट तकनीक के कारण टीवी प्रसारण का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया है, अतः उसने राष्ट्रों की सीमाओं को पार करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया है। भविष्य में यह मीडिया के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने की स्थिति में रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. निगम, बी.एस., सूचना, संप्रेषण एवं समाज, भोपाल, 1994 पृ.18
2. राजेन्द्र, जनसंचार (सं. रोधश्याम शर्मा) चंडीगढ़, 1993, पृ. 06
3. डॉ. डी.एस. बघेल, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृश्ठ 314–320
4. प्रो. घनश्याम धर त्रिपाठी श्रीमती आराधना सक्सेना, भारतीय समाज आस्था प्रकाशन जयपुर, पृष्ठ 226
5. डॉ. जी0आर0मदन परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र विवके प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली 2005, पृ.क्र. 184एनगम, बी.एस.पूर्वोक्त पृ. 21
6. विस्तृत विवरण के लिये देखे– नायर के एस.स., एवं हवाडइ, एस.ए.पर्स– पेटिक्स ऑन डेवलमेंट कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली, 1993
7. निगम, बी.एस. पूर्वोक्त, पृ. 39
8. गुप्त, बृजमोहन, जनसंचार विविध आयाम, दिल्ली, 1992, पृ. 12
9. जागरण वार्षिक, 1999 पृ. 527
10. जनसत्ता 4 मई 1997
11. देव, राहुल, संचार क्रांति एवं पत्रकारिता, (सं. पातंजली प्रेम) नई दिल्ली, 1997 पृ. 57

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड विध्यांचल का निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सिंगरौली जिले की समीक्षा के संदर्भ में

राजेश कुमार कुशवाहा
शोधार्थी (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांश :– कार्पोरेट सामाजिक दायित्व वह पद्धति हैं जिसमें फर्म सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक सरोकार को अपने मूल्यों, संस्कृति, निर्णय प्रक्रिया, रणनीति एवं परिचालन में पारिदर्शिता व जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से शामिल (CSR) करती है और इस प्रकार फर्म के भीतर बेहतर पद्वतियां स्थापित करती हैं सम्पत्ति निर्मित करती है और समाज को सुधारती है। सामाजिक दायित्व कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्राचलन करने के लिये एक प्रतिबद्धता है। यह वचनबद्धता सांविधिक आवश्यकता के अलावा है, इसलिये कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का स्थाई विकास की पद्वाति से काफी नजदीकी रिश्ता है। निगमित सामाजिक दायित्व परोपकारी कार्यकलापों के अलावा सामाजिक और व्यवसायिक लक्ष्यो के एकीकरण से जुड़ा है। इन कार्यकलापों को इस परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिये कि इससे दीर्घा वधि स्थाई प्रतिस्पर्धा लाभप्राप्त करने में मदद मिल सकें।

मुख्य शब्द :– निगमीय सामाजिक दायित्व, आर्थिक विकास

परिचय :– कम्पनी व्यावसायिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है। कम्पनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी तरह से अधिकतम स्थान के प्रति करती है। औद्योगिक क्रांति के बाद सम्पूर्ण विश्व में इसका प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है।

मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। जो कम्पनी व्यवसाय के रूप में करती है। कम्पनी का उद्गम 12वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। इंग्लैण्ड में इसका उद्गम 16वीं शताब्दी में हुआ। फ्रांस में इन्हीं एसोसियेट एनीम, अमेरिका में कारपोरेशन तथा इंग्लैण्ड में स्टॉक कम्पनी कहा जाता है। भारत में कम्पनी की स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम सन् 1850 में भारतीय कम्पनी अधिनियम पारित हुआ भारत में कम्पनियों का प्रबन्ध एवं नियंत्रण भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 में अन्तर्गत किया जा 16वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध ही संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के विकास का युग रहा है।

सामाजिक जिम्मेदारी :– व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों के वित्तीय हितों के रक्षक के लिए भी लाभ कमाना आवश्यक है। इसी प्रकार व्यवसाय भी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। सामान्य शब्दों में प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया का उद्देश्य लाभ कमाना होता है।

लेकिन अब इस विचारधारा में परिवर्तन आ गया है। व्यवसाय के सामाजिक दायित्वों में वृद्धि के कारण व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ सेवा प्रदाय करना भी हो गया है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ के साथ सेवा दोनों है।

व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य :–

1. अधिक उद्देश्य या लाभ उद्देश्य
2. सामाधि उद्देश्य या सेवा उद्देश्य
3. मानवीय उद्देश्य।
4. राष्ट्रीय उद्देश्य।

निगमित सामाजिक दायित्व की परिभाषा :– निगमित सामाजिक दायित्व को बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय और समाज के रूप में अच्छी तरह से कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए नैतिकता की दृष्टि से व्यवहार करते है और आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए व्यापार से जारी रखने की प्रतिबद्धता है।

अतः कम्पनी हमारे समाज के लिए सी.एस.आर. के रूप में अलग–अलग किया जाता है। जो सी.एस.आर. के माध्यम से कर्मचारियों के कौशल, धाक से समुदाय और सरकार के निर्माण में व्यापार के अवसरों को दुंढता है। परम्परागत रूप से संयुक्त राज अमेरिका में सी.एस.आर. एक Philanthropic मॉडल के संदर्भ में बहुत अधिक परिभाषित किया गया है। कंपनियों करों का भुगतान करने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने के अलावा किसी को लाभ निबोध लाने के लिए किया जाता है।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और प्रतिक्रियायें :– सामाजिक कार्य एक उपभोक्ता, श्रमिक, शासन तथा समाज के सभी वर्ग व्यावसायियों के आलोचक बन जाते है। समाजवादी व्यवस्था एक विकल्प के रूप में उभरकर हमारे सामाने आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था ने व्यावसायिक जगत को एक नवीन धारणा से प्रभावित किया है। जो कि सी.एस.आर. व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय स्वयं में एक साधन है। साध्य नहीं साध्य तो स्वयं मनुष्य है।

कम्पनी का सामाजिक दायित्व :–

1. कर्मचारियों के प्रति
2. अंशधारियों के प्रति
3. विनियोगकर्ताओं के लिए
4. सरकार एवं समाज के लिए

अतः कम्पनी जो एक समुदाय के रूप में सी.एस.आर. करती है वह समाज में अन्य वर्गो के प्रति उत्तरदायित्व को शामिल किया जाता है।

शोध प्रविधि :– किसी भी क्षेत्र में संबंधित ज्ञात तभी पूर्ण माना जा सकता है जबकि उसे शोध के माध्यम से प्रमाणित व सत्यापित किया गया हो। शोध वह विज्ञान है जो व्यापारिक वातावरण का अध्ययन करता है। अतः शोध ज्ञात का आधार बन गया है। शोध प्रविधि में हम प्रक्रिया, गतिविधि तथा कारकों का अध्ययन करते है। जो व्यापार को नियंत्रित व शासित करती है।

ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। शोध कार्यो द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर उपलब्ध नहीं है तथा उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कियाजाता है जिसका समाधान उपलब्ध नहींहै। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

इस शोध के माध्यम से मेरे द्वारा सिंगरौली जिले में स्थित बैढ़न नगर में सी.एस.आर. एन.टी.पी.सी. लिमिटेड का सामाजिक निगमीत उत्तरदायित्व का विकास एवं सम्भावनाएँ अधोसंरचना और लागत–लाभ व्यवहार का अध्ययन किया गया है।

शोध औचित्य :– आर्थिक विकास के इस युग में उद्योगों का अत्यधिक महत्व है। उद्योगों का विकास के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए आज के इस समाज में आर्थिक परिवर्तन के इस दौर में उद्योगों को एक रूप दिया गया है। जो कम्पनी सी.एस.आर. के रूप में संचालित करने के लिए कुछ व्यय किया जाात है। जिनसें सामाजिक उत्तरदायित्वों के द्वारा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और साथ में ही समाज का भी विकास सुनिश्चित हो सके। उद्योगों का विकास न केवल राष्ट्र के लिए वरन् समुदाय/समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।

शोध का उद्देश्य :– मानव कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य ही होता है, चाहे वह कार्य ऐच्छिक हो अथवा अनैच्छिक इसी प्रकार शोध भी मानव का महत्वपूर्ण ऐच्छिक कार्य है। अपने अनुसंधान कार्य में संलग्न होते समय मेरा उद्देश्य कम्पनी के कार्य भी आधारित है जो सामाजिक निगमीय उत्तरदायित्व की संभावनाओं, अधासंरचना, लागत, लाभ, व्यवहार का अध्ययन करना है।

प्रस्तुत अध्ययन में सिंगरौली जिले में संचालित पूर्व में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सामाजिक निगमीय उत्तरदायित्व के कार्यो की समीक्षा के संबंध में जानने का प्रयास किया गया है। अतः कम्पनी को संचालित करने की लागत व लाभ की स्थिति क्या है? इसका जिले में एवं राष्ट्र के विकास में अंशदान किस रूप में है और कितना योगदान है इस सभी बातों का अध्ययन करना है।

इसके उद्देश्य को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है –

1. शोध का सर्वप्रथम उद्देश्य कम्पनी का सी.एस.आर. का अध्ययन करना।
2. संचालित कम्पनी की शुद्धता का अध्ययन करना।
3. कम्पनी में लगे कर्मचारियों (मजदूरों) के वेतन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना।
4. कम्पनी के संचालन के बाद आय–व्यय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना।
5. सिंगरौली जिले में कम्पनी के सामाजिक उत्तरदायित्व की संभावनाओं का अध्ययन करना।

शोध का क्षेत्र :– प्रस्तुत शोध का क्षेत्र सीमित है। यह सी.एस.आर. पर आधारित है। इसका शोध प्रबंध सिंगरौली जिले के अन्तर्गत संचालित है। जो एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कम्पनी है। जो सिंगरौली जिले (बैढ़न) में अपने कार्यको आसानी से कर रही है। इसका क्षेत्र काफी बड़ा है। जो वहाँ के लोगों को उनके जरूरतों की सभी सुविधाएँ प्रदान करती है।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

तालिका –1
व्यवसाय का स्वयं के प्रति कम्पनी द्वारा निष्पादित समाजार्थिक दायित्वों की वर्तमान स्थिति

क्र.	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रश्नों की कुल संख्या	प्रति उत्तर	
			हॉ	नहीं
1.	0–2	20	9	11
2.	2–4	20	12	8
3.	4–6	20	7	13
4.	6–8	20	17	3
5.	8–10	20	13	7

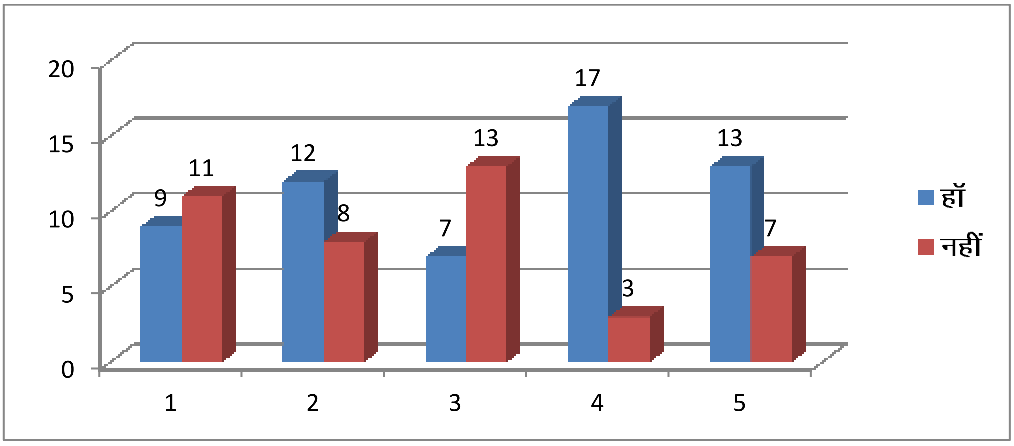

उपर्युक्त तालिका में व्यवसाय कस स्वयं के प्रति कम्पनी द्वारा निष्पादित समाजार्थिक दायित्वों का वर्तमान स्थिति का वर्ण किया गया है। उत्तरदाताओं की संख्या 0–2 के वर्ग आधार पर 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 9 व्यक्तिों ने हॉ पर उत्तर दिया और 11 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया और फिर 2–4 के वर्ग आधार पर 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें 12 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया है और 8 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया। इसी प्रकार 4–6 वर्ग वाले उत्तरदाताओं से भी 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 7 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया और 13 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। फिर इसी प्रकार 6–8 वर्ग वाले व्यक्तियों से 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 17 ने हॉ में उत्तर दिया और 3 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। उसके बाद 8–10 वर्ग वाले उत्तरदाताओं से 20 प्रश्न पूछे गये जिनमें से 13 ने हॉ में उत्तर दिया और 7 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। इसके आधार पर ही हम व्यवसाय का स्वयम के प्रति वर्तमान स्थिति ज्ञात करते है तथा इसे जानने के लिए पूछे गये प्रश्नो की संख्या का वर्णन हॉ और नहीं किया गया है।

तालिका –2
व्यवसाय का ग्राहक के प्रति कम्पनी द्वारा निष्पादित समाजार्थिक दायित्वों की वर्तमान स्थिति

क्र.	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रश्नों की कुल संख्या	प्रति उत्तर	
			हॉ	नहीं
1.	0–2	20	16	4
2.	2–4	20	15	5
3.	4–6	20	17	3
4.	6–8	20	3	17
5.	8–10	20	7	13

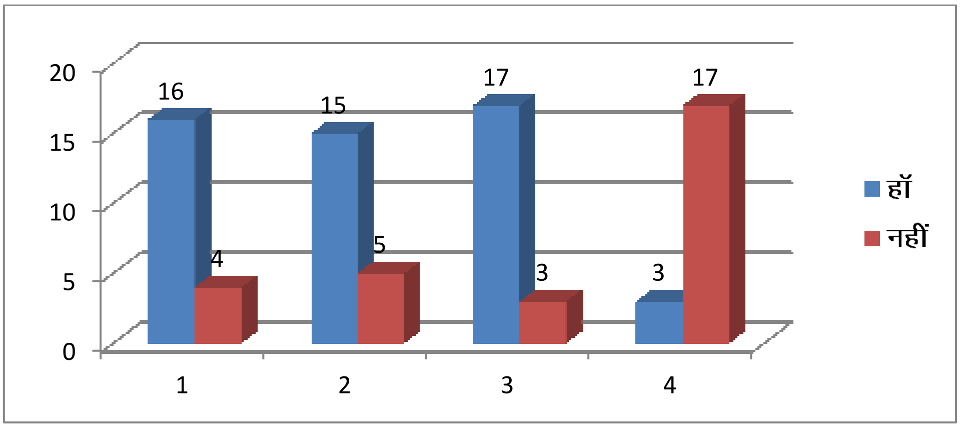

उपर्युक्त तालिका में व्यवसाय का ग्राहकों के प्रति कम्पनी द्वारा निष्पादित समाजार्थिक दायित्वों की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। उत्तरदाताओं की संख्या 0–2 के वर्ग आधार पर 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 16 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया और 4 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया और फिर 2–4 के वर्ग आधार पर 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें 15 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया और 5 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया। इसी प्रकार 4–6 वर्ग वाले उत्तरदाताओं से भी 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 17 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया और 3 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। फिर इसी प्रकार 6–8 वर्ग वाले व्यक्तियों से 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 3 ने हॉ में उत्तर दिया और 17 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। उसके बाद 8–10 वर्ग वाले उत्तरदाताओं से 20 प्रश्न पूछे गये जिनमें से 7 ने हॉ में उत्तर दिया और 13 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। इसके आधार पर ही हम व्यवसाय का ग्राहकों के प्रति वर्तमान स्थिति करते है तथा इसे जानने के लिए पूछे गये प्रश्नों की संख्या का वर्णन हॉ और नहीं में किया गया है।

तालिका क्र. 3

व्यवसाय का समुदाय के प्रति कम्पनी द्वारा निष्पादित समाजार्थिक दायित्वों की वर्तमान स्थिति

क्र.	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रश्नों की कुल संख्या	प्रति उत्तर	
			हॉ	नहीं
1.	0–2	20	16	4
2.	2–4	20	18	2
3.	4–6	20	15	5
4.	6–8	20	9	11
5.	8–10	20	17	3

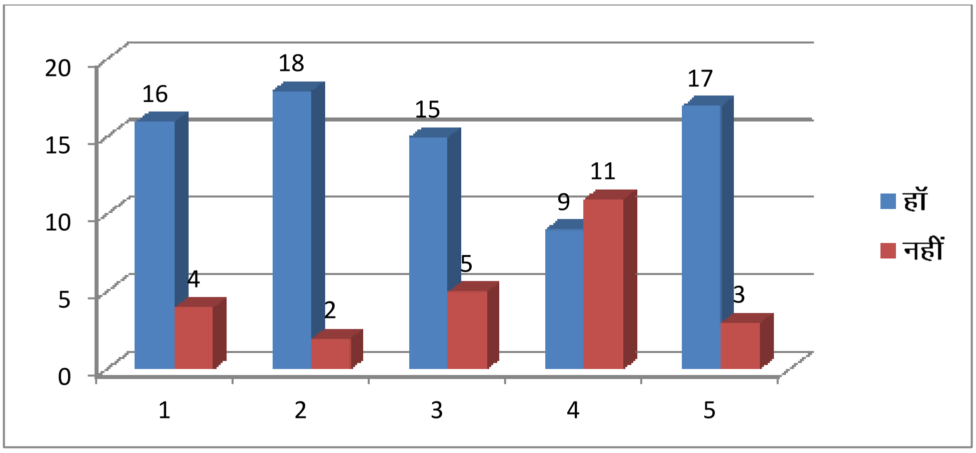

उपर्युक्त तालिका क्रमांक –3 में व्यवसाय का समुदाय के प्रति कम्पनी द्वारा निष्पादित समाजार्थिक दायित्वों की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। उत्तरदाताओं की संख्या 0–2 के वर्ग आधार पर 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 16 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया और 4 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया और फिर 2–4 के वर्ग आधार पर 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें 18 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया है और 2 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया। इसी प्रकार 4–6 वर्ग वाले उत्तरदाताओं से भी 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 15 व्यक्तियों ने हॉ में उत्तर दिया और 5 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। फिर इसी प्रकार 6–8 वर्ग वाले व्यक्तियों से 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 9 ने हॉ में उत्तर दिया और 11 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। उसके बाद 8–10 वर्ग वाले उत्तरदाताओं से 20 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 17 से हॉ में उत्तर दिया और 3 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है। इसके आधार पर ही हम व्यवसायका समुदायिक के प्रति वर्तमान स्थिति ज्ञात करते है तथा इसे जानने के लिए पूछे गये प्रश्नों की संख्या का वर्णन हॉ और नहीं में किया गया है।

निष्कर्ष :– किसी भी समस्या के अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष देना शोधार्थी के लिए अत्यन्त दुष्कर कार्य होता है क्योंकि शोधार्थी एक सामाजिक प्राणी होता है। अतः स्वाभाविक है कि शोधकर्ता का झुकाव समस्या के उन तथ्यों और पहलुओं की ओर हो जाएँ जिनसे कि वह सम्बन्धित हो! सिंगरौली जिसमें में एन.टी.पी.सी. लिमिटेड विन्धचंलन का सी.एस.आर. इकाईयों के विकास का सामाजिक उत्तरदायित्व पर जो प्रभाव है। उसका अध्ययन करने पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए है उन्हें निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है –

1. अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक समुदाय की संरचना व आर्थिक विकास प्रारूप अत्यधिक परिवर्तनशील अवस्था में है। यहॉ पर अधिकांश रूप में ग्रामीण अधिवास पाए जाते है। जिसे वो शिक्षित करे तथा बरोजगारों को रोजगार तथा मुख्य कारण कार्य को करने वाले लोगों की संख्या का अधिक होना है।
2. अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या सुविधाओं का भी धीरे–धीरे विकास हो रहाहै। जो कम्पनी सी.एस. आर. इकाई के विकास से प्रभावित रहीं है। जिसमें विद्युत, शिक्षा चिकित्सा एवं जन स्वास्थ, पेयजल, वित्तीय व रोजगार आदि आधारभूत सुविधा प्रमुख है।
3. कम्पनी सी.एस.आर. के निरन्तर विकास के कारण यहॉ के लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार तो हुआ है। लेकिन कम्पनी से निकला धुऑ गंदा पानी जिलें में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या धीरे–धीरे बढ़ रहीं है।
4. अध्ययन क्षेत्र में बिजली का उत्पादन तो है पर कम्पनी के द्वारा बिजली की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है जिसे कम्पनी द्वारा कम भी किया जा सकता है।
5. व्यक्तिगत साक्षात्कार (प्राथमिक आंकड़ो) के माध्यम में यह ज्ञात हुआ है कि कम्पनी द्वारा सी.एस.आर. इकाईयों की स्थापना के पश्चात् अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है तथा एक नई जागरूकता आयी है जो जिले के लिए सराहनीय कदम है।

सुझाव :– उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास एवं सामाजिक दायित्व में मध्य संबंध स्थापित कर समाज व औद्योगिक इकाईयों की भूमिका निश्चित की जाए जिससे कि अध्ययन क्षेत्र में सन्तुलित औद्योगिक विकास तथा निगमिय सामाजिक उत्पत्ति के साथ कर्मचारियों और समुदाय का विकास की भूमिका अधिक किया जा सके इसके लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है –

1. औद्योगिक इकाईयों द्वारा ग्रामों में सी.एम.आर. संरक्षण सम्बन्धित गतिविधियों को तेज किया जाये व उत्पाद का कुछ हिस्सा क्षेत्र के प्राकृतिक भू–दृश्यों के विकास पर लगाया जाये।
2. अध्ययन क्षेत्र के निवासियों को चाहिए कि वे अपनी निर्भरता प्राकृतिक पदार्थो पर कम करें वे उन पदार्थो का अधिक उपयोग करें जो पुनः उपयोग में लाया जा सके।
3. स्थानीय निवासियों को सी.एस.आर. से सम्बन्धित तथा पर्यावरण को देखते हुए जागरूकता लाने की आवश्यकता है जिससे औद्योगिक व सामाजिक इकाई व स्वयं द्वारा किये गये निगमिय सामाजिक दायित्व की जानकारी ज्ञात हो सके।
4. अध्ययन क्षेत्र में जंगल में पेड़ों को काटे जाने केबाद एक पेड़ काटने पर 9 पेड़ लगाने चाहिए।
5. अध्ययन क्षेत्र में वृक्षारोण व नवीन क्षेत्र में वृद्धि के लिए एक परिवार को पॉच वृक्षों का रोपण व उन्हें बड़ा करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- शुक्ल, डॉ.एम.एस.ए सहाय, डॉ. एस.पी., सांख्यिकी के सिद्धान्त साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2009
- त्रिवेद, डॉ0 आर.एन., शुक्ला, डॉ. डी.पी., रिसर्च मैथ्डोलॉजी, कॉलेज बुक डिपों
- मेहता, डॉ. सी.एम., व्यवसायिक संगठन, रामप्रसाद एण्ड सन्स
- शुक्ल, डॉ. एस.एम., भारती कम्पनी अधिनियम, साहित्य भवन, आगरा 2012
- मालवीय, डॉ. अंजनी कुमार, व्यावसायिक पर्यावरण, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद , 2012
- ठाकुर, डी., रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोसल साइन्स, दीप एण्ड होप न्यू दिल्ली, 2007
- जैन, डॉ. एम.के., शोध विधियॉ, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
- शर्मा, राजेन्द्र, व्यवसायिक प्रबन्ध के सिद्धान्त तथा उद्यमिता, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2009

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

सतना जिले में कृषि रूपान्तरण प्रक्रिया का आर्थिक विश्लेषण

श्रीमती पुष्पराज पाण्डेय
शोधार्थी (वाणिज्य), शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना (म.प्र.)

सारांश :– कृषि सम्पूर्ण विश्व का प्रमुख कार्य है। जिसमे से भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग कृषि कार्य पर निर्भर है। अतः यहा पर कृषि का विकास अति आवश्यक है। भारत देश मे कई उद्योगो का आधार कृषि है। उत्पादन के इस प्राथमिक क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया जाता है। परन्तु हमारे देश में कृषि से संबंधित कई समस्याए भी है जिस कृषि क्षेत्र अत्याधिक प्रभावित करती है। भारत में कृषि–उत्पादिता के निम्न स्तरीय होने के कई तकनीकी एवं संस्थागत कारण सर्वविदित है। औद्योगिक विकास कृषि अतिरिको की मांग है, और विकृत खाद्यान्न अतिरिको का सृजन व वृद्धि तभी हो सकती है, जबकि कृषि उत्पादन की इकाईया संगठित हो व बड़े आकार में उनका आगत–निर्गत किया जा सके।

सतना जिले में कृषि क्षेत्र में रूपांतरण प्रक्रिया का अत्याधिक महत्व है, क्योंकि जिले में परंपरागत कृषि व्यवस्था को परिवर्तित कर आधुनिक कृषि व्यवस्था में लाना जिले के लिए आवश्यक कदम होगा। इस रूपांतरण के कारण कृषको द्वारा कम श्रम, कम समय में अधिक उत्पादन संभव होगा और इस प्रक्रिया के माध्यम से कृषको की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आयेगा। जब कृषको की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो कृषको की कृषि के प्रति रूचि एवं आत्म विश्वास में वृद्धि होगा। जिसका सीधा प्रभाव जिले के विकास एवं कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाला आय पर पड़ेगा।

प्रस्तावना :– भारत के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में ''कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग धंधा ही नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था की रीड़ की हड्डी है।'' देश के उद्योग–धंधे, विदेशी व्यापार मुद्रा अर्जन, विभिन्न योजनाओं की सफलता एवं राजनैतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही निर्भर है।

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, यहां भी कृषि न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि अथवा कृषि संबंधी अन्य उद्योगों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन चला रहे है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध कृषि से है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ो के अनुसार कुल जनसंख्या का 71.48 प्रतिशत भाग कृषि उद्यम (कृषक एवं खेतिहर मजदूर) में लगा है, किन्तु राज्य की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग कृषि श्रमिकों के पक्ष में काम कर रहा है। यह रोजगार मौरूसी है और श्रमिकों की बड़ी संख्या के बावजूद भी स्थाई उत्पादन जनशक्ति का अपव्यय है जिससे न केवल यहां के ग्रामवासियों का जीवन स्तर सुधर पा रहा है, और न ही यह श्रमिक वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उन्नयन में कोई विशेष भूमिका निभा पा रहा है। यहां की कुल क्रियाशील जनसंख्या का 71.6 प्रतिशत (2001) कृषि कार्य में लगी है तथा सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का लगभग एक तिहाई 37.1 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है।

कृषि संपूर्ण भारत में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार सतना में भी कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण जीविका का साधन है। यहां की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिले की संपूर्ण जनसंख्या का 78 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है। जिनका सीधा अथवा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंध कृषि से ही होता है। इसी कारण यहां की कृषि जिले के विकास का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। सतना जिले में उपलब्ध भूमि का अधिकांश पहाड़ी है। जिसके कारण कृषि हेतु समतल भूमि का अभाव है। यहां की धरातलीय विषमता, मानसूनी जलवायु पर निर्भरता अविकसित तकनीक एवं आधुनिक कृषि यंत्रो व उपकरणों के अभाव में प्रदेश को इस क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं मिल पाई जिले में कृषि उपयोगी भूमि अपेक्षाकृत कम है जो फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है। पर्वतीय तथा पठारी भागों में तीव्र होने से कृषि कार्य भी कठिन हो जाता है। जिले में औसत वर्षा की कमी कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

सतना जिले की भूमि व्यवस्था के अध्ययन के पूर्व ऐतिहासिक अध्ययन सर्वप्रथम आवश्यक है। उन्नत कृषि उत्पादन के लिए एक अच्छी भू–धारण प्रणाली का होना आवश्यक है। हम यह कह सकते है कि कृषि उत्पादन में स्थायी विकास के लिए यह पहली शर्त है कि भू–धारण के अंतर्गत हम देखते है कि कृषक के स्वामित्व में भूमि किन शर्तो में रहती है। तथा स्वामित्व

में भूमि किन शर्तो में रहती है तथा स्वामित्व का महत्व क्या हो सकता है।

उद्देश्य :– इस अध्ययन के मूल उद्देश्य निम्नानुसार है–

1. भूमि व्यवस्था के अंतर्गत भूमि सीमा कानून का क्रियान्वयन भू–समतलीकरण तथा भूमि रखरखाव में हुए परिवर्तन परिवर्द्धन की प्रक्रिया का आंकलन करना।
2. सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएं तथा इस परिपेक्ष्य में निर्धारित अवधि के बाद कृषि सिंचाई सुविधाओं में हुए संरचनात्मक परिवर्तन का आंकलन करना।
3. कृषि में यंत्रीकरण का परंपरागत स्वरूप तथा इसमें परिवर्तन उर्वरकों के प्रयोग की स्थिति उन्नत बीजों के प्रयोग के क्षेत्र में निर्धारित तिथि के पश्चात् हुए रूपान्तरण की प्रक्रिया का आंकलन करना।
4. कृषि वित्तीयकरण का परंपरागत स्वरूप तथा इस क्षेत्र में सरल साख योजना या नीति द्वारा इस क्षेत्र के रूपान्तरण प्रक्रिया का आंकलन करना।
5. विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रयुक्त भू–क्षेत्र तथा उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर में रूपान्तरण का आंकलन करना।

शोध प्रविधि :– शोध या अन्वेषण किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। ज्ञान की किसी भी शाखा में ध्यानपूर्वक नये तथ्यों की खोज के लिए किये गये अन्वेषण या परिक्षण को अध्ययन कहते है। ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है।

शोध कार्य में सतना जिले कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय आकड़ो को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतो से एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगारमूलक योजनाओं की समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकाशित– अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, एवं इंटरनेट आदि का भी आकड़ें एवं विषय वस्तु से संबंधित स्टडी मटेरियल एकत्र करने में प्रयोग किया गया है।

सतना जिले में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र.	वर्ष	नहरों की संख्या	नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल
1.	1991–92	420	13060
2.	1999–2000	142	41208
3.	2003–04	155	12071
4.	2007–08	155	13548
5.	2009–10	147	12667
6.	2012–13	160	12453
7.	2014–15	110	7771
8.	2016–17	114	8062

स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1991–92 में जिले 420 नहरो द्वारा 13060 हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी जो कि अगले दस वर्षो अर्थात् 2007–08 में इन नहरों की संख्या में कमी आई और कुल सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हो कर 13548 हेक्टेयर हो गया। जो कि यह दर्शाता है कि नहरों की संख्या कम होने पर भी सिंचित क्षेत्रफल में कमी नहीं आई हैं। वर्ष 2014–15 में जिले के विभाजन के पश्चात् नहरों की संख्या और कम होकर मात्र 110 ही रह गई जिससे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल भी कम होकर 7771 हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2016–17 में यह आंकड़ा नहरों की संख्या बढ़कर 114 हो गई और सिंचित क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई जो कि 8062 हेक्टेयर हो गया हैं।

सतना जिले में कुॅओं द्वारा सिंचाई

क्र.	वर्ष	कुॅओं की संख्या	सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	1991–92	8500	12225
2.	1999–2000	9006	22382
3.	2003–04	9447	26060
4.	2007–08	9722	24292
5.	2012–13	11541	26970
6.	2014–15	6139	10856
7.	2016–17	6339	51043

स्रोतः– जिला सांख्यिकी पुस्तिका

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नहरों, तालाबों की अपेक्षा कुँओं की संख्या अधिक है एवं कुँओं द्वारा सिंचित क्षेत्र भी अधिक है। अर्थात् आज भी कृषकों के द्वारा परंपरागत तरीका अपनाया जा रहा हैं। इस परम्परागत तकनीक में सरकार ने भी अपना योगदान दिया है तथा इसके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही है। वर्ष 2007–08 में कुँओं की संख्या सतना और सिंगरौली जिले के विभाजन में पूर्व की है। विभाजन के पश्चात् इन कुँओं की संख्या लगभग आधी रह गई परन्तु विभिन्न सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत इन कुओं की संख्या विभाजन के दो वर्ष पश्चात् अर्थात् 2016–17 में बढ़कर 6339 हो गई तथा इन कुँओं द्वारा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई जो 51043 हेक्टेयर है अर्थात् पहले से दो गुना।

सतना जिले में जुताई की परम्परागत तकनीक (हलों की संख्या)

क्र.	वर्ष	हलों की संख्या	
		लकड़ी के हल	लोहे के हल
1.	1991–92	151836	800
2.	1999–2000	180625	907
3.	2005–06	194729	967
4.	2010–11	97317	985
5.	2016–17	98346	1020

स्रोत :– जिला सांख्यिकी पुस्तिका (2010)

अतः आंकड़ो से स्पष्ट है कि लकड़ी के हलों की संख्या में विशेष परिवर्तन नहीं हुए है। पहले की अपेक्षा निरंतर इनके उपयोग की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2008–09 में लकड़ी के हलों की संख्या घटती हुई दिख रही है जो कि जिले में विभाजन के कारण है। इसी कारण उत्पादन में अन्तर आया है। वर्ष 1991–92 में लकड़ी के हलों की संख्या 151836 थी जो कि लोहे के हलों की अपेक्षा कई गुना अधिक थी अर्थात् लोहे के हलों की संख्या मात्र 800 ही है। जिले में अगले पांच वर्षो में इस क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली जिसके फलस्वरूप लकड़ी के हलों एवं लोहे के हलों में तीव्र गति से वृद्धि होना आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1999–2000 में लकड़ी के हलों की संख्या 180625 हो गई और लोहे में हलों की संख्या 907 हो गई। सतना जिले के विभाजन के पश्चात् जिले में हलों की संख्या में मुख्यतः लकड़ी के हलों की संख्या लगभग आधी रह गई अर्थात् वर्ष 2010–11 में 97317 हो गई। जबकि लोहे के हलों की संख्या में विभाजन के पश्चात् कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह लगातार बढ़ता ही गया है। वर्ष 2016–17 में लकड़ी के हलों की संख्या में फिर वृद्धि शुरू हुई और इसकी संख्या बढ़कर 98346 हो गई वही लोहे के हलों की संख्या 1020 हो गई।

सतना जिले में रासायनिक खादो का प्रयोग (हेक्टेयर/मीट्रिक टन)

वर्ष	रासायनिक खाद	
	क्षेत्र	मात्रा
1991–92	–	–
1999–2000	10473	566.0
2003–04	238116	8138.3
2007–08	142101.28	9448.16
2012–13	143600	17308
2014–15	262020	14780.8
2016–17	263260	15888.3

स्रोत :– जिला सांख्यिकी पुस्तिका

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि सतना जिले में वर्ष 1991–92 में रासायनिक खादों का उपयोग प्रारंभ नही हुआ था। इसलिए उन वर्षो में फसलोत्पादन कम था। वर्ष 1999–2000 में रासायनिक खाद का प्रयोग 10473 हेक्टेयर भूमि पर 566.0 मी.टन का प्रयोग किया गया था जो कि काफी कम था। वर्ष 2003–04 में इसका प्रयोग बढ गया जो कि 238116 हेक्टेयर के क्षेत्र में 8138.3 मी.टन खाद का प्रयोग किया गया। वर्ष 2007–08 और 2012–13 में प्रयोग क्षेत्र में तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था। परन्तु मात्रा के प्रयोग में बड़ा अन्तर देखने को मिला वर्ष 2007–08 में खाद की मात्रा जहाँ 9448.1 थी वहीं 2012–13 में बढकर 17308 मी. टन हो गई। वर्ष 2014–15 में खाद का प्रयोग क्षेत्र 262020 हेक्टेयर में 14780.8 मी. टन का प्रयोग कया गया और फिर वर्ष 2016–17 में खाद प्रयोग का क्षेत्र 263260 हेक्टेयर भूमि पर 15888.3 मी. टन रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया।

कृषि वित्तीयकरण तथा रूपांतरण :– सभी व्यवसायिक संस्थाओं के लिए वित्त की व्यवस्था परम आवश्यक हैं और कृषि क्षेत्र इसका कोई अपवाद नही है। समयानुकूल पर्याप्त व सस्ती साख की व्यवस्था कृषि क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण आगत हैं। जिस प्रकार

व्यवसायियों, को सभी व्यवसायिक क्रिया कलापों के संचालन एवं विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कृषकों से संबंधित विभिन्न कार्यो के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु, कृषि एवं कृषको की अपनी कुछ ऐसी विशिष्टताए होती हैं, जो इसकी वित्त एवं साख संबंधी आवश्यकताओं से अलग करती हैं। छोटे व निर्धन कृषकों की बचत करने की असमर्थता व निर्धनता के कुचक्र को देखते हुए संख्यात्मक साख का जन्म जर्मनी में हुआ। प्रत्येक कृषक परिवार, समध्यम वर्गीय, अथवा छोटे किसान अधिक निवेश के द्वारा नई तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं। अतएव, अधिक व सस्ती साख तथा पूंजी की उपलब्धता भारतीय कृषि के विकास में एक विशिष्ट स्थान पाती है। भारत जैसे अर्द्धविकसित व घनी आबादी वाले देश के लिए कृषि साख की समस्या साख प्रदान करने की नीतियों को अवलोकन करना मात्र नहीं है। इस समस्या को एक वृहद् परिवेश में समझना होगा, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनसंख्या का आर्थिक व सामाजिक स्तर, घरेलू पूंजी निर्माण में बाधाएं, उत्पादन व आवश्यक उपभोग कार्यो के लिए साख के परिमाण का निर्णय और उससे संबंधित तथ्यों व कारणो की जानकारी करती होगी। साधारणतया छोटी जोत आकार वाले भारतीय कृषक की आय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो पाती हैं और उसको प्रत्येक फसल में खेती के कार्यो के लिए व आवश्यक उपभोग के लिए ऋण लेना पड़ता है। भू–राजस्व का भुगतान व पुराने ऋणों का परिशोधन, कृषि–उत्पादन संबंधी व्यय, औजार के क्रय तथा उपयुक्त मूल्य मिलने तक अनाज को रोक रखने के व्यय उत्पादक ऋण के उदाहरण हैं।

कृषि एवं कृषको की अपनी कुछ ऐसी विशिष्टताएं होती है, जो इसकी वित्त एवं साख की आवश्यकताओ को कृषि भिन्न क्षेत्रों की वित्त एवं साख संबंधी आवश्यकताओं से अलग करती है। कृषकों को कृषि कार्यो के लिए अथवा भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए पर्याप्त एवं सस्ती साख सुलभ नही है। कृषि वित्त की विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त तथा महंगी है। जिसके फलस्वरूप कृषि का विकास अवरूद्ध हो गया है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनाई गई कोई योजना तभी सफल हो सकती है। जब कृषकों को उचित समय पर पर्याप्त एवं सस्ती साख सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

सतना जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न वर्षो में प्रदत्त वित्तीय सुविधाएं

वर्ष	कुल अग्रिम राशि (लाख में)				उपलब्धित का प्रतिशत
	लक्ष्य		उपलब्धि		
	खाता	राशि	खाता	राशि	
1991–92	2012	126.22	1258	87.94	70
1999–2000	2920	237.85	805	178.14	75
2003–04	1510	305.50	1135	233.40	76
2007–08	2600	648.17	1310	960.19	148.14
2012–13	3055	1475.10	1188	869.71	58.96
2016–17	4671	2460.61	2383	2558.42	103.98

स्रोत :– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी जिला कार्यालय (सतना) वार्षिक साख योजना (पत्रिका)

उपरोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि जिले में यू. बी.आई. बैंक कृषि क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों के पूर्ति के सतत् प्रयास भी किये जाते है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991–92 में कृषि क्षेत्र के लिए 2012 खाता धारकों के लिए निर्धारित लक्ष्य 126.22 लाख वितरण का लक्ष्य रखा गया, इसके विरूद्ध 1258 खाता धारको को 87.94 लाख की राशि वितरित की गई और इस उपलब्धि का प्रतिशत 70 प्रतिशत रहा। वहीं वर्ष 1999–2000 में लक्ष्य के अनुसार 2920 खाता धारको को 237.85 लाख रूपये की राशि वितरित का लक्ष्य रखा गया।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

निष्कर्ष :— सतना जिले की कृषि में कई रूपांतरणो में सिंचाई व्यवस्था में कई रूपांतरण हुए हैं। जिसमें यह स्पष्ट है कि पारंपरिक सिंचाई प्रणालियो से रूपांतरित होकर आधुनिक प्रणालियो को अपनाया हैं। चूंकि जल कृषि हेतु एक ऐसा आगत हैं जिसके बिना खेती करना असंभव है। जल संसाधन का प्रमुख महत्व जिस प्रकार मानव जीवन एवं पशु—पक्षी के लिए उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार जल पेड़—पौधो की सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र में सिंचाई के रूप में उपयोगी है। सतना जिला एवं यहा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हैं और कृषि मुख्यतः नदियो एवं सिंचाई के साधनो पर निर्भर है। प्राचीन समय में कृषि के लिए सिंचाई नदियों एवं तालाबो के माध्यम से की जाती थी। उसके पश्चात् धीरे—धीरे कृषि के स्वरूप में परिवर्तन आया और सिंचाई के साधनो का विकास एवं विस्तार तीव्र गति से प्रारंभ हुआ जिसमें नये—नये भूमिगत जल के स्रोत, कुए, नहरें, तालाब, नलकूप आदि का विस्तार हुआ एवं इन्ही के माध्यम से सिंचाई की जाने लगी। जिसके फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी और भूमि का अधिकांश भाग सिंचित क्षेत्र में आने लगा। सतना जिले में विभाजन के पूर्व वर्ष 1991—92 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत 10.63 है जो कि वर्ष 1998—99 में बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गया। इसके पश्चात् विभाजन के बाद भी इसमें वृद्धि जारी रही। जो कि वर्ष 2008—09 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से 19 प्रतिशत हो गया।

सुझाव :— भू समतलीकरण, सिचाई की सुविधाओं का विकास एवं विस्तार साख की सुविधाओं का विस्तार, जनसंख्या का दबाव कम किया जाय, कृषि विपणन व्यवस्था का विकास, श्रेष्ठकर तकनीको और उन्नत औजारों को अपनाना, उन्नत बीजों का प्रयोग, उर्वर्कों के उपभोग स्तर को बढ़ाना, भूमि सुधार, मिश्रित खेती, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार, यातायात की व्यवस्था में सुधार, पशुओं की स्थिति में सुधार, किसानों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, जोखिम कम किया जाना। कृषि अनुसंधान विस्तार, छोटे किसानों की सहायता योग्य प्रशासन आदि जैसे सुझावों का प्रतिपादन किया गया है, जिनके द्वारा जिले की कृषि में रूपान्तरण प्रक्रिया के और अधिक विकास एवं विस्तार हेतु प्रस्तुत अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :—

1. डा.बी.एल.राव, एन.एस. कोण्डावार, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
2. डॉ.बी.एल. माथुर, कृषि वित्त, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
3. डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन
4. दूधनाथ सिंह, कृषि अर्थशास्त्र तथा भारत की कृषि समस्याए रामनारायण लाल
5. डॉ. जयप्रकाश मिश्र, कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन
6. कनिष्ठ कुमार निगम, मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
7. डॉ.एम.एस. शुक्ल एवं डॉ. शिवपूजन सहाय, व्यवसायिक सांख्यिकी, साहित्य भवन आगरा
8. डॉ. मामोरिया एवं जैन, भारत की आर्थिक समस्याए, साहित्य भवन आगरा
9. डॉ. प्रमिला कुमार एवं डॉ. श्री कमल शर्मा, मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
10. ऋषि कुमार गोविल, कृषि अर्थशास्त्र, प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी लखनऊ
11. राकेश गौतम एवं जितेन्द्र सिंह भदौरिया, म.प्र. एक परिचय, टाटा एम. सी.ग्रा. हिल एजुकेशन प्रा.लि.
12. डॉ.एस.एन. शुक्ल एवं डॉ.एस.पी. सहाय, सांख्यिकी के सिद्धांत, साहित्य भवन

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

श्रमजीवी महिलाओं का परिवार तथा कार्यालय में भूमिका का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन (गाजीपुर जिले के सन्दर्भ में)

वेदप्रकाश तिवारी
शोधार्थी (समाजशास्त्र), शास.टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश :– मनुष्य एक विवेक वान प्राणी है उसके हर उद्देश्य के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है इस अध्ययन के भी कुछ उद्देश्य का निर्धारित किया गया है परंतु इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ''श्रमजीवी महिलाओं का परिवार तथा कार्यालय में भूमिका का अध्ययन करना।

परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं के द्वारा घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कोई भी आर्थिक कार्य करना सामाजिक प्रतिष्ठा के विरूद्ध माना जाता था। वर्तमान में श्रमजीवी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिससे उनकी सामाजिक परिस्थिति परिवर्तित हो रही है। इस परिस्थिति के साथ उनको परिवार तथा कार्यालय दोनों क्षेत्रों की भूमिकाओं का निर्वहन करना पडता है। कभी–कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों भूमिकाओं में तनाव उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार हम देखते है कि श्रम का परिवार तथा कार्यालय दोनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडा। इस कारण यह प्रतीत होता है कि जो महिलाओं में नौकरी करने की लहर आयी है उसका प्रभाव उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा पारिवारिक सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव पडता है, अब उसे एक तरफ गृहणी, पत्नी, माँ और दूसरी तरफ जीवोकोपार्जन हेतु कार्यालय और परिवार दोनों की भूमिका निभानी पडती है इस तरह दोहरी भूमिका को निभाने में उसकी शक्ति और समय खर्च दोनों होता है और इसका प्रभाव पारिवारिक सम्बन्धों पर विपरीत पडता है गृह कार्य के लिये समय का अभाव होता है। एक ही समय में परिवार कि व्यवस्था करना ओर कार्यालय का कार्य करना सम्भव नहीं है महिलाये अपने पति को स्वामी न मानकर एक मित्र कि भाँति माने कि भावना इन महिलाओं में दिखाई देती है इस कारण श्रमजीवी, महिलाओं के दाम्पत्य जीवन के साथ ही परिवारों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यदि पति–पत्नी को एक दूसरे को समझना सुखमय दाम्पत्य जीवन का रहस्य है पति–पत्नी में आपसी समझ बूझ के आभाव में व्यक्तिगत मान्यताओं को सर्वोपरि स्थान देते हैं अतः इससे एक दूसरे को सहयोग देने की बात ही नहीं उठती है परिवार और कार्यालय की जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर चलना श्रमजीवी महिलाओं के लिये असम्भव है। इस सयम में वह पति से सहयोग कि अपेक्षा रखती है यदि पति अपने पत्नी के अपेक्षा पर खरा उतरते हैं। तो महिला अपनी दोहरी जिम्मेदारियों को कुशलता पूर्वक निवर्हन कर सकती है यदि पति अपनी का सहयोग नहीं करता है तो परिवार मे तनाव सुनिश्चित है।

मुख्य शब्द :– श्रमजीवरी महिला, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, स्वावलम्बी।

प्रस्तावना :– भारतीय सामाजिक जीवन में परिवार एक ऐसी आधार भूत इकाई है जिसके ऊपर समाज कि सम्पूर्ण संरचना आधारित है परिवार ही व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास परिवार से ही सम्भव है क्योंकि परिवार के आभाव में व्यक्ति की कल्पना नही कि जा सकती है। परिवार में घर के साथ अनुशासन नियंत्रण भी होता है काम करने और विशेष कौशल सीखेन का वातावरण भी मिलता है परिवार की संरचना एवं उसके निरंतरता और स्थायित्व भी तह से रिश्तो–नातों का ताना वाना ही एक महत्वपूर्ण आधार है जिसमें सामाजिक संरचना की व्यवस्थात्मक गठन होता है। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। सांस्कृतिक के सभी स्तरों में, चाहे उन्हे उच्च कहा या निम्न किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है।

मानव समाज में परिवार ही एक ऐसा आधारभूत इकाई है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के प्रकृतियों का शोधन तथा समाजीकरण कर सामाजिक प्रकृति प्राप्त करने में सफल हो सकता है अतः परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है।

भारतीय नारी में इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन बहुत ही सहजता से किया है। वह अपनी सशक्त इच्छा शक्ति एवं क्षमता का परिचय दिया है शिक्षित होने के कारण अधिकतर महिलायें उच्च अभिलाषा रखती है और एक अच्छे भविष्य और परिवार की कामना रखती है वहीं दूसरी ओर बहुत से परिवार जीवन व्यतीत करने के

लिए संघर्षरत और महिला–पुरूष दोनों का परिवार में वेतन लाना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में महिलायें रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और अपनी भूमिका का सफी सम्पादन करने हेतु अपनी अलग पहचान बना रही है। महिलायें परिवार में मुख्य भूमिका निभाने के साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने में अपना सहयोग दे रही है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवार के अन्दर महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है वह परिवारिक संरचना एवं कार्य सम्पादित व्यवस्था का अभिन्न अंग है प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना पद अथवा स्थान होता है। समाज में स्वयं में पादनुरूप वह जो कार्य करता है उसे भूमिका कहा जाता है।

भारतीय समाज में श्रमजीवी महिलाओं की संघर्षपूर्ण जीवन शैली का मूल्यांकन उनकी भूमिका दायित्वों से ही संभव है। परिवार में महिलाओं की भूमिका माँ या पत्नी के रूप में महत्वपूर्ण होती है। परिवर्तनों के बावजूद महिलाओं का पारिवारिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए परंपरागत लैगिंक असमानता का भी सामना करना पडता है आज के वर्तमान परिवेश में महिलाओं का श्रमजीवी होना एक आवश्यकता सी बन गई है। घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुरूषों और महिलाओं दोनों का ही कार्य करना आवश्यक हो गया है जिससे महिलाओं की परम्परागत प्रस्थिति तथा भूमिका में परिवर्तन आये हैं बाहर कार्य करने के कारण महिलाओं को घर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों की भूमिकाओं में कठिनाई उत्पन्न हो जाता है।

भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशियों एवं व्यवहार प्रतिमाओं का एक ऐसा योग है जिससे कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है घर के बाद जिन शर्तो पर परिस्थितियों में पुरूष कार्य करते हैं उन्ही महिलायें भी कार्य करती है फिर भी वे घर में कार्य करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती कार्य का दोहरा बोझ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव उत्पन्न करना है। भौतिक वादी युग में महिलाओं की रूचि पारिवारिक कार्यों के अतिरिक्त उन सभी कार्यों में भी होने लगी जिन पर कभी पुरूषों का अधिकार होता था आज महिलाओं की सहभागिता तीव्र गति से बढते हुए पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है कार्य का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति अंकित न कराई हो। अतः प्रस्तुत अध्ययन में यह पता लगाने का प्रयास किया है कि श्रमजीवी महिलायें परिवार और कार्यालय के कार्य के बीच किस प्रकार से समायोजित है (पाण्डेय कान्ति 1975) परिवार का प्रभाव बच्चों पर बहुत अधिक पडता है सामान्य तौर पर मान्यता यह रही है कि एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में बहुत से लोग रहते हैं इस कारण बच्चों की देखभाल एवं पालन–पोषण अच्छी प्रकार से हो जाता है दूसरी तरफ एकांकी परिवार में पति पत्नी दोनों के नौकरी पर चले जाने से बच्चे अकेले रह जाते हैं उनकी देख–रेख नौकरों के सहारे होती रहती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है समाज द्वारा तर्क दिया जाता है कि बच्चों का विकास अच्छी प्रकार नही हो पाता इसका कारण महिलाओं का नौकरी (पेशा) पर जाना है।

डॉ. कपाडिया के.एस. लिखते है कि परिवारों को प्रभावित करने वाला इसका महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं का नौकरी करना है जो शिक्षा के द्वारा आज के बढते हुए आर्थिक दबाव को हटाया जा सकता है।

नाइ और हाक मैन (1973) ने यूरोपीय माताओं के अध्ययन, स्कार्ट के अध्ययन (1965) श्रीवास्तव द्वारा किये गये अध्ययन (1972) भारत में किये गये प्रमिला कपूर के अध्ययन (1973) में कुछ पत्रिकाओं द्वारा नौकरी करने वाली माताओं के सर्वेक्षण (धर्मयुगः 1968) जिसमें पूछा गया है कि उनके विचार में उनकी नौकरी का उनके बच्चों व परिवार पर क्या असर पडता है इन सभी अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकलना है कि माताओं द्वारा नौकरी करने से बच्चों या परिवार कोई विशेष प्रभाव नही पडता है और नही उनके व्यक्तित्व के विकास के बांधा पहुंचती है और नही उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव पडता है।

मानव जिस समाज में रहता है उसमें संगठन और व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के निश्चिय स्थान को उसकी प्रस्थिति या पद कहते है इस स्थिति से संबंधित कुछ निश्चित क्रियायें होती है एक समय में श्रमजीवी महिलाओं के अनेक स्थितियाँ हो सकती है।

1. पुरूष प्रधान समाज में समायोजन के प्रति महिलाओं की चेतनात्मक अभिवृत्ति को समझाना।
2. श्रमजीवी महिलाओं की शैक्षिक स्तर का पता चलेगा।
3. श्रमजीवी महिलाओं के कार्य की विभिन्न दशाओं की जानकारी प्राप्त करना।
4. श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन में आने के कारणों की जानकारी प्राप्त करना।

5. श्रमजीवी महिलाओं का परिवार तथा कार्यालय में भूमिका सम्यक अनुशीलन।
6. श्रमजीवी महिलाओं के अपने कार्यस्थल में भूमिका संघर्ष की जानकारी प्राप्त करना।
7. श्रमजीवी महिलाओं की दोहरी भूमिका के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना।
8. श्रमजीवी महिलाओं के कार्योजन स्थल पर अधिकारियों द्वारा कार्य सम्पादन के प्रति प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त करना।
9. श्रमजीवी महिलाओं का परिवार तथा कार्यालय में समायोजन के स्तर की जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन का क्षेत्र :— गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण—पूर्वी भाग में स्थित एक जिला है यह गंगा नदी के बाये तट पर स्थित है यहाँ गर्वनर अब्दुल खाँ का महल, लार्ड कार्नवालिस का मकवरा एवं राजकीय अफीम फैक्टरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिला गाजीपुर की सीमायें बिहार को स्पर्श करती है इसके उत्तर—पूर्व में जिला बलिया, दक्षिण में वाराणसी उत्तर में जौनपुर पश्चिम में मऊ की सीमायें है जिला गाजीपुर वाराणसी मण्डल के पूर्वी भाग में स्थित है इस जनपद के उत्तरीय आक्षांशीय विस्तार $25^{0}19'$ से $25^{0}54'$ तथा पूर्वी देशान्तर विस्तर $83^{0}47'$ तथा $83^{0}58'$ के मध्य है जिले की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 90 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण की चौडाई लगभग 64 कि.मी. है इसके एक तरफ गंगा नदी तथा दूसरी तरफ कर्मनाशा नदी बिहार प्राप्त को अलग करती है।

गाजीपुर जिला के पूर्वी दिशा के तरफ बलिया तथा बिहार प्राप्त का जिला बक्सर, पश्चिम में जिला जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ तथा उत्तर में मऊ एवं बलिया तथा चंदौली जिला स्थित है इस जिला में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में नियोजन का कार्य जनता द्वारा संचालित एवं स्वीकृत किया है जनता द्वारा सामूहिक चिंतन, विचार विर्मश एवं मार्ग निर्देशन का कार्य ग्रामस्तर, विकासखण्ड स्तर पर, क्षेत्र पंचायत तथा तहसील एवं जिला स्तर पर संपादित किया जाता है।

पूर्व साहित्य के अध्ययन की समीक्षा :— 72 वर्षों में भारत वर्ष में जो महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन हुए है उनसे यहाँ की पूरी आबादी प्रभावित हुई है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय शिक्षित लोगों को अधिक प्रभावित किया है। सरकार स्वतंत्रता के बाद की बढती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई ओर इन नयी हालातों के फलस्वरूप इनके लिए अपनी समानता की अभी व्यक्ति और उनकी प्रतिष्ठा के लिए रास्ते खुल गये हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें जो नई राजनीतिक कानूनी सुविधायें दी गयी है। अधिकांश अधिक प्रजातियों में महिलाओं से कार्य लिया जा रहा है और लगभग सभी प्रणालियों में वे अपना जीवनयापन के लिए और मनुष्य के नाते संतोष के लिए काम करती हैं।

भारत के समाज में मध्य वर्गीय श्रमजीवी महिलाओं के इस उभरते हुए वर्ग के विकास में कई तत्वों और शक्तियों का योगदान रहा है। भारतीय नारी की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों का एक परिणाम होने के साथ—साथ साधन भी रही है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति के प्रति बदलते रूप के बारे में बताते हुए श्रीमती नीरा देशाई लिखती है कि अब नारी न तो मात्र बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन और न घर की एक दासी ही मानी जाती है। बल्कि उसने एक नया दर्जा, एक नई सामाजिक महत्व प्राप्त कर ली है।

मूर्ति के अध्ययन में भारतीय श्रमजीवी महिलाओं की समस्याओं का विवेचना करते हुए लिखते है कि इन श्रमजीवी महिलाओं के वैतनिक और लाभ पूर्ण काम—धंधों में बढते प्रवेश से श्रम—विभाजन की वह प्रचलित धारणा छिन्न—भिन्न हो गयी है। जिसके अनुसार पुरूष खेत के लिए और महिलायें घर के लिए मानी जाती थी। इसी ने पारिवारिक ढांचे और कर्तव्यों ने हलचल पैदा कर दी है। इसने महिलाओं से यह चाहा है कि वे ऐसा शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक सामंजस्य स्थापित करे जो शायद ही उनके सम्मान, व्यक्तिगत तथा नीति के अनुकूल है।

वान्त पेक्ट के अनुसार :— श्रमजीवी महिलायें सामाजिक स्तर के प्रति ज्यादा जागरूक है और इसको अधिक से अधिक बनाये रखने की चेष्टा करती है। इसलिए श्रमजीवी महिलाओं का सामाजिक स्तर में परिवर्तन अधिक होता है।

प्रमित्ना कपूर ने अपने अध्ययन में बताया है कि आर्थिक लाभ की ही वजह से महिलायें नौकरी करती हैं बल्कि पीछे अन्य दूसरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जैसे – अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना, अपने लिए उच्च दर्जा प्राप्त करना, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होना। लोगों से मिलने—जुलने की स्वतंत्रता प्राप्त करना, घर की चारदीवारी से ऊबने वाले वातावरण से राहत पाना, समाज के लाभार्थ काम करना, अपने विशेष व्यवसाय के प्रति मोह, अपने मन चाहा पेशा अपनाने की भावना

की पूर्ति करना। इस शोध कार्य का उद्देश्य इस बात की जानकारी प्राप्त करना कि नौकरी की वजह से शिक्षित महिलाओं के दैनिक जीवन में जो परिवर्तन हुए है उसके बावजूद भी वे अपने परिवार के कार्यस्थल के जीवन में किस हद तक सामंजस्य और खुशहाली बनाये रखने में सफल है।

गुस्टव एवं गीगर के अनुसार :– महिलाओं का सामाजिक स्तर ही उस समाज के विकास का सही माप है। फ्रान्स के चार्ल्स फेरिच ने भी 1805 में इसी तरह के विचार दिये है जो इस प्रकार है– सामाजिक उत्थान विकास, परिवर्तन समाज का पिछडापन उस समाज की महिलाओं के बंधन बढती हुई स्वतंत्रता का परिणाम है।

नरूल उमा नन्दा ने अपने सर्वेक्षण में बताया है कि मध्यवर्गीय महिलायें अपनी नौकरी के प्रति उभय भावी होती हैं। वह नौकरी इसलिए करना चाहती है कि इससे उन्हे आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है तथा परिवार की आमदनी में अपना योगदान करती है।

शोध प्रविधि :– शोध एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है। और मानव जीवन को सुगम तथा भावी बनाया जाता है। प्रस्तावित शोध अध्ययन के व्यवस्थित पूर्ण करने हेतु समकालिक, मौलिक स्त्रोतों, स्थल सर्वेक्षणों और सहायक गन्धों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए शोध को दोनों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) ही पद्धतियों का सहयोग लिया जायेगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत निरीक्षण प्रश्नावली साक्षात्कार एवं अनुसूचितयों का भी प्रयोग किया जायेगा।

समंको का संकलन एवं प्रयुक्त विधियाँ :– समंक किसी भी अध्ययन के निकाले गये निष्कर्षों के लिए आधार प्रदान करता है। समंकों के मुख्यतः दो स्त्रोत हैं। पहला प्राथमिक स्त्रोत और दूसरा द्वितीयक स्त्रोत है। प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत मुख्यतः निरीक्षण या अवलोकन साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली के माध्यम से सूचनायें एकत्र की गयी है। अपने शोध प्रबंध में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्या सामग्री का प्रयोग किया है जो पत्र–पत्रिकाओं, वार्षिक प्रतिवेदन अखबारों, शोध रिपोर्ट आदि से एकत्र किया गया है।

तथ्य संकलन के लिए उद्देश्य निर्देशन पद्धति का चयन कर समस्त में से 100 उत्तरदात्रियों/ इकाइयों का चयन किया गया है तथा प्राप्त उत्तरों को सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण किया गया है महिलाओं का घर बाहर निकल कर कार्य करने से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। श्रमजीवी महिलाओं के कार्योजन से पारिवारिक जीवन पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त की गयी है, जिसमें महिलाओं के कार्योजन में आने से पारिवारिक जीवन सुखमय हुआ है या नहीं हुआ है यह निम्न आंकडों में दर्शाया गया है–

सारणी सं. – 01
श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन से पारिवारिक जीवन

क्र.	पारिवारिक जीवन	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सुखमय हुआ है	77	77%
2.	सुखमय नही हुआ है	23	23%
योग		**100**	**100%**

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्रमजीवी महिलाओं के कार्योजन में आने से 77% महिलाओं का पारिवारिक जीवन सुखमय हुआ है किन्तु 23% श्रमजीवी महिलाओं का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पडा है।

आयु और पारिवारिक जीवन का प्रभाव :– श्रमजीवी महिलाओं की आयु के आधार पर पारिवारिक जीवन सुखमय होने की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

सारणी सं. – 02
श्रमजीवी महिलाओं की आयु के आधार पर पारिवारिक जीवन की अभिवृत्ति

पारिवारिक जीवन सुखमय आयु	हुआ है	नहीं हुआ	योग
20–30	25	6	31
31–40	40	10	50
41–50	12	7	19
योग	**77**	**23**	**10**

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्रमजीवी महिलाओं की आयु के आधार पर पारिवारिक जीवन सुखमय होने की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया हे जिसमें 20 से 30 आयु वर्ग की (25) श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि उनका जीवन सुखमय हुआ है किन्तु (06) श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि उनका जीवन सुखमय नही

हुआ है। 31 से 40 आयु वर्ग की (40) श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन में आने से जीवन सुखमय हुआ है और (10) श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नही है। 41 से अधिक वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाली (12) श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि उनके कार्योजन में आने से जीवन सुखमय हुआ है। तथा (07) श्रमजीवी महिलाओं के कार्योजन में आने से पारिवारिक जीवन सुखमय नही्‌ हुआ है। अतः आंकडों से स्पष्ट होता है कि आयु और पारिवारिक जीवन एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं।

पद और पारिवारिक जीवन का प्रभाव –

सारणी सं. – 03

श्रमजीवी महिलाओं का पद के आधार पर पारिवारिक जीवन सुखमय

पारिवारिक जीवन सुखमय (पद)	है	नहीं	योग
शिक्षिका	27	4	31
चिकित्सक	22	5	27
लिपिक	18	6	24
सेविका	10	8	18
योग	77	23	100

सारणी अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शिक्षिका वर्ग में आने वाली (27) महिलाओं को कहना है कि पद के आधार पर कार्योजन में आने से पारिवारिक जीवन सुखमय बना है तथा (4) श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि उनका जीवन सुखमय नही हुआ।

चिकित्सक वर्ग के अंतर्गत आने वाली (22) महिलाओं का कहना है कि पद के आधार पर कार्योजन में आने से पारिवारिक जीवन सुखमय तथा (5) श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि उनका जीवन सुखमय नही हुआ।

लिपिक वर्ग के अंतर्गत आने वाली (18) श्रमजीवी महिलायें कार्योजन में आने के कारण सुखमय है तथा (6) श्रमजीवी महिलायें सुखमय नहीं हैं।

सेविका वर्ग के अंतर्गत आने वाली श्रमजीवी महिलाओं में से (10) महिलाओं के कार्योजन में आने से जीवन सुखमय बना है। किन्तु (8) श्रमजीवी महिलाएं का कहना है कि पद के आधार पर कार्योजन में आने से पारिवारिक जीवन सुखमय नही हुआ है। अतः सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जो श्रमजीवी महिलायें पद के आधार पर कार्योजन से उनका जीवन सुखमय नही हुआ है। वे श्रमजीवी महिलायें प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारी होंगे या वे मानदेय पर कार्यरत होंगें। उनको पद प्राप्त हुआ होगा अधिकार नहीं।

श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन के दैनिक वेतन और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव :– श्रमजीवी महिलाओं की कार्योजन के दैनिक वेतन के आधार पर पारिवारिक जीवन की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। श्रमजीवी महिलायें कार्योजन से प्राप्त वेतन से अपने पारिवारिक जीवन को किस हद तक सफल बना पाती हैं।

इस सारणी के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

सारणी सं. – 04

वेतन से पारिवारिक जीवन सुखमय	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	75	75%
नहीं	25	25%
योग	**100**	**100%**

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 75% श्रमजीवी महिलायें अपने पद के आधार पर कार्योजन से प्राप्त वेतन से इनका पारिवारिक जीवन सुखमय हुआ है तथा 25 प्रतिशत श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि जिस पद के आधर पर कार्योजन में हैं। वे कठिन परिश्रम करती हैं। उसके सापेक्ष वेतन नहीं प्राप्त होता है कि वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकें। जिसके कारण इन श्रमजीवी महिलाओं का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हुआ।

श्रमजीवी महिलाओं का वर्तमान कार्योजन में अन्य सहयोगियों से संबंध :– श्रमजीवी महिलाओं का वर्तमान कार्योजन स्थल में अन्य सहयोगियों से संबंध का अध्ययन किया गया है। जिसमें सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है। मनुष्य का अपनी

विभिन्न आवश्यकताओं जैसे–भोजन, वस्त्र, मकान आदि साथ ही दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पडती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए महिलाओं को भी घर से लेकर कार्यालय तक किसी न किसी की सहायता लेनी पडती है।

सारणी सं. – 05
श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन में सहयोगियों से संबंध

कार्योजन में संबंधित सहयोगियों का सहयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	60	60%
नही	40	40%
योग	100	100%

उपरोक्त सारणी से दृष्टव्य है कि 60% श्रमजीवी महिलायें कार्योजन करने हेतु किसी न किसी रूप में कार्योजन से संबंधित सहयोगियों का सहयोग प्राप्त कर रही हैं। जो यह स्पष्ट करता है कि सहयोगियों से ही महिलायें कार्योजन को पूरा कराती हैं। जबकि 40% श्रमजीवी महिलायें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही अपने कार्यों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है। इन महिलाओं को कार्योजन में अपने सहयोगियों से नही मिल पा रहा है।

श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन से संतोष के आधार पर वर्गीकरण :– श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन संतोष के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि कितनी श्रमजीवी महिलायें अपने कार्यो में संतोष व्यक्त की है।

सारणी सं. – 06
श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन से संतुष्टि

कार्योजन से संतुष्टि का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
निम्न स्तर	10	10%
मध्यम स्तर	25	25%
उच्च स्तर	65	65%
योग	100	100%

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 10 प्रतिशत श्रमजीवी महिलायें निम्न स्तर पर अपने कार्योजन से संतुष्ट हैं तथा 25 प्रतिशत श्रमजीवी महिलायें मध्यम स्तर पर अपने कार्योजन से संतुष्ट हैं। 65 प्रतिशत श्रमजीवी महिलाओं का कहना है कि वे अपने उच्च स्तर के कार्यों से संतुष्टि प्राप्त होती है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिकांश श्रमजीवी महिलायें अपने कार्योजन से संतुष्ट है क्योंकि कार्योजन में आने से उनकी आमदनी में वृद्धि होती है। तथा उनका आर्थिक स्तर ऊँचा होता है।

सारणी सं – 07
अधिकारियों द्वारा श्रमजीवी महिलाओं के किये गये कार्यालयी कार्यों पर प्रतिक्रिया

श्रमजीवी महिलाओं द्वारा सम्पादित कार्यो के प्रति अधिकारियों की प्रतिक्रिया	75	75
प्रशंसा किया जाता है	4	4
अपमानित किया गया है	21	21
कोई प्रतिक्रिया नही	21	21
योग	**100**	**100**

प्रस्तुत सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्योजन स्थल पर श्रमजीवी महिलाओं द्वारा किये गये कार्य के प्रति अधिकारियों द्वारा महिलाओं के प्रति विचार संबंधी तथ्यों का विश्लेषण किया गया है और यह प्रदर्शित कार्य होता है कि 75 प्रतिशत ने श्रमजीवी महिलाओं का कार्य निष्पादन पर अधिकारी महिलाओं का प्रसंशा करते हैं। जबकि 4 प्रतिशत श्रमजीवी महिलाओं का कार्य निष्पादन पर अधिकारी संतुष्ट नहीं है। जिससे महिलाओं को अपमानित करते हैं तथा 21% श्रमजीवी महिलाओं के अधिकारियों, उनके कार्य करने के बाद श्रमजीवी महिलाओं की प्रसंशा करते हैं। जिससे उनका आत्मविश्वास बढता है साथ ही साथ कार्य प्रतिबद्धता में वृद्धि होती है।

सुझाव :– भारत (गाजीपुर के संदर्भ में) देखें तो महिलाओं कि स्थिति अत्यन्त सोचनीय है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सके हैं

1. श्रमजीवी महिलाओं के अपने प्रस्थिति को ज्ञान होना चाहिए।
2. श्रमजीवी महिलाओं पर परिवार के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
3. श्रमजीवी महिलाओं को योग्य होना चाहिए।
4. पुरूष प्रधान समाज में समायोजन के प्रति महिलाओं को चेतनात्मक अभिवृत्ति होना चाहिए।
5. श्रमजीवी महिलाओं का कार्योजन की जानकारी होना चाहिए।

6. श्रमजीवी महिलाओं को अपनी भूमिका के प्रति सहज होना चाहिए।
7. श्रमजीवी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभाते समय सामंजस्य बनाना चाहिए।
8. श्रमजीवी महिलाओं को समाज तथा विधि द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना चाहिए।
9. श्रमजीवी महिलाओं को भिन्न परिस्थितियों में सहनशीलता का परिचय देना चाहिए।

निष्कर्ष :– महिलायें समाज की धुरी हैं अगर टूट गयी तो समाज भी टूट कर विखर जायेगा। इतिहास साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि जिन समाजों ने महिलाओं का अपमान किया वे खुद अपमानित हुए जिस समाज द्वारा महिलाओं को कार्योजन अवसर दिया उन्हें शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नही सका। यद्यपि श्रमजीवी महिलायें तेजी से कार्यालयी (पेशा) क्षेत्र में आ रही है। तथापि उन्हे कार्यालयी क्षेत्र में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पडता है, कम योग्यता, भ्रष्टाचार, शोषण आदि ऐसी प्रमुख बाधायें हैं जो घर से बाहर कार्य करने में रूकावट पैदा करती है। श्रमजीवी महिलाओं को समाज एवं घर से बाहर लाने के लिए उन्हे आर्थिक एवं आत्मबल से स्वाबलम्बी बनाना होगा। अध्ययन क्षेत्र की श्रमजीवी महिलाओं में व्याप्त पिछडापन एवं अंधविश्वास को दूर कर उनके आत्म विश्वास को बढाने का दायित्व है। भ्रष्टाचार और शोषण से श्रमजीवी महिलाओं को मुक्त करके उन्हें कार्यालयी (पेशा) क्षेत्र में आगे बढाया जा सकता है। महिलाओं को शिक्षित और संस्कारित होना जरूरी है। अतः भारतीय परिवार में नारी का सर्वप्रथम दायित्व पत्नी, माँ के साथ परिवार एवं कार्योजन के क्रिया कलाप का समन्वय होना अति आवश्यकह है। एक सफल माँ और पत्नी ही समाज और कार्योजन को सफल नेतृत्व प्रदान कर सकती है। 21 वीं शताब्दी में महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यावसायिक आकांक्षा बहुत ही प्रबल हो गयी है। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढेगा और वह अपने पथ पे अग्रसर होगी।

इस अध्ययन में श्रमजीवी महिलाओं के परिवार तथा कार्यालय की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्रमजीवी महिलाओं के कार्योजन में आने से पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पडा है।

निष्कर्षतः महिलाये समाज का अनिवार्य अंग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ कार्योजन के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में कार्योजन (कार्य) में महिलायें आगे आ रही है। जैसे–जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में कार्योजन (पेशा) के प्रति जागरूकता आ रही है और केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इसलिए महिलाओं का सशक्त ओर सुदृढ बनाने पर ही समाज सुदृढ होगा। श्रमजीवी महिलायें अपनी सशक्त इच्छाशक्ति एवं क्षमता का परिचय दिया है। शिक्षित होने के कारण अधिकतर महिलायें उच्च अभिलाषा रखती हैं और एक अच्छे भविष्य और परिवार की कामना रखती हैं। वही दूसरी ओर बहुत से परिवार जीवन व्यतीत करने के लिए संघर्षरत है। वर्तमान समय में महिलायें रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और अपनी भूमिका का सफल सम्पादन करते हुए अपनी अलग पहचान बना रही है। महिलाये परिवार में मुख्य भूमिका निभाने के साथ ही आर्थिक स्थिति सुदृढ करने में अपना सहयोग दे रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

➢ डॉ. कपूर प्रमिला – भारत में विवाह और कामकाजी महिला पृ सं. 24
➢ यूले संजय – कार्यकारी महिलाओं के व्यवसाय, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रभाव – पृ.सं. 42
➢ डॉ. सिंह उर्मिला प्रकाश – भारतीय नारी दशा व दिशा – 1987
➢ डॉ. गुप्ता सुभाषचन्द्र – कार्यशील महिलायें एवं भारतीय समाज, अर्जुन प्रकाशन हाऊस नई दिल्ली पृ. सं. 198–199
➢ सक्सेना ऋतु, डॉ. शर्मा प्रभा राधा कमल मुखर्जी चिन्तन, परम्परा महिला उद्यमियों की पारिवारिक भूमिका जून 2014 पृ. सं. 79
➢ दुबे एस.सी. – मैन्स एंड वूमेन्स रोल्स इन इंडिया – 1963 पृ. सं. 194
➢ प्रो. गुप्ता एम.एल. एंड शर्मा डी.डी. – समाज शास्त्र की मूल अवधाराणायें साहित्य भवन प. आगरा –2005 – पृ. सं. 153

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

कृषि विपणन की दशा का समीक्षात्मक मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

फरीदा खातून
अतिथि विद्वान (वाणिज्य), शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना (म.प्र.)

सारांश :— कोई भी देश जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो तथा कृषि ही उस देश की जनसंख्या के अधिकांश भाग के भरण—पोषण का एक मात्र आधार हो उस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि इसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपनी सरकार ने कृषि विकास के महत्व को स्वीकारते हुए योजनाओं मे इसको मुख्य स्थान दिया। फलस्वरूप हरित क्रान्ति का सृजन और चलन हुआ, आधुनिक तकनीकी युक्त कृषियन्त्रों, कृषि उपकरणों, उन्नत बीजो का प्रचलन तथा रासायनिक उर्वरको के उपयोग में वृद्धि ने उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को समुनन्त किया। कृषि के उन्नत के साथ कृषि विपणन व्यवस्था का उन्नत होना आवश्यक है, क्योंकि यह अनुभव किया जाने लगा है कि कृषि उत्पादों के विपणन का उतना ही महत्व है जितना स्वतः उत्पादन का वस्तुतः विपणन की क्रिया का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके द्वारा उपभोग और उत्पादन में सन्तुलन ही नही वरन् अधिक विकास का स्वरूप भी निर्धारित होता है।

प्रस्तावना :— सामान्य तौर पर विपणन शब्द का तात्पर्य उन सभी विपणन कार्यों एवं सेवाओं के करने से है, जिनके द्वारा वस्तुएँ उत्पादक से अंतिम उपभेक्ता तक पहुंचती है, इसके अंतर्गत विपणन की सभी सहयोगी प्रक्रियाएँ एकत्रीकरण, पैकेजिंग, परिवहन, संग्रहण, श्रेणी चयन एवं मानकीकरण, वित्त जोखिम प्रबंध, विज्ञापन, आदि सम्मिलित होती है, उत्पादन को उपभोग से जोड़ने वाली श्रृंखला की समस्त कड़ियाँ विपणन में सम्मिलित होती हैं।

प्रो. थामसन के अनुसार :— कृषि विपणन के अध्ययन में वे सभी कार्य एवं कच्चामाल एवं संस्थाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनसे निर्मित माल का फार्म से उपभोक्ताओं तक संचालन होता है।

प्रो. अबोट के अनुसार :— कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी कार्यों से होता है, जिनके द्वारा खाद्य वस्तुएँ एवं कच्चा माल फार्म से उपभोक्ता तक पहुंचता है।

रीवा जिले में भी कृषि विकास सम्बन्धी इन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ यहाँ की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास तो किया गया, और यहाँ कि वसुन्धरा को सुजलाम् सुफलाम् की सार्थक परिधि के लाने के लिए सिंचाई की अनेक योजनाओं के साथ तलाबों जैसी सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन हुआ। फलतः के क्षेत्र में भू—भाग भी समुन्नति की ओर अग्रसित हुआ।

कृषि के उन्नत के साथ कृषि विपणन व्यवस्था का उन्नत होना आवश्यक है, क्योंकि यह अनुभव किया जाने लगा है कि कृषि उत्पादों के विपणन का उतना ही महत्व है जितना स्वतः उत्पादन का वस्तुतः विपणन की क्रिया का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके द्वारा उपभोग और उत्पादन में सन्तुलन ही नही वरन् अधिक विकास का स्वरूप भी निर्धारित होता है।

कृषि विपणन की दशा का समीक्षात्मक मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) विषय पर अभी तक शोध कार्य नहीं किया गया है। इस विषय कि सम्बन्धित बघेलखण्ड में कृषि विपणन पर डॉ0 ई. जकारिया के निर्देशन में डी.एस. तिवारी द्वारा शोध कार्य ''बघेलखण्ड कृषि विपणन'' पर किया गया है, तथा डॉ0 श्रीमती दीपा श्रीवास्तव के निर्देशन में आर.पी. तिवारी द्वारा ''उदारीकरण के पश्चात् कृषि विपणन की दशा का आलोचनात्मक मूल्यांकन '' (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) विषय पर भी किया गया है।

चूँकि यह शोध कार्य मेरे शोध क्षेत्र सीमा के बाहर का तथा एक दशक पुराना हो चुका है, आज विपणन की समस्याएँ आवश्यकताएँ जहाँ की तहाँ बनी हुई है। अतः इस विषय पर नए सिरे से शोध कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मैने रीवा जिले में कृषि विपणन की दशा का चुनाव किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र कृषि विपणन के विकास में बाधाएँ व उदासीनता पर नवीन शोध एंव सुझाव दिया जा सकेगा।

बघेलखण्ड में कृषि विपणन साहित्य पर सन् 1988 में तथा उदारीकरण के पश्चात् कृषि विपणन की दशा का आलोचनात्मक मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष

संदर्भ में) विषय पर 2010 में शोध कार्य किया गया है। पूर्व में इस विषय से सम्बन्धित कृषि विकास, कृषि विपणन, कृषि के प्रकार, कृषि से प्राप्त होने वाली आय, सिंचाई, कृषि औजार यंत्र आदि तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। शोध कार्य करते हुए कृषि विपणन का स्वरूप परिवर्तन कृषि व्यापार एवं व्यवसाय से आय बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया है। कृषि विपणन के अन्तर्गत भण्डारण, विनिमय, क्रय–विक्रय के साथ–साथ उपभोग उत्पादन क्रियाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि के सम्बन्धित अनेक क्रियाएँ संचालित होती है। शोधग्रंथ में कृषि उत्पादक तथा अन्तिम उपभोक्ता दोनों कड़ियो को जोड़ने का प्रयास किया गया है। परन्तु समीक्षा के बारे में कोई स्थान नहीं दिया गया है।

कृषि विपणन पद्धतियॉ तथा इसमें परिवर्तन प्रदेश के अन्य जिले में रीवा जिले के कृषि विपणन का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कर कृषि भण्डारण, कृषि विपणन, कृषि परिवहन, कृषि नीति आदि सुविधायें प्रदान किये जाने के साथ ही कृषि विपणन व्यवस्था को विकसित किया जाएगा, इससे सम्बन्धित सुझावों को कृषि विपणन के पिछड़ेपन को दूर करना, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, कृषि विपणन तकनीक में सुधार कृषि उपज में वृद्धि एवं संग्रहण किये जाने का प्रयास करने के साथ–साथ कृषि विपणन के परम्परागत पद्धतियों के स्थान पर कृषि विपणन पद्धतियों में वर्तमान तकनीक उपलब्ध कराए जाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए जायेगे, कृषि विपणन में परिवहन एवं यातायात का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

रीवा जिले को प्रदेश एवं देश के कृषि विपणन बाजार से जोड़ने हेतु आवश्यक सुझाव के साथ–साथ कृषि मूल्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीति निर्धारित की जायेगी। कृषि विपणन भी उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ–साथ कृषि उत्पादन का परिसंस्करण, कृषि परिसंस्करण हेतु प्रमुख नीतियो यथा 'कृषि' उत्पाद को सुखाना, विपणन के लिए उपलब्ध कराना एवं वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। शोध क्षेत्र के कृषि विपणन की अपार सम्भावनाएँ होते हुए भी यहॉ की कृषि विपणन भी व्यवस्था ठीक नहीं है।

पूर्व शोध की समीक्षा :–

कॉनराय एट आल (2001) भारत में ग्रामीण कृषक परिवारों के पास आय के साधन के पशु उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन की आबादी बढ़ी है हालांकि एक क्षेत्रीय पैमाने और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थिति बहुत अलग और अधिक जटिल है, उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के भीतर पशुधन बढ़ी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों में पशुधन की आबादी कम होती है। जिससे ग्रीमण किसानों की स्थिति सुधर रही है।

ब्रिजेन्द्र पाल सिंह (2000) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। इसके विकास से अर्थव्यवस्था में दृढ़ता आती है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 34 प्रतिशत के आसपास है। गत वर्षो में खाद्यान तथा व्यावसायिक फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्वों में प्राकृतिक और आर्थिक दोनो महत्वपूर्ण है। विगत दो–तीन दशकों में भारत में द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र को तीव्र गति से विस्तार हुआ है प्रभावी देश की कार्यशील जनसंख्या का 52 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रित है। देश में कृषि 115. 5 मिलियन कृषक परिवारों की आजीविका का माध्यम है। यहाँ तक कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत भाग कृषि व उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। भारत में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर देश की 1.21 अरब से अधिक जनसंख्या के खाद्यान व खाद्य पदार्थो की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से ही की जाती है। करोड़ों पशुओं को प्रतिदिन चारा कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है।

डॉ. आर. के. भारतीय (2006) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लघु तथा सीमांत कृषकों खेतिहर मजदूरों तथा अन्य श्रमिकों, शिल्पियों, व्यवसायिक एवं सेवा करने वाले परिवारों का ही बाहुल्य है। परन्तु आज भी इनमें से अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं! अतः यह कहा जा सकता है कि भारत का समाजिक एवं आर्थिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी विकास पर ही आधारित है। ग्रामीण विकास की अनेकोनेक समस्याएं जिनमें प्रमुख रूप से आर्थिक अधोसंरचना, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग व समान्वित विकास की समस्याएं है!

शोध प्रविधि :– रीवा जिले में स्थित मण्डियों में से निदर्शन विधि का अनुप्रयोग करते हुए जिले से सभी मण्डियों का अध्ययन कर कुछ चिन्हित मण्डियों को प्रतिक अध्ययन के लिए चुना जाएगा। मण्डियों के चयन में उनकी स्थिति कार्यक्षेत्र आदि का ध्यान रखते हुए जिले में सभी तहसीलों में से एक–एक विनियमित मण्डी तथा जिले में एक प्राथमिक स्तर में गांव में स्थित विनियमित मण्डी का चयन कर अध्ययन किया जावेगा।

मण्डी सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली बनाकर मण्डी समिति के पदाधिकारियों

एवं मण्डी सचिवो से सम्पर्क अभियान द्वारा विषय से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर उपक्रम बनाया जाएगा। कृषि सम्बन्धी उत्तर प्राप्त करने के लिए स्तरवार निदर्शन विधि का प्रयोग किया जावेगा। अन्त में सांख्यिकी विश्लेषण के बाद शोधकर्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाएगा इस सम्बन्ध में एकत्रित किए गये प्राथमिक द्वितीयक एंव गौर आंकड़े हेतु किया गया है।

कृषि विपणन तकनीकी में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि विनिमय हेतु वित्तीय सुविधाऍ, कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि तथा कृषि विपणन का व्यावसायिक कार्य, व्यवसायिक अनुभव, पूँजी निवेश, छोटे कृषि व्यापारियों को संरक्षण कृषि के लिए वित्तीय सुविधाऍ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात का विकास, भण्डारण प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन, मूल्य में स्थिरता जैसे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि विपणन में जमाखोरी की समाप्ति, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मानने के साथ–साथ गांवो में कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु आवश्यक सुविधाऍ प्रदान करने का प्रयास होगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकरी समितियों के विकास हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सहकारी समितियों के विकास हेतु सरकारी एजेन्सी द्वारा कम मात्रा का पूर्व निर्धारण उत्पादक व व्यापारियों से कृषि आय में वृद्धि जैसे उपायों को अपनाने से कृषि विपणन तथा कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कृषि उपकरणों वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में विकास हेतु उपाय किये जायेगे। सहकारी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा उत्पादको को उचित मूल्य दिलाए जाने के साथ ही पूंजीवादी बाजार को रोकने का प्रयास किए जाएगा, साथ ही कृषि विपणन व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा, विस्तार के साथ ही देश वे अन्य विकसित राज्यों की कृषि विपणन के समान किया गया है।

शोध के उद्देश्य :–

- कृषकों एवं सहकारी बैंकों की अर्थिक दशाओं का अध्ययन कर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।
- सहकारी बैंकों के योगदान द्वारा ग्रामीण कृषि प्रक्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का समन्वित प्रयास भी है? इसके अन्तर्गत न केवल लघु कृषकों की पहचान की जा सकेगी वरन् उन्नयन हेतु आवश्यक साधन/सुझाव उपलब्ध कराना।
- जिले में संचालित सहकारी बैंकों के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कृषकों के आर्थिक विकास की दर प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना।
- संस्थागत बैंकों की कार्यप्रणाली एवं ब्यूह रचना का अध्ययन।
- केन्द्रीय सहकारिता बैंक के द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सहयोग के फलस्वरूप हितग्राहियों के रोजगार प्रभाव का अध्ययन करना।
- संस्थागत बैंकों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
- कृषकों की आर्थिक दशा के सफलता हेतु समुचित साधनों एवं उपायो को सुझाना जिससे भविष्य में इन योजनाओं को और प्रभावशाली बनाया जा सके।

शोध सीमाएँ :– ''सितीर्षुः दुस्तरम मोहा दुडुपेनाडस्मि सागरम्'' ज्ञान की छोटी पनसुइया नौका से शोध के महान् सागर को पार करने की इच्छा स्वरूप मेरे प्रयास से यह शोधसामग्री निश्चय ही अध्ययन की विविध सीमाओ में संकलित है। आर्थिक विकास एक ऐसी विषयवस्तु है जिसके प्रत्येक अंश पर शोध ग्रन्थ की रचना की जा सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास का स्पर्श कर आरंभिक अध्ययनकर्ता विविध रूपों में वर्णन करते है। फलतः आर्थिक विकास के किसी एक क्षेत्र को न लेकर विभिन्न स्वरूप को लेकर अध्ययन किया गया। व्यक्तिशः अध्ययनकर्ता होने के कारण अर्थ तथा समयावधि की अरूपतावश आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विशद विश्लेषण सम्भव नहीं हो सका है फिर भी विषय वस्तु को पर्याप्त रूप – में स्पष्ट किया गया है।

अध्ययन के सीमा की कड़ी में आर्थिक विकास के अन्तर्गत आने वाली सभी उत्पाद वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति पर समान ध्यान नही दिया गया है।

प्रस्तुत शोध की सीमाए रीवा राजस्व क्षेत्र अंर्तगत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रित है। अध्ययन का क्षेत्र मूलतः 2005 के बाद की जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय प्रबंधन एवं कृषि विकास में योगदान नीतियों खासतौर पर ऋण व वसूली नीतियों पर केन्द्रित है। इस तरह अध्ययन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बैंकों एवं उनकी ऋण व वसूली नीतियों के गतिविधियों पर केन्द्रित है।

विषयवस्तु मे अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए और सहकारी बैंक की ऋण वसूली नीतियों साख के शोध परिणाम हासिल करने के लिए अध्ययनकर्ता ने अध्ययन का केन्द्र विविध धर्मी रीवा जिले की सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक को बनाया गया है।

शोध का महत्व एवं कठिनाइयॉ :– कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है जिसके समुचित विकास के बिना किसी भी प्रकार की आम जीवन से जुड़ी विकास की गतिविधियों की परिकल्पना नहीं की जा सकती। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली जानकारियों के अनुसार देश का सर्वाधिक वर्ग कृषि से संबंधित है देश की कृषि व्यवस्था और कृषि नीति ऐसी है कि कृषि अभी भी पुरातन नीतियों पर आधारित है शासन और प्रशासन स्तर पर दीर्घकालिक सहकारी बैंकिंग नीतियॉ निर्मित होती है। जिनका संबंध कृषि क्षेत्र की वास्तविकता से नहीं होता। कोरे सिद्धांत पर आधारित सहकारी बैंकिंग की नीतियों के चलते कृषि आज भी नई परम्पराओं को स्वीकार नहीं कर पाती। देश के कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दे तो कृषि फर्म और कृषक का नाम आते ही एक विचित्र पीड़ा का बोध होता है। भारत का किसान आज भी दो जून की रोटी के लिए मोहताज है उर्वरताविहीन खेत, लगातार घटते कृषि संसाधन, पढ़े लिखे विकासशील लोगों का कृषि से दूर हटना भौतिक संसाधनों की बढ़ती कीमतें समय अनुकूल बीज खाद एवं अन्य सहायक वस्तुए कृषि यंत्रों की भारी कीमतें उत्पादन विक्रय की साख ʿक नीति का आभाव आदि के चलते रीवा जिले की कृषि अभी भी अधोगामी है।

विगत वर्षो में ग्रामीण विकास के उन्नयन के लिए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उठाए गये प्रभावी कदमों में सबसे महत्वपूर्ण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि बैंकों, जिनके माध्यम से कृषिकों कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी दी गई है।

प्रस्तुत अध्ययन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय प्रबंधन एवं रीवा जिले के आर्थिक विकास में योगदान पर केन्द्रित है। जिसके पृष्टिभूमि में मूलतः अध्ययन में इन विभिन्न कारणों का भी संकेतिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी बैंकों की सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन के महत्व का प्रतिपादन किया जा सकता सके।

अध्ययन के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाईयॉ जिनका संबंध विषय सामग्री के चयन से रहा है। आपेक्षित समांकों संकलन न होने से विषय वस्तु में गहराई में जाना, सत्यता की परख करना एक जटिल समस्या रही। अध्ययन केन्द्र सम्पूर्ण रीवा राजस्व क्षेत्र होने के कारण भी हर जगह का प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूप से सम्भव नहीं हो सका है। जिले में छोटे–छोटे/ग्राहकों/प्रतिनिधियों के होने के कारण आपेक्षित मात्रा में सही परिणाम नहीं हो पाता जब कृषिको/उपभोक्ताओं के पास मात्र भरण पोषण के लिए कृषि उत्पाद होता है ऐसे में ग्रामीण आर्थिक विकास की परिकल्पना करना हास्यास्पद सा है अध्ययन के दौरान देखा गया कि रीवा राजस्व क्षेत्र के 70 प्रतिशत व्यापारियों का संबंध बैंकों से नहीं बल्कि छोटे साहूकारों से है कृषि ऋण के कारण कृषि ऋण का समय से भुगतान न करने के कारण कृषक मूलतः कृषि नीतियों से अनजान बने रहते है और स्वाभाविक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में कतराते है। राजस्व क्षेत्र के बैंक अधिकारी कर्मचारियों के संबंध कृषकों से किसी भी प्रकार से नहीं दिखते कर्मचारियों का संबंध कागजों की खाना पूर्ति से है। जिस कारण कोरे समंकों पर आधारित अध्ययन क्षेत्र की कृषि ऋण की दशा है ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है अध्ययन के दौरान विभिन्न प्रकार की विसंगतियों का सामना करना स्वाभाविक सा रहा।

निष्कर्ष :– कृषि विपणन तकनीकी में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि विनिमय हेतु वित्तीय सुविधाऍ, कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि तथा कृषि विपणन का व्यावसायिक कार्य, व्यवसायिक अनुभव, पूॅजी निवेश, छोटे कृषि व्यापारियों को संरक्षण कृषि के लिए वित्तीय सुविधाऍ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात का विकास, भण्डारण प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन, मूल्य में स्थिरता जैसे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि विपणन में जमाखोरी की समाप्ति, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मानने के साथ–साथ गांवो में कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु आवश्यक सुविधाऍ प्रदान करने का प्रयास होगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकरी समितियों के विकास हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सहकारी समितियों के विकास हेतु सरकारी एजेन्सी द्वारा कम मात्रा का पूर्व निर्धारण उत्पादक व व्यापारियों से कृषि आय में वृद्धि जैसे उपायों को अपनाने से कृषि विपणन तथा कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कृषि उपकरणों वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में विकास हेतु उपाय किये जायेगे। सहकारी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा उत्पादको को उचित मूल्य दिलाए जाने के साथ

ही पूंजीवादी बाजार को रोकने का प्रयास किए जाएगा, साथ ही कृषि विपणन व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा, विस्तार के साथ ही देश वे अन्य विकसित राज्यों की कृषि विपणन के समान किया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल एन.एल., भारतीय कृषि का अर्धतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
2. अग्रवाल, एन.एल. कृषि अर्थशास्त्र राजस्थान हिन्दी ग्रंन्थ अकादमी जयपुर
3. भारती एवं पाण्डेय भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
4. चौहान, शिवध्यान सिंह भारतीय व्यापार साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा
5. चतुर्वेदी टी.एन. तुलनात्मक आर्थिक पद्धतियॉं राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर
6. जैन, एस.जी. विपणन के सिद्धांत साहित्य भवन आगरा
7. जैन, पी.सी. एवं जैन टेण्डका विपणन प्रबंध नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
8. खंडेला मानचन्द्र, उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन प्रकाशन आगरा
9. मदादा एवं बोरवाल विपणन के सिद्धान्त रमेश बुक डिपो जयपुर
10. श्रीवास्तव, पी.के. विपणन के सिद्धान्त नेशलन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
11. सिंघई जी.सी. एवं मिश्रा, जी.पी. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त साहित्य भवन आगरा
12. त्रिवेदी, इन्द्रवर्धन एवं जटाना, रेणु विदेशी व्यापार एवं विनिमय राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
13. वान हेबलर, गाट फ्रायड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत उ.प्र. हिन्दी सस्थान

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रबंध एवं क्रियान्वयन का मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. रत्नेश्वर द्विवेदी
प्राध्यापक (वाणिज्य), शा. टी.एस.एस. महाविद्यालय, नईगढ़ी, रीवा (म.प्र.)
ममलेश्वर पाण्डेय
अतिथि विद्वान (वाणिज्य), शा. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज रीवा (म.प्र.)

सारांश :– कोई भी देश जहॉ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो तथा कृषि ही उस देश की जनसंख्या के अधिकांश भाग के भरण–पोषण का एक मात्र आधार हो उस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि इसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपनी सरकार ने कृषि विकास के महत्व को स्वीकारते हुए योजनाओं मे इसको मुख्य स्थान दिया। कई स्थानों में किसान इस प्रकार की दयनीय स्थिति में है कि उनको दो वक्त की रोटी नसीब नही हो पा रही है और किसानो की सबसे बडी समस्या है उनके द्वारा लिया गया कर्ज जिसके मकड़जाल में किसान इस तरह फंसता है कि वह दूसरा उतर नही पात शायद इसी वजह से कई स्थानों से किसानों की खुदखुशी की खबरे आती है ये घटनायें हमारे राष्ट्र के लिए दुखपूर्ण है। इन किसानों को रिस्क से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा की जरूरत है, इस प्रयोजन को रिस्क से सुरक्षा करने हेतु बीमा की जरूरत है, इस प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु इस कृषि बीमा योजना को प्रारंभ किया गया है। फलस्वरूप हरित क्रान्ति का सृजन और चलन हुआ, आधुनिक तकनीकी युक्त कृषियन्त्रों, कृषि उपकरणों, उन्नत बीजो का प्रचलन तथा रासायनिक उर्वरको के उपयोग में वृद्धि ने उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को समुनन्त किया। कृषि के उन्नत के साथ कृषि विपणन व्यवस्था का उन्नत होना आवश्यक है, क्योंकि यह अनुभव किया जाने लगा है कि कृषि उत्पादों के विपणन का उतना ही महत्व है जितना स्वतः उत्पादन का वस्तुतः विपणन की क्रिया का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके द्वारा उपभोग और उत्पादन में सन्तुलन ही नही वरन् अधिक विकास का स्वरूप भी निर्धारित होता है।

प्रस्तावना :– कृषि भारत की आत्मा यदि यह कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी, भारत में रहने वाला अधिकांश जनसमुदाय परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुडा हुआ है। और शायद ही विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कृषि उपजों का उपभोग न करता हो, इन सबके बावजूद कृषि कार्य में व्याप्त रिस्क इसको जोखिम भरा उद्यम बनाता है। कृषि कार्यों में शायद ही कोई ऐसी गतिविधि होगी जिसमें पूर्वनिश्चितता हो, कृषि में रिस्क होने का सबसे बडा कारण प्रकृति की मार है, जलवायु बदलाव, ओला, पाला, सूखा, भूस्खलन, रोग, कीट इत्यादि घटनायें इसमें रिस्क की मात्रा को बढाती है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा की जा रही प्राकृतिक हेड से भी कृषि को काफी हद तक नुकसान बहन करना पड रहा है, कृषि आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ भी संलग्न है अर्थव्यवस्था में होने वाली तेजी या मंदी से कृषि काफी हद तक प्रभावित होती है। इन्ही सभी घटनाओं के कारण आज कृषि से जुडा हुआ बेचारे किसान की हालत दिन प्रतिदिन बद से बत्तर होती जा रही है। कई स्थानों में किसान इस प्रकार की दयनीय स्थिति में है कि उनको दो वक्त की रोटी नसीब नही हो पा रही है और किसानो की सबसे बडी समस्या है उनके द्वारा लिया गया कर्ज जिसके मकडजाल में किसान इस तरह फंसता है कि वह दूसरा उतर नही पात शायद इसी वजह से कई स्थानों से किसानों की खुदखुशी की खबरे आती है ये घटनायें हमारे राष्ट्र के लिए दुखपूर्ण है। इन किसानों को रिस्क से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा की जरूरत है, इस प्रयोजन को रिस्क से सुरक्षा करने हेतु बीमा की जरूरत है, इस प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु इस कृषि बीमा योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के विषय में किया गया शोध का कार्य पूर्ण होने के कगार पर है। चूंकि अनुसंधान का कार्य एक अनवरत रूप से चलित प्रणाली है, यह यथार्थ पूर्ण, निष्कर्षों तथा नये–नये सुझाव से उचित तथा नये–नये सुझाव से उचित तथा जल उपयोगी रणनीति तैयार करने में सहायता देती है। मुख्य रूप से समाज एवं अर्थव्यवस्था से जुडे हुए शोध कार्यसे वे समस्त प्रणलियॉं एवं पद्धतियॉं परिस्कृत होती है जिनमें अभी और सुधार की संभावना है। इसके उपरांत एक नया ज्ञान, एक नवीन तथ्य ज्ञात कोष के भंडार में जनहित की भलाई हेतु जाकर भंडारित हो जाता है। शोधकार्य

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

के अंत में अभी तक किए गए शोध विषय से संबंधित समस्त तथ्यों का निचोड, संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयत्न है।

कृषि हमारे राष्ट्र में एक उद्यम या फिर कोई गतिविधि मात्र है, यह यहाँ के लोगों के स्वासों में बसती है यह कथन में कोई ज्यादा अतिश्योक्ति नही है। हमारे राष्ट्र में रहने वाले सम्पूर्ण जनमानस का फीसदी गांवों में निवास करते हैं तथा मात्र फीसदी लोग ही शहरी जीवन यापन करते हैं। परंतु ये भी परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से कृषि से तथा इसके उपजो से जुडे हैं। एवं हमारे ग्रामीण अंचलों में रहने वाले रहवासियों, किसानों की यह जीवनयापन का प्रमुख आधार है। कृषि के बिना इनके अस्तित्व की कल्पना ही नही की जा सकती हमारे राष्ट्र की सम्पूर्ण जनमानस का फीसदी कृषि गतिविधियों में लगा हुआ और इसे अपने भरण पोषण करता है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जायें तो प्राथमिक भाग में कृषि ही आती है। कृषि का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि का महती योगदान है। दूसरे भाग में उद्योग एवं व्यापार को स्थान दिया गया है। इन उद्योग से मानवीय जरूरतों के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण होता है। इसमें Raw material की आपूर्ति भी कृषि के माध्यम से की जाती है। अतः बिना कृषि के उद्योग भी बेकार है। अतिस्तत्वहीन है।

हमारे राष्ट्र की कृषि मौसम आधारित है। यहाँ की कृषि मौसमीय घटनाओं के आधारपर काफी प्रभावित होती है। इसी वजह से यहाँ की कृषि को रिस्क युक्त उद्यम माना गया है। मौसमीय विपदायें जैसे– अतिवृष्टि, अल्पविष्ट, चक्रवात, ओला, पाला, तेज हवायें, लूं, शीत इत्यादि कृषि उपज को काफी ज्यादा मात्रा में परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि उपजों में लगने वाले रोग कीटों, बीमारियें आदि की वजह से भी इसमें नुकसान की आशंका बनी रहती है। मृदा का अवस्थ्य होना ज्यादा से ज्यादा रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आना कृषि उपजों की यथा उचित रखरखाव की व्यवस्था, परंपरागत रूप से कृषि करान कृषि का बाजारीकरण न हो पाना, उपजों का असुरक्षित होना इत्यादि कई सारे कारक है जो कि कृषकों को दूसरे उद्यमों की अपेक्षा ज्यादा अनिश्चितता युक्त एवं रिस्क युक्त बनाते हैं।

भारतीय कृषि में व्याप्त रिस्क तथा इसकी अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा की नितांत जरूरत थी। यह किसानों को इसमें उत्पन्न होने वाले रिस्क तथा होने वाले नुकसान की भरपाई कर उनके निश्चतता एवं सबलता देती है। यह किसानों की आमदनी को स्थाई करने एवं उनको भविष्य के रिस्क से सुरक्षित करने का एक सटीक रणनीति है। किसानों के उपर होने वाले अप्रत्याशित एवं अनुचित कर्ज से बचाने हेतु यह एक आसान माध्यम है। इसके अंतर्गत किसान सामान्य किस्तों में बीमें के अधिशुल्क की राशि अदा कर कम दर पर कर्ज प्राप्त कर लेते हैं। और कृषि में होने वाले नुकसान से अपने आप को सुरक्षित करा पाते हैं।

हमारे राष्ट्र में हर जगह सामाजिक, राजनैतिक, वातावरणीय, धार्मिक, धरातयी विभिन्नतायें सहज ही दिख जाती है। यहाँ की धरातलीय विभिन्नता एवं वातावरणी विभिन्नता काफी ज्यादा व्याप्त है। इस वजह यहाँ की कृषि उपजों एवं कृषि पद्धतियों में काफी ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। अलग–अलग स्थानों पर पाई जाने वाली कृषि उपज तथा वाणिज्यिक कृषि उपज, उद्यानिक कृषि उपजों में काफी विभिन्नतायें है इस वजह से हर स्थानों में रिस्क को आंकलित करने में तथा सम रूपी नीतियों को लागू करने मे काफी ज्यादा समस्या आती है।

पूर्व शोध की समीक्षा :–

रामास्वामी भारत, टी.एल. राय (2004) – इन्होने अपने शोध पत्र में कृषि बीमा के उत्पादन में समूहन रैखिक योज्य मॉडल को बतलाया है। इनके शोधपत्र में कई स्थितियों में समूहन रैखिक योज्य मॉडल की उपयोगिता एवं इसका कृषि बीमा में प्रयोज्यता को सारगर्भित किया गया है। इन्होने निष्कर्ष दिया की व्यक्तिगत रिस्क को प्रतिव्यक्ति के आधार पर ही एवं बडे समंकों को लेकर स्थितियों पर कार्य किया जाए।

कमल किशोर ईंगोले (2010) – इन्होनें ''वाशिम जिले की किसानों की आत्महत्या प्रवृत्ति एक समाज शास्त्री अध्ययन'' शोधकार्य हेतु 2010 में डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की गयी। इन्होने किसानों द्वारा की जा रही खुदकुशी की प्रमुख वजह किसानों के उपर बढता कर्ज को बताया इस शोधकार्य में इन्होने यह स्पष्ट किया कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होता है। इन्होने स्पष्ट किया की किसानों के उपर बढते कर्ज के दबाव को कम करने के लिए सरकारें असफल रही।

मनोज बोहरे (2003) – इनका लघुशोध प्रबंध ''इन्दौर जिले में उद्यानिकी कृषि'' वर्ष 2003 में प्रकाशित हुआ इनके द्वारा जिले में उद्यानिकी तथा शाक सब्जियों एवं फलों के उत्पादन इनके विकास एवं

संवर्धन हेतु किये जा रहे प्रयासों के बारे में अध्ययन किया। इन्होने यह स्पष्ट किया कि जिले में फूलों के विकास हेतु तथा औषधियों के संवर्धन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके कारण इनका क्षेत्र बढा है। परंतु फलों एवं शाक सब्जियों के विकास एवं संवर्धन हेतु ज्यादा प्रयास नही किये गये। जिसके कारण इनका क्षेत्र घटा है। किसानों को कृषि आधुनिकीकरण हेतु जागरूक करने की आवश्यकता है। किसानों द्वारा अधाधुन्ध रूप से प्रयोग में लायी जा रही खादों एवं रसायनों से पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ है।

राजीव सेम्युअल (2006) – इनका शोध प्रबंध ''मध्यप्रदेश के कृषि विकास में संस्थागत वित्त की भूमिका (इन्दौर जिले के विशेष संदर्भ में)'' हेतु वर्ष 2006 में इनको डाक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया । इन्होने अपने शोध प्रबंध में यह बतलाया कि कृषि का विकास देश के आर्थिक उत्थान हेतु आवश्यक है। देश में फैली बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक कुचक्रता, क्रयशक्ति क्षमता मे लगातार हो रहा ह्रास इत्यादि समस्याओं को काफी हद तक कृषि संवर्धन के द्वारा हल किया जा सकता है। इन्होने कृषि के संवर्धन तथा विकास पर बल दिया। **कॉनराय एट आल (2001)** भारत में ग्रामीण कृषक परिवारों के पास आय के साधन के पशु उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन की आबादी बढ़ी है हालांकि एक क्षेत्रीय पैमाने और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थिति बहुत अलग और अधिक जटिल है, उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के भीतर पशुधन बढ़ी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों में पशुधन की आबादी कम होती है। जिससे ग्रीमण किसानों की स्थिति सुधर रही है।

ब्रिजेन्द्र पाल सिंह (2000) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। इसके विकास से अर्थव्यवस्था में दृढ़ता आती है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 34 प्रतिशत के आसपास है। गत वर्षो में खाद्यान तथा व्यावसायिक फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्वों में प्राकृतिक और आर्थिक दोनो महत्वपूर्ण है। विगत दो–तीन दशकों में भारत में द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र को तीव्र गति से विस्तार हुआ है प्रभावी देश की कार्यशील जनसंख्या का 52 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रित है। देश में कृषि 115. 5 मिलियन कृषक परिवारों की आजीविका का माध्यम है। यहाँ तक कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत भाग कृषि व उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। भारत में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर देश की 1.21 अरब से अधिक जनसंख्या के खाद्यान व खाद्य पदार्थो की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से ही की जाती है। करोड़ों पशुओं को प्रतिदिन चारा कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है।

डॉ. आर. के. भारतीय (2006) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लघु तथा सीमांत कृषकों खेतिहर मजदूरों तथा अन्य श्रमिकों, शिल्पियों, व्यवसायिक एवं सेवा करने वाले परिवारों का ही बाहुल्य है। परन्तु आज भी इनमें से अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं! अतः यह कहा जा सकता है कि भारत का समाजिक एवं आर्थिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी विकास पर ही आधारित है। ग्रामीण विकास की अनेकोनेक समस्याएं जिनमें प्रमुख रूप से आर्थिक अधोसंरचना, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग व समान्वित विकास की समस्याएं है!

शोध प्रविधि :– रीवा जिले में स्थित मण्डियों में से निदर्शन विधि का अनुप्रयोग करते हुए जिले से सभी मण्डियों का अध्ययन कर कुछ चिन्हित मण्डियों को प्रतिक अध्ययन के लिए चुना जाएगा। मण्डियों के चयन में उनकी स्थिति कार्यक्षेत्र आदि का ध्यान रखते हुए जिले में सभी तहसीलों में से एक–एक विनियमित मण्डी तथा जिले में एक प्राथमिक स्तर में गांव में स्थित विनियमित मण्डी का चयन कर अध्ययन किया जावेगा।

मण्डी सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली बनाकर मण्डी समिति के पदाधिकारियों एवं मण्डी सचिवो से सम्पर्क अभियान द्वारा विषय से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर उपक्रम बनाया जाएगा। कृषि सम्बन्धी उत्तर प्राप्त करने के लिए स्तरवार निदर्शन विधि का प्रयोग किया जावेगा। अन्त में सांख्यिकी विश्लेषण के बाद शोधकर्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाएगा इस सम्बन्ध में एकत्रित किए गये प्राथमिक द्वितीयक एंव गौर आंकड़े हेतु किया गया है।

कृषि विपणन तकनीकी में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि विनिमय हेतु वित्तीय सुविधाएँ, कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि तथा कृषि विपणन का व्यावसायिक कार्य, व्यवसायिक अनुभव, पूँजी निवेश, छोटे कृषि व्यापारियों को संरक्षण कृषि के लिए वित्तीय सुविधाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात का विकास, भण्डारण प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन, मूल्य में स्थिरता जैसे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि विपणन में जमाखोरी की समाप्ति, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मानने के साथ–साथ गांवो में कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान

करने का प्रयास होगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकरी समितियों के विकास हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सहकारी समितियों के विकास हेतु सरकारी एजेन्सी द्वारा कम मात्रा का पूर्व निर्धारण उत्पादक व व्यापारियों से कृषि आय में वृद्धि जैसे उपायों को अपनाने से कृषि विपणन तथा कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कृषि उपकरणों वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में विकास हेतु उपाय किये जायेगे। सहकारी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा उत्पादको को उचित मूल्य दिलाए जाने के साथ ही पूंजीवादी बाजार को रोकने का प्रयास किए जाएगा, साथ ही कृषि विपणन व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा, विस्तार के साथ ही देश वे अन्य विकसित राज्यों की कृषि विपणन के समान किया गया है।

शोध के उद्देश्य :–

- कृषकों की अर्थिक दशाओं का अध्ययन कर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।
- ग्रामीण कृषि प्रक्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का समन्वित प्रयास भी है? इसके अन्तर्गत न केवल लघु कृषकों की पहचान की जा सकेगी वरन् उन्नयन हेतु आवश्यक साधन/सुझाव उपलब्ध कराना।
- जिले में संचालित सहकारी बैंकों के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कृषकों के आर्थिक विकास की दर प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना।
- संस्थागत बैंकों की कार्यप्रणाली एवं ब्यूह रचना का अध्ययन।
- शासन के द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सहयोग के फलस्वरूप हितग्राहियों के रोजगार प्रभाव का अध्ययन करना।
- शासकीय एवं गैर शासकीय संस्था द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
- घटित समस्याओं को खोजना, उनका अध्ययन करना साथ उनके परिणामों एवं प्रभावों का अध्ययन
- कृषकों की आर्थिक दशा के सफलता हेतु समुचित साधनों एवं उपायो को सुझाना जिससे भविष्य में इन योजनाओं को और प्रभावशाली बनाया जा सके।

परिकल्पनायें –

1. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कृषि के उत्पादन तथा कृषकों की आये जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान दे रही है, और साथ ही जिन किसानों ने बीमा कराया है उनको पर्याप्त रूप में क्षतिपूर्ति हो रही है।
2. कृषि कार्यों में उत्पादन क्रियाओ, विनणन क्रियाओं, उत्पाद का उचित मूल्य, आय इत्यादि में अनिश्चितताये बनी रहती है। इसके लिए इस जोखिमों से सुरक्षा हेतु कृषि बीमा की जरूरत है।
3. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही।
4. कृषि बीमा योजना की कार्यप्रणाली काफी कुशल है।
5. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना द्वारा बीमित किसानों को काफी लाभ पहुंचा है।

शोध सीमाएँ :– शोधार्थी द्वारा लिये गये शोध विषय ''राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रबंध एवं क्रियान्वयन रीवा जिले के विशेष संदर्भ में'' अनुसंधान कार्य की निम्नलिखित सीमायें हैं–

(क) शोध कार्य के लिए चुने गये प्रत्येक गांवों से सैम्पल के केवाल रूप में 100 परिवारों से अनुसूची भरवाई गयी।

(ख) इस शोध कार्य में पूरे जिले के गांवों को नही लिया गया केवल कुछ गांवों को ही चुना गया।

(ग) शोध कार्य का क्षेत्र सीमित है।

(घ) समंको के संकलन हेतु अनुसूची विधि का उपयोग किया गया।

शोध का महत्व एवं कठिनाइयाँ :– कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है जिसके समुचित विकास के बिना किसी भी प्रकार की आम जीवन से जुड़ी विकास की गतिविधियों की परिकल्पना नहीं की जा सकती। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली जानकारियों के अनुसार देश का सर्वाधिक वर्ग कृषि से संबंधित है देश की कृषि व्यवस्था और कृषि नीति ऐसी है कि कृषि अभी भी पुरातन नीतियों पर आधारित है शासन और प्रशासन स्तर पर दीर्घकालिक सहकारी बैंकिंग नीतियॉ निर्मित होती है। जिनका संबंध कृषि क्षेत्र की वास्तविकता से नहीं होता। कोरे सिद्धांत पर आधारित सहकारी बैंकिंग की नीतियों के चलते कृषि आज भी नई परम्पराओं को स्वीकार नहीं कर पाती। देश के कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दे तो कृषि फर्म और कृषक का नाम आते ही एक

विचित्र पीड़ा का बोध होता है। भारत का किसान आज भी दो जून की रोटी के लिए मोहताज है उर्वरताविहीन खेत, लगातार घटते कृषि संसाधन, पढ़े लिखे विकासशील लोगों का कृषि से दूर हटना भौतिक संसाधनों की बढ़ती कीमतें समय अनुकूल बीज खाद एवं अन्य सहायक वस्तुए कृषि यंत्रों की भारी कीमतें उत्पादन विक्रय की साख नीति का आभाव आदि के चलते रीवा जिले की कृषि अभी भी अधोगामी है।

बीमा योग्य राशि की कवर सीमा –

(1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बीमा स्वीकार करने वाले कृषक के विकल्प से बीमित फसल के सकल उत्पाद तक प्रीमियम राशि को बढाया जा सकता है। कृषक अपनी फसलों के मूल्य को 150 फीसदी तक बढाया जा सकता है। शर्त यह है कि फसलें सूचित होनी चाहिए तथा कृषक इसकी प्रीमियम के भुगतान हेतु तत्पर हो।

(2) ऋण स्वीकार किये कृषकों के लिए बीमा प्रीमियम की राशि कृषकों द्वारा प्राप्त किये गये एडवांश में सम्मिलित कर दिया जायेगा।

(3) ऋण स्वीकार किये गये कृषकों के लिए बीमा प्रीमियम की राशि कलस के उत्पादन हेतु, प्राप्त किये नये एडवांस के बराबर होगी।

(4) फसलों के लिए ऋण प्रदान करने में या फिर वितरित करने में भारत के केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत के कृषि बैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के निर्देश माने जायेगें।

बीमा की राशि की दरें –

रबी सीजन	गेहूं	बीमित राशि 1.5% या वास्तविक मूल्य दोनों जो कम हो
खरीफ सीजन	बाजरा एवं तिल	बीमित राशि का 35% या वास्तविक मूल्य दोनों में जो कम हो
अन्य फसलें	खाद्यान व दालें	बीमित राशि 25% या वास्तविक मूल्य दोनों में जो कम है
खरीफ व रबी फसलें	वाणिज्यिक व बागवानी वाली फसलें	वास्तविक मूल्य

रीवा जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र एवं फसल :– National Agriculture Insurance Scheme के संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु जिले में तहसील स्तर पर इसके विकास की जानकारी लेना जरूरी है। इसके लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं को इस शोध विषय में दर्शाया गया है जो निम्नलिखित है–

(अ) चयनित स्थान – रीवा जिले के अंतर्गत पटवारी हल्का को शामिल किया गया है

क्र.	तहसील का नाम	चयनित प्रमुख स्थान (पटवारी हल्का)
1.	गुढ	लोही, गोरगांव, गुढवा, पांती, बडागांव, रीठी, गुढ, बरसैता इत्यादि
2.	हनुमना	विछरहटा, बरांव, बहुती, घौसड, पहाडी, टटिहरा, बन्ना गौरी, दावा दुवगवां इत्यादि
3.	जवा	लूक, पटेहरा इत्यादि
4.	मनगवां	नौगांव, देवरा, दुआरा, ढेलही, उल्हीकाला, रघुनाथगंज, आंवी, जोरोंट, कदैला, कटेहरी, घुचियारी इत्यादि
5.	मऊगंज	पटपरा, सरई, डिघौल, सीतापुर, घोरहा, रतनगवां, सगरा, भागों, देवतालाब, भलुहा, जुडमनिया, कुशध इत्यादि
6.	नईगढी	खर्रा, फूल, बहुती, नईगढी, करह पहाडी, तिवरिगवां, हिनौती इत्यादि
7.	रायपुर कर्चुलियान	रायपुर कर्चुलियान, लोहदधवार, गोरगांव, त्यौहरा, समान, दुआर, उल्ही इत्यादि
8.	हुजूर	सगरा, तमरा, राउरा, डिहिया, सुपिया, अजगरहा, करहिया, चोरहटा, निपनियां, जोरी, बिहरा, कचूर इत्यादि
9.	सेमरिया	कुशवार, लेनगधरी इत्यादि

10.	सिरमौर	हर्दीकला, करारी, बेलवा बडगैयन, मोहरिया, चन्देह, बेलवा पैकान, टिकुरा, देवास, बांस, लौरीगढ, लालगांव, परासी, हिनौती, माडो इत्यादि
11.	त्योथर	बुडामा, सोनौरी, कैथी, शिवपुर, चौखण्डी, मनिका, सोहर्वा, रेही, कूडी, लटियार, मदरी, गेदुरहा, खम्हरिया, इत्यादि

(ब) चयनित कृषि उपज – सीजन के आधार पर यदि देखा जाय तो दोनों सीजन में भिन्न–भिन्न कृषि उपजों को इस नीति हेतु चयनित किया गया है।

(क) रबी के सीजन में – इस सीजन में जिले के विकासखंडों में इस योजना हेतु चयनित कुछ कृषि उपज निम्नलिखित है– गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना

(ख) खरीफ सीजन में – इस सीजन में इस योजना में कृषि उपज निम्नलिखित है– धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, अरहर आदि।

रीवा जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति :– इस बीमा योजना की प्रगति एवं प्रभावों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करने हेतु रीवा जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में हुई प्रगति एवं प्रभावों के तथ्यों को समंकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। योजना के विकास के अध्ययन में मात्र उन्ही समंकों को वरीयता प्रदान की गई है जो राज्य में जिले स्तर पर इस कृषि बीमा योजना की प्रगति के अध्ययन हेतु आवश्यक है। जिले स्तर पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति के अध्ययन हेतु आवश्यक है जिले स्तर पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रगति का अध्ययन मुझे एवं आश्चर्य के साथ यह बोलने में काफी संकोच मुझे बडे दुःख एवं खेद के साथ यह बतलाने में काफी संकोच हो रहा है कि बडे प्रयत्न के बावजूद रीवा जिले के योजना से संबंधित गलतियों में ब्लाक ब्लाक एवं तहसील स्तर पर आंकडे उपलब्ध नही थे साथ ही जिले में इस कृषि बीमा योजना से संबंधित विभागों की बेवासाइटों में भी तहसील एवं ब्लाक स्तर के समंक प्राप्त नही हो सके। समय के अभाव की वजह से एवं तहसील तथा ब्लाक स्तर पर आंकडे न मिलने के कारण जिला स्तर पर ही **समंकों का सारणीयन प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है।**

सारणी क्रमांक

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थिति जिला स्तर पर

सीजन रबी (राशि लाखों में)

क्र.	वर्ष	ऋणी कृषकों की संख्या	ऋणी कृषकों का बीमित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल फसल ऋणविवरण	अधिसूचित फसलों हेतु वितरित ऋण लाखों में	ऋणी कृषकों की बीमित राशि	प्रीमियम की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2009–10	6138	17904.776	631.44	562.88	562.88	13.89
2.	2010–11	16546	44815.574	977.17	884.14	884.14	12.86
3.	2011–12	38952	100669.785	1441.79	1292.20	129.20	18.92
4.	2012–13	31815	82983.853	3165.03	2201.53	2201.53	32.34
5.	2013–14	34183	92253.408	4025.34	3088.80	3088.80	45.37
6.	2014–15	46670	116807.171	3800.18	2939.95	2939.95	43.04
	योग						

स्रोत – वार्षिक रिर्पोट भारतीय राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड भोपाल 2014

इस कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन में वर्ष 2009–10 में 6138 कृषकों ने बीमा करवाया था इसके बाद अगले सीजन में 16546 कृषकों ने ऋण प्राप्त किया जो गत वर्ष की तुलना में कृषक अधिक थे, प्रतिशत के रूप में प्रतिशत ज्यादा थे, इसी प्रकार से वर्ष 2011–12 में ऋणी कृषकों की संख्या

38952 थी जो कि गतवर्ष की तुलना में बढी एवं इनकी संख्या में प्रतिशत की वृद्धि हुई इसके उपरांत वर्ष 2012–13 में इन ऋणी कृषकों की संख्या 31815 थी जो कि इनकी संख्या में प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से वर्ष 2013–14 में ऋणी कृषकों की संख्या बढकर 34183 हो गई जो गत वर्ष की तुलना में इनकी संख्या बढ गई जो कि गत वर्ष की तलना प्रतिशत वृद्धि हुई इसी प्रकार से वर्ष 2014–15 में इन ऋणी कृषकों की संख्या गत वर्ष की तुलना में बढकर 46670 हो गई जो कि गत वर्ष की तुलना में इनकी संख्या बढी एवं प्रतिशत में इनकी संख्या प्रतिशत बढी।

निष्कर्ष :– कृषि विपणन तकनीकी में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि विनिमय हेतु वित्तीय सुविधाएँ, कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि तथा कृषि विपणन का व्यावसायिक कार्य, व्यवसायिक अनुभव, पूँजी निवेश, छोटे कृषि व्यापारियों को संरक्षण कृषि के लिए वित्तीय सुविधाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात का विकास, भण्डारण प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन, मूल्य में स्थिरता जैसे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि विपणन में जमाखोरी की समाप्ति, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मानने के साथ–साथ गांवो में कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास होगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकरी समितियों के विकास हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सहकारी समितियों के विकास हेतु सरकारी एजेन्सी द्वारा कम मात्रा का पूर्व निर्धारण उत्पादक व व्यापारियों से कृषि आय में वृद्धि जैसे उपायों को अपनाने से कृषि विपणन तथा कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कृषि उपकरणों वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में विकास हेतु उपाय किये जायेगे। सहकारी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा उत्पादको को उचित मूल्य दिलाए जाने के साथ ही पूंजीवादी बाजार को रोकने का प्रयास किए जाएगा, साथ ही कृषि विपणन व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा, विस्तार के साथ ही देश वे अन्य विकसित राज्यों की कृषि विपणन के समान किया जाएगा।

सुझाव :–

- कृषि क्रियाओं में कृषि उपजों को होने वाले नुकसान की भरपाई की राशि तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया का चुनाव वहां के किसानों के परामर्श से कराने की जरूरत है।
- इस नीति की कार्यप्रणाली को और ज्यादा स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाये जाने की जरूरत है।
- इससे संबंधित कर्मचारियों, अधिकारी वर्ग के लोगों को समय–समय तकनीकी युक्त परीक्षण दिये जाने की जरूरत है।
- समस्त स्थानों के लिए एक नीति, एक अधिशुल्क, एक बीमा करे जाने की जरूरत है, इससे किसानों के मन में इसके प्रति विश्वास बढता है।
- योजना को संचालित करने वाले अभिकरणों की संख्या में वृद्धि करे जाने की जरूरत हे। जिससे की ज्यादा से ज्यादा स्थान पर ये संस्थान स्थापित हों और किसानों से ज्यादा संपर्क में रहे।
- इसके विज्ञापन की जिम्मेदारी मुख्य अभिकरणों को दे देती चाहिए जिससे कि ये अपना कार्य और जिम्मेदारी के साथ करें।
- समय–समय पर योजना का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और कर्मियों को इसको पूर्ण करेन हेतु जोर देना चाहिए जिससे की कर्मी कुशलता के साथ कार्य करें।
- हुए नुकसान की भरपाई का समय निर्धारितकर देना चाहिए तथा इसमें और पारदर्शिता लाया जाना चाहिए जिससे की नीति के प्रति किसानों का विश्वास बढे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल एन.एल., भारतीय कृषि का अर्धतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
2. अग्रवाल, एन.एल. कृषि अर्थशास्त्र राजस्थान हिन्दी ग्रंन्थ अकादमी जयपुर
3. भारती एवं पाण्डेय भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
4. डॉ. अशु शहल यांशी एवं रेनु कुमारी, जैविक खेती में महिलाओं की भागीदारी कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका – 2009
5. रास, निहारेजन, मौर्य तथा मौर्योत्तर काल, में कमिलन एंड कंपनी पब्लिकेशन नई दिल्ली 1979 पे.नं. 84
6. सरकार युदुनाथा, मुगल सम्राज्य का पतन, तृतीय खंड, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी पब्लिकेशन आगरा द्वितीय संस्करण 1972 पे.नं. 86
7. श्रीवास्तव आर्शिवादी लाल, अकबर महानः भाग–2 शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी पब्लिकेशन द्वितीय संस्करण 1972 पे.नं. 126–130

8. नारायण दुलीचंन्द्र व्यास, अन्नो की खेती, प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली, 1956
9. सिंह प्रताप, आधुनिक भारत का इतिहास 1656–1885 तक दिल्ली रिसर्च 1982 पे. नं. 196
10. दुबे सत्यनारायण, प्राचीन भारत का इतिहास, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी पब्लिकेशन आगरा 1980 पे.नं. 125–125
11. डॉ. नारायण दुलीचंद व्यास, कृषि दीपिका, मार्तण्ड उपाध्याय मंत्री संस्ता साहित्य मंडल पब्लिकेशन नई दिल्ली प्रथम संस्करण 1967 पे. नं. 120–124
12. बासम ए.एल. अद्भुत भारत, शिवलाल अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा तृतीय संस्करण 1968 पे. नं. 51
13. अग्रवाल, आर.सी. आधुनिक भारत और विश्व इतिहास की नई झलक, कमल प्रकाशन इंदौर पें नं. 144–147

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

मध्यप्रदेश में किये गये विकास कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (1956–1961)

वीरेन्द्र कुमार झारिया
शोधार्थी, (इतिहास) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रस्तावना :– मध्यप्रदेश औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। राज्य में वह सब है जो उद्योग को स्थापित और बढाने के लिए चाहिए। देश के केन्द्र में बसे होने के साथ ही यहाँ खनिजों के भण्डार है। राज्य की नदियाँ प्रदेश ही नही देश के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। वे किसानों और आम लोगों के साथ ही राज्य मे प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित मानव शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वैसे भी राज्य की कृषि प्रधान वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकी करण जरूरी है। इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है तथा वर्षा पर निर्भरता कम होती है। कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है। तथा कृषि उत्पादन के लिए आदान प्रदान प्राप्त होते है साथ ही कृषि पर रोजगार के लिए स्थिरता कम होती है। मध्य प्रदेश में उद्योगों और औद्योगीकरण का इतिहास पुराना है। स्वतंत्रता के पूर्व ही इंदौर कपड़ों के निर्माण का एक बड़ा केन्द्र बन गया था। ग्वालियर में भी औद्योगीकरण की दिशा में काफी काम हुआ। देश के आजादी के बाद और 1 नवम्बर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बनने के पूर्व यह भू–भाग मध्य भारतः विन्धय प्रदेश, भोपाल राज्य और पुराने मध्य प्रदेश (सी.पी.एण्ड. वरार) के तौर पर प्रशासित रहा। इस दौर में औद्योगीकरण की स्थिति कुछ इस प्रकार थी–

मध्य भारत राज्य अपने समय में कपड़ा मिलों के साथ–साथ स्टील, फर्नीचर आदि उद्योगों के लिए पहचाना जाता था। उस समय मुंबई के बाद मध्य भारत से ही सबसे ज्यादा सूती मिले थी। ग्वालियर का इंजीनियरिंग वर्क्स मध्य भारत का सबसे बड़ा कारखाना था। इसमें सिंधिया स्टेट रेल्वे के इंजन डिब्बों और माल के डिब्बों की मरम्मत के साथ कृषि यंत्र विविध प्रकार के औजार लोहे और पीतल की ढालने का काम तथा फर्नीचर तैयार होता है। यहाँ लगभग 400 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।[1]

इंदौर का भड़ारी आयरन एण्ड स्टील का कारखाना तेल निकालने के यंत्र गन्ने का रस निकालने की चरखी आदि वस्तु बानाता था। यहाँ 300 लोगों को रोजगार मिलता था। देवास, इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग कारखाने में अनेक प्रकार की मशीनों के औजार पुर्जे आदि और इंदौर के ओरियंटल साईंस एवरेंट्स वर्कशॉप में विज्ञान के यंत्र बनाए जाते थे।

ग्वालियर व इदौर का पॉटरीज कारखाना ग्वालियर की लैदर फैक्ट्री, ग्वालियर तथा इंदौर में वनस्पति घी उत्पादन के कारखाने राजगढ़ में साबुन बनाने का कारखाना, ग्वालियर और राऊ में कांच के कारखाने ग्वालियर में मैस फैक्ट्री सहित मध्य भारत में कई उद्योग काम कर रहें थे। ग्वालियर के पास बानमोर में सीमेंट बनाने का कारखाना था, जहाँ हर साल 60 हजार टन सीमेन्ट तैयार होता था।[2]

मध्य भारत में रूई का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने तथा प्राकृतिक वातावरण अनुकूल होने के कारण 16 कपड़े मिले यहाँ कार्य कर रही थीं। इनमें 11 हजार करघे व 5 लाख स्पिंडल थे। 150 हजार लोगों को रोजगार के साथ ही 2 लाख 50 हजार रूई की गॉठों की खफत होती थी। इस रूई का अधिकांश भाग मध्य भारत में ही उत्पादन होता था। इन मिलों द्वारा लगभग 30 लाख गज कपड़ा तैयार होता था जो कि अखिल भारतीय उत्पादन का 6 प्रतिशत था। इसमें अधिकांश निर्यात किया जाता था। मुंबई तत्कालीन (बंबई) के बाद मध्य भारत देश में सूती मिलों का सबसे बड़ा केन्द्र था। दो–एक मिलों में रेशमी और ऊनी कपड़ा भी तैयार होता था। इंदौर में चार कृत्रिम रेशम बनाने बाली ईकाईया थी।3

1. न्यू मर्चेन्ट सिल्क
2. इंदौर रेयॉन वीतिंका फैक्ट्री
3. नेशनल सिल्क मिल्स
4. सुबोध इंडस्ट्रीज

इनमें से तीन कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत खोले गए थे। काटन टेक्स इंदौर, इंदौर के मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, हुकुमचंद मिल्स–लिमिटेड दी कल्याण मिल्स लिमिटेड दी राजकुमार मिल्स लिमिटेड नंदलाल भण्डारी मिल्स लिमिटेड, राय बहादुर कन्हैया लाल भण्डारी मिल्स

लिमिटेड स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड इंदौर की प्रमुख कपड़ा मिलें थीं।4

भोपाल राज्य :– कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी भोपाल राज्य के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई। भोपाल में स्थित कपड़ा शक्कर, पुट्ठा, माचिस, कॉच, रूई, औठना, तेल आदि के बड़े–बड़े कारखानों से हजारों श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता था। नए उद्योगों को हर प्रकार की सुविधाए दी जाती थी। इससे यहाँ फ्लोर मिल पेन्टस–वार्निश स्टील, टिरोलिंग साइकिल के पार्टस सेनेटरी–वेयर आदि के कारखाने भी खुलें खादी की बुनाई, लकड़ी के खिलौने व कंघियॉ, फर्नीचर तथा लकड़ी का अन्य काम यहॉ के प्रमुख गृह उद्योग थे।

विंध्य प्रदेश :– विंध्य प्रदेश में खेती के अलावा दूसरा प्रमुख उद्योग जंगल में काम करने का था। लकड़ी काटने का कार्य अधिकतर अनसूचित जाति के लोग करते थे। कुछ लोग शराब की भट्टियों, रोलिंग मिल बीड़ी तेल मिल चावल–मिल छापेखाने, साबुन, मिटटी के वर्तन, आटा चक्की लोहा–फौलाद के कारखानों में संलग्न थे।

पुराना मध्य प्रदेश (सी.पी.एण्ड बारार) स्वतंत्रता के बाद इस राज्य में सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, शीशा उद्योग, जनरल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग तथा शाराब पेन्ट वार्निश और फल–संरक्षण उद्योग विशेष उल्लेखनीय थे। राज्य में अनेक कुटीर व लघु उद्योग भी चल रहे थें।

सूती कपड़े का उद्योग पुराने मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख उद्योग माना जाता था। यहॉ इस उद्योग के पनपने का सबसे बड़ा कारण राज्य के विस्तृत कपास क्षेत्र थे। मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग था। भारत में इस उद्योग का पूर्णतः प्रादुर्भाव सन् 1912 में हुआ और तत्पश्चात् सन् 1914 में ही मध्य प्रदेश में कटनी सीमेंट एण्ड इंड्स्ट्रियल कम्पनी की स्थापना हुई। इस समय समस्त देश में सीमेंट उद्योग की केवल तीन ही इकाईयॉ थी जिनमें से उपर्युक्त एक इकाई राज्य में थी। जबलपुर जिला में स्थित एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी का कारखाना देश में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है।[5]

राज्य में नेपा मिल्स पूर्व निमाड़ जिला (अब बुरहानपुर जिला) नामक कागज का कारखाना था। नेपा मिल्स का उत्पादन कार्य जनवरी 1955 से प्रारंभ हो गया था। कागज का उत्पादन करने वाली यह भारत की एक मात्र एवं प्रथम मिल थी। इस समय जबलपुर में शीशे के कारखाने चल रहे थे।

मध्य प्रदेश अतीत की तरह मुख्य तौर पर कृषि पर अधारित राज्य है। लेकिन औद्योगिक विकास राज्य की अर्थ व्यवस्था में विविधीकरण के लिए जरूरी है। राज्य में ग्रामोद्योगों की खासी भूमिका है। कृषि के बाद राज्य की अर्थ व्यवस्था ग्रामाद्योगों के कांधे पर आ जाती है। राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना की दिशा में सरकार बाहरी निवेश को बढ़वा दे रही है तथा बाहरी औद्योगिक इकाइयों को राज्य में विकास के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराने की नीति पर चल रही है। आज मध्य प्रदेश की इंदौर, पीथमपुर भोपाल मण्डीदीप, ग्वालियर, मालनपुर और उसके समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख उद्योग केन्द्रों के तौर पर उभर रहे हैं। राज्य के अन्य स्थानों पर भी औद्योगीकरण का सिल–सिला तेजी से चल रहा है।

मध्यप्रदेश के विकास कार्य :–

औद्योगिक नीति 1956 – 1946 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के स्थान पर एक नया औद्योगिक प्रस्ताव 1956 30 अप्रैल 1956 को स्वीकृत किया गया 1948 की सामाजिक स्थिति में काफी फर्क आ चुका था। आधार भूत सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के रूप में समाज वादी ढंग के समाज की धारणा जनता के बीच प्रबल स्वीकृत पाकर संसद में भी मान्यता पा चुकि थी। सन् 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों के लिए कई सुझाव दिये गये थे उन सुझावों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश एक विकास शील राज्यों की श्रेणी में आ पाया है।

मध्य प्रदेश विरासत :–

1. **भिलाई स्टील प्लांट** :– भारत और यू.एस.ए के सहयोग से 1955 में बना भिलाई स्टील प्लांट म.प्र. के मुख्यमंत्री पं. रवि शंकर शुक्ल के कर कमलों से स्थापित किया गया। भिलाई में एकीकृत लौह और इस्पात कार्यो की स्थापना के लिए जाना जाता है। जब स्थापित किया गया तो एक मिलियन टन स्टील पिंड की कार्य क्षमता प्रारंभिक दौर में करने हेतु हस्ताक्षर किया गया था। यह कारखाना भिलाई में स्थापित करने का मुख्य आधार था 100 किमी,दूर दल्ली राजहर में

लौह अयस्क की उपलब्धता थी नंदिनी से चुना पत्थर यह संयंत्र से करीब 25 कि.मी. और लभगम 140 कि.मी दूर हिररी में डोलेमाइट था। 4 फरवरी 1959 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पहली विस्फोट भररी के उद्घाटन के साथ शुरू किया गया। 1967 में यह संयंत्र को 2.5 मिलियन टन तक बढा दिया गया था। 1988 में एम.टी का विस्तार पूरा हो गया था। 4 चरण में मुख्य फोकस निरन्तर कांसटिग इकाई और प्लेट मिल यहॉ पर इस्पात कार्स्टिग और आकार देने की एक नई तकनीक थी। भिलाई इस्पात संयंत्र भारतीय रेल्वे ट्रैक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इसमें दुनिया में 260 मीटर का सबसे लंबा रेल्वे ट्रैक बनाने का रिकार्ड है। प्रधान मंत्री के ट्राफी के विजेता कुल 11 बार भिलाई इस्पात संपंत्र आधुनिकीकरण और नई परियोजनाओं के माध्यम से इस्पात उत्पादन की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। यह परियोजना 17.000 करोड़ रूपये की परियोजना भीलई स्टील प्लांट (बी.एस. पी) इन संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस (बी.एफ) संख्या 8 महीने में शुरू हुई है। महामाया को चालू करने की दिशा में ये पहला कदम है इससे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जिसमें 4060 घन मीटर की उपयोगी मात्रा और 8030 टन गर्म धातु प्रति दिन में 2.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने की क्षमता है। नई फर्नेस ऑनस्ट्री के साख्य, सेल बीएसपी के गर्म धातु क्षमता प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन के मौजुदा उत्पादन अंतर से 7.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है।[7]

2. भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड़ भोपाल :– इस कारखाने को भोपाल में सन् 1960 में ब्रिटेन के एक कारखाने की मदद से सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली का भारी सामान बनाने के लिए स्थापित किया गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. की भोपाल इकाई को देश में विद्युत उपकरणों के उत्पादन में अग्रेणी भूमिका एवं प्रथम स्थापन पाने का गौरव प्राप्त है यह संस्था निरंतर कई वर्षो से विद्युत उपकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है। अन्य आधार भूत परियोजनाओं से सम्बन्धित संयत्रों एवं सेवाओं के क्षेत्र में अपना निरन्तर योगदान देता आ रहा है। इस संस्थान में निर्मित किये जा रहें उत्पादों में सभी प्रकार एवं क्षमता के जल टर्वाइन एवं जनरेटर विभिन्न प्रकार के हीट एक्सचेंजर पावर, ट्रासफर्मर, स्विचगियर, कन्ट्रोल गियर, औद्योगिक, रेक्टी फायर, पावर केयेसिटर, रेल इंजनों हेतु संकर्षण मीटरे एवं कट्रोल उपकरण, डीजल जनरेटिंग सेट, तथा विभिन्न उद्योगों हेतु माध्यम व उच्च क्षमता वाली विद्युत मोटरे तथा सैन्य क्षेत्र हेतु विशेष उपकरण प्रमुख है। ताप–एवं जल विधुत की पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण, एवं नवीनीकरण के क्षेत्र में भी भेल भोपाल को विशेषज्ञता प्राप्त है तथा इस प्रकार क्षेत्र में योगदान भी निरन्तर विकास की ओर है।

ताप एवं विद्युत की पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण,एव नवीनीकरण के क्षेत्र में भी भेल–भोपाल को विशेष दक्षज्ञता हासिल है ये भारत के नवरत्नो में से एक कम्पनी है। इसका मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।[8]

नेपा नगर कागज उद्योग :– 1948–49 में नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल नेपानगर जिला बुरहानपुर की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में किया गया यहां अखवारी कागज का निर्माण किया जाता है। इस पेपर मिल से लगभग एक वर्ष में 88 हजार मीट्रिक टन अखवारी कागज का निर्माण किया जाता है यह पूरी तहर कार्य 1956–1957 के बीच में कार्य करना शुरू किया और अब इसकी उत्पादन क्षमता को और वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अखबारी कागज विदेशों से आयात नही करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्य में और कई कागज उद्योग स्थापित किये गये है। जैसे अमलई का कागज उद्योग शहडोल, इसके अलावा कागज का निर्माण अन्य स्थानों में भी किया जाता है। भोपाल, रतलाम, ग्वालियर इन्दौर होशंगाबाद में कागज का निर्माण किया जाता है। उन उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे बॉस, रीवा, सीधी, मण्डला, बालाघाट तथा अब छत्तीसगढ़ में जा चुके कुछ जिले, बिलासपुर,सरगुजा, तथा रायगढ़ से बांस प्राप्त होता है इस कारखाने को बुढ़ार खदान् से (सोहागपुर) कोयला क्षेत्र से कोयला दिया जाता है। इस कारखाने में 90 प्रतिशत पुस्तक छपने योग्य कागज बनता है। कागज उद्योग ने प्रदशे के वनों के उत्पादन का समुचित उपयोग किया है। जिसमें न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है बल्कि रोजगार में भी बढोत्तरी हुई है।[9]

निष्कर्ष :– मध्य प्रदेश के गौरव शाली अतीत को जन साधारण के समक्ष सुनियोजित रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इस संग्रहालय में जीवाश्म प्रागैतिहासिक, प्रतिमा, उत्खन्न, अभिलेख, मुद्रा पेंटिंग चित्राकंत, छाया चित्र, पाण्डुलिपि, वस्त्र, धातु, प्रतिमा, आभूषण, विशेष, प्रदर्शनी तथा स्वतंत्रता संग्राम आदि कला दीर्धाओं के रूप में वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया है। इस

संग्रहालय भवन में लगभग 16 दीर्घाओं में पुरातन महत्व की सामग्री, शिल्प तथा ऐतिहासिक पुरासम्पदाओं का प्रदर्शन किया गया। संरक्षित पुरासामग्री के लिए राज्य संग्रहालय में विशेष स्थान का प्रावधान है। संग्रहालय में प्रदेश के लगभग 5000 पुरावशेषों का प्रदर्शन काल कम अनुसार किया गया है। इनमें से एक ऑटोग्राफ गैलरी में विभिन्न विधाओं की कई महान हस्तियों के कुछ दुर्लभ पन्नो एवं हस्ताक्षरों का प्रदर्शन किया गया है। राज्य संग्रहालय की इस गैलरी में दुर्लभ सामग्री को देखना महत्वपूर्ण पल के समान होता है। राज्य संग्रहालय की इस गैलरी में धर्माचार्या, समाज सुधारक, राज नेता इतिहास कार, साहित्यकार, कलाकार, आदि शामिल है। इस संग्रहालय में मध्यप्रदेश के विकास से संबधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई जो शोधार्थीओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. शिव अनुराग पटैरया मध्य प्रदेश अतीत और आज, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल पृ.348
2. श्रीद्वान्त जोशी मध्य प्रदेश एक परिचय पृ.129
3. मध्य प्रदेश अतीत और आज वही पृ.349
4. मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन, महेश कुमार वर्णवाल, Cosmos. Publication. P-171
5. मध्य प्रदेश अतीत और आज वही पृ.350
6. मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन वही पृष्ठ 172
7. राकेश गौतम मध्य प्रदेश एक परिचय पृ.16.2
8. सम्पूर्ण और सर्वोतम मध्य प्रदेश मुकेश महेश्वरी पृ. 193
9. मध्य प्रदेश एक परिचय वही. पृ133
10. मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मुकेश महेश्वरी पृ.192

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

रीवा जिले में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था – एक अध्ययन

डॉ. आर.पी. गुप्ता
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य), शा. कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
श्रीमती शिल्पा गुप्ता
शोधार्थी (वाणिज्य), शा. ठा.र.सि. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश :– आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिये सतत प्रयत्नशील है। पूंजीवादी तथा समाजवादी समस्त अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाना है। अल्पविकसित तथा विकासशील देश जहां अपनी सामान्य गरीबी बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और पिछड़ेपन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम विदोहन कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। वहीं विकासशील देश अपने विकास को निरंतर गतिशील बनाये रखना चाहते है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानवीय प्रयत्नों द्वारा कोई देश अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए देश में गरीबी और आर्थिक विषमता को समाप्त कर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है अतः यहां की अर्थव्यवस्था अधिकांशतया कृषि पर आधारित है तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 70% से अधिक जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है अतः हमारे राष्ट्र का उन्नति प्रमुखतः कृषि विकास पर निर्भर है। सामाजिक क्षेत्र तथा निर्धन वर्ग के जीवनयापन के स्तर को आंकलन हेतु कृषि विकास एक उचित सूचकांक माना गया है। सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कृषि के महत्व के संबंध में राष्ट्रीय आर्थिक विकास के प्रमुख तीन मूल उददेश्य यथा उत्पादन मे वृद्धि मूल्य स्थिरता एवं गरीबी उन्मूलन कृषि क्षेत्र के विकास के माध्यम से ही संभव है।

रीवा जिला में विभिन्न कृषि उत्पादों का एक बडा उत्पादक है। उत्पादक की मात्रा की दृष्टि से गेहूं का सर्वोच्च स्थान है। वित्तीय स्थान पर धान का उत्पादन होता है एवं तृतीय पर 'चना' सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। अतः उत्पादन की दृष्टि से हमारी स्थिति को बनाये रखने के लिए गुणवत्ता में सुधार के प्रति गंभीर होना होगा। कृषि क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर होने के लिए उत्पादन, उत्पादकता, भंडारण, प्रसंस्करण उद्योगों एवं बाजार में एक सशक्त प्रणाली का कार्यान्वयन आवश्यक है।

मुख्य शब्द : कृषि उपज, राष्ट्रीय आर्थिक विकास, विपणन व्यवस्था, कृषि उत्पादन।

प्रस्तावना :– किसी देश के आर्थिक विकास में व्यवस्थित कृषि विपणन महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं, जो निम्नलिखित द्वारा स्पश्ट किया जा सकता हैं– कृषि उत्पाद में वृद्धि नई तकनीकी के अधिकाधिक प्रयोग से की जा सकती हैं, लेकिन यह आव यक नहीं हैं कि अधिक उत्पादन से कृषक की आय भी अधिक हो। कृषकों को उत्पादन वृद्धि से अनुकूलतम आय तभी प्राप्त हो सकती हैं जब पैदा की गई कृषि वस्तुओं के विक्रय के लिए क्षेत्र में सुव्यवस्थित विपणन–प्रणाली विद्यमान हों। किसानों को अधिक मेहनत करके उत्पादन वृद्धि करने की प्रेरणा तब मिलती हैं, जब उसके द्वारा उत्पादित माल की उसे उचित कीमत प्राप्त हो, उसे कम विपणन लागत देनी पड़े, ताकि उसकी आय में वृद्धि हो। कृषकों की आय में वृद्धि होने से राष्ट्र के बहुसंख्यक वर्ग (खेती से जुड़े लोगों) की आय में वृद्धि होती हैं, अतः राष्ट्रीय आय में बढ़ौतरी होती हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर सरकार विकास कार्यक्रमों पर अधिक धनराशि खर्च करेगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

देश के प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों की आवश्यकता की सभी वस्तुएं पैदा नहीं होती। ऐसी स्थिति में कृषि–विपणन व्यवस्था द्वारा देश के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित खाद्यान्न व अन्य कृषि वस्तुएं असंख्य उपभोक्ताओं की पूर्ति हेतु पहुंचाई जाती हैं। यदि विपणन व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हैं तो देश में आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हुए, भी उपभोक्ताओं को सही समय एवं सही कीमत पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल पाते फलस्वरूप देश के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं। अतः देश अथवा क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ विपणन–व्यवस्था का होना अति आवश्यक हैं।

देश में आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता भी कृषि–विपणन व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। कृषि कीमतों में उतार–चढ़ाव कम करने, निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने तथा नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए देश में कृषि–वस्तुओं की कुशल विपणन–व्यवस्था का होना आवश्यक हैं। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए देश में कच्चे माल के उत्पादन के साथ–साथ देश में निर्मित औद्योगिक माल भी पैदा होना आवश्यक हैं, अन्यथा कच्चे माल से विदेशों में निर्मित वस्तुएं नागरिकों को ऊँची कीमतों पर मिलेंगीं तथा कच्चा माल सस्ती दरों पर बेचना होगा। अतः उद्योगों का विकास देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल, जेसे–कपास, तिलहन, जूट, गन्ना आदि कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता हैं। कृषि विपणन से विपणन–मध्यस्थों, परिष्करण–कर्त्ताओं को आय प्राप्त होती हैं। यदि विपणन–व्यवस्था उचित हैं तो इन्हें अपने कार्य के बदले पर्याप्त आय प्राप्त होगी, जिससे इनका जीवन–स्तर ऊँचा होगा। विपणन–व्यवस्था सुचारू होने से कृशि उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन जैसे, बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयाँ, कृषि यन्त्र आदि उचित समय एवं उचित कीमत पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विपणन के ज्ञान से विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता मिलती हैं। विपणन का ज्ञान कई प्रकार के उत्पादन निर्णय लेने में सहायता करता हैं तथा उत्पादन में परिवद्रन करने से अधिक लाभ एवं आय अर्जित की जा सकती हैं। व्यवस्थित विपणन–व्यवस्था देश के आर्थिक विकास एवं राष्ट्र की खुशहाली में सहायक हैं तथा अव्यवस्थित विपणन–व्यवस्था आर्थिक विकास की बाधक हैं। कृषि विपणन देश के कृषि उत्पादन नियोजन का केंन्द्र–बिन्दु हैं।

यदि कृषि वस्तुओं का बाजार सुव्यवस्थित और सुसंगठित हैं तो किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, उसकी आर्थिक दशा ठीक हो जाएगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी तथा उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाएगी और सामाजिक दृष्टि से उसे न्याय प्राप्त होगा। परिणाम यह होगा कि वह कृशि में सुधार कर सकेगा।

भारत की कृषि विकास स्तर – वर्ष 2016–17 में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढी। वर्ष 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी (स्थिर मूल्य पर) की दर से बढी जो जी.डी.पी. के सदंर्भ में दुनिया की आठवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति के हिसाब से यह दुनिया की तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बनी सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में विकास से अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार आ रहा ह। भारत की कृषि नाजुक दौर से गुजर रही है। इस कृषि क्षेत्र में जिले के आधा से अधिक जनता मानव श्रम में लगा हुआ है लेकिन 2014–2015 में इसमें केवल 1.1 फीसदी विकास हुआ वर्ष 2014–15 सूखा साल हुआ क्योंकि 12 फीसदी क्रय बारिश हुई, 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.6 फीसदी थी। जो कि अपने लक्ष्य 4 फीसदी से कम है। लेकिन 9 वीं एवं 10 वीं पंचवर्षीय योजना से 2.5 फीसदी विकास दर से 11 वीं पंचवर्षीय योजना काफी अधिक रही, 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के पहले तीन वर्षों में कृषि विकास दर 4 फीसदी के लक्ष्य की तुलना में केवल 2 फीसदी रही।

विगत पाँच वर्षों के दौरान चालू मूल्यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य संवर्धन और देश के कुल जीवीए में इसकी भागीदारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. 1

सकल मूल संवर्धन

क्षेत्र	2014–15	2015–16	2016–17	2017–2018	2018–2019
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जीविए	2093612	2227533	2496358	2670147	2755992
कुल जीविए की प्रतिशतता	18.2	17.7	17.9	17.2	16.0

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट 2019

तालिका क्र. 1 द्वारा प्रदर्शित होता है कि सकल मूल्यवर्द्धन के परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगातार कमी आई है। वर्ष 2014–15 में 18.2% था जो 2015–16 में 17.7% रह गया तथा 2016–17 में 17.

9%, 0.2% से कमी आई इसी तरह 2017–18 में मौजूदा मूल्यों के हिसाब से घटकर 17.2% एवं 2018–19 में मात्र 16% रह गया। तेजी के साथ बदलती हुई अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य सम्वर्द्धन के परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी में कमी आना एक प्रत्याशित परिणाम है।

रीवा जिले की कृषि विकास स्तर :– रीवा जिले की अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में उपलब्ध संसाधनों निविष्टियों के प्रबंधन को प्रयुक्त करते हुए कृषि क्षेत्र के यथा फसलें गेहूं, चना, धान शामिल किया गया हे। जिले में उपलब्ध मानव संसाधन एवं ग्यारह कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन अर्थव्यवस्था नामतः भूमि जल मृदा एवं जैव विवधिता की स्थिति को दर्शाया गया है। जिले के घरेलू उत्पाद के अनुमान अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में विकास के स्तर को मापने के लिए महत्वपूर्ण और विश्वसयनीय सूचकांक है। ये अनुमान विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और एक स्वस्थ्य आर्थिक नीति को आगे बढाने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करते है प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के पूर्ण और सापेक्ष दोनों प्रदर्शनों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। ये अनुमान राज्य सरकार नीति आयोग वित्त आयोग और अन्य संगठनों के लिए महत्वपूर्ण हैं यह आर्थिक गतिविधियों में वित्त प्रवाह को नियंत्रित करने औरी बेहतर विकास योजना के लिए तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है।

शोध का क्षेत्र :– शोध विषय के रूप में शोधार्थी द्वारा चुना गया शोध विषय का क्षेत्र म0प्र0 का रीवा जिला है। यद्यपि कृषि पूरे भारत देश से जुडा हुआ विषय है, क्योंकि कृषि उपज की विपणन पूरे भारत वर्ष में समान रूप से चलायी जा रही है लेकिन शोधार्थी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के रीवा जिले को शोध अध्ययन हेतु शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। शोध कार्य हेतु प्राथमिक समंको का संकलन रीवा जिले की 11 तहसीलों में से कुछ तहसीलों के गॉवों का चुनाव किया गया है। इसमें शोधार्थी द्वारा मुख्य रूप से कृषि उपज मण्डी रीवा, बैकुण्ठपुर, चाकघाट एवं हनुमना भ्रमण कर सर्वेक्षण कर किसानों, कृषि उपज मण्डी के व्यापारियों एवं सम्मिलित व्यक्तियों का साक्षात्कार एवं अवलोकन कर समंको का संकलन किया गया है।

शोध प्रविधि :– किसी भी विषय वस्तु के अध्ययन के लिये एक सुनिश्चित प्रविधि की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित प्रविधि के माध्यम से ही अध्ययनरत सामग्री का समुचित विश्लेषण कर विषय का विधिवत् प्रतिपादन किया जाता है। इस सर्वमान्य अवधारणा के अनुरूप प्रस्तुत शोध के अध्ययन हेतु पूर्व में ही अध्ययन की एक प्रविधि का निर्धारण कर लिया जाता है। इस अध्ययन हेतु मूलतः प्राथमिक संमकों को आधार बनाकर अध्ययन को पूर्ण करने की प्रविधि अपनायी गयी है। इस हेतु चरण बद्ध योजना का निर्धारण किया गया है।

प्रथम चरण के अंर्तगत रीवा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर संमक एकत्रित किये गये। सांख्यिकी जानकारी का आवश्यक वर्गीकरण तथा सारणीकृत किया गया है। कृषि संबंधित प्रमुख तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिये कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर संमकों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। कृषि के विकास के लिए, कृषि मण्डियों से उपज विपणन व्यवस्था, बैंक से प्राप्त ऋणों के उपयोग तथा उसमें हुए विकास के संबंध में कुछ कृषकों से तथा बैकों से सहायता प्राप्त ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों के संचालनों से भी चर्चा किया तथा इस संबंध में कुछ कृषकों से तथा बैंकों से सहायता प्राप्त ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों के संचालकों से भी चर्चा किया तथा इस संबंध में उनके विचारों से अवगत हुआ। द्वितीय चरण के अंर्तगत अध्ययन के लिए प्रयोग किये जाने वाले द्वितीयक संमकों का संकलन किया गया। द्वितीय चरण के अंर्तगत अध्ययन के लिए प्रयोग किये जाने वाले द्वितीयक संमकों का संकलन किया गया। संमकों का संकलन संभागीय सांख्यिकी कार्यालय (रीवा) जिला सांख्यिकी कार्यालय (रीवा), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अग्रणी जिला कार्यालय रीवा), कृषि विज्ञान केन्द्र (रीवा), भू–राजस्व विभाग, भू–अभिलेख विभाग जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (रीवा) आदि के कार्यालयों से संपर्क कर आवश्यक संमक संकलित किये गये है। आवश्यकतानुसार इंटरनेट आदि के माध्यम से भी संमक संकलित किये गये है। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं तथा रिकार्डो द्वारा भी संमक प्राप्त किये गये है। आकड़ों के संग्रहण हेतु संबंधित एजेन्सियों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित किये गये है। द्वितीयक समंको का संकलन शासकीय तथा अशासकीय प्रकाशनों से किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :– इस अध्ययन के मूल उद्देश्य निम्नानुसार है–

- भूमि व्यवस्था के अंतर्गत भूमि सीमा कानून का क्रियान्वयन भू–समतलीकरण तथा भूमि रखरखाव में हुए परिवर्तन परिवर्द्धन की प्रक्रिया का आंकलन करना।
- सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएं तथा इस परिपेक्ष्य में निर्धारित अवधि के बाद कृषि सिंचाई सुविधाओं में हुए संरचनात्मक परिवर्तन का आंकलन करना।
- रीवा जिले के विभिन्न ग्रामीण स्थिति का मूल्यांकन करना।
- कृषि उद्योगों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में वनों के योगदान का मूल्यांकन करना।
- कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं को अनुमानित करना।
- कृषि व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय प्रकृति का मूल्यांकन करना।
- कृषि की प्रकृति एवं विशिष्टाओं का सूक्ष्मतम उपयोग परीक्षण करते हुए कृषि विकास हेतु उचित नीति निर्धारण का औचित्य प्रतिपादित करना।
- रीवा जिले के कृषि विपणन का ऐतिहासिक महत्व जानने का प्रयास करना।
- रीवा जिले के कृषि विपणन उद्योगों को भारत के मानचित्र में लाने का प्रयास करना।

परिकल्पना :– प्रस्तुत आर्थिक अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नांकित परिकल्पनाएं निर्मित की गयी हैं –

- रीवा जिले की कृषि उपज मण्डी का कुल आवक एवं जावक में वृद्धि सार्थक हैं।
- रीवा जिले की कृषि उपज मण्डी की कुल उत्पादन में वृद्धि सार्थक हैं।
- रीवा जिले की कृषि उपज मण्डी की आय एवं व्यय में परिवर्तन सार्थक हैं।
- कृषि विपणन, कृषि विकास को प्रभावित करके किसानों की आय बढ़ा कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ करती है।

रीवा जिले की कृषि अर्थव्यस्था :– भारत के म.प्र. राज्य का एक जिला हैं रीवा जिला विन्ध्य प्रदेश की राजधानी थी बाद में 1956 में मध्यप्रदेश में मिला लिया गया सफेद शेर रीवा जिला की ही देन है। 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिला की जनसंख्या 2378458 हैं जिसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कुल तहसील 12 है। हुजूर, रायपुर कर्चुलियान, मऊगंज, गुढ, त्योथर, सिरमौर, मनगवां, सेमरिया, जवा, नईगढी तथा विधानसभा क्षेत्र मऊगंज, सेमरिया, सिरमौर, त्योथर, गुढ, रीवा, देवतालाब है। रीवा जिला में मुख्य चार मंडियां है। कृषि उपज मंडी रीवा, कृषि उपज मंडी बैकुठपुर, कृषि उपज मंडी हनुमना, कृषि उपज मंडी चाकघाट जिनके प्रमुख उत्पाद गेहूं, सोयाबीन, मसूर दाल, धान, मटर, तथा अन्य है। रीवा जिला जैसे प्रायः सभी अल्प आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में कृषि ही प्रमुख क्षेत्रक हैं ऐसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का एक बहुत बडा भाग कृषि से प्राप्त होता है। अतः कृषि उत्पादन में परिवर्तन कुल राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। और परिणामस्वरूप बचत तथा निवेश दरे भी प्रभावित होती है। यहां के लोग कृषि कार्यों के करने के तरीकों में न तो बहुत पिछडे है और न ही बहुत आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं किन्तु उत्पादन आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं। और इन उत्पादन को मंडियों में विक्रय करने के लिए ले जाते हैं। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 26 प्रतिशत का योगदान है। कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ–साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि कें अंतर्गत खेती, पशुपालन, वानिकी, आदि भी शामिल है। कृषि की दृष्टि से रीवा में विविधता है। भूमि के प्रकार व संरचना धूप व वर्षा फसलों के बोने एव पकने विभिन्न रूप है। कृषि कार्य से रोजगार खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। फसलों के विक्रय होने से किसानों की आय बढने से उनका जीवन स्तर ऊँचा होता है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है।

तालिका – 2

रीवा जिले में गेहूं उत्पादन वाले मुख्य तहसील (2018–19)

क्र.	**उत्पादन करने वाले अव्वल तहसील**	जिले के स्थान (क्षेत्रफल के अनुसार)
1.	हुजूर	4
2.	रायपुर कर्चुलियान	11
3.	मऊगंज	9
4.	हनुमना	1
5.	गढ	10
6.	त्योंथर	2
7.	सिरमौर	7
8.	मनगंवा	5
9.	सेमरिया	8
10.	जवा	3
11.	नईगढी	6

स्रोत – सांख्यकीय विभाग, रीवा (म.प्र.)

तालिका क्र. 2 द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि रीवा जिले में गेहूँ उत्पादन करने वाले अव्वल तहसील में पहला स्थान हनुमना, दूसरा स्थान त्योंथर, तीसरा स्थान जवा, चौथे स्थान पर हुजूर, पॉचवें स्थान पर मनगंवा, छठवें स्थान नईगढ़ी, सातवें स्थान पर सिरमौर, आंठवें स्थान पर सेमरिया, नौवे स्थान पर मऊगंज, दसवें स्थान पर गढ़ एवं ग्यारहवें स्थान पर रायपुर कर्चुलियान है।

तालिका – 3

रीवा जिले की तहसीलो की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

क्र.	तहसील / ब्लॉक	क्षेत्रफल (कि.मी.)	जनसंख्या (2011)
1.	गुढ	332	127323
2.	हनुमना	978	254882
3.	हुजूर	673	479663
4.	जवा	753	215071
5.	मनगवां	591	216926
6.	मऊगंज	382	189711
7.	नईगढी	528	173041
8.	रायपुर कर्चुलियान	316	103346
9.	सेमरिया	410	156554
10.	सिरमौर	518	196736
11.	त्योंथर	822	251853

स्रोत – सांख्यिकीय विभाग रीवा

तालिका क्र. 3 द्वारा प्रदर्शित होता है कि तहसीलों में सबसे ज्यादा का क्षेत्रफल (978 कि.मी.) हनुमना तहसील की है एवं सबसे कम क्षेत्रफल (316 किमी.) रायपुर कर्चुलियसान तहसील की है। इसी प्रकार जनगणना 2011 के अनुसार रीवा जिले के तहसीलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या (254882) हनुमना तहसील की है तथा सबसे कम जनसंख्या (103346) नईगढी तहसील की है।

तालिका क्र. 4

रीवा जिले में रबी फसलों का उत्पादन

इकाई हजार टन

क्र	रबी फसल का नाम	2015–16		2016–17		2017–18	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	गेहूँ	390.00	303.56	580.00	494.80	445.50	397.01
2	जौ एवं अन्य अनाज	3.75	5.19	6.00	5.49	8.80	7.14
3	चना	60.00	55.44	88.20	80.26	94.25	82.84
4	मटर	1.40	0.62	0.70	1.06	1.13	0.98
5	मसूर	24.50	24.23	28.00	34.62	41.80	26.98
6	अन्य दलहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	सरसो/तोरिया	7.50	7.69	9.38	8.67	10.50	8.24
8	अलसी	8.00	7.63	8.00	11.09	12.75	6.71
	कुल योग	**495.15**	**404.36**	**720.28**	**635.99**	**614.73**	**529.90**

उपरोक्त तालिका क्र. 4 द्वारा स्पष्ट होता है कि रीवा जिले की रबी फसलों में से 2016–17 में गेहूं की लक्ष्य 580.00 हजार टन सबसे अधिक रखी गई जिसकी पूर्ति हेतु 494.80 हजार टन में फसल का उत्पादन किया गया एवं सबसे कम 2015–16 में 390. 00 का लक्ष्य रखा गया जिसकी पूर्ति 303.56 में किया गया, इसी प्रकार जौ एवं अन्य अनाज हेतु सबसे अधिक लक्ष्य वर्ष 2017–18 में 8.80 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 7.44 में उत्पादन किया गया, चना फसल हेतु सबसे अधिक लक्ष्य वर्ष 2017–18 में 94.25 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 82.84 में उत्पादन किया गया, मटर हेतु सबसे अधिक लक्ष्य वर्ष 2015–16 में 1.40 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 0.62 में उत्पादन किया गया, मसूर हेतु सबसे अधिक लक्ष्य वर्ष 2017–18 में 41.80 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 26.98 में उत्पादन किया गया, अन्य दलहन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, सरसों/तोरिया सबसे अधिक लक्ष्य वर्ष 2017–18 में 10.50 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 8.24 में उत्पादन किया गया, अलसी हेतु सबसे अधिक लक्ष्य वर्ष 2017–18 में 12.75 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 6.71 में उत्पादन किया गया एवं सबसे कम लक्ष्य वर्ष 2015–16 में 8.00 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 7.63 में उत्पादन किया गया।

तालिका 5

रीवा जिले में खरीफ फसलों का उत्पादन (इकाई हजार टन)

क्र	खरीफ फसल का नाम	2015–16		2016–17	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	धान	396.50	407.30	475.00	320.13
2	ज्वार	12.60	14.02	16.10	8.15
3	मक्का	4.80	3.68	7.00	0.79
4	बाजरा	1.10	0.33	1.25	0.30
5	कौदौ कुटकी/ अन्य	0.98	1.24	1.50	0.82

6	अरहर	31.50	24.40	36.00	22.01
7	मूंग	4.50	5.02	7.20	3.55
8	उरद	10.00	10.76	13.00	9.56
9	कुल्थी एवं अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
10	तिल	3.20	2.44	4.50	1.61
11	सोयाबीन	59.40	29.99	38.00	26.20
12	रामतिल	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मूंगफली	0.00	0.00	0.00	0.00
14	अन्य तिलहन	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**524.58**	**499.18**	**599.55**	**393.12**

उपरोक्त तालिका क्र. 5 द्वारा स्पष्ट होता है कि रीवा जिले की खरीफ फसलों में से 2015–16 में धान की लक्ष्य 396.5 हजार टन जिसकी पूर्ति हेतु 407. 3, इसी प्रकार ज्वार का लक्ष्य 12.6 जिसकी पूर्ति हेतु 14.02, में उत्पादन किया गया, मक्का फसल हेतु लक्ष्य में 4.80 जिसकी पूर्ति हेतु 3.68, बाजरा हेतु 1.10 जिसकी पूर्ति हेतु 1.25 में, कोदौ–कुटकी हेतु 0.98 जिसकी पूर्ति हेतु 1.24 में, अरहर हेतु 31.5 जिसकी पूर्ति 24.4 मूंग में 4.5 जिसकी पूर्ति हेतु 5.02 में, उड़द हेतु 10.00 जिसकी पूर्ति हेतु 10.76 में उत्पादन किया गया एवं कुलथी एवं अन्य में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, तिल में 3.2 जिसकी पूर्ति 2.44, सोयबीन 59.4 जिसकी पूर्ति 29.99, रामतिल, मूंगफली एवं अन्य तिलहन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। 2016–17 में धान का 475.0 का लक्ष्य रखा गया जिसकी पूर्ति 322.13 किया गया, ज्वार का लक्ष्य 16.10 एवं पूर्ति 8.15, मक्का का लक्ष्य 7.00 एवं पूर्ति 0.79, बाजरा 1.25 एवं पूर्ति 0.30, कोदौ–कुटकी हेतु 1.5 हजार टन रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 0.82 में अरहर हेतु 36.0 जिसकी पूर्ति 22.01 मूंग में 7.20 रखा गया जिसकी पूर्ति हेतु 3.55 में, उड़द हेतु 13.00 जिसकी पूर्ति हेतु 9.56 में एवं कुलथी एवं अन्य में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, तिल में 4.5 जिसकी पूर्ति 1. 61, सोयबीन 38.00 जिसकी पूर्ति 26.20, रामतिल, मूंगफली एवं अन्य तिलहन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष स्वरूप से कहा जा सकता है कि जिले में खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न दोनों ही उपजों का अधिकांश कृषक मण्डी मे विक्रय हेतु लाते है और जो भाग विक्रय हेतु मण्डी में नहीं लाया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग कृषक बीजी उपभोग एवं वस्तु विनिमय के लिये करते है। जिले में मण्डी द्वारा उपलब्ध कराए जानी वाली मण्डी सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। कृषि उपज मण्डी द्वारा विक्रय करने वाले कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकांश कृषक एवं व्यापारी कृषि उपज को मण्डी की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकांश कृषक एवं व्यापारी कृषि उपज को मण्डी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। मण्डी में विक्रय हेतु आने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, ज्वार, मक्का एवं दलहन फसलों में चना, मूंग उडद है। तिलहन में सोयाबीन, मूंगफली है। कृषकों को अभी भी मध्यस्थों से मुक्ति नहीं मिली है।

समस्या एवं सुझाव :– ''कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, यदि कृषि असफल रही है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों ही असफल रहते है'' आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान के बावजूद कृषि आज भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। किन्तु कुल राष्ट्रीय आय में इसका योगदान लगभग 22 प्रतिशत है। जबकि गैर कृषि क्षेत्र में कार्यरत 30 प्रतिशत जनसंख्या से कुल राष्ट्रीय आय का 78 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इस दृष्टि से भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है।

सर्वेक्षण के दौरान हमें जिले के कृषकों द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई

रीवा जिले में कृषि व्यवस्था में वृहद आधारभूत समस्याएँ तथा आर्थिक सुधार पर निर्माण का अभाव, जोतो का असमान वितरण, पिछड़ी तकनीक, यंत्रीकरण का सीमित क्षेत्र में प्रयोग तथा संस्थागत साख की न्यून भूमिका है। जिले में प्रत्येक स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिये प्रयासों की आवश्यकता है।

रीवा जिले की कृषि व्यवस्था के अध्ययन से हमें जिले की कृषि, समस्याओं के समाधान भी प्राप्त हुए है। जिले में ग्रामीण अंचलों की सड़कों से कृषकों की समस्या का समाधान, व्यापारियों की हम्मालों की, संस्थागत तकनीकी प्राकृतिक आदि सुविधाओं का विस्तार करना जिससे जिले का विकास हो सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

- जैन, एस.सी., (2018) ग्रामीण एवं कृषि विपणन, कैलास पुस्तक सदन, भोपाल।
- गंगराड़े, डॉ. साधना (2018), खेती के उन्नत तरीके, रबी फसलें, कृषक जगत पब्लिशर्स, भोपाल।
- श्रीवास्तव, संजय (2011), खेती के उन्नत तरीके, खरीफ फसलें, कृषक जगत पब्लिशर्स, भोपाल।
- मिश्रा, डॉ. जय प्रकाश (2014), कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
- आगे आओ, आगे पाओ, (2017) जनसंपर्क विभाग भेपाल।
- मिश्र, एस.के., पुरी, वी.के. पुरी (2012), भारतीय अर्थ्व्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
- अग्रवाल एन.एल. (2005) '' भारतीय कृषि अर्थतंत्र'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- अग्रवाल रतनलाल 2007 ''बजीत एवं परीक्षण'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- राय, करणा (2013), भारतीय कृषि विपणन, मित्तल पब्लिकेशन नई दिल्ली।
- अग्रवाल एन.एल. (2008) '' भारतीय कृषि का अर्थतंत्र'' राजस्थान (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी) जयपुर
- मिश्रा डॉ. जे.सी. दत्त एवं डॉ. जे.पी. (2010) भारतीय अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
- सिन्हा राजपाल (2010) एग्रीकल्चर एकोनोमिक्स वी.के. पब्लिकेशन नई दिल्ली।
- मिश्रा जे.पी. (2007) एग्रीकल्चर एकोनोमिक्स साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2007

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

बी.एड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति अभिवृति एवं समस्याओं का अध्ययन

नेहा शर्मा
शोधार्थी, महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान

Abstract :– प्रस्तुत शोध अध्ययन बी.एड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति अभिवृति एवं समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है। इस शोध कार्य का उद्धेश्य बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन करना एवं बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों, छात्राध्यापकों एवं विद्यालय शिक्षकों की अभिवृति और समस्याओं का अध्ययन करना था। इस शोध में न्यादर्श के रुप में जयपुर शहर के 200 छात्राध्यापकों, 50 शिक्षक प्रशिक्षकों एवं 50विद्यालय शिक्षकों का यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया। इस अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया शोधकर्त्री ने स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रदतों का संकलन किया। प्रदतों का विश्लेषण टी परीक्षण द्वारा किया गया। प्राप्त परीणामों में प्रदर्शित हुआ कि बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रति पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं है तथा बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापको, विद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं है।

मुख्य शब्द– बी.एड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप।

प्रस्तावना :– शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। चाहे आदिकाल रहा हो या अर्वाचीन रहा हो शिक्षक का स्थान तथा महत्त्व कभी कम नहीं रहा, क्योंकि अध्यापक, शिक्षा की ऐसी कड़ी है जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा एवं समाज को प्रभावित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का महत्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक है। एक शिक्षक में बालक को जानने की शक्ति, उसके साथ कार्य करने की सामर्थ्य, शिक्षण योग्यता व सहकारिता आदि गुणों का होना अति आवश्यक है अर्थात् शिक्षण कार्य वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसमें कुछ विशिष्ट शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांवेगिक गुण मौजूद हों।अतः शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदान की जाने वाली अध्यापकीय शिक्षा का भी बहुत महत्त्व है।

शिक्षक शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति में निहित आंतरिक क्षमताओं का विकास समग्र रूप से करने के साथ ही वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टि या संदर्भ में उपयोगी तथा संसाधन संपन्न व्यक्तित्व के लिए प्रयत्न किया जाता है। एक अच्छे शिक्षक के लिए न केवल कक्षा शिक्षण में प्रवीण होना आवश्यक है, बल्कि उसके एक शिक्षक के रूप में शिक्षक के अन्य दायित्वों के पालन में पारंगत होने की आवश्यकता है। परीक्षा एवं मूल्यांकन, अनुशासन, विद्यालय प्रशासन, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का संचालन समाज में शिक्षा की महत्ता की स्थापना जैसे कार्य भी शिक्षक को करने होते हैं, और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान उसे इन विभिन्न प्रकृति के कार्यों के संपादन के लिए तैयार करता है। शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र चुनौतीपूर्ण एवं विस्तृत है क्योंकि यह उन सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से संबंधित है जो किसी व्यक्ति को शिक्षक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वहन करने में समर्थ बनाता है।

शिक्षक केवल शिक्षण विधियों का ज्ञाता ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अपने स्कूल के बच्चों को, उनके सामाजिक–आर्थिक चाहिए परिवेश को तथा उसके सीखने की प्रक्रिया के संदर्भो को भी समझना चाहिए। शिक्षा में नवीन शैक्षिक पद्धतियों का जन्म हो रहा है। सूचना क्रांति के इस दौर में सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि नवीन सूचनाओं को शिक्षकों तक पहुँचाया जाए। शिक्षक–शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा प्रक्रियाओं को विविध प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए तथा शिक्षक की समाज में भूमिका दृष्टिगत करते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलते सामाजिक परिवेश के अनुरूप नवीन पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। शिक्षक विद्यालयों में मात्र अपनी कक्षा के अन्दर सीमित न रहे, बल्कि वो सारे बाह्य तत्व जो स्कूली शिक्षा को प्रभावित करते हैं उन्हें विद्यार्थियों के सीखने तथा समझने के संदर्भ में समझ सकें तथा एक शिक्षक समाज और विद्यार्थियों की

अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु स्वयं को संवर्द्धित कर सके इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। शिक्षक को अपने विषयगत ज्ञान के अलावा शिक्षण कला में निपुण होना भी आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जाता है। ताकि शिक्षकों के ज्ञान, कुशलता, अभिरूचि तथा क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम को शामिल किया गया है। स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य केवल एक विषय के पाठों की पाठ योजना बना कर प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए अपितु इसमें छात्राध्यापकों को संपूर्ण स्कूल के साथ कार्य करके उसके विभिन्न पहलुओं यथा बच्चे, कक्षा, कक्षाकक्ष प्रक्रिया बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, समाज आदि को समझने के अवसर मिलने चाहिए। द्विवर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्राध्यापक शिक्षा के सैद्धान्तिक पक्षों तथा शिक्षण कार्य को एक दूसरे की पृष्ठभूमि में समझ पाए तथा विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों में एक पूर्णकालिक शिक्षक की भाँति शिक्षण अनुभव प्राप्त करेंगे।

संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण

1. **पारीक, सुमन (2018)**ने ''लिंग एवं संकाय के आधार पर बी.एड पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक व प्रायोगिक कार्यक्रमों की सार्थकता का अध्ययन'' किया। इस अध्ययन का उद्वेश्य बी.ए पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्यक्रम के प्रति बी.एड विद्यार्थियो एवं बी.एड. शिक्षको की अभिवृति एवं अभिरूचि का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप मे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी. एड. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयो के 400 प्रशिक्षणार्थियो तथा 40 प्राध्यापको का चयन किया गया। आंकडो का सांख्यिकी विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लिंग एवं संकाय के आधार पर बी.एड. प्रशिक्षणार्थियो की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्यक्रम के प्रति अभिवृति मे सार्थक अंतर नही है तथा अभिरूचि मे भिन्नताएं थी। प्राध्यापको की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्यक्रम के प्रति समान अभिवृति पायी गयी।
2. **साहो, पी.के. एवं शर्मा, प्रियंका (2018)**ने ''स्टुडेन्ट टीचर्स परसेप्शन टुवड्र्स करीकुलम रिफॉर्म इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन ओडिशा'' पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन का उद्वेश्य विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापको की अनुभूति का अध्ययन करना था। न्यादर्श के रूप मे 300 छात्राध्यापको का चयन किया गया। न्यादर्श मे बी.एड., एम.एड. तथा डी. एल.एड के विद्यार्थियो को शामिल किया गया। आंकडो का वर्णनात्मक विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि छात्राध्यापको ने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रो के बारे मे सकारात्मक विचार व्यक्त किए है। छात्राध्यापको द्वारा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम मे सुधार की सराहना की गई।
3. **इरफान, फरजाना (2018)** ने, ''बी.एड. इंटर्नशिप के संदर्भ मे छात्राध्यापको के अभिमत का अध्ययन'' पर शोध किया। इस अध्ययन का उद्वेश्य बी.एड. द्विवर्षीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापको का विभिन्न संदर्भो मे अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए उदयपुर के 4 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयो के 40 छात्राध्यापको (बी.एड. द्वितीय वर्ष के) का चयन किया गया। शोध विधि के रूप मे सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकडो को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया। शोध निष्कर्ष मे यह प्राप्त हुआ कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय मे इंटर्नशिप आमुखीकरण की आवश्यकता है। इंटर्नशिप का मानदेय मिलना चाहिए।
4. **जसीना, डॉ. फातिमा (2018)** ने, ''रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल इंटर्नशिप ऑफ टु ईयर बीएड. प्रोग्राम एन एनालिसिस'' पर शोध अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्वेश्य प्रशिक्षणार्थियो की इंटर्नशिप एवं उससे संबंधित कार्यो के प्रति धारणाएं, चिंताओ और अभिवृति का अध्ययन करन था। न्यादर्श के रूप मे 250 शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को चयनित किया गया। प्रदत्तो को एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण विधि एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्रदत्तो के विश्लेषण के पश्चता यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि इंटर्नशिप के मामले मे पुनर्विचार की आवश्यकता है। अप्रभावी पाठ्यक्रम, उचित प्रशिक्षण की कमी, निष्पादन मे कठारता और इंटर्नशिप की अपर्याप्त अवधि आदि कई समस्या के कारण शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने मे विफल है।

समस्या कथन :– ''बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति अभिवृति एवं समस्याओं का अध्ययन।''

शोध के उद्देश्य :–

1. बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन करना।
2. बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापकों की अभिवृति का अध्ययन करना।
3. बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन करना।
4. बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति विद्यालय शिक्षको ंकी अभिवृति का अध्ययन करना।
5. बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
6. बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में लिंग भेद के आधार पर विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
7. बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षको को आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना :–

1. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।
3. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।
4. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के प्रति विद्यालय शिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।
5. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएं पाई जाती है।
6. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में पुरूष विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न समस्याएं पाई जाती है।
7. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में महिला विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न समस्याएं पाई जाती है।
8. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षकों के समक्ष विभिन्न समस्याएं पाई जाती है।
9. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्टर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली समस्याओं में सार्थक अंतर नहीं होता है।

तकनीकी शब्दावली :–

बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम :– पाठ्यक्रम पाठयवस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो विभिन्न आयु के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा निश्चित लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। प्रस्तुत शोध में बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम से तात्पर्य वर्तमान में बी.एड. प्रशिक्षण संस्थानो में संचालित नवीन द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम से है जिसे NCTE द्वारा वर्ष 2016 से लागू किया गया है।

इन्टर्नशिप कार्यक्रम :– किसी कार्य विशेष को कुशलता के साथ करने के लिए ज्ञान कुशलता अभिरूचि तथा क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण को इन्टर्नशिप कहते है। प्रस्तुत शोध में इन्टर्नशिप से तात्पर्य शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सेवा पूर्व विद्यालय वातावरण एवं परिस्थितियों से परिचित होना है तथा बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले इन्टर्नशिप कार्यक्रम से है जिसमें छात्राध्यापकों को विद्यालय में शिक्षण कार्य करना होता है।

अभिवृति :– अभिवृति किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है। प्रस्तुत शोध में अभिवृति से तात्पर्य बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं इन्टर्नशिप के प्रति दृष्टिकोण से है।

परिसीमन :–

- प्रस्तुत शोध कार्य को जयपुर जिले तक सीमित रखा गया हैं।

- प्रस्तुत शोध कार्य को राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक सीमित रखा गया हैं।
- प्रस्तुत शोध कार्य में जयपुर जिले के केवल बी. एड. कॉलेज एवं राजकीय विद्यालय को ही सम्मिलित किया गया हैं।
- प्रस्तुत शोध में बी.एड. प्रशिक्षणार्थी, विद्यालय शिक्षक एवं बी.एड. कॉलेज के व्याख्याताओं को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त विधि :– प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या :– प्रस्तुत शोध में जयपुर जिले के बी.एड. कॉलेज एवं राजकीय विद्यालय को जनसंख्या के रूप में चयनित किया गया है।

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श :–

क्र. सं.	न्यादर्श	संख्या
1-	छात्राध्यापक महिला पुरूष	200 100 100
2-	शिक्षक प्रशिक्षक	50
3-	विद्यालय शिक्षक	50

शोध में प्रयुक्त उपकरण :– प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित अभिवृति मापनी एवं प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी :– प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में सांख्यिकीय विधियो में मध्यमान, प्रमाणित विचलन एवं टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है–

परिकल्पना – 1 बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।

समूह	N	M	SD	टी–मूल्य
पुरूष	22	94	15.39	0.43
महिला	28	92.25	12.65	

व्याख्या :– उपर्युक्त सारणी से यह प्रतीत होता है कि पुरूष शिक्षक प्रशिक्षक एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों का मध्यमान क्रमशः 94 और 92.25 है तथा प्रामाणिक विचलन 15.39 और 12.65 है। जिसका ''टी मूल्य'' 0.43 है। स्वतंत्रता के अंश 48 पर टी तालिका का मान 2.01 है। टी का मूल्य तालिका में दिए गए मूल्य (2.01) से कम है। इस आधार पर परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।अर्थात् यह कहा जा सकता है कि बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रति पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना – 2 बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।

समूह	N	M	SD	टी–मूल्य
पुरूष	100	61.58	7.81	1.88
महिला	100	59.38	8.84	

व्याख्या :– उपर्युक्त सारणी से यह प्रतीत होता है कि महिला छात्राध्यापकों एवं पुरूष छात्राध्यापकों का मध्यमान 61.58 और 59.38 है तथा प्रामाणिक विचलन 7.81 और 8.84 है। जिसका ''टी मूल्य'' 1.88 है। स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी तालिका का मान 1.97 है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला एवं पुरूष छात्राध्यापकों की इंटर्नशिप के प्रति अभिवृत्ति का टी मूल्य टी का मूल्य 1.88 है जो कि 0.05 सार्थकता पर एवं स्वतंत्रता के अंश 198 पर प्राप्त टी तालिका मूल्य (1.97) से कम है अतः परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।अर्थात् बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति महिला एवं पुरूष छात्राध्यापकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना – 3 बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।

समूह	N	M	SD	टी–मूल्य
पुरूष	22	70.59	6.26	0.32
महिला	28	70	6.66	

व्याख्या :– उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों का मध्यमान 70.59 एवं 70 है तथा प्रामाणिक विचलन 6.26 एवं 6.66 है। जिससे टी मूल्य 0.32 प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के अंश 48 पर टी तालिका का मान 2.01 है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति का टी मूल्य 0.32 है जो 0.05 सार्थकता स्तर एवं df 48 पर तालिका मूल्य (2.01) से कम है अतः परिकल्पना को स्वीकृत

किया जाता है।अर्थात बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना – 4 बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति विद्यालय शिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं होता है।

समूह	N	M	SD	टी–मूल्य
पुरूष	15	53.46	5.80	0.39
महिला	35	52.62	8.94	

व्याख्या :– उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि पुरूष एवं महिला विद्यालय शिक्षकों के प्राप्तांकों का मध्यमान 53.46 एवं 52.62 है तथा प्रामाणिक विचलन 5.80 एवं 8.94 है जिसका टी मूल्य 0.39 है। स्वतंत्रता के अंश 48 पर टी का तालिका मान 2.01 है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुरूष एवं महिला विद्यालय शिक्षकों की इंटर्नशिप के प्रति अभिवृति का टी मूल्य 0.39 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर एवं 48 स्वतंत्रता के अंश पर प्राप्त टी तालिका मूल्य 2.01 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति विद्यालय शिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना – 5 बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समक्ष समस्यायें पाई जाती है।

व्याख्या :– उपर्युक्त परिकल्पना के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि छात्राध्यापकों को विद्यालय आवंटन प्रक्रिया जटिल लगती है। इंटर्नशिप के लिए आवंटित विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ा है। छात्राध्यापकों से केवल खाली कालांश एवं प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाया गया। छात्राध्यापकों को अपना शिक्षण विषय पढ़ाने के लिए नहीं दिया गया। राजकीय विद्यालय के शिक्षकों को सही जानकारी के अभाव में छात्राध्यापकों से निर्धारित कार्यों को नही करवाया जा रहा है। जिसके कारण छात्राध्यापकों को विद्यालय प्रशासन संबंधी कार्य को पूर्ण करने में परेशानी हो रही है। अधिकांश राजकीय विद्यालय का वातावरण इंटर्नशिप के लिए उपयुक्त नहीं है। विद्यालय शिक्षकों का इंटर्नशिप के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। विद्यालय शिक्षकों का इंटर्नशिप के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। विद्यालय शिक्षक छात्राध्यापकों को पाठ्यसहगामी गतिविधियों के आयोजन में सहयोग नहीं करते है। एक विद्यालय में अनेक विद्यालय के छात्राध्यापक इंटर्नशिप के लिए आते हैं जिसके कारण उन्हें समायोजन की समस्या होती है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता की अनुपस्थिति के कारण छात्राध्यापकों में असंतोष की भावना रहती है अर्थात कहा जा सकता है कि छात्राध्यापकों को इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

परिकल्पना :– 6 बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप कार्यक्रम में पुरुष विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न समस्याएं पाई जाती है।

व्याख्या :– उपर्युक्त परिकल्पना के आधार पर पुरूष विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम में होने वाली समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। पुरूष विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालय वातावरण में समायोजन की समस्या होती है। विद्यालय शिक्षक उन्हें सहयोग नहीं करते है। विद्यालय में छात्राध्यापकों से पाठ्यक्रम पूरा कराने को कहा जाता है। उनसे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इंटर्नशिप के लिए आवंटित विद्यालय की दूरी अधिक होने से परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। छात्राध्यापकों का मानना है सरकार को इसके लिए यात्रा भत्ता देना चाहिए। विद्यालय में अतिरिक्त कार्यो के कारण छात्राध्यापकों में तनाव उत्पन्न होता है।

परिकल्पना :– 7 बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप कार्यक्रम में महिला विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न समस्याएँ पाई जाती है।

व्याख्या :– उपर्युक्त परिकल्पना के आधार पर महिला छात्राध्यापकों के समक्ष इंटर्नशिप के दौरान आने वाली समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। महिला छात्राध्यापकों को विद्यालय आवंटन प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। इंटर्नशिप के लिए आवंटित विद्यालय की दूरी अधिक थी वहाँ तक पहुँचने के लिए यातायात के साधनों का अभाव था। विद्यालय का वातावरण इंटर्नशिप के लिए उपर्युक्त नहीं है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के अवसर नहीं दिए गए। विद्यालय शिक्षकों को इंटर्नशिप की जानकारी न होने के कारण निर्धारित कार्यो को पूरा करना कठिन था। महिला छात्राध्यापकों का मानना है कि सरकार द्वारा इंटर्नशिप के लिए मानदेय दिया जाना चाहिए। विद्यालय शिक्षकों के साथ समायोजन की

समस्या हुई। छात्राध्यापिकाओं से माध्यमिक कक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य करवाया गया।

परिकल्पना :– 8 बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षकों के समक्ष विभिन्न समस्याएँ पाई जाती है।

व्याख्या :– बी.एड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के तहत होने वाले इंटर्नशिप कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराते हुए एक पूर्णकालिक शिक्षक की भाँति शिक्षण का अनुभव प्राप्त कराना है। लेकिन इंटर्नशिप कार्यक्रम के कारण विद्यालय शिक्षकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय शिक्षकों को इंटर्नशिप के विषय में सामान्य जानकारी नहीं थी। इंटर्नशिप के दौरान छात्राध्यापकों द्वारा किये जाने वाले निर्धारित कार्यों के संबंगध में जानकारी नहीं थी। एक विद्यालय में कई महाविद्यालय के छात्राध्यापकों द्वारा इंटर्नशिप करने से विद्यालय में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। विद्यालय शिक्षकों का कार्य भार बढ़ जाता है, वे मानसिक दबाव महसूस करते हैं विद्यालय शिक्षकों का मानना है कि इंटर्नशिप विद्यालय गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका विद्यालय समय–सारणी का तालमेल नहीं होता है। छात्राध्यापक विद्यालय वातावरण में समायोजित नहीं हो पाते है। बी.एड. महाविद्यालय का सहयोग न होने के कारण छात्राध्यापक अनुशासनहीन हो जाते हैं। विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में छात्राध्यापक रूचि नहीं रखते हैं। विद्यालय शिक्षकों के अनुसार इंटर्नशिप एक जटिल प्रक्रिया है।

परिकल्पना :– 9 बी.एड़ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली समस्याओं में सार्थक अंतर होता है।

समूह	N	M	SD	टी–मूल्य
पुरूष	100	19.33	5.77	0.52
महिला	100	19.05	4.55	

व्याख्या :– उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि पुरूष एवं महिला छात्राध्यापकों के प्राप्तांकों का मध्यमान 19. 33 एवं 19.05 है तथा प्रामाणिक विचलन 5.77 एवं 4. 55 है जिसका टी मूल्य 0.52 है। स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी का मान 1.97 है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुरूष एवं महिला छात्राध्यापकों को इंटर्नशिप में आने वाली समस्याओं के लिए प्राप्त टी मूल्य 0.52 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर एवं 198 स्वतंत्रता के अंश पर प्राप्त टी मूल्य 1.97 से कम है।अतः शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली समस्याओं में सार्थक अंतर नहीं होता हैं।

शैक्षिक निहितार्थ :–

- प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वारा बी.एड. छात्राध्यापकों की इंटर्नशिप के प्रति अभिवृति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा
- प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से छात्राध्यापकों की इंटर्नशिप से संबधित समस्याओं को जानकर उनका समाधन किया जा सकेगा।
- इंटर्नशिप कार्यक्रम में अपेक्षित सुधार किये जा सकता है।
- बी,एड महाविद्यालय एवं राजकीय विद्यालय आपसी सहयोग से इंटर्नशिप कार्यक्रम को ओर अधिक प्रभावी बना सकते है।
- भविष्य में बी.एड. पाठ्यक्रम में अपेक्षित परिवर्तन करके उसकी विषय वस्तु को अधिक समृद्व बनया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध निष्कर्षो से नीति निर्माताओं को भविष्य में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता मिलेगी ।
- शिक्षक प्रशिक्षण छात्राधयापकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिरुचि विकसित कर पायेंगे।
- छात्राध्यापकों में इंटर्नशिप के प्रति अभिरुचि विकसित कर सकते है।
- इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यालय शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
- विद्यालय शिक्षकों में इंटर्नशिप के प्रति सकरात्मक दृष्टिकोण विकसित कर पायेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भार्गव, महेश. (2006). आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन. कचहरी घाट आगराः पुस्तक प्रकाशन.
2. द्विवेदी, डॉ. रोली, (2016). ज्ञान तथा पाठ्यक्रम आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स

3. इरफान,फरजाना.(2018).बी.एड.इंटर्नशिप के संदर्भ में छात्राध्यापकों के अभिमत का अध्ययन : Remarking an Analisation, Vol. 2 (12), ISSN .2394-0344.(March.2018).
4. जसीना, डॉ. फातिमा .(2018). रिफ्लेक्शन ऑफ स्कूल इंटर्नशिप ऑफ टु ईयर बी.एड प्रोग्राम एन एनालिसिस. International Journal of Applied Research vol. 4(11), ISSN. 2394-7500. PP. 43-45.(2018).
5. कपिल, एच. के.(1995). अनुसंधान विधियाँ. मेरठः भार्गव भवन
6. पारीक, सुमन. (2018). लिंग एवं संकाय के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक व प्रायोगिक कार्यक्रमों की सार्थकता का अध्ययन. Journal of Modern Management & Enter Preneurship (JMME), Vol. 8 (2), ISSN. 2231-1671x. pp. 448-452. (April. 2018)-
7. साहो, पी.के. एवं शर्मा, प्रियंका. (2018). स्टूडेन्ट टीचर्स परसेप्शन टुवर्ड्स करीकुलम् रिफॉर्म इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन ओडिशा. Educational Quest : An International Journal of Education and Applied Serial Science, Vol. 9 (1), pp. 1-11. (Apl. 2018).
8. शर्मा, आर. के व अन्य. (2016), ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, आगरा : राधा प्रकाशन मन्दिर (प्रा.)
9. यादव, सतीश कुमार. (2009). अध्यापक शिक्षा–समस्याएँ एवं चुनौतियाँ भारतीय. आधुनिक शिक्षा. नई दिल्ली

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

लोक एवं जनजातीय साहित्य एवं संस्कृति (म.प्र. की कोल जनजाति के खान पान, सौन्दर्य प्रसाधन एवं जीवन शैली के संदर्भ में)

श्रीमति विभा पाण्डेय
शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

लोक साहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से होता है जिसकी रचना साधरण जनता अर्थात लोक द्वारा की जाती है। लोक जीवन विशिष्ट जीवन से पृथ्क होता है इसलिए जनसाहित्य का आदर्श विशिष्ठ साहित्य से पृथ्क होता है। जनजातीय साहित्य मे उन सभी प्रवृत्तियो का समावेश होता है जो जनजातीय जीवन से जुड़ी होती हैं। जनजातीय जीवन सरल तथा सहज होता है। इसलिए जनजातीय साहित्य मे कही भी कृत्रिमता या दिखावा नही होता है। जनजातीय साहित्य की रचना में किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा समूचे जनजातीय समाज का योगदान होता है ! जनजातीय साहित्य अधिकांशतः मौखिक होता हैं। यह लोक कथाओ, लोकगीतो, लोकनाटय तथा लोक गाथाओ के रुप में पाया जाता हैं। जनजातीय संस्कृति की झलक जनजातीय समाज में द्रष्टि गोचर होती हैं।

म.प्र. की कोल जनजाति जो सर्वाधिक संख्या मे म.प्र. के 'बघेलखंड़' अंचल के जबलपुर रीवा, सीधी, सतना, शहडोल मडंला आदि स्थानो पर प्रमुख रुप से निवास करती हैं।[1] म.प्र. के कोल अपना मूल निवास रीवा के फरेन्दा गॉव को मानते है। कोल मुण्डा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। कोलो की उत्पत्ति के सम्बंध में पौराणिक आख्यानो से जानकारी मिलती है। हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, मतस्य पुराण में इनकी जानकारीं मिलती है।

कोल रामायण कालीन शबरी को अपनी माता मानते है स्वयं को शबरी का वंशज बताते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरित मानस में कोल जनजाति का उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने लिखा हैं–

"कोल किरात वेश सब आए,
रचे चरण तृण सदन सुहाए"2.

अर्थात – जब देवताओ को इस बात की जानकारी होती है कि भगवान राम वन में आए है तो देवताओ ने कोल तथा भीलो का रुपधरकर भगवान के पास आए और उन्होने (दिव्य) पत्तो और घासो के सुन्दर घर बना दिये।

तुलसीदास जी ने कोल वनवासी के सम्बध में वर्णन किया हैं –

यह सुधि कोल किरातन्ह पाई,
हर षे जनु नव – निधि घर आई।
कंद मूल फल – भरि – भरि दोना ।
चले रंक जनु लूटन सोना ।। 3

अर्थात – जब श्री रामजी के आगमन का समाचार कोल–भीलो ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नव निधियॅा उनके घर पर आ गई हो वे पत्तो के दोनो मे कंद–मूल फल भर – भरकर चले। मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। कोल जनजाति की संस्कृति की झलक उनके खान – पान, रहन, सहन नृत्यगान उत्सवो में देखने को मिलती है।

कोल मुख्य रुप से कृषि कार्यो पर निर्भर है तथा ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनो होते है मौसमी शाक– भाजी को भोजन के रुप में ग्रहण करते है साथ ही मदिरा का सेवन करते है अत्यधिक अभावग्रस्त होने के बावजूद इनमें जीवन के प्रति उत्साह दिखई देता हैं ये अपने प्रत्येक पर्व उत्सव को अत्यधिक खुशी के साथ मनाते है। नृत्यगान इनके जीवन का अभिन्न अंग है। कोलो का प्रसिद्व नृत्य कोलदहका नृत्य है यह कोलो का पारम्परिक नृत्य है। जन्म, छठी, पूजन, विवाह, पर्व आदि उत्सवो पर कोल जन जाति द्वारा किया जाता है। कोल के नृत्यगान पर्व उत्सव मे हमे कोल संस्कृति की झलक देखने को मिलती है ! कोलो के साहित्य का भंडार उनकी कहावतो मे देखने को मिलता है यद्यपि जनजातीय साहित्य अधिकांशतः मौखिक भाषा मे मिलता है अर्थात् जनजातियॉं पिछडी हुई हैं इनमें शिक्षा का अभाव है जिसके कारण इनका साहित्य लिखित रुप मे कम मात्रा में मिलता हैं। कोलो की वाचिक परम्परा मे पहेलियो, कहावतो कथाओ और उनके गीतो का अकूत भंडार है कोल जनजाति में बहुत सारी बातो को पहेलियों के रुप में बोला जाता हैं। कोल जनजाति में कुछ प्रचलित पहेलियां इस प्रकार है।

जैसे – 1. टेडी–मेढ़ी लकड़ी
पहाड़ चढ़ी जाए (उत्तर –धुऑ)
2. ओल है। गोल हैं।

लोहन से लडत हैं (इसका उत्तर सुपाडी है। सुपाडी देखने में गोल है और उसे सरोते से कॉटा जाता है।)

कोल जनजाति मे बोलचाल मे कहावतो का प्रचलन है। कहावतो का शब्दिक अर्थ है कही हुई बात इसके माध्यम से अर्थ पूर्ण बात को छोटे शब्दो में कह दिया जाता है जैसे मुफत का चंदन, घिस मोरे नंदन अर्थात् दूसरो के समान का अपव्यय करना।

पैसा ना कवडी, दॉंत लेई धवडी अर्थात् स्वयं के पास 'रुपये न होना और लेने की इच्छा रखना इस प्रकार कोल जनजाति की वाचिक परम्परा में उनके समाज में प्रचलित कथा तथा कहानियॉ उनकी जातीय संस्कृति की संवाहक हाती हैं।

निष्कर्ष :– इस प्रकार हम देखते है कि कोल जनजाति की संस्कृति की झलक उनक खान– पान सौदंर्य प्रसाधन और जीवन शैली मे स्पष्ट दिखाई देती है। कोल जन जाति मे प्रचलित कहावतों मुहावरो तथा उनके गीतो मे उनकी संस्कृति की स्पष्ट छाप है ! जो सदियो से परम्परागत रुप से चली आ रही है और अपनी परम्परा को बनाए हुऐ है उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है ! इनकी कहावतो, कहानियो का मूल उद्देश्य मनोरंजन होने के साथ – साथ समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उनका मार्गदर्शन करती है उनकी कथाओ में यथार्थ और कल्पना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये कहावते, मुहावरे तथा कहानियॉ लोक साहित्य में अभिवृद्धि करती है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. सम्पदा – म.प्र. की जनजातीय सांस्कृतिक परम्परा का साक्ष्य – कोल– महेशचन्द्र शांडिल्य
2. रामचरित मानस /अयोध्याकांड /दोहा / 133 (4)
3. रामचरित मानस / अयोध्याकांड/ दोहा ! 135 (1) पृष्ठ क्र. 440
4. म.प्र. की जनजातीय संस्कृति – डा0 शिवकुमार तिवारी

ISSN : 2394-3580 **Swadeshi Research Foundation** Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

प्रदूषित जल का मानवीय शरीर एवं पर्यावरण तंत्र पर विभिन्न प्रभाव

डॉ. बी.एल. शर्मा
निर्देशक, पूर्व प्राध्यापक (विधि), शास. माधव कला, वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन
बीरेन्द्र कुमार बड़गईयाँ
शोधार्थी

प्रदूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर सीधा असर हो रहा है। परिणामस्वरूप खतरनाक असाध्य एवं खतरनाक बिमारियों के कारण मनुष्य की औसत आयु कम होती है, और देश की भावी पीढ़ी प्रदूशित जल पीने के कारण उसका विकास अवरूद्ध हुआ है। परिणाम स्वरूप स्वस्थ्य एवं श्रेष्ठ नागरिक के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र के लिए अपूर्णनीय क्षति का कारण बनता है। प्रदूषित जल के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही है। जिसके कारण क्रेंसर, चर्मरोग, उदररोग, आंखों की रोशनी कम होना, बाल झड़ना एवं सफेद होना ऐसी अनेक बीमारियों का औसत समाज में तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। यह शोध कार्य राष्ट्रीय समस्याओं को ध्यान आकर्षित होने के कारण का अपने सुझाव निष्कर्ष के रूप में किया गया है।

राष्ट्रीय और अंतर्राश्ट्रीय विधियाँ शोध पत्र, आलेख, पत्रिका के अध्ययन करने पश्चात् यह प्रतीत होता हैं कि संपूर्ण विश्व सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और प्रदूषित पर्यावरण का सीधा प्रभाव मानवीय स्वास्थ्य पर पढ़ता है। भारतीय संविधान के भाग – 3 मौलिक अधिकार एवं भाग – 4 नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं की सोंच कहीं न कहीं राष्ट्र के नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाने की रही हो मगर कोई भी न्याय चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनैतिक यह तब तक इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है जब तक की समाज बनाने वाले व्यक्तियों को उनकी जीवन की मौलिक आवश्यकताओं भोजन, मकान एवं स्वस्थ्य पर्यावरण, स्वच्छ जल की सुविधाएँ उपलब्ध न कराई जाए। इन मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सर्वोच्च न्यायालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा समय–समय पर अपने निर्णयों के साथ राज्य पर यह दायित्व निर्धारित किये की वह अपने समस्त नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषित रहित जल रोटी, कपड़ा, मकान शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वच्छ वातावरण एवं जल संरक्षण एवं शुद्ध जल की व्यवस्था करे तथा इनसे प्रेरित होकर एवं संविधान की मूल भावना को समझते हुए केन्द्र/राज्य सरकारों ने अनेको योजनाएँ बनाई हैं। जिसमें राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2012, सर्व शिक्षा अभियान, सभी सिनेमाघरों में फिल्म दिखाये जाने के पहले पर्यावरण जागरूकता दिखाया जाना, विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जानकारी देना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान के अंतर्गत शौचालय अभियान, गंगा सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम, त्वरीत जल आपूर्ति कार्यक्रम, वरिष्ठ बीमा योजना, सार्वभौमिक बीमा योजना, विश्व जल दिवस आदि योजनाऐं को जल प्रदूषित के नियंत्रण एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए योजनाऐं चलाई गई जिसके माध्यम से जीव जगत को प्रदूषित मूक्त पर्यावरण एवं स्वच्छ जल जो मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा सके।

भारत एक गरीब लोगो को अमीर देश है जहाँ एक ओर भारत विश्व की चौथी अर्थव्यस्था के रूप में स्थापित हैं। तो वहीं देश के अधिकांश नागरिक अपनी मौलिक सुविधाओं अर्थात् रोटी, कपड़ा, मकान शिक्षा व चिकित्सा पाने की संर्घषता व भारत विकासशील देशों की श्रेणी में जिस गति से औद्योगीकरण, नगरीकरण होने के कारण पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। उपरोक्त समस्या की गंभीरता को देखते हुवे माननीय सर्वोच्च न्यायालय व समय–समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाई है। और साथ ही अनुच्छेद 21 में सामाहित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मानव को गरीमामय व सार्थक जीवन जीने से जिसमें प्रदूषित रहित वातावरण भी शामिल हैं। प्रदूषित जल व वायु का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित हैं जिससे संरक्षण के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किये।

संविधान की अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य अपने लोगों को पोशाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार अपने प्राथमिक

कर्तव्य होगा। उनके लोक स्वास्थ्य के सुधार का प्रयास करेगा तथा इसे अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा।

अनुच्छेद 48 क पर्यावरण सरंक्षण तथा वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 42 वॉ संविधान संशोधन में अंतःस्थापित कर इसमें राज्य पर यह संविधानिक दायित्व डालता है कि वह ऐसी नीतियाँ बनाये जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके तथा वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में विशेष विधियों का निर्माण कर सकें।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 51 ए (जी) इस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक पर यह संविधानिक मूलभूत कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।

किसी भी देश में जल विधि के विकास या विधि अधिनियम करने के पीछे तार्किक एवं प्रबल उद्देश्य जल संरक्षण तथा शुद्ध जल की उपलब्धता होती है। ऐसे में यद्यपि कानून के उपबंध इसमें विनियमन का कार्य कर रहे हैं पर कुछ सामाजिक और नागरिक कर्त्तव्य के आभार में अनुरोध है कि सभी व्यक्ति जल संरक्षण के उपाय अपना कर प्राकृतिक जल का संरक्षण कर सकता है। जल संरक्षण हेतु कुछ सरल वैज्ञानिक उपायों को निम्न रूप में अपनाया जा सकता है। जैसे वर्षा जल प्रबंधन और मानसून प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इससे जुड़े शोध कार्यो को प्रात्साहित किया जाना चाहिए। जल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कम जल शोधक तथा उच्च पैदावार वाले खाद्य बीजों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल भंडारण, जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्षा जल भंडारण के लिए तालाबों तथा कुँओ का प्रयोग किया जाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्तमान समय में उच्च एवं आदर्श वैज्ञानिक पद्धति हैं जिसमें जल संरक्षण को कारगर तरिके से किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सतह के रिसाव से भू–जल का स्तर स्वतः बढ़ता है परन्तु बढ़ते कंक्रीट के सतह से इसमें कमी आई है ऐसे में हम अपने घर, मैदान में कुछ प्राकृतिक अवस्था मे जमीन को छोड़कर वहाँ जल प्रबंध करें जहाँ से जल रिसाव होकर भूमिगत स्तर पर पहुँचेगा। नलकूपों द्वारा रिचार्जिग–छत से एकत्र पानी को स्टोरेज टैंक तक पहुंचाया जाता है। स्टोरेज टैंक का फिल्टर किया हुआ पानी नलकूपों तक पहुंचाकर गहराई में स्थित जलवाही स्तर को रिचार्ज किया जाता है। इस्तेमाल न किए जाने वाले नलकूप से भी रिचार्ज किया जा सकता है। गड्ढे खोदकर–ईटों के बने ये किसी भी आकार के गड्ढे का मुंह पक्की फर्श से बंद कर दिया जाता है। इसकी तलहटी में फिल्टर करने वाली वस्तुंए डाल दी जाती है। सोक वेज या रिचार्ज साफ्ट्स– इनका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां की मिट्टी जलोढ़ होती है। इसमें 30 सेमी व्यास वाले 10 से 15 मीटर गहरे छेद बनाए जाते है। इसके प्रवेश द्वार पर जल एकत्र होने के लिए एक बड़ा आयताकार गड्ढ़ा बनाया जाता है। इसका मुंह पक्की फर्श से बंद कर दिया जाता है। इस गड्ढ़े में बजरी, रोड़ी बालू, इत्यादि डाले जाते हैं। रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग– इस प्रणाली के तहत बारिश का पानी जहां गिरता है वहीं उसे एकत्र कर लिया जाता है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग में घर की छत ही कैचमेंट क्षेत्र का काम करती है। बारिश के पानी को घर की छत पर ही एकत्र किया जाता है। इस पानी को या तो टैंक में संग्रह किया जाता है या फिर इसे कृत्रिम रिचार्ज प्रणाली में भेजा जाता है। यह तरीका कम खर्चीला और अधिक प्रभावकारी है। ऐसे करें रूफ टॉप हार्वेस्टिंग वह सतह जहां बारिश का पानी सीधे गिरता है उसे रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कैचमेंट कहते है। यह किसी मकान की छत, आंगन या कच्चा या पक्का खुली सतह भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन–छत के पानी को पाइपों के माध्यम से नीचे स्टोरेज/हार्वेस्टिंग सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। फर्स्ट फ्लश यह पहली बारिश के पानी को बाहर निकालने वाला उपकरण होता है। पहली बारिश में वायुमंडल और छत के प्रदूषक तत्व मौजूद हो सकते है। इसलिए इस पानी को बाहर निकालना होता है। फिल्टर–रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम में यह शंका उठती है कि कहीं बारिश का पानी भू–जल को प्रदूषित न कर दे। लिहाजा इससे बचने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार होने वाली बारिश के पानी को बाहर निकालने के बाद होने वाली सभी बारिश के पानी को छानने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता हैं। यह आज की जरूरत है कि हम पूर्ण वर्शा जल का संचय करे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि बारिश की एक ही बूंद व्यर्थ न जाए। इसके लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आवश्यकता इसे और विकसित व प्रोत्साहित करने की है। इसके प्रति जनजागृति और जागरूकता को भी बढ़ाना समाज की जरूरत है।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

जल जीवन का आधार है और यदि हमें जीवन को बचाना है, तो हमें जल संरक्षण और संचय के उपाय करने ही होंगे। जल की उपलब्धता घट रही है और मारामारी बढ़ रही है। ऐसे में जल संकट का सही समाधान खोजना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बनती है और हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ऐसी ही जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। जल के स्रोत सीमित हैं। नये स्रोत हैं नहीं, ऐसे में जल स्रोतों को संरक्षित रखकर एवं जल का संचय कर हम जल संकट का मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी भोगवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और जल के उपभोग में मितव्ययी बनना पड़ेगा। जलीय कुप्रबन्धन को दूर कर भी हम इस समस्या से निपट सकते हैं। यदि वर्शा जल का समुचित संग्रह हो सके और जल की प्रत्येक बूँद को अनमोल मानकर उसका संरक्षण किया जाए, तो कोई कारण नहीं कि वैश्विक जल संकट का समाधान न ढूँढ़ा जा सके। जल संकट से निपटने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव यहाँ बिन्दुवार दिये जा रहे हैं–

प्रत्येक फसल के लिए इष्टतम जल आव यकता का निर्धारण किया जाना चाहिए और तदनुसार सिंचाई की योजना बनानी चाहिए। सिंचाई कार्यों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसी पानी की कम खपत वाली प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषि में मार्जिनल व द्वितीयक गुणवत्ता वाले पानी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में। इस सम्बन्ध में शोधित घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल में प्रचुर सम्भावनाएँ हैं। हालांकि ऐसा करते हुए उत्पादित खाद्य सामग्री की सुरक्षा (गुणवत्ता) तथा खेतों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने होंगे।

विभिन्न फसलों के लिए पानी की कम खपत वाले तथा अधिक पैदावार बीजों के लिए अनुसन्धान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे खाद्य उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें पानी का कम प्रयोग होता हो, खाद्य पदार्थों की अनावश्यक बर्बादी में कमी लाना भी आवश्यक है। विश्व में उत्पादित होने वाला लगभग 30 प्रतिशत खाना खाया नहीं जाता है और यह बेकार हो जाता है। इस प्रकार, इसके उत्पादन में प्रयुक्त हुआ पानी भी व्यर्थ चला जाता है।

जल संकट से निपटने के लिए हमें वर्षा जल भण्डारण पर विशेष ध्यान देना होगा। वाष्पन या प्रवाह द्वारा जल खत्म होने से पूर्व सतह या उपसतह पर इसका संग्रह करने की तकनीक को वर्षा जल भण्डारण कहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस तकनीक को न सिर्फ अधिकाधिक विकसित किया जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपनाया भी जाए। सतही जल की कमी से निपटने का सबसे कारगर तरीका यही है। इससे भूगर्भीय जल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। यह एक ऐसी आसान विधि है, जिसमें न तो अतिरिक्त जगह की जरूरत होती है और न ही आबादी के विस्थापन की। इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है तथा पर्यावरण भी सन्तुलित रहता है। बंद एवं बेकार पड़े कुँओं, पुनर्भरण पिट, पुनर्भरण खाई तथा पुनर्भरण शॉफ्ट आदि तरीकों से वर्षा जल का बेहतर संचय कर हम पानी की समस्या से उबर सकते हैं

वर्षा जल प्रबन्धन और मानसून प्रबन्धन को बढ़ावा दिया जाए और इससे जुड़े शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए। जल शिक्षा को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में जगह दी जाए।

जल प्रबन्धन और जल संरक्षण की दिशा में जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास हों। जल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए तथा जल संकट से निपटने में इनकी सेवाएँ ली जाएँ। पानी के उपयोग में हमें मितव्ययी बनना होगा। छोटे–छोटे उपाय कर जल की बड़ी बचत की जा सकती है। मसलन, हम दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी बिल्कुल भी न करें और एक–एक बूँद पानी की बचत करें। बागवानी जैसे कार्यों में भी जल के दुरुपयोग को रोकें। औद्योगिक विकास और व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में जल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए तथा इस प्रकार होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े व पारदर्शी कानून बनाये जाएँ। जल संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। जब पर्यावरण बचेगा, तभी जल बचेगा। पर्यावरण असन्तुलन भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियर मीठे पानी के अच्छे स्रोत हैं। ये बिगड़ते पर्यावरण के कारण सिकुड़ने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2030 तक ये ग्लेशियर काफी अधिक सिकुड़ सकते हैं। इस तरह हमें जल क्षति भी होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें वानिकी को नष्ट होने से बचाना होगा।

हमें ऐसी विधियाँ और तकनीकें विकसित करनी होंगी, जिनसे लवणीय और खारे पानी को मीठा बनाकर उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए हमें विशेष रूप से तैयार किये गये वॉटर प्लाण्टों को स्थापित करना होगा। चेन्नई में यह प्रयोग बेहद सफल रहा, जहाँ इस तरह के स्थापित किये गये वॉटर प्लाण्ट से रोजाना 100 मिलियन लीटर पीने योग्य पानी तैयार किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1990)1 एस.सी.सी. 598
2. पर्यावरण ऊर्जा टाइम : मार्च–2008 (रायपुर संस्करण), पृ.–11.
3. वी. वी. एस. कपूर (2002), भारतीय संस्कृति, धर्म एवं पर्यावरण, पृ.–67.
4. शिवानन्द नौटियाल (2004), पर्यावरण : समस्या और समाधान, पृ.–319.
5. हिन्दुस्तान, दिनांक–04 जून, 2010.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

कैमूर जिला में प्रमुख खाद्यानों का शस्य सांद्रण

प्रतिभा सिंह
शोधार्थी, स्नात्कोत्तर भूगोल विभाग, राँची, विश्वविद्यालय, राँची

सारांश :– प्रस्तुत शोध–पत्र बिहार राज्य के कैमूर जिले के शस्य सान्द्रण का अध्ययन है। यह कैमूर जिला के कृषि विभाग से वर्ष 2016–17 के लिए फसल प्रारूप के संदर्भ में प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन में कैमूर के शस्य सांद्रता के मान में केवल प्रमुख खाद्य फसलों चावल और गेहूँ को ही सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये दो फसलें ही कृषीय स्वामित्व की दृष्टि से जिले में प्रधान फसल है। प्रत्येक प्रखण्ड के लिए शस्य सांद्रण की गणना के लिए फ्लोरेंस (1948) जिसका बाद में प्रयोग भाटिया (1965) द्वारा किया गया कि स्थिति लब्धि विधि का उपयोग किया गया है। इस स्थिति लब्धि मानों से जिले में गेहूँ तथा धान की सांद्रता के स्थानिक वितरण की जानकारी मिलती है।

विश्लेषण से पता चलता है कि कैमूर जिला के छः प्रखण्डों रामपुर, भगवानपुर, कुदरा, चैनपुर, रामगढ़ तथा चांद का योगदान चावल उत्पादन में अधिक है। वहीं पांच प्रखण्डों मोहनिया, नुआंव, भभुआ, रामगढ़ तथा कुदरा का गेहूँ के उत्पादन में अधिक है। वहीं दक्षिणी भाग में स्थित अधौरा प्रखण्ड में गेहूँ एवं चावल दोनों के लिए शस्य सांद्रता निम्न है।

कूट शब्द :– सांद्रता, लब्धि, शस्य, सांद्रण।

परिचय : कृषि के किसी तत्व के सकेन्द्रण से अभिप्राय यह है कि, किसी तंत्र में तत्व विशेष का सकेन्द्रण या घनत्व कितना है (आलका गौतम – 2009) दूसरे शब्दो में फसल – संकेन्द्रण से तात्पर्य किसी फसल को अधिकतम सघनता से नियत स्थान व समय पर उत्पन्न करने से हैं प्रायः फसल की सघन उत्पत्ति किसी क्षेत्र में समय विशेष पर कम अधिक होती रहती हैं। यह वहां के धरातल, ताप, आर्द्रता, और मिट्टी की दशाओ पर निर्भर है। प्रत्येक फसल के लिये एक अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम चाहिये और जिस क्षेत्र में कृषि जलवायु, दशाये श्रेष्ठ रूप से होती है, फसल अधिक सघनता तथा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। जैसे भौगोलिक दशाये कम सहायक होती हैं, फसल सघनता में कमी आती है। फसल सकेन्द्रण क्षेत्र के निर्धारण से यहा पता चलता है कि अमुक फसल न्यूनतम लागत मे भी वहां अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसकी जानकारी कृषि विकास तथा नियोजन के लिये महत्वपूर्ण होती है।

अध्ययन क्षेत्र :– अध्ययन क्षेत्र 1991 में गठित बिहार राज्य का सबसे दक्षिणी पश्चिमी जिला है। जिसका अक्षांशीय विस्तार, $25^{0}20'$ उत्तरी अक्षांस से $25^{0}54'$ उत्तरी अंक्षास $83^{0}20'$ पूर्वी देशान्तर से $83^{0}40'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊचाई 76 मीटर है। यह बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला हैं। कैमूर जिला बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्र अतर्गत शामिल है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसमें कुल दो अनुमण्डल तथा कुल ग्यारह प्रखण्ड है। इसके पश्चिम उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर तथा चंदौली जिला, उत्तर में बिहार का बक्सर जिला तथा पूर्व और दक्षिण में रोहतास से घिर है। इसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई 94 किमी तथा पूर्व से पश्चिम 52 किमी चौड़ाई है। यहां की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 16,26,384 है तथा घनत्व 488 व्यक्ति प्रति किमी है।

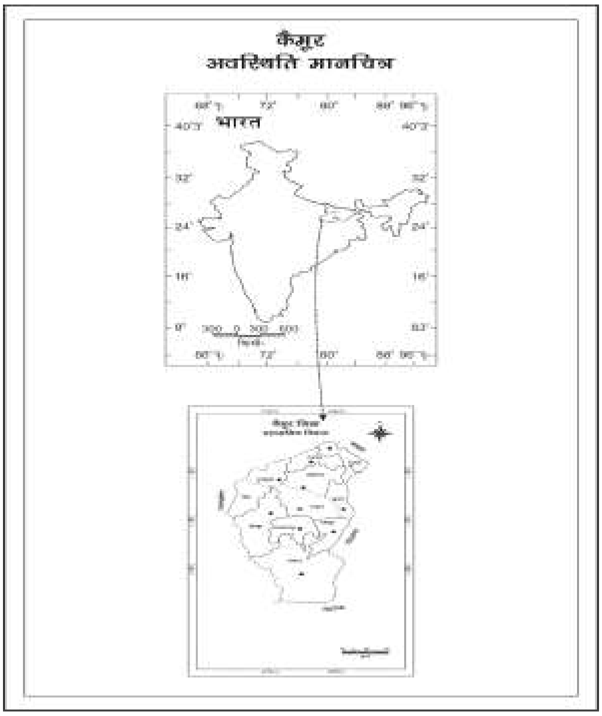

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कैमूर जिला के शस्य सकेन्द्रण का अध्ययन करना है, जिसका उपयोग जिले में भावी नियोजन एवं कृषि विकास हेतु किया जा सके।

विधि तंत्र : प्रमुख लेख क्षेत्रीय अध्ययन के क्रम में कैमूर जिला मुख्यालय के कृषि विभाग से प्राप्त आंकडो की समीक्षा के पश्चात् सामने आया है, और इसकी स्पष्टता के लिए विभलेषणात्मक एवं विवेचनात्मक विधितंत्र का प्रयोग किया गया है। विभिन्न विद्वानो फ्लोरेंस (1948) चिभोल्म (1962) भाटिया (1965) और जसवीर सिंह, (1976) आदि द्वारा शस्य संकेन्द्रण ज्ञात करने के लिये विभिन्न विधियां बतायी गई। यहां कैमूर जिले की शस्य सांद्रता को ज्ञात करने के लिये लब्धि विधि (भाटिया 1965) का उपयोग किया गया है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है :–

'अ' फसल का संकेन्द्रीयता

$$\frac{\text{'अ' शस्य का क्षेत्रीय इकाई में क्षेत्रफल}}{\text{क्षेत्रीय इकाई में सभी शस्यों का क्षेत्रफल}} \div \frac{\text{'अ' शस्य का प्रदेश में क्षेत्रफल}}{\text{सभी फसलो का प्रदेश में क्षेत्रफल}}$$

उक्त सूत्र का प्रयोग कर 2016 के लिये कैमूर जिला में गेहूँ तथा धान के लिये स्थिति लब्धि के मानो को ज्ञात किया गया है, क्योकि ये दोनों फसलें ही कृषीय भूमि स्वामित्व की दृष्टि से जिले में प्रधान फसल है। स्थिति लब्धि के मानो को मानचित्रित कर विभिन्न प्रखंडो में फसल सांद्रता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

परिचर्चा और परिणाम : उक्त सूत्र के आधार पर जिले में गेहूँ तथा धान के लिये लब्धि मानों को ज्ञात करने पर इन फसलो की सांद्रता के स्थानिक वितरण के बारे में जानकारी मिलती है। 2016–17 में कैमूर जिला के लिये ज्ञात फसल सांद्रता के आधार पर हम पाते है। कि रामपुर एवं भगवानपुर प्रखण्ड में चावल साद्रंता अति उच्च (1.1 से अधिक) है। चैनपुर, रामगढ़, कुदरा, तथा चांद प्रखण्ड मे चावल साद्रता उच्च (1.1 –1.0) है। इसका अर्थ है, कि कैमूर जिला के इन छह प्रखण्डों का योगदान चावल के लिये उत्पादन में अधिक है। इन प्रखण्डों में चावल के उत्पादन में रूचि का स्तर उच्च है।

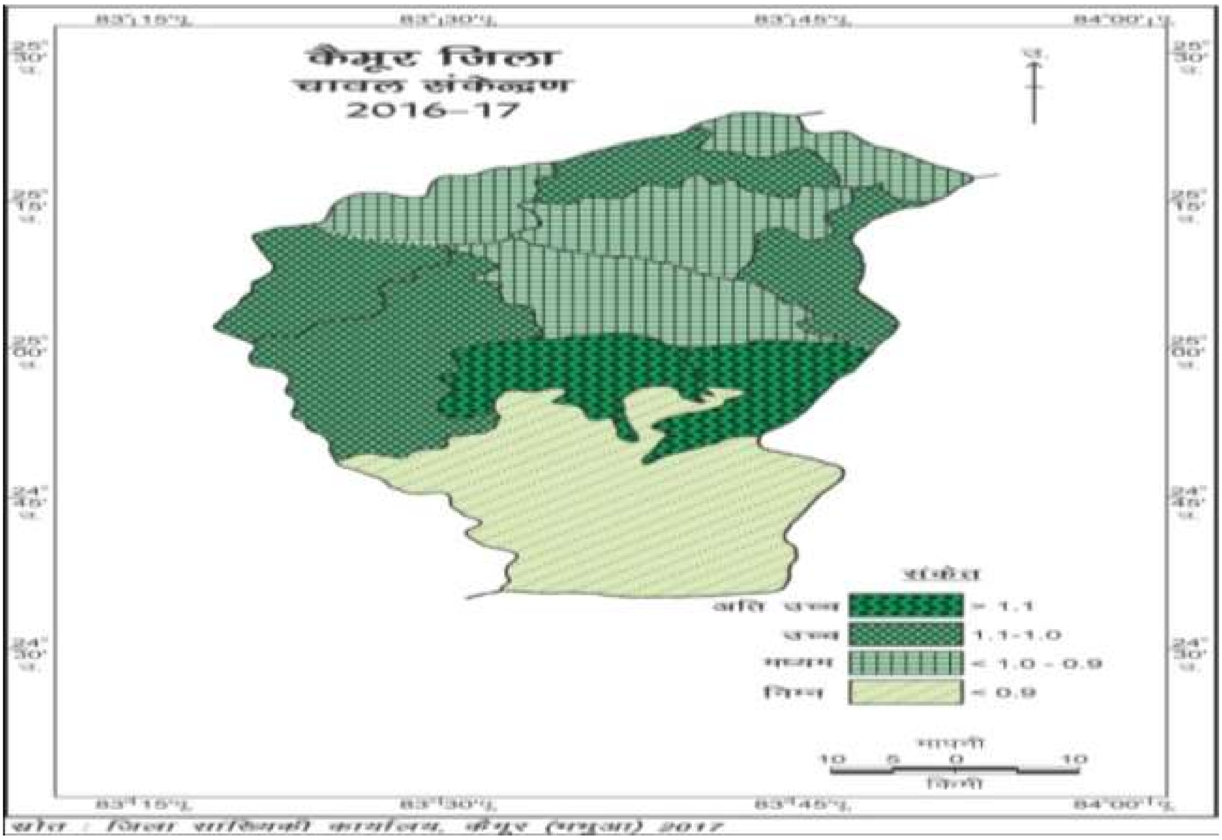

स्रोत : जिला सांख्यिकी कार्यालय, कैमूर (भभुआ) 2017

तालिका संख्या – 1

कैमूर जिला में चावल संकेन्दण (2016–17)

प्रखण्ड	चावल के अंतर्गत क्षेत्र	कुल फसल क्षेत्र	फसल संकेन्द्रण मूल्य
भभुआ	15762	32624	0.99
भगवानपुर	7298	13424	1.11
रामपुर	7784	13866	1.15
चैनपुर	9730	18656	1.06
चांद	9243	18582	1.02
अधौरा	2918	7334	0.81
मोहनिया	15714	33506	0.96
कुदरा	12892	24461	1.08
दुर्गावती	8270	16988	0.99
रामगढ़	10605	20905	1.04
नुआव	7784	16907	0.94

- जिले में चावल के अन्तर्गत क्षेत्र–108000 हे.
- जिले में कुल फसल क्षेत्र – 217279 हेक्टे.
- **स्त्रोत** – जिला कृषि विभाग, कैमूर

कैमूर जिला के भभुआ, दुर्गावती, मोहनिया, और नुआव, कुल चार प्रखण्डो में मध्यम सांद्रता (1.00 से 0.9) पायी जाती है अर्थात इन प्रखण्डो का चावल के उत्पादन में योगदान अपेक्षाकृत कम है।

कैमूर जिला के एक प्रखण्ड अधौरा में चावल की सांद्रता निम्न (0.9 से कम) है। यहां 0.85 से सांद्रता कम पायी जाती है।

गेहूँ के लिये फसल सांद्रता मूल्य की गणना करने पर हम पाते है कि कैमूर जिला में कृषि वर्ष 2016– 17 में मोहनिया एवं नुआव प्रखण्ड में गेहूँ की सादता अति उच्च (1.1 से अधिक) है अर्थात उक्त कृषि वर्ष में गेहूँ के उत्पादन में मोहनिया तथा नुआव का योगदान सर्वाधिक रहा। उच्च सांद्रता वर्ग (1.1 से 0.9) के अंतर्गत जिल के पांच प्रखण्ड चैनपुर, भभुआ, कुदरा, दुर्गावती, तथा रामगढ़ शामिल है। माध्यम सांद्रता वर्ग (0.9 – 0.7) के अंतर्गत जिला के कुल तीन प्रखण्ड रामपुर, भगवानपुर, चांद, शामिल है। तथा जिले के दक्षिणी भाग में स्थित अधौरा प्रखण्ड निम्न सांद्रता वर्ग (0.7 से कम) के अंतर्गत है। यहां गेहूँ की सांद्रता वर्ष 2016–17 में 0.42 पायी गई।

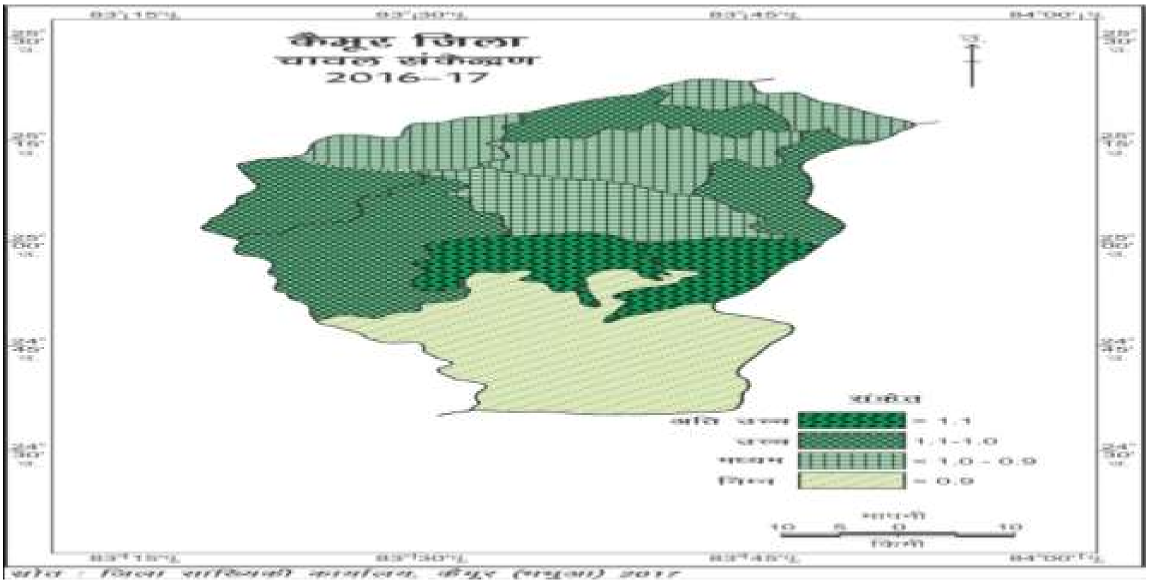

तालिका संख्या –02
कैमूर जिला में गेहूँ संकेन्द्रण (2016–17)

प्रखण्ड	गेहूँ के अंतर्गत क्षेत्र	कुल फसल क्षेत्र	फसल संकेन्द्रण मूल्य
भभुआ	12400	32624	1.05
भगवानपुर	4264	13424	0.88
रामपुर	4344	13866	0.87
चैनपुर	6061	18656	0.90
चांद	5921	18582	0.89
अधौरा	1100	7334	0.42
मोहनिया	14716	33506	1.22
कुदरा	9029	24461	1.03
दुर्गावती	5894	16988	0.96
रामगढ़	7800	20905	1.04
नुआव	6829	217253	1.12

- जिले में कुल फसल क्षेत्र – 217279 हेक्टे.
- जिले में गेहूँ के अन्तर्गत क्षेत्र – 78358 हेक्टे.

- **स्त्रोत** – जिला कृषि विभाग, कैमूर

तालिका संख्या–3
कैमूर जिला मे फसल संकेन्द्रीयता में श्रेणीगत प्रखण्डो की संख्या

शस्य संकेन्द्रीकरण की श्रेणी	गेहूँ		चावल	
	सूचकांक परिसर	प्रखंडो की संख्या	सूचकांक परिसर	प्रखण्डो की संख्या
अति उच्च	>1.1	2	>1.1	2
उच्च	1.1–0.9	5	1.1–0.10	4
माध्यम	0.9– 0.7	3	1.0–0.9	4
निम्न	<0.7	1	<0.9	1

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, कैमूर जिले के उत्तरी प्रखण्डों एवं मध्य भाग में स्थित प्रखण्डों में गेहू एवं धान का केन्द्रीकरण अधिक सघन मिलता हैं, जबकि दक्षिण भाग के प्रखण्ड में फसल का केन्द्रीकरण अत्यन्त विरल हैं, जिससे कि यह तथ्य स्पष्ट है कि स्थलाकृति तथा मिट्टी की विविधताओं का प्रभाव फसल की सघनता को जिले में नियंत्रित करता है।

संदर्भ सूची :–

1. तिवारी, आर.सी एवं सिंह बी.एन (2012) : कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलहाबाद।
2. हुसैन, माजिद (2016) : कृषि भूगोल, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. गौतम, अलका (2013) : कृषि भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. शर्मा बी.एल. (2012–13) : कृषि, भूगोल रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
5. खत्री, हरीश कुमार, : कृषि भूगोल, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

दूरवर्ती शिक्षा में ई–विषयवस्तु की प्रभावशीलता का अध्ययन

हृदेश श्रीवास्तव
शोधार्थी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, (म.प्र.)

सारांश :– शिक्षा के क्षेत्र में, दूरस्थ शिक्षा पद्धति नए आयाम की तरह उभर कर आई है इसने ऐसे विद्यार्थियों को पुर्न शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जिन्होंने किसी कारणवश, पूर्व में अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, साथ ही इसकी नम्य एवं मुक्त शैक्षिक पद्धति ने विद्यार्थियों को अपनी गति से पढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने दूरस्थ शिक्षा में पद्धति के संवर्धन में विशिष्ट योगदान दिया है तथा शिक्षा और विद्यार्थियों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान की, वही संस्थानों को आभाषी कक्षा तथा डिजिटल पुस्तकालय की सुविधा द्वारा प्रदान की, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए,इस शोध पत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत ई–विषयवस्तु की प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है। सर्वेक्षण विधि का उपयोग करते हुये प्रश्नावलि के माध्यम से आकडों को एकत्र किया गया है, तथा विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष आया कि दूरस्थ विद्यार्थियों के बीच ई–विषयवस्तु प्रभावी है।

मुख्य शब्द : ई–विषयवस्तु,दूरस्थ शिक्षा,सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना :– मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में विगत वर्षों में काफी उन्नति हुई है क्योंकि इस पद्धति में नम्यता एवं विद्यार्थी केंद्रित अध्ययन होने की विशेषता है, साथ ही देश में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने में इसका योगदान है वर्तमान में उच्च शिक्षा में समग्र नामांकन में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विद्यार्थियों की अनुपात लगभग 11 प्रतिशत है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थी अपनी गति एवं सुलभता के अनुसार अध्ययन कर सकता है। पत्राचार से दूरस्थ तथा दूरस्थ से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति का लंबा सफर है जिसका की मापन इस शिक्षा पद्धति में शामिल प्रौद्योगिकियों से किया गया है। प्रिंट से लेकर रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा शिक्षा तथा इंटरनेट के आने के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का दूरस्थ शिक्षा में समावेश ने शिक्षा को ना केवल प्रसार किया बल्कि इसे जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया है। प्रौद्योगिकी के कारण दूरस्थ शिक्षा समय और भौगोलिक बंधनों से मुक्त हुई है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति वाला संस्थान कितने प्रकार की प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों तक अपनी शिक्षण सामग्री को पहुंचा रहा है तथा उसमें क्या–क्या नवाचार हो रहा है इस संदर्भ में देश की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय डिजिटल तकनीकों का नवाचार करते हुए अग्रणी है। वर्ष 1985 में स्थापित इस विश्वविद्यालय में लगभग 3400000 विद्यार्थियों का पंजीकरण है इसमें 21 विद्यापीठ, 67 क्षेत्रीय केन्द्र, तथा लगभग 3000 से ज्यादा अध्ययन केंद्रों की सहायता से ज्ञानवान समाज को निर्मित करने में सहयोग कर रही है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग एवं नवाचार का श्रेय भी इसी विश्वविद्यालय को जाता है। ई कंटेंट, मुक्त शैक्षिक संसाधन, ज्ञानकोष, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी इत्यादि का अनुप्रयोग कर, यह विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रस्तुत कर रही है इसी कारण प्रस्तुत शोध का न्यादर्श इसी विश्वविद्यालय के छात्र चयनित किए गए हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास एवं इंटरनेट के आने के बाद मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में अनेक अनुप्रयोग हुए जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री पहुंचाने में बहुत मदद मिली। पत्राचार से सामग्री पहुंचाने में समय एवं धन का व्यय होता था, ब्रॉडकास्टिंग से दृश्य एवं श्रव्य सामग्री को प्रस्तुत किया जाता था परंतु इसमें फीडबैक का अभाव था तथा किन लोगों तक यह सामग्री पहुंच रही है यह ज्ञात नहीं होता था, परंतु इंटरनेट आने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ। ट्राई प्रतिवेदन 2018 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 11460 लाख लोग मोबाइल तथा 447.120 लाख लोग इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर युवा आबादी है अतः मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में कंटेंट प्रस्तुति में गतिशीलता आई।

दूरस्थ शिक्षा पद्धति में शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतीकरण मुख्य रुप से मुद्रित, ब्रॉडकास्टिंग तथा इंटरनेट के द्वारा मल्टीमीडिया से किया जाता है। ई–विषयवस्तु वह लिखित,मौखिक या चित्रित सामग्री है जिसे डिजिटल रूप में कंप्यूटर से संप्रेषित किया जाता

है। सक्सेना,2010 के अनुसार ई–विषयवस्तु वह शैक्षिक सामग्री है, जिसे किसी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है इसमें किसी कंप्यूटर नेटवर्क का होना आवश्यक है।

ई–कंटेंट की प्रस्तुति पीडीएफ, ध्वनि,दृश्य चित्र एनीमेशन के रुप में हो सकती है।

उद्देश्य:

- दूरस्थ विद्यार्थियों के इंटरनेट उपयोग की आदतों का अध्ययन।
- दूरस्थ विद्यार्थियों के इंटरनेट उपयोग के उद्धेश्यों का अध्ययन।
- दूरस्थ विद्यार्थियों द्वारा ई–विषयवस्तु अध्ययन की प्रभावशीलता ज्ञात करना।

न्यादर्श चयन :– प्रस्तुत शोध पत्र में न्यादर्श का चयन शिक्षा के विद्यार्थी हैं इसमें मुख्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दैवनिदर्शन विधि से चयनित किया गया है जिनकी संख्या लगभग 200 रखी गई है जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र के एक क्षेत्रीय केन्द्र के हैं, जिसमें स्नातक, परास्नातक एवं शोध छात्र शामिल हैं। शोध विधि अध्येता द्वारा शोध पत्र के अध्ययन हेतु निम्नांकित संम्लित किया गया है।

शोध प्रविधि :– अध्येता द्वारा शोध पत्र के उद्धेश्यों के अनुरुप अध्ययन हेतु निम्नांकित शोध विधियों का चयन किया गया है:

सर्वेक्षण विधि :– किसी भी शोध की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण विधि महत्वपूर्ण मानी गई है शोध से संबंधित आंकड़ों को एकत्र एवं विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, अतः दूरस्थ शिक्षा पद्धति मे ई–कंटेंट की महत्वता जाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विधि :– सर्वेक्षण विधि से प्राप्त आंकड़ों को वर्गीकृत कर उन्हें सारणीवद्ध करने के पश्चात सांख्यिकीय विधि से विश्लेषण किया गया है इसके लिए मुख्यतः प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण :– सर्वेक्षण विधि से आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित आदतों एवं प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से पूछा गया है।

आंकडों का वर्गीकरण एवं सारणीयानः

सारणी क्रमांक : 1

लिंगानुपात

क्र	लिंग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	96	57%
2	स्त्री	71	42%
3	कोई जबाब नही	4	1%
कुल		**171**	**100%**

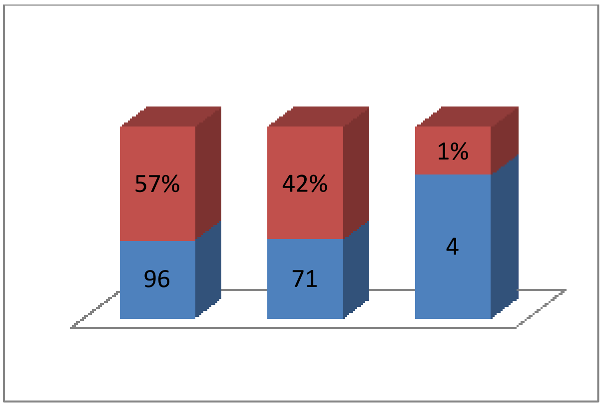

उपरोक्त सारणी क्र. 1 : के अनुसार 171 उत्तरदाताओं में से 57 प्रतिशत पुरुष तथा 42 प्रतिशत महिलायें ने उत्तर दिए जबकि 1 प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया।

सारणी क्रमांक : 2

आयु

क्रं.	आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	0–25	85	49.7%
2	26–30	50	29.2%
3	31–35	11	6.4%
4	36–40	7	4.1%
5	41	5	2.9%
6	कोई जबाब नही	13	7.0%
कुल		**171**	**100%**

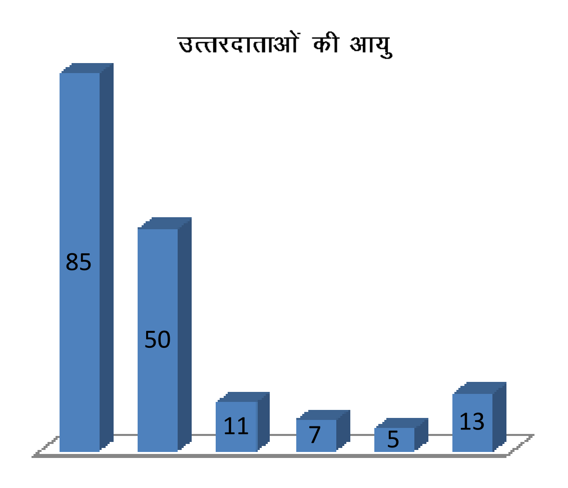

उत्तरदाताओं से आयु से सम्बंधित प्रश्न पर सबसे ज्यादा 49.7% उत्तरदाता 25 वर्ष से कम आयु के थे,जबकि 26–30 वर्ष वाले 29.2% ,31–35 वर्ष वाले 6.4%,36–40 वर्ष वाले 4.1% तथा 40 वर्ष से अधिक वाले 2.9% थे,जबकि 7% लोगों ने इस प्रश्न का कोई जबाब नहीं दिया।

सारणी क्रमांक : 3
शैक्षणिक योग्यता

क्र	शैक्षणिक योग्यता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	स्नातक	100	58.5%
2	परास्नातक	65	38%
3	पीएचडी	6	3.5%
	कुल	**171**	**100%**

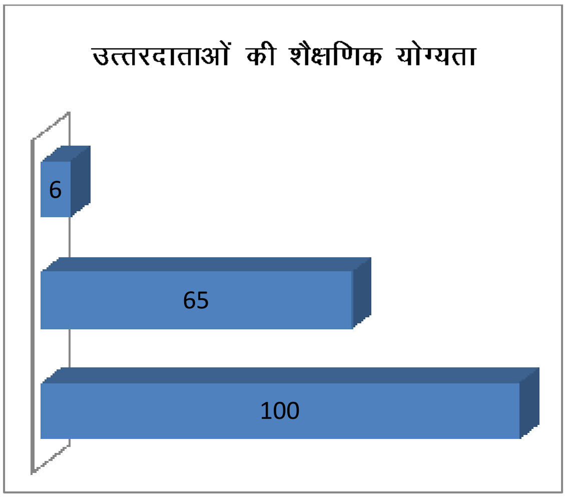

प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन में कुल 171 छात्रों में से 58.5% स्नातक 38% परास्नातक तथा 3.5% पीएचडी धारक थे।

सारणी क्रमांक 4 : इंटरनेट सेवा उपयोग यंत्र

क्र	यंत्र	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	मोबाइल फोन	171	100%
2	लैपटॉप	85	50%
3	डेस्कटॉप	86	52%
4	टेबलेट	20	12%
5	अन्य यंत्र	11	7%

उत्तरदाताओं के द्वारा बहु विकल्प चुनने के कारण प्रतिशत 100 से अधिक है।

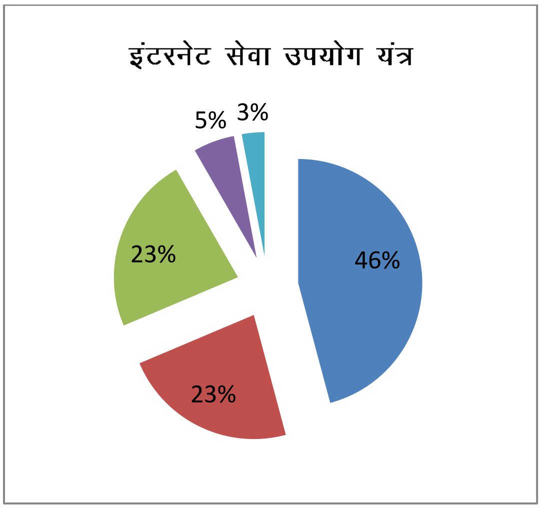

सारणी क्रं. 4 : के अनुसार 100% सभी उत्तरदाता मोबाइल फोन का उपयोग इंटरनेट सेवा हेतु करते हैं, उत्तरदाताओं में से 50% लैपटाप,52% उत्तरदाता डेस्कटाप,12% टेबलेट तथा 7% लोग अन्य यंत्रों से इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं।

सारणी क्रमांक 5 : इंटरनेट सेवा उपयोग का उद्देश्य

क्र	उद्देश्य	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सूचना	67	40%
2	शिक्षा	113	70%
3	मनोरंजन	58	40%
4	सोशल मीडिया	135	80%

उत्तरदाताओं के द्वारा बहु विकल्प चुनने के कारण प्रतिशत 100 से अधिक है।

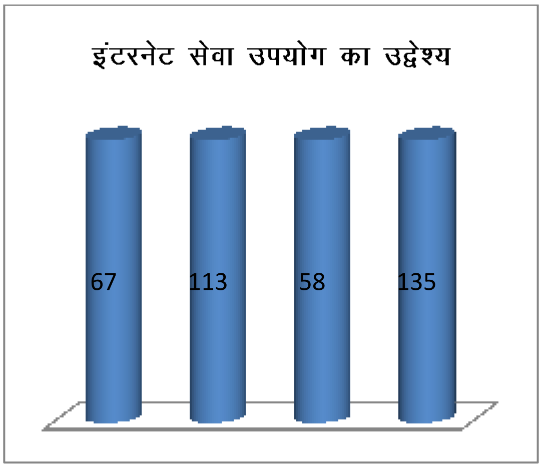

सारणी क्रं. 5 : से ज्ञातव्य है कि इंटरनेट सेवा का उद्देश्य में 40% सूचना के लिए,70% शिक्षा के लिए,40% मंनोरंजन तथा 80% सोशल मीडिया के लिए उपयोग करते है।

सारणी क्रमांक : 6
इंटरनेट सेवा उपयोग की अवधि

क्र	अवधि	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	0–30	7	4%
2	30–60	12	7%
3	60–120	28	16%
4	120	124	73%
कुल		**171**	**100%**

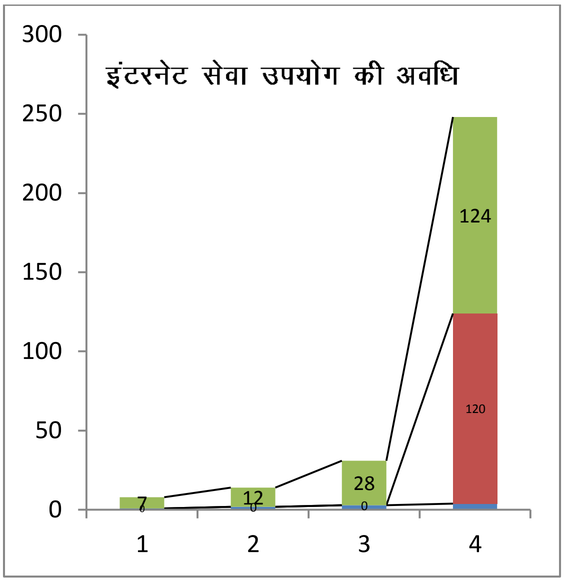

सारणी क्रं. 6 : के अनुसार 4% उत्तरदाता 0–30 मिनिट, 7% उत्तरदाता 30–60 मिनिट,16% उत्तरदाता 60–120 मिनिट तथा 73% उत्तरदाता 2 घण्टे से ज्यादा इंटरनेट सेवा को उपयोग में लाते है।

सारणी क्रमांक : 7
इंटरनेट पर ई–विषयवस्तु द्वारा अध्ययन

क्र	ई–विषयवस्तु द्वारा अध्ययन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	155	91%
2	नहीं	7	4%
3	कोई उत्तर नहीं	9	5%
कुल		**171**	**100%**

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

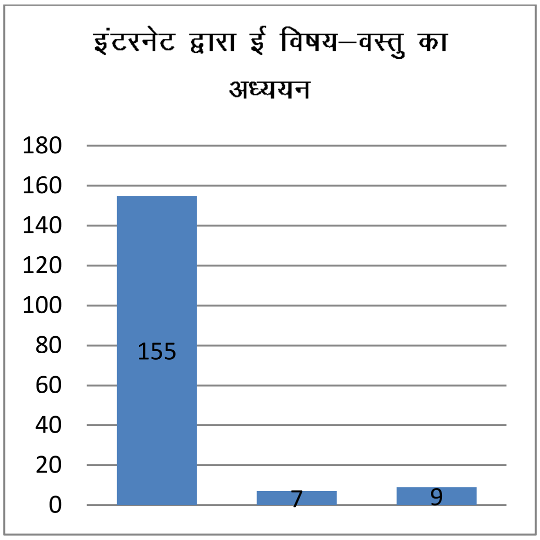

सारणी क्रमांक 7 : में इंटरनेट पर ई–विषयवस्तु द्वारा अध्ययन का प्रश्न हॉ और नहीं के विकल्प में पूछा गया, जिसमें 91% उत्तरदाताओं ने हॉ तथा 4% उत्तरदाताओं ने नही के रुप में विकल्प चुना,जबकि 5% उत्तरदाताओं ने कोई जबाब नहीं दिया।

सारणी क्रमांक : 8
ई–विषयवस्तु द्वारा अध्ययन पर विद्यार्थियों का मत

क्र	विद्यार्थियों का मत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	ई–विषयवस्तु की उपलब्धता	171	100%
2	ई–विषयवस्तु की भाषा शैली	144	87%
3	ई–विषयवस्तु की गुणवत्ता	99	60%
4	ई–विषयवस्तु में अत:क्रियात्मकता	14	8%
5	ई–विषयवस्तु से संतुष्टि	153	92%
6	ई–विषयवस्तु की पहुॅच	171	100%
7	ई–विषयवस्तु का मूल्य	103	60.2%

उत्तरदाताओं के द्वारा बहु विकल्प चुनने के कारण प्रतिशत 100 से अधिक है।

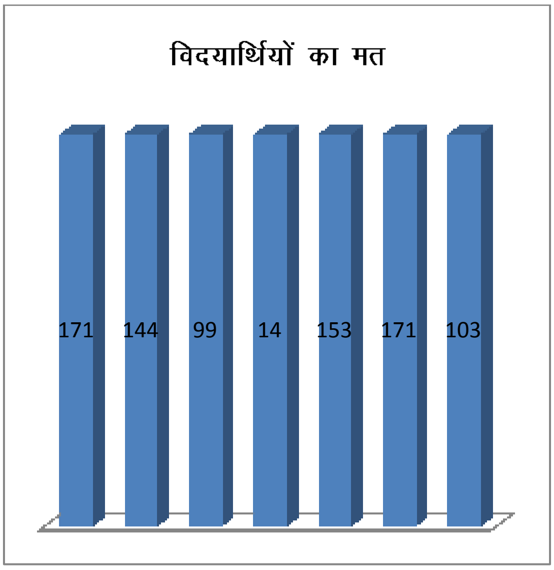

सारणी क्रमांक 8 : में ई–विषयवस्तु की प्रभावशीलता का मापन सात बिंदुओं के आधार पर किया गया 100% उत्तरदाताओं ने ई–विषयवस्तु की उपलब्धता को माना, ई–विषयवस्तु की भाषा शैली की सरलता पर 87% लोगों ने इसे सरल माना, ई–विषयवस्तु की गुणवत्ता पर 60% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया , 8% लोगों ने ई–विषयवस्तु में अत:क्रियात्मकता को मत दिया, ई–विषयवस्तु से अध्ययन से संतुष्टि पर 92% लोग संतुष्ट हैं, उत्तरदाताओं से ई–विषयवस्तु की पहुॅच पर पूछे गये प्रश्न पर 100% ने पहुॅच को माना तथा लागत पर 60. 2% उत्तरदाताओं ने इसे सस्ता माना।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष :– दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधिकतर विद्यार्थी एक या एक से अधिक यंत्रों द्वारा इंटरनेट सेवा उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर अध्ययन हेतु विभिन्न वेबसाइट पर उपलब्ध ई–विषयवस्तु का उपयोग शिक्षण सामग्री के रुप में करते हैं। सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष भी निकला कि दूरस्थ विद्यार्थी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से परिचित हैं तथा डिजिटल साक्षर हैं, इनमें ज्यादातर युवा आबादी के हैं अत: भविष्य में दूरस्थ संस्थानों को ज्यादा ई– विषयवस्तु एवं डिजिटल अध्ययन सामग्री को तैयार करना होगा। दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थी सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, जिससे वे कहीं पर, किसी भी समय अध्ययन सामग्री से पढ़ाई कर सकते हैं। यह सर्वेक्षण कुमार (2011) के मत को सहयोग प्रदान करता है कि जिसमें यह कहा गया है कि, शिक्षार्थियों का झुकाव मोबाइल शिक्षण की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रस्तुत सर्वेक्षण से

यह स्पष्ट है कि ई–विषयवस्तु की डिजीटल प्रस्तुति से ज्यादातर विद्यार्थी संतुष्ट है तथा इसकी प्रभावशीलता, भविष्य में इसके ज्यादा उपयोग की ओर संकेत कर रही है।

संदर्भ :–

1. इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय, प्रोफाइल, 2017
2. दूरसंचार नियामक प्रधिकरण प्रतिवेदन, 2018
3. समग्र भारत उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, 2018

4. Kumar, L. S., Jamatia, B., Aggarwal, A. K. & Kannan, S. (2011). Mobile Device Intervention for Student Support Services in Distance Education Context--FRAME Model Perspective. European Journal of Open, Distance and E-Learning.

5 पाण्डेय, डॉ. कल्पलता : (1991) शिक्षा के नये आयाम,विजय प्रकाशक मंदिर, वाराणसी

6. Saxena, Anurag.(2010), pedagogy Design for Generation of Contentfor the community, COL (retrieved 0n 22/12/2019 from oasis.col.org/handle/11599/2095)

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

समकालीन हिंदी व्यंग्य परंपरा

भारती कुरील
एम ए हिंदी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर

आधुनिक हिंदी की प्रमुख विधाओ में जहां भी संवेदनशीलता दिखाई देती है वहाँ व्यंग्य अपनी सम्पूर्ण वक्रता और तीखेपन के साथ अवश्य उपस्थित रहता है वस्तुतः धर्म, राजनीति साहित्य, व्यक्ति, समाज और जहां भी विकृति है, वह आज के व्यंग्यकार की नजर से बच नहीं पाई है।

व्यंग्य लेखन की परंपरा का प्रवर्तन साहित्य की अन्य विधाओ के समान भारतेंदू युग से ही माना जाता है वर्तमान में व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है आज व्यंग्य विधा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली हो गई है।

समसामयिक व्यंग्य लेखन जीवन व जगत में व्याप्त भीषण रोगों का निदान खोजने कि पुरजोर कोशिश कर रहा है समकालीन सामाजिक सचाइयो को सामने ला कर मानसिक बदलाव कि सुदढ़ भूमिका निर्माण करना आज के व्यंग्य कर्म का लक्ष्य है व्यंग्य लेखन मे राष्ट्रीय चेतना के प्रति अपार प्यार है तो राष्ट्र व्यापी ढोंग के प्रति बेहद नफरत भी है।

भारतेन्दु युगीन व्यंग्यात्मक निबंध लेखन कि परम्परा को नए लेखन कि परम्परा को नए सिरे से आविष्कृत करने वाले हरिशंकर परसाई के लेखन स्वातंत्र्योत्तर भारत का दस्तावेज उपलब्ध होता है सामाजिक चेतना का विकास करने मे उसका योगदान महत्वपूर्ण है परसाई जी के माध्यम से व्यंग्य का जीवन से सीधा साक्षात्कार हुआ है।

हिंदी के प्रथम कोटि के विख्यात व्यंग्यकारो मे शरद जोशी का नाम गौरव के साथ लिया जाता है व्यंग्य विधा को मजबूत सम्बल देने और सशक्त करने वाली एक ही हस्ती थी शरद जोशी उन्होनो परिवार और समाज से सम्बधित बहुत व्यंग्य किये है।

श्री लाल शुक्ल ऐसे सशक्त लेखक है जिन्होंने व्यवस्था के अन्दर रहते हुए भी नितांत, निर्मम और निरपेक्ष भाव से बीच बाज़ार मे नंगा कर दिया।

रविंद्रनाथ त्यागी की रचनाएँ उनकी विनोदपूर्ण प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। केशव चन्द्र वर्मा ने हिंदी गद्य व्यंग्य का भंडार भरा है। मनोहर श्याम जोशी का अंदाज ठेठ देशी है तथा व्यंग विनोद उनकी प्रत्येक कृति की अंतर्धारा मे निहित रहता है।

आधुनिक गीतिधारा के कवियों में देवराज दिनेश का नाम उल्लेखनीय है।

नरेन्द्र कोहलीजी ने व्यंग्य की आत्मीयता और विश्वनीयता का सघन विन्यास लगातार रचा है।

व्यंग्य को सक्रियता देने वाले सशक्त रचनाकर है लतीफ़ घोघी। उनकी रचनाऐ आलपिन की चुभन सा मीठा–मीठा दर्द दे और एक गुदगुदी आपके अंदर पैदा करता है। डा. बरसाने लाल चतुर्वेदी व्यंग्य के प्रयोगकर्ता ही नहीं व्यंग्य के परिभाषक भी है।

दैनिक जीवन कि उथल पुथल और उससे उत्पन विसंगतियों को डा. शंकर पुणताबेकर ने अपने व्यंग्य पर प्रखर उपयोग किया है। डा. बालेन्दु शेखर तिवारी ने व्यंग्य की नई पौध के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैलाश वाजपेयी जी समाज की प्रचलित रूढ़ वादी, पाखंड और भ्रष्टाचार को नकारात्मक एवं चुनोती देते है। धूमिल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविता 'मोचीराम' ही है। जिसमे उन्होंने केन्द्रिय चरित्र के माध्यम से युगीन सच्चाइयो को बड़ी सफाई से पेश किया है।

विष्णुचंद्र शर्मा कि कविताओ में राजनीतिक और समाज के प्रति तीव्र आक्रोश है। दूधनाथ सिंह के व्यंग्य समाज कि विडंबनाओ पर गंभीरता पूर्वक लिखी गई व्यंग्य कविताऐ है। रामकिशोर दिवेदी अपनी कविताओ में समकालीन विसंगतियों पर जमकर व्यंग्यात्मक प्रहार करते है। रमेश गौड़ की रचनाओ में जहाँ व्यंग्य उजागर हुआ है। वहाँ स्थितियो की विडम्बना के प्रति आक्रोश के साथ साथ उपहास भाव बना है।

दिनकर सोनवलकर नई पीढ़ी के कवियों में शुद्धता व्यंग्य कवि माने जा सकते है प्हास्य व्यंग्य कवियों में बेढ़ब बनारसी और काका हाथरसी का नाम उल्लेखनीय है।

वर्तमान व्यंग्य परंपरा विभिन्न दिशाओ में अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर होती रही है उनके लिए काव्यमूल्यों और जीवन मूल्यों में विशेष अंतर नहीं रहा है और न ही उसमे काव्य मूल्यों का मन रखने के लिए मानव मूल्यों को ही प्रयोग की सूली चढ़ाने का प्रयत्न है यद्यपि एक ऐसी प्रवत्ति अथवा व्यंग्य जिसमे किसी समय कवि रचनारत हो उनका सटीक एवं यथोचित मूल्यांकन उसी युग में सहज भाव से संभव नहीं

इस युग में मानव मुल्यो को आकर दिया गया है, युग की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने कि ईमानदार कोशिश की गई है तथा इन रचनाकारों ने अपने व्यक्तित्व को भी इस व्यंग्य मे समोने का प्रयत्न किया है।

समकालीन व्यंग्य परम्परा का एक निश्चित फ्रेम स्थिर हो गया है। एक फ्रेम बन गया है जिसके अधीन व्यंग्य लिखे जा रहें है। व्यंग्य का यह फ्रेम एक ओर निबंध के शिल्प का विपथन करता है तो दूसरी और आवरण को भेधता हुआ नज़र आता है। वर्तमान मे हास्य और व्यंग्य के रचनाकारों और समीक्षकों कि संख्या उसी अनुपात में बढ़ि है जिस अनुपात में समाज में विसंगतियाँ बढ़ रही है।

समकालीन व्यंग्यकारो में अग्र लिखित व्यंग्यकारों के साथ ही डा. गिरिराजशरण अग्रवाल, प्रो. हरीजोशी, प्रो.अजहर हाशमी ,शिवानंद कामड़े, जब्बार ढाकवाला, रामनारायण उपाध्याय, संतोष तिवारी, लक्ष्मीकांत वैष्णव, डा. हरीश नवल, श्रीकांत चौधरी, डा. शैलेन्द्र पाराशर, डा.हरीश कुमार सिह, मुकेश जोशी, सतीश राठी, स्वामीनाथ पाण्डेय, राजेंद्र नागर, गजेन्द्र तिवारी, जगत सिंह बिष्ट, जसविंदर शर्मा, संतोष दीक्षित, पूनम शर्मा, रामेन्द्र रघुवंशी, डा. पिलकेन्द्र अरोरा, अशोक शुक्ल, डा. दामोदर दत्त दीक्षित, डा. जवाहर चौधरी आदि पूरे भारत मे व्यंग्य का परचम लहरा रहें है।

व्यंग्य आज लोकप्रिय विधा बन गया है, जिसमे नए ही नहीं,दूसरी विधाओ के स्थापित रचनाकार भी हाथ आजमा रहें है। व्यंग्य मे यदि यथार्थ परिवेश का समावेश नहीं हो तो व्यंग्य को नहीं पाया जा सकता है।

व्यंग्य का समकालीन समय गुणवत्ता कि दृष्टि से बहुत कम उत्साहजनक लगता है। हिंदी व्यंग्य का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसे साहित्य कि अन्य विधाओ की तरह समालोचक नहीं मिले। लेकिन इनका आशय यह नहीं है कि व्यंग्य निराधार है, उसे धीरे–धीरे संबल मिल रहा है। आज आवश्यकता है। इसके लेखक, आलोचक और पाठक सभी को चिंतनीय होना होगा, वरना हास्य व्यंग्य के नाम पर कवि सम्मेलनों और गोष्ठियों–संगोष्ठीयो में चल रहा है, वह चिंता का विषय है।

सन्दर्भ ग्रंथ :–

- व्यंग्य विधा और विविधि/डा. मधुसूधन पाटिल / अमन प्रकाशन / हिसार
- हिंदी हास्य –व्यंग्य संकलन /श्री लाल शुक्ल, प्रेम जनमेजय /1922/नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया/1972
- समकालीन व्यंग्यकार : आलोचना का आईना /सं. राहुल देव /यश पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्युटर /दिल्ली
- लमही /व्यंग्य विशेषांक (जुलाई–दिसम्बर) संयुक्तांक /2017/सं. विजय राय /लखनऊ

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

1857 में होल्कर रिसायत के सैनिक अधिकारियों की क्रांति में भूमिका

सोनल सिंह वास्केल (शोधार्थी)
डॉ. बी.एल. चौहान (निर्देशक)
प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर, राजगढ़ जिला धार

उस समय होल्कर की सेना में सभी दलों के कुल 7500 सैनिक थे, किंतु उसकी संपूर्ण सेना इंदौर में ही नही थी और उसकी कार्यक्षमता या राजनिष्ठा में महाराजा का विश्वास नहीं था। वास्तव में उसकी अस्थायी सेना पर उसका नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश सेना इंदौर से 16 मील दूर महू में तैनात थी। महू स्थित गैरिसन में एक ब्रिटिश तोपखाना, जिसके चालक भारतीय थे 26 बीं बंगाल देशी पैदल सेना का एक रेजीमेंट और प्रथम बंगाल रिसाले का एक विंग था। यद्यपि महू स्थित गैरिसन में भारतीयों की संख्या अधिक थी तथापि बंगाल तोपखाना जिसमें योरपीय तोपचीं थे भारतीय सेना को कुछ समय तक रोक रखने में सफल रहा।

अप्रैल के अंत में ड्यरेड को समाचार मिला कि 36 वीं बंगाली देशी पैदल सेना का एक सिपाही रीवा दरबार का संदेश ले जाते हुए पकड़ा गया है। 13 मई 1857 को उसे आगरा से तार प्राप्त हुआ कि मेरठ तथा देहली में विद्रोह भड़क उठा है। इसके बाद ही देश के अन्य भागों में भी विद्रोह फैलने लगा। दूर–दूर तक फैले विद्रोह के समाचार ने ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के हृदयों में विद्रोह के प्रति सहानुभूति की भावना जागृत की। महू स्थित गैरिसन ने मई के दूसरे सप्ताह में इंदौर रेसीडेंसी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होनें इंदौर स्थित सैनिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनमें गुप्त चर्चाऐं की। विद्रोह किसी दिन भी भड़क सकता था और मई के तीसरे सप्ताह में इंदौर भाहर तथा रेसीडेंसी में बहुत ही आंतक छाया हुआ था।

अतः ड्यरेंड ने रेसीडेंसी तथा खजाने की सुरक्षा करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया, जिससे उस समय सिक्कों के रूप में 1,30,000 पौंड तथा शासकीय पत्रों के रूप में 2,40,000 पौंड थे। वह विद्रोह की आग को स्थायी सेना के जवानों से सैन्यदल के सिपाहियों में फैलने से रोकना चाहता था। रेसीडेंसी तथा खजाने की रक्षा के लिए इंदौर में स्थित एकमात्र टुकड़ी मालवा सैन्यदल की एक रेजीमेंट थी, जिसमें 200 सिपाही थे और वे रेसीडेन्सी की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त थे। इसलिए ड्यूरेंड ने इंदौर के लगभग 40 मील दूर सरदारपुर से 260 भीलों की एक सैन्य टुकड़ी तथा भोपाल सैन्यदल के मुख्यालय सीहोर से रिसाले की 2 टुकड़ियों 260 पैदल सैनिक तथा 2 तोपों द्वारा अपने गैरीसन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। यह कुमक 20 मई 1857 को इंदौर पहुंची। इस बीच 15 मई को रेसीडेंट महाराजा से मिलने गया और अनुरोध किया कि आपात् स्थिति में महाराजा की सेना आवश्यक सहायता करें महाराजा ने सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया।

अगले दिन यह समाचार मिला कि 23 किं 23 वीं बंगाल देशी पलटन के अधिकारियों को अपने सिपाहियों पर संदेह है। अतः ड्यूरेंड मीर मुंशीस्वरूप नारायण को महाराजा के पास भेजा और कहलाया कि वे तत्काल अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भेज दे। इन (अफवाहों) का तत्काल खंडन यिका गया किंतु तब तक महाराजा ने आदेश जारी कर दिये थे। निःसंदेह इससे शहर में भारी अशांति फैल गई।

16 मई को महू में इंदौर पत्र भेजना बंद कर दिया गया। यह संदेह किया गया था कि पत्रों में ऐसी जानकारी है जिससे इंदौर के नागरिक भड़क सकते है। रेसीडेंसी के प्राधिकारियों को इन्दौर में विद्रोह भड़कने की आंशका थी अतः उन्होनें भोपाल सैन्यदल के कमान अधिकारी को आदेश दिया कि वह अपना रिसाल लेकर इंदौरी की ओर बढ़े। किंतु पत्र वहाँ तक नहीं पहुंचा। अतः ब्रिटिश सैनिक स्थान सरदारपुर को तुरंत यह संदेश भेजा गया कि मालवा भील सेना तथा उसकी दो तोपें भेज दी जांए।

भोपाल सैन्यदल तथा मालवा भील सेना विवश होकर मार्च करते हुए 20 मई को सुबह इंदौर पहुची। उनके आ जाने पर मूह से पत्रों का भेजा जाना अनुमत कर दिया गया। इस प्रकार मई माह चिंता और संदेह के वातावरण में बीता। इस प्रकार मई माह चिंता और संदेह के वातावरण में बीता। इन सभी सावधानियों के बावजूद इंदौर में अंग्रेजों के विरूद्ध असंतोष की भावना तेजी से फैल रही थी। अजमेर से 15 मील दूर स्थित राजपूताना क्षेत्र सेना के मुख्यालय नसीराबाद में विद्रोह

भड़क उठने का समाचार इंदौर में पहली जून को पहुँचा।

नीमच स्थित गैरिसन 3 जून की रात को नौ बजे एकत्र हुई और मध्यभारत में विद्रोह के श्री गणेश के प्रतीकास्वरूप प्रथम गोली चलाई और छावनी के बंगलों में आग लगा दी और नीमच के किले पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। नीमच में विद्रोह फैलने का समाचार इंदौर तथा महू 6 जून की पहुँचा। नीमच अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थान था, जो सिंधिया के प्रदेश की सीमा पर स्थित था, और इंदौर तथा महू के सिपाहियों का नीमच के विद्रोही नेताओं के निकट संपर्क बना हुआ था। अतः नीमच विद्रोह की कहानी ने सिपाहियों तथा सवारों में नई उत्तेजना का संचार किया।

उसी दिन इंदौर में यह अफवाह फैली कि महू की टुकड़ियां विद्रोह करने के पश्चात् रेसीडेंसी की ओर बढ़ रही है। तुकोजीराव ने अपने वचनानुसार रेसीडेंसी को महाराजा पलटन तथा बजरंग पलटन नामक सिपाहियों की दो कंपनियाँ तथा तीन तोपें और कुछ सवार भी भेजे कितु कुछ समय पश्चात् वर्षा हो जाने के कारण उन्हें वापस बुला लिया गया। रेसीडेंसी की सुरक्षा की ड्येरेंड ने व्यवस्था की। रेसीडेंसी के पश्चिमी द्वार पर नीमच क दिशा में भोपाल सैन्यदल की दो तोंपे लगाई गई। उसने रेसीडेंसी घुड़साल चौंक में भोपाल सैन्यदल का रिसाला तथा इंदौरं रेसीडेंसी डाकघर के पास तैनात की गई थी और उसका रिसाला रेसींडेंसी के उत्तरी पश्चिम में जाबरा के नवाब के अहाते में तैनात किया गया।

महीदपुर की यूनाइटेंड मालवा कंटिजेंट रिसाले द्वारा विद्वोह किए जाने की सूचना इंदौर में 9 या 10 जनू की प्राप्त हुई। उन्होने अपने कमान अधिकारी कैप्टन बोर्डो तथा उसके एड्जुटेन्ट लेफ्टिनेन्ट हंट की भी हत्या कर दी थी। चूंकि महिदपुर अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थान था अतः उस स्थान पर विद्रोहियों की सफलता ने इंदौर और टुकड़ियों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। महीदपुर के विद्रोह के समाचार से महाराजा भी अत्यधिक विक्षुब्ध थे। ड्यूरेंड ने महाराजा से शहर में उनके महल में भेंट की। ड्यूरेंड को यह सुझाव दिया गया कि रेसीडेंसी के समस्त खजाने तथा महिलाओं और बच्चों का सुरक्षा की दृश्टि से महू भेज दिया जाए।

11 जून को इंजीनियर अधिकारी कैप्टन लूडले तथा कोव के कर्नल ड्यूरेन्ड को सलाह दी कि खजाना, जो पृथक भवन में है, वहाँ से रेसीडेंसी भेज दिया जाए जिससे कि उन्हें केवल एक ही स्थान की रक्षा करनी पड़ी। किंतु ड्यूरेड ने यह स्वीकार नहीं किया। रेसीडेंसी के चारों ओर खाई खोदने का उनका प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया गया। ड्यूरेंड का यह विचार था कि रेसीडेन्सी की मोर्चाबंदी करने से सिपाहियों के मन में संदेह तथा भय की भावना बढ़ेगी। महू स्थित गैरिसन में इस समाचार से पहले ही भय तथा आशंका की भावना पैदा हो गई थी कि बम्बई के गवर्नर लार्ड एलफिस्टन्न ने बम्बई प्रेसीडेंसी से मेजर जनरल बुडवर्न के अधीन सेना की एक टुकड़ी भेज दी है। यदि सेना की वह टुकड़ी ही आ जाती तो सेन्ट्रल इंडिया एक बड़े संकट से बचाया जा सकता था। किंतु सेना की वह टुकड़ी अचानक औरंगाबाद के विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ भेज दी गई। ड्यरेंड ने लॉर्ड केनिंग के निजी सचिव को वुडवर्न को औरंगाबाद का विद्रोह दबाने में सफलता मिली और वह महू आ सकता था किंतु वह उस ओर नहीं आया और औरंगाबाद में ही पड़ा रहा।

24 जून को महू के कर्नल लेट ने एक ऐसा भेदिया पकड़ा, जिस पर सिपाहियों के लिए कोई क्रान्तिकारी समाचार ले जाने का संदेह था। उसने उसे आवश्यक कार्यवाही की जाने के लिए कर्नल ड्यरेन्ड के पास इंदौर भेज दिया। तीन दिन बाद इंदौर की ब्रिटिश टुकड़ियों के बीच अनेक भेदिये देखे गए। 4 जून के अंतिम सप्ताह में इंदौर रेसीडेंसी की सुरक्षा के लिए खान नदी के पास तैनात इंदौर राज्य रिसाले के 300 सैनिक होल्कर सेना के कमान अधिकारी बख्शी खुमानसिंह द्वार चतुराई से भाहर में उनकी लाईनों में वापस भेज दिए गए। वुडवर्न की टकड़ियों के महू की ओर अग्रसर न होने का समाचार सिग्नल कार्यालय में गुप्त न रह सका और शहर के बाजारों में सभी को ज्ञात हो गया। उसी समय इंदौर शहर के एक महाजन को यह समाचार प्राप्त हुआ कि दिल्ली का पतन नहीं हुआ है।

होल्कर सेना द्वारा सुबह लगभग 8–40 पर रेसीडेंसी पर आक्रमण किया गया। इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता सआदत खान, वंश गोपाल अर्स रावसिंह, भागीरथ, नवाब वारिस मोहम्मद खान, मौलवी अब्दुल समद तथा अन्य व्यक्ति थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सआदत खान और वंशगोपाल कर रहे थे, जिससे प्रकट होता है कि विद्रोह अन्य स्थानों की तरह राष्ट्रीय स्वरूप

था। आठ घुड़ सवारों के साथ सआदत खान इंदौर की ओर से अपने घोड़े पर चिल्लाता हुआ चला आ रहा था। ''तैयार हो जाओं, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो यह महाराजा का आदेश है।'' दरबार की टुकड़ियों ने तुरन्त ही इसका उत्तर दिया और तोपचियों ने अपनी तीनों तोपें निशाने पर साधी। तब उन्होने रिसाले की टुकड़ी पर गोले बरसाये। आक्रमण करने वाली पहली टुकड़ियों में स्थाई पैदन सेना की 2 कंपनियों और तीनों पौंड का गोला दागने वाली तोंपे थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उन्होने भोपाल सैन्यदल के रिसाले पर गोले बरसाये। पैदल सेना और नागरिकों ने मिलकर 29 अंग्रेजों की, जिसमें यूरोपियन, यूरेशियन पुरूष तथा महिलाऐं तथा बच्चे थे, की हत्या की। कर्नल ट्रेवर्स ने रेसीडेंसी को बचाने का प्रयन्त किया, किंतु केवल पांच व्यक्तियों ने जो सभी सिक्ख थे, उसका साथ दिया और वे होल्कर के तोपचियों के बीच घुस गए। उन्होनें तोपेचियों को भगा दिया, सआदत खान को घायल कर दिया तथा कुछ क्षणों के लिए तोपों पर अधिकार कर लिया। किंतु शीघ्र ही होल्कर की पैदन सैना आ गई और उसने तोपों पर पुनः कब्जा कर लिया। विद्रोही नेता अब अपनी तोपें रेसीडेंसी के सामने के स्थान पर ले गए और उन्होनें पुन गोला बारी प्रारम्भ कर दी। ट्रेवर्स ने खुले स्थान पर पड़े हुए तोपखाने पर कब्जा करने का पुनः प्रयास किया किंतु सफल नही हो सका। उसके सैनिकों ने उसका साथ नहीं दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- फजेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्यभारत, 1857, पृष्ठ 3
- जी.डब्ल्यू. फारेस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन म्युटिनी, जिल्द तीन, पृष्ठ 141
- एनाल्स ऑफ दि इंडियन रिबेलियन, एन.ए. चिक द्वारा संकलित, पृष्ठ 842
- विक्रम यूनिवर्सिटी जर्लन, जिल्द दो, क्र. 2, पृश्ठ 104
- इंदौर स्टेट गजेटियर, 1908, पृष्ठ 141
- इंदौर नगर–एक झलक, 1952, पृष्ठ 13–14

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

सरकार की योजनाओं का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

साधना डण्डौतिया (शोधार्थी)

समाज व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और उनके आपसी सामंजस्य से ही समाज गतिशील होता है। समाज के विकास और उद्भव में स्त्री और पुरूष का अत्यधिक योगदान है। स्त्री समाज की आधारशिला होती है और इसके बिना समाज की कल्पना करना भी मुश्किल है। स्त्री शब्द सम्मान, श्रद्धा प्रतिष्ठा और पवित्रता का प्रतीक है। इस सबके बाबजूद भी स्त्रियों को पुरूशों से कम आंका जाता है।

भारत में वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति और दशा सम्मानजनक, पूज्य और अच्छी थी वे धार्मिक, राजनैतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती थी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं थी वे उन्नत दशा में थी परन्तु उत्तरवैदिक युग के आते–आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना प्रारम्भ हो गई उन पर अनेक रूढ़ियों और परम्पराओं के नाम पर स्त्रियों के लिए पराधीनता सूचक विधि–विधानों की नींव पड़ी। मध्ययुग में स्त्रियों की स्थिति में अधिक ह्रास हुआ। मुस्लिम प्रभाव अधिक होने लगा और धर्म और संस्कृति की रक्षा को बनाए रखने के लिए स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। जिससे उनकी दशा अत्यधिक खराब हो गई। मुगलकाल तो स्त्रियों के लिए काला युग था। ब्रिटिश काल में स्त्रियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए अनेक आन्दोलन चलाए गए तथा अधिनियम भी बनाए गए। जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जिसके परिणामस्वरूप 1829 में सती निषेध कानून बना, 1856 में हिन्दू पुनर्विवाह अधिनियम बना। गांधी जी ने स्त्रियों को पुरूशों के समान माना व उन्हें स्वंतत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जिससे कुछ महिलाऐं समाने आई और आंदोलन में भाग लिया। ''कपाड़िया ने कहा कि'' पहले महिलायें घरेलू दुनिया की प्रमुख केन्द्र थी, और वह अपने घर की साम्राज्ञी थी।

भारत में 70 सालों में महिलाओं के विकास व उन्हें रोकने और बढ़ाने के अनेकों प्रयास लम्बे समय से चलाए जा रहे हैं। इन्हीं असंतुलित प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं का सही से विकास नहीं हो पाया इन्हीं दशाओं के कारण महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता ने जन्म लिया।

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी मनुष्य की उस क्षमता है जिसमें वह स्वतंत्र रूप से आर्थिक, सामाजिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से स्वयं निर्णय ले सके। महिला सशक्तिकरण का संबंध उस स्थिति से है जिसमें महिलाऐं स्वयं आगे आकर समाज में अपनी आवाज उन क्षेत्रों में बुलंद कर सकें जिससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित होता है चाहे वह पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक क्षेत्र, सभी में महिलाओं के विकास एवं सुदृणता ही महिला सशक्तिकरण है। ''महात्मा गांधी का सर्वोदय दर्शन हो या पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद हो महिला सर्वत्र चिन्तन का केन्द्र बिन्दु रही है।[1] जवाहर लाल नेहरू के अनुसार ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा।'' भारत में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। जिससे स्त्रियों की दशा में सुधार हो क्योंकि कोई भी देश तब तक तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक की वहाँ की महिलाऐं कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चले। नेपोलियन बोनापार्ट ने ''महिलाओं को शिशु और समाज दोनों की अनुशांगिक पाठशाला स्वीकार करते हुए एक महान राश्ट्र के निर्माण में उनकी उपादेयता यूँ ही अकारण स्वीकार नहीं की थी। जिसका अर्थ है कि महिला उत्थान के बिना राष्ट्र उत्थान सम्भव नहीं है।''[2] इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं का सबलीकरण किया जाए।

स्त्रियों को देश के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए संविधान द्वारा समय–समय पर नवीन कानूनों का निर्माण व आव यकतानुसार पुराने कानूनों में संशोधन कर नये रूप में लागू किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा महिला से संबंधित अनेक विधानों का निर्माण किया गया–

अनुच्छेद–14 संविधान में विधि के समक्ष समानता का अधिकार बिना किसी भेदभाव प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद–15 राज्य, धर्म, जाति–वंश लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–16 लोक सेवाओं में सभी को अवसर की समानता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं को

रोजगार प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 16 के खण्ड (2) में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद–39 (घ) संविधान द्वारा स्त्री एवं पुरूश को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा जिससे महिलाऐं आर्थिक जीवनयापन कर सकें।

अनुच्छेद 42 महिलाओं में काम की न्यायसंगत और मनोवेचित दशाओं का अधिकार है और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य से सहयोग की अपेक्षा करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ के लिए अवकाश की व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद 243 (घ) तथा अनुच्छेद 243 (म) के अधीन महिलाओं के लिये पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करने व उन्हें सशक्त बने और उनके अधिकार सुरक्षित रहे इस हेतु अनेक अधिनियम पारित किए गए सरकार द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण कानूनों में –

1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
3. दहेज निषेध अधिनियम 1961
4. गर्भपात अधिनियम 1971
5. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
6. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1994
7. प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 2005
8. घरेलू हिंसा अधिनियम 2006
9. आपराधिक कानून और आपराधिक कानून संशोधित अधिनियम 2013
10. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिशेध अधिनियम 2013
11. प्रसूति सुविधा प्रसुविधा अधिनियम 2016

इन तमाम अनुच्छेदों और अधिनियमों के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, समानता का अधिकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदान किए गए हैं। जिससे वे किसी भी प्रकार की हिंसा के विरूद्ध आवाज उठा सके इन अधिनियमों के बावजूद भी महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराध कम नहीं हो रहे आज भी महिलाऐं प्रत्येक स्तर पर चाहे घर हो या बाहर कहीं न कहीं हिंसा का शिकार होती है।

सरकार द्वारा महिलाओं की दशा व स्थिति को सुधारने के लिए योजनाओं का निर्माण आर्थिक सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य से सम्बन्धित क्षेत्रों में किया जाता रहा है। योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं का समुचित विकास हो और वे स्वस्थ एवं स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। महिलाओं के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाऐं चलाई जा रही है जो महिलाओं के विकास में सहायक होती है।

1. **बालिका समृद्धि योजना** :– इस योजना के माध्यम से 15 अगस्त 1997 के बाद जन्मी बालिका के परिवार को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की बच्ची के जन्म के समय 500 रूपये की राशि प्रदान करना तथा बालिका के स्कूल जाने पर पहली कक्षा के लिए 300 रूपये छात्रवृत्ति व दसवीं कक्षा के लिए 1000 रूपये का प्रावधान किया गया है।
2. **जागृति शिविर** :– सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनके विरूद्ध हो रही हिंसा को रोकने के लिए जागृति शिविरों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है जिससे उन्हें कानूनी अधिकारों का ज्ञान हो, शासकीय योजनाओं से अवगत कराने के लिए जागृति शिविर जिले में तथा प्रत्येक विकासखण्ड में लगाए जाते हैं।
3. **मिशन इन्द्रधनुष** :– गर्भवती माताओं व बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित कराने के लिए योजना प्रारम्भ की गई है।
4. **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** :– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सरकार द्वारा 2006 से संचालित की जा रही है परन्तु वर्तमान में इस योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्याविवाह योजना कर दिया गया। इस योजना का प्ररम्भ करने का मुख्य उद्देश्य कन्याओं, विधवाओं, तलाकशुदा की शादी करवाने के लिए गरीब जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ केवल सामूहिक विवाह में ही लिया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक है।
5. **सबला योजना** :– इस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के पोषण और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है और उन्हें

घरेलू और व्यवसायिक कौशल प्रदान कर बालिकाओं का सशक्तिकरण करना है। ऐसी बालिक जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुकी है या नहीं जा रही है उन्हें औपचारिक रूप से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। योजना के अंतर्गत चिन्हित बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा साफ–सफाई के विषय में जानकारी देना। साथ ही साथ 11 से 15 वर्ष की विद्यालय छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना व विद्यालय भेजना तथा किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिनों को पोषण आहार देना सम्मिलित है।

6. **लाड़ो अभियान** :– बाल–विवाह जैसी कुप्रथा को बंद करने के लिए लाड़ो अभियान चलाया जा रहा है। बाल–विवाह एक अपराध है इसे रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्श 2013 से लाड़ो अभियान चालू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराना और बाल–विवाह के कारण बच्चों पर हो रहे मानसिक एवं शारीरिक दुष्परिणामों के संबंध में जन सामान्य को जागरूक करना है। यह अभियान वर्ष भर प्रदेश में चलाया जाता है। इस अभियान के द्वारा अब तक 52 हजार बाल विवाह होने से पहले ही सलाह व कानूनी कार्यवाही के द्वारा रोके जा चुके है। कुल 1556 बाल विवाह, विवाह स्थल पर रोके गए और 41 हजार प्रकरण पुलिस में दर्ज कराए गए। अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया गया और 22 हजार स्कूल में बाल–विवाह की जानकारी दी गई।

7. **बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं** :– बालिकाओं के घटते लिंगानुपात को कम करने के लिए सरकार द्वारा 2007 से बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना प्रारम्भ की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्श 2011 को बेटी बचाओं वर्ष घोषित किया गया तथा सघन एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से शिशु लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा एक जन अभियान के रूप में योजना का संचालन किया जा रहा है।

8. **वन स्टॉप सेन्टर** :– वर्ष 2015 से देश के विभिनन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 600 से अधिक वन स्टॉप सेन्टर खोले गए। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी तथा मानसिक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है।

9. **उदिता योजना** :– महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उदिता योजना का प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महामारी के समय होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों पर उदिता कॉर्नर बनाये जाते है। जिसमें निःशुल्क सेनेटरी नेपकिल दी जाती हैं।

10. **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** :– केन्द्र सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना है। यह योजना मई 2016 से शुरू की गई इसके माध्यम से गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रीमण्डल ने 8,000 करोड़ रूपये की योजना को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 तक देश में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में (2017–18) तक देशभर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कर दिए गए है।

11. **प्रधानमंत्री–मातृत्व वंदना योजना** :– भारत सरकार की मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कर दिया गया है यह योजना 2017 से चालू की गई। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के बच्चे के लिए 6000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे उनके खाने–पीने और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

12. **महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम** :– देश में महिलाओं और बच्चों से सम्बंधित समस्याओं के समाधान एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के लिए 76 जिलों में महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम चलाए जा रहे है। मध्यप्रदेश में भी महिला एवं बाल बच्चों में उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्या का निदान करता है।

13. **सबला योजना** :– सरकार द्वारा संचालित सबला योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के पोषण और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है। और उन्हें घरेलू और व्यवसायिक कौशल प्रदान कर बालिकाओं का सशक्तिकरण करना है। ऐसी बालिका जो किसी कारणवश स्कूल छोड़

चुकी है या जा नहीं पा रही है उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है योजना के अंतर्गत चिन्हित बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा साफ–सफाई के विषय में जानकारी देना। साथ ही साथ 11 से 15 वर्ष की विद्यालय छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना व विद्यालय भेजना तथा किशोरी बालिकाओं को वर्श में 300 दिनों का पोषण आहार देना सम्मिलित किया है।

इन योजनाओं के अलावा भी स्वागतम् लक्ष्मी योजना, स्वर्णिम योजना, परिवार परामर्श केन्द्र, स्टेप योजना, आयुष्मति योजना, समेकित बाल विकास परियोजना, स्वसहायता समूह, ई–हाट योजना, महिला डेयरी विकास योजना, स्वागतम् लक्ष्मी योजना, ऊषा किरण योजना, मंगल दिवस योजना, बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना, बालिका सुरक्षा योजना, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना इत्यादि अनेक योजनाऐं केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं व बालकाओं के विकास व सशक्तिकरण हेतु संचालित की जा रही है। जिससे वे जागरूक होकर स्वयं की स्थिति को सुधारने तथा भावी पीढ़ी व राष्ट्र विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। महिलाओं में जागरूकता लाने के सबसे सशक्त माध्यमों में शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे महिलाऐं अधिक जागरूक होती विभिन्न योजनाओं द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है। आज महिलाऐं प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह राजनीतिक हो, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, खेलकूद, प्रशासन इत्यादि में पुरूशों के समान कार्य कर रही हैं इन योजनाओं, कानूनों व अनुच्छेदों के अलावा भी महिलाओं के लिए राजनीति क्षेत्र में 73 व 74 संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व नगरीय पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। जिससे महिलाऐं राजनीति क्षेत्र में आए व अपना योगदान दें। महिलाऐं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य भी कर रहीं हैं परन्तु अभी भी उतनी सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए महिला आरक्षण के संबंध में समय–समय पर राजनीतिक दलों एंव महिला संगठनों द्वारा आंदोलन भी किए परन्तु मात्र आंदोलन करने से नहीं बल्कि सोच बदलने की जरूरत है तभी महिलाऐं राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त हो पायेगी शैक्षणिक क्षेत्र में भी वर्ष 1970–80 की अवधि में औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण की स्थापना की गई इसके परिणाम स्वरूप महिला साक्षरता में वृद्धि भी हुई। महिलाओं के लिये किये गये प्रयास तभी सार्थक हो सकेंगे जब महिलाऐं स्वंय अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, शिक्षित हो व अपने पैरों पर खड़ी हो। डॉ. पाणिक्कर के अनुसार ''स्त्रियों की शिक्षा एवं उनकी राजनैतिक जागृति ने उस कुल्हाड़ी को तेज कर दिया है। जिसकी सहायता से हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झांडियों को साफ करना सम्भव हो गया है।''[3] महिलाओं के विकास के लिए वर्ष 1985 में मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई जिसके द्वारा योजनाओं की जानकारी व लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को दिया जा सके।

सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये कई योजनाऐं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे है परन्तु महिलाओं की संख्या का अभी भी बहुत बड़ा भाग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं इसका प्रमुख कारण जागरूकता का अभाव है तथा अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं राजनैतिक कारणों से महिलाओं की सहभागिता संतोषजनक नहीं है। यद्यपि योजनाओं के कारण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है और आ रहा है परन्तु यह अभी कम ही है इसके लिए आवश्यक है की सरकार द्वारा और अधिक सचेत प्रयास किये जाऐं तथा योजनाओं को प्रत्येक स्तर पर ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाए। महिला एवं पुरूश संबंधी अन्तर को समाप्त किया जाए। जिससे महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो तभी महिला सशक्तिकरण वर्ष का मनाया जाना सार्थक सिद्ध होगा ''कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक कि उसकी महिलाऐं कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलें।'' यदि महिलांऐ सच में सशक्त होना चाहती है तो आवश्यक है कि पुरूष विरोधी रवैया को अपनाने से अच्छा है कि वे स्वंय को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करें। जब तक वे खुद स्वंतत्र होकर अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगी तब तक महिला सशक्तिकरण जैसा यह शब्द मात्र एक शबद ही रह जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. जसवाल एस.के.–प्राचीन समाज
2. रेड्डी जी.बी.–वुमिन एण्ड द ला, पंचम संस्करण वर्ष 2005 प्र.क्र. गोपाल खाँ एजेंसी हैदराबाद
3. पनिक्कर के.एम.–हिन्दू एट द एक्रोस रोड़, आस पब्लिकेशन हाउस बॉम्बे 1959

ISSN : 2394-3580 **Swadeshi Research Foundation** Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

ग्रामीण स्वास्थ्य और गाँधी

डॉ. जितेन्द्र शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट सतना (म. प्र.)

आलेख सार :– ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता के 70–72 वर्षों बाद भी देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टरों और औषधालयों को बढाने से इस चुनौती को कुछ सीमा तक तो कम किया जा सकता है, परन्तु निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। महात्मा गांधी के दर्शन में इस समस्या का स्थायी हल ढूंढा जा सकता है। गाँव वाले, गाँव में ही रहें। स्वस्थ और सुखी रहे, इस हेतु गाँधी दर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं। ग्रामीण जीवन की अस्वास्थ्यकर स्थितियों हेतु बापू के अनुसार प्रमुख रूप से तीन कारक जिम्मेदार हैं–1. सार्वजनिक स्वच्छता की कमी, 2. पर्याप्त और पोषक आहार की कमी, 3. ग्रामवासियों की जड़ता।

ग्रामवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करके, खुले में शौच को हतोत्साहित करके, मल–मूत्र को खेत की मिट्टी में दबाकर, जलाशयों को मानवकृत गन्दगी से बचाकर शैचालयों का निर्माण कराकर इस समस्या को बहुत हद तक काबू में लाया जा सकता है। अस्वास्थ्यकर और गन्दगी भरा परिवेश ही बीमारियों का मूल कारण है, जिसे वैयक्तिक और सार्वजनिक सफाई से दूर किया जा सकता है। पोषक आहार की कमी को किचेन गार्डेन में पैदा की जाने वाली मौसमी शाक–सब्जियों और फल तथा पशुधन (गौपालन) के विकास द्वारा दूर किया जा सकता है। छोटे–छोटे ग्रामद्योगों का सहारा लेकर ग्रामीण अपनी आय को बढ़ा सकते हैं परिणामतः पर्याप्त और पोषक आहार की व्यवस्था की जा सकेगी। अवैज्ञानिक और परम्परागत सोच भी हमारी बीमारियों का कारण है। चेचक, प्लेग, कालरा जैसी बीमारियों को तो मात्र साफ–सफाई से ही नियन्त्रित किया जा सकता है। सन्तति जनन हेतु वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग कर जच्चा बच्चा की मृत्यदर को काफी कम किया जा सकता है। यदि इन तीनों दिशाओं में सार्थक और अनवरत् प्रयास किये जायँ तो ग्रामीण जीवन सुखी, स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है।''

''चन्द्रमा मानव निवास के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है और न ही शुक्र और मंगलग्रह ही है हमारे लिये बेहतर यही होगा कि हम जो भी कर सकते हैं वह पृथ्वी को स्वच्छ बनाने में करें क्योंकि यह वह जगत है जहाँ हमें रहना है।''_अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री बाल्टेयर एम.शिराका मेरी दृढ़ मान्यता है कि अगर भारत को सच्ची आजादी प्राप्त करना है और भारत के जरिये संसार को भी, तो आगे या पीछे हमें यह समझना होगा कि लोगों को गाँवों में ही रहना है, शहरों में नहीं, झोपड़ियों में रहना है, महलों में नहीं। करोड़ों लोग शहरों या महलों में कभी एक–दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। उस परिस्थिति में उनके पास सिवा इसे कोई चारा नहीं होगा कि वे हिंसा और असत्य दोनों का सहारा लें।

मेरा विश्वास है और मैंने इस बात को असंख्य बार दुहराया है कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गाँवों में बसा हुआ है लेकिन हम शहरवासियों का ख्याल है कि भारत शहरों में ही है और गाँवों का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिये ही हुआ है। हमने कभी यह सोचने की तकलीफ ही नहीं उठायी कि उन गरीबों को पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढंकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं और धूप तथा वर्षा से बचने के लिये उनके सिर छप्पर है या नहीं। **महात्मा गाँधी मेरे सपनों का भारत**

जीवन के लिये हवा में आक्सीजन होना बहुत जरूर है। आक्सीजन हमें पेड़–पौधों और वृक्षों से मिलता है। हमारा जीवन वृक्षों पर निर्भर है। लेकिन मनुष्य अपने निजी स्वार्थों के कारण वृक्षों को काटकर सारी मानव जाति के लिये खतरा पैदा कर रहा है। ...... वक्त आ गया है साफ हवा के लिये केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें और कुछ कड़े कदम उठाये जाये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमें सांस लेने के लिये शुद्ध हवा भी मिलना मुश्किल हो जायेगी और लोग बड़े पैमाने पर दमा, टीवी. सहित कई तरह की बीमारियों के शिकार होंगे।[1] **दैनिक पत्र 'आज' शनिवार 2 नवम्बर, 2019**

जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जहाँ गांधी का स्पर्श न हो। इसी से यह प्रतिबिम्बित होता है कि एक महात्मा का महत्व पूरी दुनिया में कितना और क्यों है। सभी में समाये गाँधी केवल हाड़–मांस के मानव नहीं बल्कि महामानव थे। गांधी सत्य और अहिंसा की पाठशाला एवं भारत की ऐसी स्थायी विरासत हैं, जिसका उदाहरण दुनिया में दूसरा देश नहीं। गैर बराबरी और अन्याय के चंगुल में फँसी दुनिया को राह दिखाने का समूचा दर्शन खोजना हो तो गाँधी में ढूँढा

जा सकता है। उन्हें दुनिया से गये सात दशक हो गये लेकिन उनके विचार और मर्म को आज भी विश्व न केवल अनुप्रयोग करता है बल्कि कई चरम पर पहुँच चुकी समस्याओं से निजात पाने का रास्ता भी खोजती है।[2] **दैनिक पत्र 'आज' 2 अक्टूबर, 2019**

दशकों पूर्व महाविभूति वाल्टेयर एम.शिरका और महात्मा गाँधी द्वारा पर्यावरण, पृथ्वी और जीवन के सम्बन्ध में जो अमूल्य विचार व्यक्त किये गये, वे आज भी मानव जाति के लिये न केवल प्रासंगिक है बल्कि उससे परे हटकर जीवन और जगत के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दैनिक समाचार–पत्र आज में प्रकाशित उक्त दोनों आलेख अंश शहरी और ग्रामीण जीवन के सुख, शान्ति, सहकार और स्वास्थ्य के लिये मानों गाँधी दर्शन के आधुनिक संस्करण है। वास्तव में ग्रामीण जीवन ही क्या, सम्पूर्ण मानव सभ्यता का योगक्षेम गाँधी दर्शन में समाहित है। प्रस्तुत आलेख में हम प्रतिपाद्य को देखते हुये मात्र ग्रामीण स्वास्थ्य के संदर्भ में गांधी विचारधारा का विश्लेषणात्मक विवेचन करेंगे।

ग्रामीण जनजीवन पर प्रकाश डालते हुये पूज्य बापू ने मेरे सपनों का भारत में लिखा है–''शहर के लोगों को शायद ही इस बात का पता होगा कि भारत के आधा पेट रहने वाले करोड़ों लोग किस तरह दिन प्रतिदिन मृतप्राय होते जा रहे हैं। उन्हें इस बात का पता तक नहीं कि उनके वे क्षुद्र ऐश–आराम और कुछ नहीं...... पूंजीपतियों का घर भरने का जो परिश्रम वे करते हैं उसकी निरी दलाली मात्र है और वह सारा मुनाफा तथा उनकी दलाली दोनों भारत की गरीब प्रजा को निचोड़कर निकाली गयी चीज है।..... किसी भी तरह के वितंडावाद से अथवा अंकों और ब्योरों से तथा किसी भी तरह के मायावी कोष्ठकों से उस सबूत को उड़ाया नहीं जा सकता जो भारत के देहात आज अपने चलते–फिरते नरकंकालों को हमारी आखों के सामने पेश करके दे रहे हैं।[3]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 72 वर्षों की इस लम्बी यात्रा में देश ने विकास के नये आयाम स्थापित किये है। परन्तु शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मामले में विशेषकर ग्रामीण जीवन आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अधिकसंख्य ग्रामीण आज भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं से वंचित है। शहरों की तरफ पलायन आज भी ग्रामीण जीवन की कटु वास्तविकता है। वस्तुतः ग्रामीण जीवन की समस्याओं का सार्वकालिक निदान गांधी दर्शन में ही निहित है।

स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुये गांधी जी कहते हैं–

Health is the first condition of happiness[4]

It is health which is real wealth not pieces of silver and gold.[5]

The real key to health lies in the conservation of vital energy.[6]

A healthy mind in a healthy body is a correct maxim.[7]

वस्तुतः गाँधी स्वास्थ्य को ही वास्तविक धन मानते हैं सोने–चांदी को नहीं। सोने चांदी तो भोग्य पदार्थ है। यदि उपभोग की क्षमता (स्वास्थ्य) ही नहीं रहेगी तो भोग्य पदार्थों–सोने चांदी का क्या काम। स्वास्थ्य परम धन ही नहीं है बल्कि यह प्रसन्नता का उत्स भी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अतः 'उत्तम स्वास्थ्य' विकास की प्रमुख कसौटी है। जितना ही हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते जाते हैं उतना ही हम विकसित होते जाते हैं।

'मेरे सपनों का भारत' नामक अपने ग्रन्थ में गाँधीजी ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तीन मूलभूत समस्याओं का उल्लेख करते हैं–

1. सार्वजनिक स्वच्छता की कमी
2. पर्याप्त और पोषक आहार की कमी
3. ग्रामवासियों की जड़ता....

उक्त तीनों समस्यायें किस रूप में है और उनका गाँधीवादी समाधान क्या है यह जानने के पूर्व आइये देखें कि गाँधी के आदर्श ग्राम की रूपरेखा क्या होगी? आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह बसाया जायेगा कि उसमें आसानी से स्वच्छता की पूरी–पूरी व्यवस्था रहे। उसकी झोपड़ियों में पर्याप्त प्रकाश और हवा का प्रबन्ध होगा। और उनके निर्माण में जिस सामान का उपयोग होगा वह ऐसा होगा जो गांव के आसपास पांच मील की त्रिज्या के अन्दर आने वाले प्रदेश में मिल सके। इन झोपड़ियों में आँगन या खाली जगह होगी, जहाँ उस घर के लोग अपने उपयोग के लिये साग–भाजियां उगा सके और अपने मवेशियों को रख सकें गाँव की गलियाँ और सड़के, जिस धूल को हटाया जा सकता है, उससे मुक्त होगी। उस गाँव में उसकी आवश्यकता के अनुसार कूयें होंगे और वे सबके लिये खुले होंगे। उसमें सब लोगों के लिये पूजा के स्थान होंगे, सब के लिये एक सभा भवन होगा, मवेशियों के चरने के लिये गाँव का चारागाह होगा सहकारी डेरी होगी, प्राथमिक और माध्यमिक शालायें होंगी जिनमें

मुख्यतः औद्योगिक शिक्षा दी जायेगी और झगड़ों के निपटारे के लिये ग्राम पंचायत होगी। वह अपना अनाज, साग–भाजियाँ और फल तथा खादी खुद पैदा कर लेगा।''[8]

'सार्वजनिक स्वच्छता की कमी' ग्रामीण स्वास्थ्य के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। सार्वजनिक गन्दगी के सम्बन्ध में गाँधी जी ने तत्कालीन ग्राम्य जीवन की जिस दशा का वर्णन किया है कमोवेश वही दशा आजाद हिन्दुस्तान के 70–72 वर्षों बाद भी है। सार्वजनिक गन्दगी पर प्रतिक्रिया स्वरूप बापू हिन्द स्वराज में लिखते हैं...... देश में जगह–जगह सुहावने और मनभावन छोटे–छोटे गांवों के बदले हमें घूरे जैसे गन्दे गाँव देखने को मिलते हैं। बहुत से या यों कहिये करीब–करीब सभी गाँवों में घुसते समय जो अनुभव होता है उससे दिल को खुशी नहीं होती। गाँव के बाहर और आस–पास इतनी गन्दगी होती है और वहाँ इतनी बदबू आती है कि अक्सर गाँव में जाने वाले को आँख मूदकर और नाक दबाकर ही जाना पड़ता है।

हमारी प्राचीन परम्परायें और रूढ़ियाँ भी सार्वजनिक गन्दगी का कारण बनती जा रही है। प्रायः श्राद्व जैसी धार्मिक क्रियायें जो जलाशयों या पोखरों के किनारे की जाती है,, उनसे जलाशयों का पानी गन्दा होता है। हमें इससे निजात पाने के लिये ग्रामवासियों में स्वच्छता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना होगा। पढ़े–लिखे और थोड़ा बुद्धिमान लोगों की जिम्मेदारी इस मामले में बढ़ जाती है, उन्हें ऐसे मामलों में सफाई हेतु पहल करनी पड़ेगी। स्वयं बापू की कलम से ...... हमने राष्ट्रीय या सामाजिक सफाई को न तो जरूरी गुण माना और न उसका विकास ही क्रिया रिवाज के कारण हम अपने ढंग से नहा भर लेते हैं मगर जिस नदी, तालाब या कुंयें के किनारे हम श्राद्व या वैसी ही दूसरी कोई धार्मिक क्रिया करते हैं और जिन जलाशयों में पवित्र होने के विचार से हम नहाते हैं, उनके पानी को बिगाड़ने या गंदा करने में हमें कोई हिचक नहीं होती। इस दुर्गुण का ही यह नतीजा है कि हमारे गाँवों और हमारी पवित्र नदियों के पवित्र तटों की लज्जाजनक दुर्दशा और गन्दगी से पैदा होने वाली बीमारियाँ हमें भोगनी पड़ती है।[9]

बापू समस्या का केवल कारण ही नहीं बताते हैं बल्कि उसका सम्यक् समाधान भी प्रस्तुत करते है। वास्तव में इसके पीछे मूलकारण स्वच्छता के प्रति सार्वजनिक जागरुकता का अभाव है। इसके लिये गाँव के कुछ लोगों को आगे बढ़कर सफाई का काम हाथ में लेना चाहिये। इससे धीरे–धीरे एक–दूसरे को देखकर उनके मन मे स्वच्छता का भाव पैदा होगा और एक समय बाद वे अपनी सफाई स्वयं करने लगेंगे। खुले में शौच ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी बुराई और बीमारी का कारण है। बापू इससे निजात का देशी परन्तु लाभप्रद तरीका बताते हैं–मल–मूत्र को उपयोगी बनाने के लिये यह करना चाहिये कि उसके साथ चाहे वह सूखा हो या तरल–मिट्टी मिलाकर उसे ज्यादा से ज्यादा एक फुट गहरा गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाये। मिट्टी में मौजूद जीवाणु मल–मूत्र को एक हफ्ते के अन्दर एक अच्छी मुलायम और सुगन्धित मिट्टी में बदल देते हैं। कोई भी उद्यमी ग्रामवासी कम से कम इतना काम तो खुद भी कर ही सकता है कि मल–मूल को एकत्र करके उसको अपने लिये सम्पत्ति में परिवर्तित कर दे। आजकल तो यह कीमती खाद जो लाखों रुपये की कीमत की है प्रतिदिन व्यर्थ जाती है और बदले में हवा को गन्दी करती और बीमारियाँ फैलाती रहती है।

सार्वजनिक जलाशयों के प्रति स्वच्छताभाव का अभाव उनकी उपेक्षा ही अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ पैदा करती है। इसके प्रति गाँव वालों को जागरुक किया जाना चाहिये। ''गाँव के तालाबों से स्त्री और पुरुष सब स्नान करने, कपड़े धोने, पानी पीने तथा भोजन बनाने का काम लिया करते हैं। बहुत से गाँवों के तालाब पशुओं के काम भी आते हैं। बहुधा उनमें भैसे बैठी हुई पायी जाती है।....... आरोग्य विज्ञान इस विषय में एकमत है कि पानी की सफाई के सम्बन्ध में गाँव वालों की उपेक्षावृत्ति ही उनकी बहुत सी बीमारियों का कारण है।[10]

पश्चिम से हम एक जरूरी चीज सीख सकते हैं और वह हमें सीखनी ही चाहिये–शहरों की सफाई का शास्त्र। पश्चिम के लोगों ने सामुदायिक आरोग्य और सफाई का एक शास्त्र ही तैयार कर लिया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है बेशक सफाई की पश्चिम की पद्धतियों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते है।[11]

शरीर श्रम के प्रति भी ग्रामीण बच्चों और युवाओं में अनादर का भाव पैदा होता जा रहा है। यह आत्मघाती है। बिना पर्याप्त श्रम किये शरीर को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। गाँधीजी कहते हैं–''भारत के पास कौन सा साधन नहीं है। उसका सुन्दर जलवायु उसके गगनचुम्बी पर्वत उसकी विशाल नदियाँ और उसका विस्तृत समुद्र–ये सब ऐसे असीम साधन है कि अगर इन सबका पूरा–पूरा उपयोग किया जाय, तो इस स्वर्ण देश में दरिद्रय और रोग आये ही क्यों? पर जब से हमने शारीरिक श्रम से बुद्धि का सम्बन्ध छुड़ाया तब से हमारी कौम का सब तरह से पतन हो गया, दुनिया

में आज हम सबसे अल्पजीवी, निपट साधनहीन और अत्यंत पराश्रित प्रजा माने जाते हैं।

पर्याप्त और पोषक आहार की कमी आज भी ग्रामीण स्वास्थ्य के समक्ष एक चुनौती बनी हुई है। ग्रामीणों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है। पैसे के अभाव या भुखमरी के कारण वे अपनी उपज को औने–पौने दामों पर बेचने के लिये बाध्य हो जाते हैं परिणाम स्वरूप सबका पेट भरने वाला किसान स्वयं दरिद्रता के कारण समुचित पोषक आहार से वंचित हो जाता है। इस दिशा में सरकार और सहकारी संस्थाओं को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। विपणन व्यवस्था को सुधार करके ग्रामीणों की आय बढ़ायी जा सकती है।..... मैंने पाया है कि शहरवासियों ने आमतौर पर ग्रामवासियों का शोषण ही किया है। सच तो यह है कि शहरी ग्रामवासियों की मेहनत पर ही जीवित है। जहाँ तक मैं जनता हूँ (कोई भी) यह नहीं कह सकता कि भारतीय ग्रामवासियों को भरपेट अन्न मिलता है। उलटे (सबने) यह स्वीकार किया है कि अधिकांश आबादी लगभग भुखमरी की हालत में रहती है, दस प्रतिशत अधभूखी रहती है और लाखों लोग चुटकी भर नमक और मिर्ची के साथ मशीनों का पालिश किया हुआ निःसत्व चावल या रूखा–सूखा अनाज खाकर अपना गुजारा चलाते हैं।[12]

पोषक आहार की पूर्ति हेतु दूध, फल, सब्जी और अनाज के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। दूध और सब्जी यदि पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे तो कुपोषण की समस्या का सहजता से निदान सम्भव है। भला ग्रामीणों को यह चीजें क्यों नहीं मिल पा रही है? कारण उनके अन्दर कामचोरी और आलस्य का शैतान बैठ गया है। बापू कहते हैं ''हिन्दुस्तान में अनगिनत पशुधन है जिसकी तरफ हमने ध्यान न देकर गुनाह किया है। गोरक्षा मुझे मनुष्य के सारे विकास क्रम में सबसे अलौकिक वस्तु मालुम हुई है। गोमाता जन्म देने वाली माँ से कहीं बढ़कर है। माँ तो साल दो साल दूध पिलाकर हमसे फिर जीवन भर सेवा की आशा रखती है पर गोमाता को तो सिवा दाने और घास के कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। ''प्रत्येक ग्रामवासी को कम से कम एक गाय तो पालनी ही चाहिये। जहाँ तक सब्जी और फल की समस्या है, प्रत्येक ग्रामीण के पास थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा तो रहता है अगर वे उसमें थोड़ी सी मेहनत कर मौसमी सब्जियाँ और फल पैदा कर ले तो कुपोषण की समस्या से सहज निजात पायी जा सकती है। अपने आदर्श ग्राम की कल्पना करते हुये बापू कहते हैं ''इन झोपड़ियों में आँगन या खाली जगह होगी, जहाँ उस घर के लोग अपने उपयोग के लिये साग–भाजियाँ उगा सकें। और अपने मवेशियों को रख सकें...... मवेशियों को चरने के लिये गाँव का चारागाह होगा, सहकारी डेरी होगी। गाँववासियों को अपनी आय बढ़ाने के लिये ग्रामोद्योगों का सहारा लेना ही पड़ेगा। मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मसाला पीसना, मिट्टी की बर्तन आदि ऐसे ढेर सारे काम है जिनमें कम से कम लागत की जरूरत पड़ती है और वर्ष पर्यन्त आय होती रहती है। ग्रामीण लोग श्रम देवता की पूजा कर, ग्रामोद्योगों का सहारा लेकर फलतः अपनी आय बढ़ाकर कुपोषण की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। फलतः दीर्घकाल तक निरोगी रह सकेंगे।

ग्रामवासियों की जड़ता भी उनके स्वास्थ्य की गिरी दशा का कारण है। अस्वास्थ्यकर परिवेश–जिसके वे आदी हो गये है, को साफ–सफाई से स्वास्थ्यकर बनाया जा सकता है जलाशयों को गन्दगी से बचाकर शुद्ध पेयजल प्राप्त किया जा सकता है। हाँ इन सबके साथ उन्हें स्वस्थ्य रहने के लिये अपनी कतिपय मामलों में मनःस्थिति को बदलना होगा, वैज्ञानिक सोच और तौर–तरीकों को अपनाना होगा। हरिजन सेवक पत्रिका के 2 जून 1946 के अंक में गाँधी जी लिखते हैं ''मेरी राय में जिस जगह शरीर सफाई, घर सफाई और ग्राम सफाई हो तथा युक्ताहार और योग्य व्यायाम हो वहाँ बीमारी कम से कम होती है। और अगर चित्त शुद्धि भी हो तो कहा जा सकता है कि बीमारी असम्भव हो जाती है। अगर देहात वाले इतनी बात समझ जाय तो वैद्य, हकीम या डॉक्टर की जरूरत न रह जाये।

स्वस्थ जीवन के लिये यह भी आवश्यक है कि हम अपनी जननेन्द्रिय पर संयम रखे और सीमित मात्रा में संतान पैदा करे। सन्तान भगवान का उपहार या ईश्वर की देन है–इस मानसिक जड़ता से ग्रामीणों को मुक्त करना होगा। भारत के युवा स्त्री–पुरुषों को, जिनके हाथ में देश का भाग्य है, इस झूठे देवता से सावधान रहना चाहिये। ईश्वर ने उन्हें जो खजाना दिया है उसकी रक्षा करनी चाहिये और इच्छा हो तो उसका उसी काम में उपयोग करना चाहिये, जिसके लिये वह बनाया गया है। आत्म संयम के लिये महिलाओं को भी शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं मानता कि स्त्री काम विकार की उतनी ही शिकार बनती है जितना पुरुष। पुरुष के बनिस्वह स्त्री के लिये आत्मसंयम पालन ज्यादा आसान होता है। मैं मानता हूँ कि इस देश में स्त्री को दी जाने लायक सही शिक्षा यह होगी कि उसे अपने पति को भी 'नहीं' कहने की कला जाय। उसे यह सिखाया जाय कि पति के हाथों

में केवल विषय–भोग का साधन या गुड़िया बनकर रहना उसका कर्तव्य बिल्कुल नहीं है।''[13]

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक और वैयक्तिक स्वच्छता, पर्याप्त और पोषक आहार तथा वैज्ञानिक सोच की अभिवृद्धि द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्द्धन सहजता से किया जा सकता है। काश, ग्रामीण युवक और युवतियों गाँधी के इस सहज सरल जीवन मन्त्र को अपने जीवन में साध पाते।

संदर्भ :–

1. दैनिक समाचार पत्र 'आज' 2 नवम्बर, 2019
2. वही, 2 अक्टूबर, 2019
3. गांधी मोहनदास (संस्करण 1995) मेरे सपनों का भारत, नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद, पृ.सं.30
4. Mishra Anil Dutta (2010) Quotes of MahatmaGandhi Abhijeet Publication Delhi, pp.63
5. Harijan June, 29, 1935.
6. Mishra Anil Dutta (2010) Quotes of MahatmaGandhi Abhijeet Publication Delhi, pp.63
7. CWMG : 47:85
8. गांधी मोहनदास (संस्करण 1995) मेरे सपनों का भारत, नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद, पृ.सं.34–35
9. वही, पृ.सं.74
10. हरिजन सेवक, 15 फरवरी, 1935
11. यंग इण्डिया, 26 दिसम्बर, 2024
12. हरिजन, 4 अप्रैल, 1936
13. गांधी मोहनदास (संस्करण 1995) मेरे सपनों का भारत, नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद, पृ.सं.112–113

वैदिकसंस्कारारणां परिप्रेक्ष्ये मार्कण्डेयपुराणस्य समीक्षात्मकमध्ययनम् स्वरूपम्

डॉ. सुनीता रानी
अंशकालिक प्रवक्ता, बी.एस.एम. (पी.जी.) कालेज, रूड़की निवास– देहरादून (उत्तराखण्ड)

संस्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिः सामान्यपरिचयश्च :– संस्कारशब्दार्थ स्पष्टं कुर्वन् कथयति यत् संस्कारशब्दः 'सम्' उपसर्ग 'पूर्वकं' कृ 'धातोः भावकरणे च घञप्रत्यये कृते भूषणार्थे सुटागमनेन सम्पन्नो भवतिं आचार्य चरक कथयति यथा –

"संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते[1]।

व्याकरण शास्त्रे संस्कारव्युत्पत्ति :– संस्कार शब्दः सम् उपसर्गपूर्वक 'डु' 'कृञ' करणे इत्यस्मात् धातोः निष्पनोऽडस्ति। यः शोभनार्थं बोधयति। यत्र संगीतशास्त्रं नादं ब्रह्म स्वरूपं मन्यते। तत्र व्याकरणशास्त्रं शब्दं ब्रह्म स्वीकरोति। 'भतृहरि' कथयति यत्

"तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मन।
तस्य प्रवृत्तिज्ञस्तदं ब्रह्मामृतश्नुते[2]।।

भारतीयसंस्कृतौ षोडश संस्काराणां परिचयः सर्वेषां मानवानां कृते विद्यते। अस्य संक्षिप्त परिचयः अत्र प्रदीयते –

1. **गर्भाधान संस्कार** :– भारतीय संस्कृतेः षोडशसंस्कारेषु गर्भाधानः संस्कारप्रथमसंस्काररूपेण स्वीक्रियते। प्रत्येक जनः एतस्य संस्कारस्य महत्वं जानाति। विवाहान्तरं गर्भधारणं कार्यमातृभावं च प्रकृतेः नियमोऽस्ति। ऋतुस्नानान्तरं निषिद्येतर दिनेषु दम्पती मंगलं स्नानं कृत्वा माहेश्वराचार्यस्य सम्मुखे पुरोहितेन श्रीगणपतिपूजा पुण्याह वाचनंस्य जलेन पवित्रभूत्वा आचार्य भोजयित्वा आशीर्वादं गृहणन्ति। अतः शुभ मुहूर्ते शुभमन्त्रैः प्रार्थनां कृत्वा गर्भाधानं कुर्यात्। यथा–

"गर्भदेहि सिनीवलि गर्भ देहि पृथूदके।
गर्भं ते अश्विनौ देवावाधन्तां पुष्करस्रजे[3]।।

2. **पुसंवन संस्कार** :– गर्भाधान समये गर्भे गर्भस्य शिशुः पुरूषः स्यात् इति अभिलाषायां पुंसवन संस्कारः सम्पाद्यते। पुंसवन संस्कारः तत्कालीनसमासस्य व्यवस्थायाः उत्पपतिः आसीत। यदा आर्यजातेः उत्कर्ष आसीत् तदा पुरूषाणामावश्यकता आसीत। येन संस्कारेण निश्चितरूपेणपुत्रोत्पतिर्भवति। तस्मै संस्कारस्य पुंसवनसंस्कारः कथ्यते। गर्भतः पुत्रोत्पतिः स्यात् एतदर्थ पुंसवन संस्कारस्य विधानमस्ति। महर्षि : मनु कथयति यत् –

"पुत्रेणलोकाज्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते[4]।

अर्थात् – पुत्रेण लोकं विजयते पौत्रेण च आनन्त्यस्य प्राप्तिर्भवति। वैदिक मन्त्राणां पाठः भवितव्यः। यस्य प्रभावेण गर्भाश्यन्तरे पुरूषस्य। लक्षणमुत्पद्यते यथा–

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत।

सदाधारपृथिवीद्यामतेसां करमै देवाय हविषा विधेम्[5]।।

3. **सीमन्तोनयन संस्कार** :– गर्भस्य षष्ठम्, अष्टमे मासे वा एषः संस्कारः क्रियते अस्य संस्कारस्य फलमपि गर्भ शुद्धिरेव अस्ति सामान्यतः गर्भे चतुर्थमासानन्तरं बालकस्य अंग प्रत्यङ्गह्यादि। चेतनास्थान हृदय निर्मितं सति गर्भे चेतना आयाति एतदर्थं तस्मिन इच्छोदयः भवति "याज्ञवल्क्य" केवलं सीमन्त शब्दस्य व्यवहारं कृतवान्। यथा –

किं पश्यसि प्रज्ञा प्रशून् सौभाग्यमह्यं दीर्घायुसखे पत्युः[6]।।

4. **जातकर्म संस्कार** :– गर्भस्राव जन्यदोष नाशाय अस्य संस्कारस्य मनुष्याय सिद्धमस्ति। बालकस्य जन्मे भूते सति अस्य संस्कारस्य विधानमस्ति। नालछेदन पूर्व बालकं स्वर्गशलाकया अनामिका अगुल्यां वा विषममात्रायां मधु घृतं च लेढ़ि– यथा –

"प्राऽनाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्मविधीयते।

मन्यवत्प्राश्नं चायं हिरण्यमधुसर्पिषाम्[7]।।

सर्वेषु ग्रन्थेषु स्मृतीषु चास्यं संस्कारस्य वर्णन अस्ति।

5. **नामकरण संस्कार** :– एषः संस्कारः शिशोः नामकरणेन सम्बन्धितोऽस्ति। अस्य संस्कारस्यफलं शिशोः आयु तेजवृद्धिः लौकिक व्यवहारस्य सिद्धि च

---

1. चरकसंहिताविमानं 1/17
2. वाक्यपदीप ब्रह्मकाण्डे 103, 132
3. मनुस्मृतिः 6/46
4. याज्ञ0 स्मृति 1/11
5. मनुःस्मृति 9/137
6. यजुर्वेद 13/4
7. मानवधर्ममीमांसा–द्वितीयोध्याय–29

प्रकटयति। जन्मतः दशरात्रिः पश्चात् एकादश दिने कुलक्रमानुसारं वा शतदिने, वर्षमेकगते सति वा नामकरण संस्कारस्य विधिरस्ति। नामकरण संस्कारस्य व्यक्तेः जीवने विशेषमहत्वमस्ति। नाम्ना एवं मनुष्यस्य व्यक्तित्वस्य प्रतिष्ठा भवति समाजे च लोकव्यवहारं सुसंस्कृतं भवति। यथा –

''रूपविशेष नामविनुजाते, करतलगत न परिहि पहिचाने।
अगुन सगुन विचनाम सुसाखी, अभयप्रबोधक चतुर दुभाषी[8]।।
जगतः व्यापारे नाम्नः महत्वमत्यधिक।

6. **निष्क्रमणसंस्कार** :– निष्क्रमणसंस्कारः एक लघु संस्कार अस्ति, अस्य संस्कारस्य फलं विद्वासं आयुवृद्धिकरणार्थ कथयन्ति। यथा –

''चतुर्थेमासि कर्तव्य शिशोनिष्क्रमणं गृहात।
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यदिष्टे मंगत कृते[9]।।

शिशोः शारीरिक मानसिक–विकासार्थे चास्य संस्कारस्य व्यवस्था अस्ति अतः परमान्नप्राशन संस्कारस्य विधानमस्ति।

7. **चूडाकर्म संस्कार** :– मानवस्य शारीरिक स्वच्छतार्थम् एषः संस्कारो जातः प्रथम समये शिरकेशकर्तनाय अस्य संस्कारय आवश्यकता भवति। यथा –

''चूडाकर्मद्विजातीना सर्वेषामेवधर्मत्।
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तयश्रुति चोदनात्[10]।।

8. **अन्नप्राशनसंस्कार** :– अन्नप्राशसनसंस्कारे बालको यदा षष्ठ सप्तम् मासस्य वा भवति। दन्तोत्पतिश्च भूते सति पाचन शक्तिः प्रबला भवति। यथा – शास्त्रकारैरूक्तम् –

''षष्ठेमास्यन्नप्राशनमिति[11]।।

9. **कर्णबेध संस्कार** :– कर्णबेधः कर्णस्य छिद्रकार्य कर्णवेधः कथय एषः संस्कार पूर्णपुरूषत्वं स्त्रीत्व×च प्राप्त्यर्थमेष संस्कारः क्रियते शास्त्रेषु कर्णवेध रहित पुरूषः श्राद्धस्य अधिकारी न मन्यते एषः संस्कारः

षट्मासादारभ्य षोडशमास पर्यन्तम् अथवा विषम मासे वर्षे अथवा कुलक्रमागतमाचारं मत्वा सम्पादयेत्। यथा –

''ऊँ भद्रं कर्णेभिः श्रृगुयाम् देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजना।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तमूभिर्व्यशेमहि, देवहितं यदायुः[12]।।

10. **विद्यारम्भ संस्कार** :– विद्याभ्यासः अर्थात् बालकस्य शिक्षार्थं विद्यारम्भः संस्कार क्रियते। यथा–

''निवृत्त चौल कर्मगोश्च त्रयोस्त्रयी वर्जमितिरास्ति।
स्त्रौविद्या सावधानेन मनसा परिनिष्ठायिता[13]।।

11. **उपनयन संस्कार** :– शिक्षा जीवनस्य अनिवार्यम् अङ्गमस्ति शिक्षारम्भः उपनयन संस्कारेण भवति। अयं संस्कारेः गुरोः समीपे गमनं संस्कारोऽति। यथा–

''ऊँ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहसंपुरस्तात्।
आयुष्यमग्रयं प्रतिमु×चशुभ्रं यज्ञोपवीत बलमस्तुतेजः
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपन हामि[14]।।

12. **वेदारम्भ संस्कार** :– वेदारम्भ संस्कार–उपनयन संस्कारानन्तरं बालकः वेदाध्ययनाय अधिकार प्राप्नोति। ज्ञानस्वरूप वेदानां सम्यक् अध्ययनात् पूर्व मेधाजनन नामकं मेकम् उपांग संस्कारस्य विधानमस्ति : – वेदारम्भमूलमूलमन्त्रे यथा –

''ऊँ आचार्यस्ततक्ष नभसीऽभेइमे उर्वी गभीरे पृथिवी दिवं च।
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः समनसो भवन्ति[15]।।

अर्थात् आचार्यः उत्पन्नं करोति। द्यौः पृथिवीऽभौ उर्वी विस्तृतं गम्भीरं पृथिवी दिवं च रक्षति। तपसा ब्रह्मचारी प्रीति युक्ताः देवाश्च भवन्ति।

एषौ वेदारम्भोमुख्यतः ब्रह्मचर्या श्रमसंस्कारोऽस्ति।

13. **समावर्तन संस्कार** :– विद्याध्ययनस्य अन्तिम संस्कारः समावर्तन संस्कारोऽस्ति। विद्याध्यनं पूर्णे सति पश्चात् स्नातक ब्रह्मचारी स्वपूज्यगुरुराज्ञया स्वगृहे समवर्तितो भवति एतदर्थ मिमं समावर्तन संस्कारः कथ्यते। गृहस्थ जीवने प्रवेशधिकारी भव।

---

8. रा0च0मा0 1/21–14/8
9. मानवधर्ममीमांसा द्वितीयाध्याय : 34
10. वही, 35
11. आ0गृ0सू0 1/16/1
12. यजु0 25/21
13. उत्तरामचरितम् – प्रथमांकः
14. पा0गृ0 2/2/11 (संस्कार चन्द्रिकाः) डा0 सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार
15. यथर्ववेद– 11/17/8

विद्या समाप्त्यन्तरं गुरुः दीक्षान्त समारोहेणं शिष्यस्य सम्मानं करोति। यथा मनुना –

''गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृतोयर्थाविधि[16]।

14. विवाह संस्कार :– विवाह संस्कारः समाजे सर्वश्रेष्ठ संस्कार रूपेण ज्ञायते। इदमेकमीश्वरीय नियमोऽस्ति येन बिना संस्कारो चलति। स्त्रीपुरूषयोः अयं परिणयः पवित्रं मन्यते विवाह संस्कारे वरः कन्यायाः हस्ते गृहीत्वा परिक्रम विधाय तत्पूर्ण उत्तरदायित्वं स्वयं गृहणति। परिणयः परिणयनं वेति शब्दो विवाहस्य पर्यायः अस्ति। तैत्तरीये, ऐतरेय, च विवाहोल्लेखः प्राप्यते– यथा –

''ऊँ यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपव भानो वा।
हिरण्यपर्णो वैकर्णः सत्वा मन्मनसां करोतु असौ[17]।।

यद्यपि विवाहस्य रूपरेखा विस्तृतरूपेण अग्रे वर्णयिष्यते तथापि प्रसंगतः तस्य परिचयोऽत्र दत्तः। हिन्दूधर्मस्य अस्यं संस्कारस्य विशिष्टव्यापकता अत्र प्रकटिता।

15. वानप्रस्थ संस्कार :–

क) यदा गृहस्थ जीवनेन पूर्ण सन्तुष्टो भवति तथा च उत्तराधिकारिभिः गृहस्थी यदा स्वीक्रियते तदा वने गत्वा अध्ययने मनने च समयं यापयति–यथा –

''गृहस्थस्तु यदापश्येत् वली
पालितात्मनः अयल्यस्यैव चापत्यर्थ तदाख्यं समाचरेत्[18]।।

गृहस्थाश्रम पश्चात् जीवनयात्रायाः एषा अन्तिमा स्थितिः। अयं मनुष्यस्य आत्मिक विकासस्य पूर्वावसरोऽस्ति। अनेन प्रमाणेन निश्चितमभवत् यत् वने मुनिः कथ्यते। वेदेऽपि यत्र कुत्रापि मुनीनां वर्णनं भवति तत्र वानप्रस्थस्यैव वर्णन मन्तव्यम्। मननशीलः वनी ईश्वराभ्यासे निमग्नोवानप्रस्थ संन्यासाभ्यामेव च भवति।

ख) संन्यास संस्कार :– यादृशी भावना वानप्रस्थाय जनानामस्ति तथैव भावना संन्यास प्रति जनानामस्ति। ते वेदमूलकं न स्वीकुवन्ति। वानप्रस्थानन्तरं संन्यासं गृहणीयात्। यथा –

''पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लौकेषणायाश्चोत्यायाथ भिक्षाचर्या चरन्ति[19]।

यथामनु : –

''चतुर्थमायुषो भागं त्यकत्वा संगान् परिव्रजेत्।
वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणोद्विजः[20]।।

एषः श्लोकः संन्यासस्य स्थितिं सिद्धयति। मनुः ब्राह्मणं प्राजाय त्येष्टिं कृत्वा सन्यासे प्रवेष्टुं लिखति।

16. अन्तोष्टि संस्कार :– अयं मनुष्यस्य अन्तिम संस्कारः स्वीक्रियते। मृत्युः पश्चात् अयं संस्कारः क्रियते। इमं संस्कारं पितृमेघ, अन्त्यकर्म, दाह, संस्कार, श्मशान कर्म, अन्त्येष्टि क्रियापि कथयन्ति। एषः संस्कारोऽपि वेदमन्त्रोंच्चारणे भवति। यजुर्वेद –

''भस्मात् शरीरम्[21]।।

अर्थात् शरीरस्य अन्तः भस्मीभूतपर्यन्तमेवास्ति। तत्पश्चात प्रेत निर्मित कापि क्रिया कार्य शास्त्रानुसारं निषिद्धः। इत्यं षोडश संस्कारेषु, मानव जीवनस्य प्रतिक्षेत्रे प्रकाशः क्रियते। अत्र षोडश संस्काराणां वर्गीकरणम् कुर्वन्तः संस्कारस्य रूपरेखा उद्घृता। एषा षोडश संस्काराणां मानवः जीवने अतीव महत्वमस्ति। यो गर्भतः मृत्युं यावत् यात्रां निश्चितं करोति। इत्थं षोडश संस्काराणां मन्त्रोल्लेखः कृत इति समाप्तम्।

---

16. मनु0 स्मृति 3/14
17. पा0का0क0 4, 15
18. जीवनसंस्कृति : – डॉ0 रामानन्त तिवारी
19. शत0 ब्रा0 14/6/2/26
20. मनु0 स्मृ0 6/36 संस्कारविधिः मुण्डन
21. यजुर्वेद 40/15

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति विद्यार्थियों की बढ़ती जागरूकता एवं उनकी समस्याओं की अध्ययन

डॉ. श्रीमति पारूल सिंह चौहान
शोधकर्ती – प्राचार्य प्रेमवती कॉलेज ऑफ एजूकेशन, जबलपुर

प्रस्तावना :– वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह सामाजिक शैक्षिक आर्थिक राजनैतिक खेलकूद या मनोरंजन से क्यों न संबंधित दो हर क्षेत्र में प्रतियोगिता की भावना उसमें प्रारंभिक अवस्था अर्थात् उनमें बाल्यावस्था से ही विकसित हो जाती है जो कि उनके संपूर्ण शैक्षिक सत्र में निरंतर चलती रहती है। जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाते। विद्यार्थी जीवन में व्यवसायाओं के संबंध में सीमित जानकारी रहती है जिनमें चिकित्सीय अभियांत्रिकी कानूनी प्रबंधन, वित्त एवं लेखा आदि के ही व्यवसाय ही रहते है जिनमें सर्वाधिक मांग चिकित्सा अभियांत्रिकी कानून सेवा ही होती है इनमें प्रवेश व्यावसायिक चयन के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति विद्यालयों में अध्ययन जागरूकता एवं समस्या में विद्यार्थियों में क्या अंतर होता है आदि का अध्ययन किया गया है। प्रायः यह भी देखा गया है कि इस क्षेत्र में इतनी अधिक मांग और व्यवसाय की सुनिश्चितता है कि विद्यार्थी एक बार असफल होने पर भी पुनः व्यावसायिक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते है और अपने लक्ष्य प्राप्ति को ही अंतिम उद्देश्य मानते हैं।

शोध कार्य के उद्देश्य :–

1. शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षाओं के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों की व्यावसायिक चयन के लिये आयोजित परीक्षाओं के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. विद्यार्थियों में व्यावसायिक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें :–

1. शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षाओं के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्यावसायिक चयन के लिये आयोजित परीक्षाओं में प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

विधि :– शोध कार्य सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया है। चयनित विद्यार्थियों का चयन करके शोध कार्य किया गया है।

न्यादर्श का चयन :– प्रस्तुत शोध कार्य में जबलपुर शहर के 20 ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों 20 शहरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं 10 कोचिंग संस्थानों में नामांकित 1200 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जो विभिन्न व्यावसायिक प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक है।

प्रयुक्त उपकरण :– प्रस्तुत शोधकार्य में स्वनिर्मित जागरूकता प्रश्नावली व समस्या परीक्षाओं एवं व्यावसायिक चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता एवं समस्या से संबंधित है।

ग्राफ क्रमांक – 1

शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षाओं के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है से संबंधित परिणाम व्याख्या एवं विश्लेषण:–

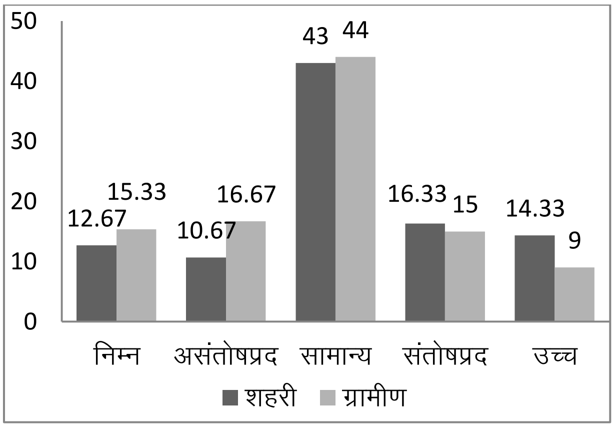

सारणी क्रमांक – 1

छात्रों के प्राप्तांक	प्रवेश परीक्षाओं में प्रति जागरूकता का प्रतिशत		परिणाम
	शहरी	ग्रामीण	
50–60	14.33	9.00	उच्च
40–50	16.33	13.00	संतोषप्रद
30–40 20–30	43.00	44.00	सामान्य
10–20	13.67	10.67	असंतोषप्रद
0–1	12.67	15.33	निम्न

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि छात्रों की प्रवेश परीक्षाओं के प्रति उच्च जागरूकता का प्रतिशत शहरी विद्यालयों में 14.33 प्रतिशत एवं ग्रामीण विद्यालयों में 9 प्रतिशत है, जबकि संतोषप्रद जागरूकता प्रदर्शित करने वाले छात्रों का प्रतिशत शहरी विद्यालयों में 16.33 प्रतिशत एवं ग्रामीण विद्यालयों में 13 प्रतिशत है।

प्रवेश परीक्षाओं के प्रति सामान्य जागरूकता रखने वाले क्षेत्रों का प्रतिशत शहरी विद्यालयों में 43 प्रतिशत एवं ग्रामीण विद्यालयों में 44 प्रतिशत है। इसी प्रकार शहरी विद्यालयों के 13.67 प्रतिशत छात्र एवं ग्रामीण विद्यालयों के 18.67 छात्र असंतोषप्रद जागरूकता प्रदर्शित करते है।

उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं के प्रति जागरूकता ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से अपेक्षाकृत अधिक है।

ग्राफ क्रमांक – 2

शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्यवसायिक चयन के लिये आयोजित परीक्षाओं के प्रति जागरूकता का

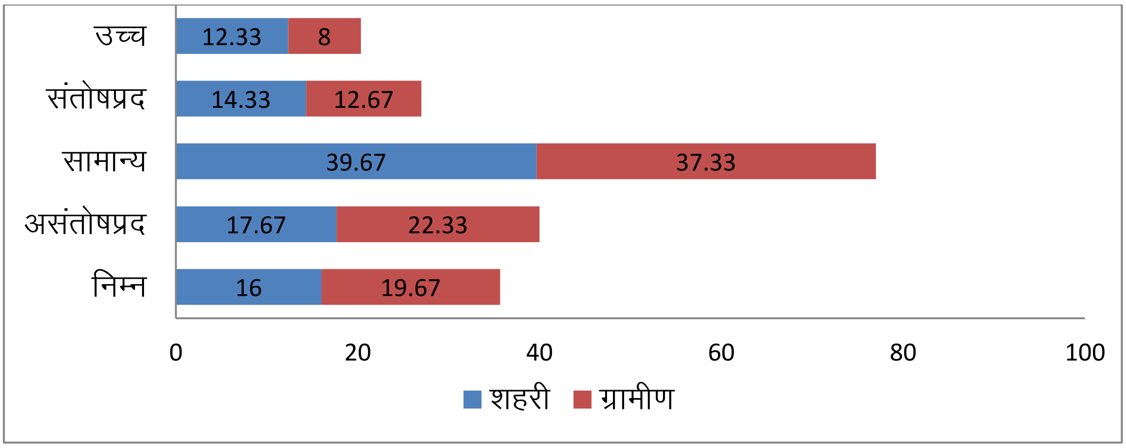

सारणी क्रमांक – 2

छात्रों के प्राप्तांक	प्रवेश परीक्षाओं में प्रति जागरूकता का प्रतिशत		परिणाम
	शहरी	ग्रामीण	
50–60	12.33	8.00	उच्च
40–50	14.33	12.67	संतोषप्रद
30–40	37.33	37.33	सामान्य

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

20–30			
10–20	22.33	22.33	असंतोषप्रद
0–1	19.67	19.67	निम्न

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है छात्रों की व्यवसायिक चयन के लिये आयोजित परीक्षाओं के प्रति उच्च जागरूकता का प्रतिशत शहरी विद्यालयों में 12.33 एवं ग्रामीण में 8 प्रतिशत है जबकि संतोषप्रद शहरी विद्यालयों में 14.33 एवं ग्रामीण में 12.67 है।

व्यवसायिक चयन के लिये आयोजित परीक्षाओं के प्रति सामान्य जागरूकता प्रदर्शित करने वाले छात्रों का प्रतिशत शहरी विद्यालयों में 39.67 प्रतिशत एवं ग्रामीण में 37.33 है। इसी प्रकार शहरी विद्यालयों में 17.67 प्रतिशत एवं ग्रामीण में 22.33 प्रतिशत है।

उपरोक्त परिणाम से स्पष्ट होता है कि शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रति जागरूकता ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना अधिक है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई।

निष्कर्ष :–

1. शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र ग्रामीण विद्यालयों में छात्रों की अपेक्ष प्रवेश परीक्षाओं के प्रति अधिक जागरूक होते है।
2. विद्यार्थियों की व्यवसाय चयन के लिये आयोजित परीक्षाओं के प्रति जागरूकता को शहरी अथवा ग्रामीण विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है।

संदर्भ ग्रंथ :–

- कापिल.एच.के. – अनुसंधान विधियाँ
- चौबे सरयु प्रसाद – शिक्षा मनोविज्ञान
- शर्मा आर.ए. – पाठ्यक्रम प्रबंधन शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन एवं परामर्श

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता का अध्ययन

प्रो. ममता बाकलीवाल
विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राजीव गांधी महाविद्यालय, भोपाल
श्रीमती संध्या जैन

मनुष्य का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चीज को पाने के लिए परिश्रम में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम पाना चाहते हैं, या जिस उद्देश्य को लेकर हम परिश्रम करते हैं अत्याधिक परिश्रम करने के बाद भी हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। उस समय हम अपना उद्देश्य बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए एक बालिका चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाऍं देती रहती हैं, पर उसे सफलता नहीं मिल पाती है। इस प्रकार वह हताश हो जाती है और अपना उद्देश्य बदल लेती है तथा किसी दूसरे क्षेत्र का चयन कर अपने लक्ष्य को अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार कर लेती है इस परिवर्तित व्यवहार को ही समायोजन कहते हैं। समायोजन में सन्तुलन, पर्यावरण एवं परिस्थिति से लाभ उठाना, संतुष्टि व सुख, परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण, अनुकूल आचरण, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शारीरिक दृष्टि से समायोजित होना पाया जाता है। एल.एस. शैफर के अनुसार ''समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखता है।'' दुबे (2011) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक अभिप्रेरणा तथा समायोजन के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा उनके समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सह संबंध होता है। इसे देखते हुए शोधार्थी ने ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता का अध्ययन'' विषय का चयन किया।

अध्ययन के उद्देश्य :– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाऍं :–

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।
4. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श :– माध्यमिक स्तर के 50 छात्र एवं 50 छात्राओं को यादृच्छिक विधि द्वारा चयनित किया गया।

उपकरण :– छात्र एवं छात्राओं की समायोजन शीलता का मापन डॉ. अरूण कुमार एवं अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित उपकरण HSAI 'हाईस्कूल समायोजन परिसूची' मापनी का उपयोग किया गया।

परिसीमन :– प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक स्तर के 50 छात्र एवं 50 छात्राओं तक सीमित किया गया।

सांख्यिकीय प्रविधि :– प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन व 'टी' परीक्षण का उपयोग किया गया।

परिकल्पना :–

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 01

माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता का 'टी' मान

चर	**समूह**	**संख्या**	**मध्यमान**	**मानक विचलन**	**परिकलित 'टी' मान**	**'टी' सारणी मान**	**सार्थकता .05 स्तर**
समायोजन शीलता	ग्रामीण माध्यमिक स्तर के छात्र	50	12.24	2.67	0.84	1.98	सार्थक अंतर नहीं है।
	ग्रामीण माध्यमिक स्तर की छात्राऍं	50	12.33	2.66			

स्वतंत्रता के अंश 98, **सार्थकता स्तर 0.05**

तालिका 01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर छात्र एवं छात्राओं की समायोजन शीलता का मध्यमान क्रमशः 12.24 एवं 12.33 है इस प्रकार माध्यमिक स्तर के छात्राओं की समायोजनशीलता का मध्यमान माध्यमिक स्तर के छात्रों की अपेक्षा अधिक है तालिका से स्पष्ट है परिकलित 'टी' मान 0.84 है जबकि स्वतंत्रता के अंश 98 के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता परीक्षण के लिए 'टी' का सारणीमान 1.98 है इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान कम है। अतः सार्थक अंतर नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना क्रं. 02 :— शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों / छात्र / छात्राओं के की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्रमांक 02

माध्यमिक स्तर के शहरी छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता का 'टी' मान

चर	**समूह**	**संख्या**	**मध्यमान**	**मानक विचलन**	**परिकलित 'टी' मान**	**'टी' सारणी मान**	**सार्थकता .05 स्तर**
समायोजन शीलता	शहरी माध्यमिक स्तर के छात्र	50	3.11	0.724	2.53	1.98	सार्थक अंतर है।
	शहरी माध्यमिक स्तर की छात्राऍं	50	3.16	0.708			

स्वतंत्रता के अंश 98, **सार्थकता स्तर 0.05**

तालिका 02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र छात्र एवं छात्राओं की समायोजन शीलता का मध्यमान 3.11 एवं 3.16 है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं की समायोजनशीलता का मध्यमान छात्रों की अपेक्षा अधिक है। तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित 'टी' 2.53 है। इस प्रकार सारणीमान 1.98 से परिकलित मान अधिक है। अतः सार्थक अंतर है।

अतः कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर होता है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना क्रं. 03 :— माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्रमांक 03

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की समायोजनशीलता का 'टी' मान।

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	परिकलित 'टी' मान	'टी' सारणी मान	सार्थकता .05 स्तर
समायोजन शीलता	शहरी माध्यमिक स्तर के छात्र	50	3.11	0.724	23.3	1.98	सार्थक अंतर है।
	ग्रामीण माध्यमिक स्तर के छात्र	50	12.24	2.67			

स्वतंत्रता के अंश 98, **सार्थकता स्तर 0.05**

तालिका क्रं. 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी छात्र एवं ग्रामीण छात्रों की समायोजनशीलता मध्यमान क्रमशः 3.11 एवं 12.24 है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर के छात्रों की समायोजनशीलता का मध्यमान शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

अतः स्पष्ट है कि परिकलित 'टी' मान 23.3 है। सारणीमान 1.98 से परिकलित मान अधिक है। अतः सार्थक अंतर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर के छात्रों की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना क्रं. 4 :– माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्रमांक 04

माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की समायोजनशीलता का 'टी' मान।

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	परिकलित 'टी' मान	'टी' सारणी मान	सार्थकता .05 स्तर
समायोजन शीलता	शहरी माध्यमिक स्तर की छात्राएँ	50	3.16	0.708	23.50	1.98	सार्थक अंतर है।
	ग्रामीण माध्यमिक स्तर की छात्राएँ	50	12.33	2.66			

स्वतंत्रता के अंश 98, **सार्थकता स्तर 0.05**

तालिका क्रं. 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर की शहरी स्तर की छात्राओं एवं ग्रामीण स्तर की छात्राओं की समायोजनशीलता का मध्यमान क्रमशः 3.16 एवं 12.33 है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं की समायोजनशीलता शहरी क्षेत्र की छात्राओं की अपेक्षा अधिक है।

स्पष्ट है कि परिकलित 'टी' का मान 23.5 'टी' के सारणीमान 1.98 से अधिक है अतः सार्थक अंतर है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

शोध निष्कर्ष :–

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर नहीं है।

2. माध्यमिक स्तर के शहरी छात्र एवं छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर है।

3. शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर है।

4. शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर की छात्राओं की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर है।

सुझाव :–

1. विद्यार्थियों की इच्छाओं, विचारों, प्रेरणाओं एवं लक्ष्यों आदि में समन्वय का प्रयास परिवार एवं विद्यालय के द्वारा किया जायेगा उनमें समायोजन उतना ही अच्छा होता है।

2. विद्यार्थियों में समस्या दक्षता द्वारा उनमें कठिन समस्याओं तथा व्यक्तित्व समस्या का सामना करने हेतु सशक्त बनाया जाता है जिससे विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

- कपिल, हंस, के. (2005) : ''सांख्यिकी के मूलतत्व,'' विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
- गुप्ता एवं शर्मा (2008) : ''माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग वाले विद्यार्थियों के समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन,'' रिसर्च लिंक, नवम्बर 2008 इन्दौर।
- दुबे, भावेश चन्द (2011) : ''विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर शैक्षिक अभिप्रेरणा तथा समायोजन का प्रभाव'' भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली।
- शर्मा, आर.ए. (1999) : ''शिक्षा अनुसंधान'' मेरठ सूर्या प्रकाशन।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

74 वां संविधान संशोधन और इंदौर नगर निगम में महिला पार्षदों की भूमिका

रामकुँवर भाबर
शोधार्थी, पीएच. डी. राजनीति विज्ञान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
डॉ. उषा तिवारी

मध्यप्रदेश का इतिहास अत्यंत पुराना है। पाषाण युग से ही वर्तमान मध्यप्रदेश के नर्मदा, बेतवा, तथा चंबल आदि नदियों के निकट घाटियों में अनेक बस्तियों का विकास हुआ। प्राचीनकाल में एरान, महेश्वर कायथ आदि कई क्षेत्रों में ताम्रयुगीन स्थानों की खोज पुरातत्वक्तेओं द्वारा की गई है वैदिककल में महर्षि पाणिनी ने अवंति जनपद के बारे में लिखा है। सोलह जनपदों में भी अवंति चेदि व वन्स का उल्लेख मिलता है। मालवा के राजा यशोधावर्मन तथा 8 वी से 10 वीं शताब्दी तक मध्ययुग के राजपूत मालवा के परमार तथा बुदेलखंड के चंदेल राजाओं ने अपने–अपने क्षेत्रों का विकास किया था मध्यकाल में महाकौशल और गोंडवाना क्षेत्र में गोंड साम्राज्य तथा ग्वालियर के तोमर वंश व मालवा के मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा है।

1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही उसे तीन भागों में भाग क, भाग ख व भाग 4 ग में बांट दिया गया। 1956 में मध्यप्रदेश का पुनः विभाजन किया गया तथा 26 वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से अलग हो गया। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 10 संभाग व 52 जिले सम्मिलित है।

भारत में स्थानीय शासन :– भारत में स्थानीय शासन को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में लार्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय शासन को लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला भी कहा गया है। महात्मा गॉधी भी ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। वे पंचायतीराज के समर्थक थे। इसीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतीराज के गठन का उल्लेखक संविधान निर्माताओं ने किया है।

शोध ग्रंथ का विषय है– ''74 वें संविधान संशोधन और इन्दौर नगर निगम में महिला पार्षदों की भूमिका''। इस शोध ग्रंथ में महिला निगम पार्षदों की निगम में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका एवं उनकी राजनीतिक सक्रियता पर प्रकाश डाला गया है। जब वे निगम में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथा इन समस्याओं का निराकरण के लिए महिला सहभागिता में वृद्धि का होना आवश्यक है। महिला भागीदारी में अभिवृद्धि व उनकी सशक्तिशाली भूमिका के लिए इन नगरीय संस्थाओं में मध्यप्रदेश शासन से उन्हें पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से मध्यप्रदेश शासन ने अनेक लोकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। महिला पार्षदों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन योजनाओं से न केवल परिचित रहे अपितु इन्हें जरुरत मंद महिलाओं के कल्याण हेतु इन्हे लागु भी करावें। जब स्थानीय महिला पार्षदों से जानकारी ली गई तो उनके अनुसार नगर–निगम का मुख्य कार्य सड़कों एवं नालियों की साफ–सफाई की व्यवस्था करने की बात कही गई। कुछ महिला पार्षदों ने विद्युत व्यवस्था विद्यालयों के भवनों की मरम्मत नवीन स्कूल प्रारंभ करने तथा दुकानों के लिए लाइसेंस देना बताया। वास्तव में बढती हुई जनसंख्या के कारण नगर–निगमों के समक्ष प्रमुख चुनौती शुद्ध पेयजल को उपलद्ब कराता है तथा मलिन बस्तियों में रहते वाली आबादी के लिए आधुनिक सुख सुविधाओं सं युक्त पक्के रहवासी मकानों की व्यवस्था सुलभ कराना है।

यह भी देखा गया है कि वार्डो में रहने वाले रहवासी अधिकत्तर अपने वार्ड की साफ–सफाई व पेयजल व्यवस्था निरंतर प्रदान करने की शिकायतें करते है। ये शिकायतें सही भी है किन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नगर–निगम इन समस्याओं के पुर्ण निराकरण में समर्थ नहीं हो पाता। यह भी देखने को मिला कि कुछ महिला पार्षदों किसी समस्या के निराकरण में स्वयं सक्षम नहीं है अपितु इस कार्य में उनके परिवार का पुरुष जैसे– पति, भाई आदि ही इन कार्यों को कराते है। पूर्णतः शिक्षित न होकर महिला पार्षदों अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन नही कर पाती। फिर भी यह कहना सही होगा की 74वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है उनका सशक्तिकरण हुआ है तथा स्थानीय

समस्याओं के निराकरण में उनकी अभिरुचि में वृद्धि हुई है। लोकतंत्र के लिए यह एक शुभ संकेत है। आरक्षण में वृद्धि के कारण भी राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी में अभिवृद्धि हुई है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तथा तृणमूल स्तर तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार ने इस दिशा में प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिये। सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) में प्रारंभ किये गये। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरंभ की गई। पंचायती राज स्थापित करने हेतु 1957 में बलवंतराय मेहता समिति, 1977–78 में अशोक मेहता समिति 1983 में सी. एच. हनुमंतराव कार्यदल समिति 1984 में जी.वी. के. राव समिति 1986 में दल. एम. सिंघवी समिति, 1988 में थुंगन समिति आदि का गठन किया गया।

1992 में भारत की संसद ने दो संविधान संशोधन पारित किये। (1) 73वां संविधान संशोधन जो ग्रामीण पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करता है। (2) 74वां संविधान संशोधन जो शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों की स्थापना करता है।

सदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मोहन्ती डी.के., इंडियन ट्रेडिशियन फ्रॉम मनु टू अम्बेडकर, अनमोल पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड न्यु दिल्ली (2003) पेज 171.
2. श्रीराम माहेश्वरी भारत में स्थानीय प्रशासन 1984 पृ. 22, 26.
3. विश्वप्रकाश गुप्त एवं मोहिनी गुप्त आजादी के 59 वर्ष, खण्ड–1 (2004) पृ. 85.
4. जहीर मोहम्मद शेख मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1981, पृ. 8–12.
5. डॉ. राधेश्याम द्विवेदी – मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 वर्ष 2001.
6. अवस्थी एवं प्रसासन लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा 2001 प्र. 216।
7. डॉ. बाबूलाल फड़िया भारत में लोक प्रशासन साहित्य भवन आगरा 2001 प्र. 538।
8. एस.आर. महेश्वरी ''भारत में स्थानीय शासन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल 2000 प्र. 68।
9. मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993।
10. एम. लक्ष्मीकांत ''भारत की शासन व्यवस्था'' पंचम संस्करण मेग्रा हिल एजुकेशन (इंडिया) प्रा. लि. चैन्नई 2018 प्र. 38.2, 39.3,
11. डॉ. एन. के. श्रीवास्तव ''भारत में पंचायतीराज'' 1989.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में परिवार परामर्श केंद्र : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. मीतु (सेन) घोष

परिवार परामर्श केंद्रो का आरंभ :— जहां तक मध्यप्रदेश में परिवार परामर्श केंद्र के आरंभ होने का प्रश्न है, सर्वप्रथम इसकी शुरूआत ग्वालियर जिले से हुयी। ग्वालियर नगर में सर्वप्रथम 13 जुलाई 1995 को प्रथम परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना पड़ाव (लश्कर) स्थित महिला पुलिस थाना में की गयी। तदोपरांत मुरार पुलिस थाना, मुरार और हुजरात कोतवाली, लश्कर में 22 मार्च 1999 को दो परामर्श केंद्रों की स्थापना की गयी। इस प्रकार ग्वालियर नगर में तीन थानों में परिवार परामर्श केंद्र संचालित है। वस्तुतः मध्यप्रदेश में पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री शरदचंद्र जी की स्वरूप एवं सृजनात्मक सोच के कारण ही परिवार परामर्श केंद्र अस्तित्व में आये।

परिवार परामर्श केंद्र का संगठन :— सर्वप्रथम ग्वालियर से शुरूआत कर इन केंद्रों की स्थापना के अन्य जिलों में की गयी। परिवार परामर्श केंद्र पर तनावग्रस्त परिवार से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने हेतु आने वाली व्यक्तियों की व्यथा एवं परेशानियों को सुनने एवं उन्हें सार्थक तथा स्वीकार्य सुझाव देने के लिये समाज सेविकाओं की सेवायें ली जाती है। समाज सेविकाओं में उन महिलाओ को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जो मूल रूप में या स्वभाव से गृहणी होती है।

परिवार परामर्श केंद्र के कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण :— परिवार परामर्श केंद्र पर अपनी सेवायें प्रदान करने वाली महिलाओं की नियुक्ति साक्षात्कार विधि के द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय महिला के अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। इन्हें सेवाओं के बदले किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। इन महिलाओं के अनुभव और कार्य को और अधिक संपन्न एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिये उन्हें पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, समाजशास्त्रियों अनुभवी समाजसेवकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों आदि के द्वारा कार्यशाला आयोजक के माध्यम से समय—समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

परिवार परामर्श केंद्र का वित्तीय पक्ष :— प्रत्येक परिवार परामर्श केंद्र पर संबंधित थाना के कुछ आरक्षकों की भी सेवायें ली जाती है, परंतु इन्हें इनके विभाग के द्वारा वेतन का नियमित भुगतान किया जाता है। परंतु इसमें अपनी सेवा प्रदान करने वाली समाज सेविकाएं अपना कार्य निःशुल्क प्रदान करती है।

परिवार परामर्श केंद्र के संचालन में पुलिस कार्यकर्ताओं एवं परिवार परामर्श केंद्र के पदाधिकारियों की भूमिका :— परिवार परामर्श केंद्र से जुड़े सभी श्रेणी के व्यक्ति कार्यकर्ता अथवा परामर्शदाता होते हैं। इनके साथ पुलिस थाने (जिनमें परिवार परामर्श केंद्र संचालित होते हैं) के कुछ वे अधिकारी भी होते हैं जो परिवार परामर्श केंद्र पर कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं का सहयोग कर केंद्र पर आने वाले पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं।

परिवार परामर्श केंद्र के संचालन से संबंधित समस्यायें :— कई बार समस्याओं का निराकरण करते समय बात बहस का रूप ले लेती है। कई बार पति बौर पत्नि दोनों ही जिद्दी स्वभाव के आते हैं जिस वजह से भी उन्हें समझाना कठिन हो जाता है। कई बार दोनों पक्ष (पति और पत्नि) सही तारीख पर उपस्थित नहीं होते हैं जिस वजह से भी समस्याओं के निपटारे में काफी समय लग जाता है। कई बार छोटी उम्र की विवाहित लड़कियां भी अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर आती है, परंतु मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण वे अपनी बात को न तो ठीक से बता पाती है और न ही कार्य कर्ताओं द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझ पाती है। यह भी समस्या का एक प्रमुख कारण बनता है। कई बार शिकायतकर्ता ही बाद में अधिक रूचि नहीं लेता है। जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को ही उनसे बार—बार संपर्क स्थापित करना पड़ता है जिससे कि काफी श्रम और समय की बर्बादी होती है। कई बार आपराधिक तत्वों द्वारा केस को रोकने की कोशिश की जाती है जिस कारण से भी परामर्शदात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे प्रकरण भी आते हैं जिसमें कि पति और पत्नि दोनों ही एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाते हैं। इससे सच और झूठ का फैसला करना मुश्किल हो जाता है कई बार पति और पत्नि के

अहम आड़े आते हैं जिस वजह से भी समझौता कराने में परेशानी आती है।

संकलित तथ्यों का निर्वचन एवं निष्कर्षीकरण :– परिवार परामर्श केंद्र पर अपनी सेवायें देने वाले कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक जानकारी तथा उनके चयन, प्रशिक्षण, कार्यदशा, पारिश्रमिक भुगतान एवं तनाव से पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने में परिवार परामर्श केंद्रों की भूमिका व इन केंद्रों की क्रियाशीलता के अन्य पहलुओं आदि के संदर्भ में कार्यकर्ताओं के प्रयत्न एवं विचार से संबधित संकलित तथ्यों का निर्वचन एवं निष्कर्षीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पारिवारिक पुनर्गठन में कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिवार परामर्श केंद्र की प्रभावी भूमिका को समझने में अवश्य मदद मिलेगी। जहां तक आयु का प्रश्न है, अधिकांश कार्यकर्ता, जिनका प्रतिशत 89.2 है, 40 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग से संबंधित है। आयु संबंधी तथ्यों कार्यकर्ताओं के अनुभव की संपन्नताओं को दर्शाते हैं। इससे परिवार परामर्श केंद्रो की क्रियाशीलता का सकारात्मक तरीके से प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। कार्यकर्ताओं की जाति और धर्म संबंधी प्रस्थिति से जुड़े तथ्य यह दर्शाते हैं कि सभी जाति और धर्म से जुड़े तथ्य यह दर्शाते हैं कि सभी जाति और धर्म से जुड़े कार्यकर्ता परिवार परामर्श केंद्र से जुड़ कर तथा समाज सेवा का कार्य करते हुये तनावग्रस्त परिवारों को नये सिरे से संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की लिंग संबंधी प्रस्थिति को देखने पर ज्ञात हुआ कि केंद्र में कुल 82 महिला कार्यकर्ता हैं जो कि केंद्र में परामर्श देने के कार्य से जुड़ी हैं, अर्थात इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अधिकांश महिलायें परामर्श देने के कार्य में रूचि लेती हैं। शैक्षणिक प्रस्थिति के संदर्भ से जुड़े तथ्य यह दर्शाते हैं कि अधिकांश कार्यकर्ता 84.14 प्रतिशत उच्च शैक्षणिक प्रस्थिति भी कार्यकर्ताओं के अनुभव की संपन्नता और परिवार परामर्श केंद्र की भूमिका पर उसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। वैसे तो अधिकांश कार्यकर्ता 75.16 प्रतिश संयुक्त परिवार से संबंधित हैं, परंतु कुछ 24.39 प्रतिशत कार्यकर्ता एकाकी परिवार से भी संबंधित हैं। परिवार परामर्श केंद्र पर उक्त दोनों ही प्रकार के परिवारों से संबंधित कार्यकर्ताओं का कार्य करना इस सकारात्मक पक्ष को प्रकट करता है कि ये कार्यकर्ता उक्त दोनों ही पारिवारिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बहुत कुछ अवगत होंगे ही और इस प्रकार तनाव से पीड़ित इन दोनों ही प्रकार के परिवारों से संबंधित व्यक्तियों की समस्याओं का समझने और सुलझाने में उन्हें मदद मिलेगी ही। सर्वाधिक कार्यकर्ता 80.49 प्रतिशत 5 और 6 वर्ष से लेकर 9 और 10 वर्ष तक की अवधि से अपनी सेवायें परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से उन व्यक्तियों को दे रहे हैं जो तनाव की समस्या से पीड़ित हैं कार्यकर्ताओं की लम्बी अवधि के अनुभव से उनकी स्वयं की (कार्यकर्ताओं) भूमिकाओं का सकारात्मक तरीके से प्रभावित होना सुनिश्चित ही है।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है ग्वालियर नगर में कुल तीन थानों के अंतर्गत वर्तमान में तीन परामर्श केंद्र संचालित है। कुल कार्यकर्ताओं का 39.03 प्रतिशत भाग महिला थाना पड़ाव लश्कर, 32.93 प्रतिशत भाग हुजरात कोतवाली लश्कर और शेष 28.04 प्रतिशत भाग मुरार थाना, मुरार से संबंधित होकर अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

अधिकांश कार्यकर्ताओं 52.44 प्रतिशत का मानना है कि परिवार परामर्श केंद्र से जुड़ कर समाज सेवा का कार्य करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर तक की होनी ही चाहिए। इस प्रकार इनके अनुसार शिक्षा से विकसित सोच एवं प्रयत्न से समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में मदद मिलती है।

परिवार परामर्श केंद्र पर कार्य करने के लिये चयन किये जाने हेतु कार्यकर्ताओं के लिये आयु संबंधी कोई बंधन निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी संदर्भ में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्यकर्ता की कम से कम आयु 25 वर्ष और अधिक से अधिक आयु 80 वर्ष की होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के विचारानुसार परिवार परामर्श केंद्र पर कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का चयन मौखिक प्रश्नों के आधार पर कर लिया जाता है। चुनाव का कार्य पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा समाजसेवा से जुड़े वरिष्ठ एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं के लिये अपनी सेवायें देने के बदले किसी पारिश्रमिक के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार यनित कार्यकर्ता केंद्र को अपनी सेवायें निःशुल्क प्रदान करते हैं। एक समय में एक कार्यकर्ता 2:00 बजे से लेकर 4:00 बजे तक कुल चार घंटे के लिये अपनी सेवायें परिवार परामर्श केंद्र को देता है, परंतु आवश्यकता पड़ने एवं अपेक्षा किये जाने पर उक्त समय के पूर्व और पश्चात भी परिवार परामर्श केंद्र पर रूक क रवह अतिरिक्त समय के लिये अपनी सेवायें देता है।

अधिकांश कार्यकर्ताओं, जिनका प्रतिशत 73.17 है, के अनुसार परिवार परामर्श केंद्र पर पारिवारिक तनाव से पीड़ित जो भी प्रकरण आते हैं वे सामान्य रूप

से सभी वर्ग (उच्च, मध्यम एवं निम्न) से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार अधिकांश कार्यकर्ताओं 81.71 प्रतिशत ने यह भी स्वीकार किया है कि ये प्रकरण संयुक्त तथा एकाकी दोनों ही प्रकार के परिवारों से संबंधित होते हैं। कार्यकर्ताओं के अनुसार परिवार परामर्श केंद्र पर आने वाले कुल प्रकरणों में 89.03 प्रतिशत प्रकरण पत्नियों द्वारा ही लाये गये है। शेष प्रकरण पतियों तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लाये गये हैं। अधिकांश प्रकरण 95.12 प्रतिशत पति और पत्नि के आपसी तनाव से संबंधित होते हैं। अधिकांश कार्यकर्ताओं 93.31 प्रतिशत के अनुसार परिवार परामर्श केंद्र पर लाये जाने वाले प्रकरणों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान अथवा निपटारा कर लिया जाता है। अधिकांश कार्यकर्ताओं 65.86 प्रतिशत का यह भी मानना है कि आवश्कता पड़ने पर प्रकरणों की यदा–कदा पुलिस विभाग द्वारा जांच भी करवायी जाती है ताकि इनके निपटारे में संभावित खामियों को दूर रखा जा सके। जिन प्रकरणों का निपटारा परिवार परामर्श केंद्र द्वारा कर दिया जाता है, अधिकांश कार्यकर्ताओं 71.96 का माना है कि वे बाद में भी ऐसे परिवारों के व्यक्तियों से संपर्क बनाये रखते हैं ताकि तनाव से मुक्ति पा चुके तथा पुनर्गठित हो चुके परिवारों में सदस्यों के बीच पारस्परिक समझ, सामंजस्य और समरसता को दोबारा कोई आघात अथवा आंच आये।

पारिवारिक तनाव की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति जो सहारे और समाधान की आस में परिवार परामर्श केंद्र पर आते हैं, उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो तनाव की पीड़ा सहने के साथ आर्थिक तंगी की मार भी झेलते हैं, ऐसे व्यक्तियों की तनाव से जुड़ी समस्याओं का समाधान तो किया ही जाता है परिवार परामर्श केंद्र द्वारा ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक सहायता भी की जाती है। ऐसा विचार अधिकांश कार्यकर्ताओं 60. 98 प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया गया है।

जिन प्रकरणों का निपटारा परिवार परामर्श केंद्र संभव नहीं होता है, उनमें से यदि कुछ प्रकरण न्यायालय में चले जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के अनुसार परिवार परामर्श केंद्र का ऐसे प्रकरणों से कोई संबंध नहीं रहता है।

कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदत्त के निर्वचन से परामर्श केंद्र के सार्थक एवं प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार प्राप्त हुये हैं :–

1. परिवार परामर्श केंद्रों में परामर्श के लिये महिला कार्यकर्ताओं के साथ–साथ पुरूष कार्यकर्ता भी होने चाहिए, ताकि यदि पुरूष वर्ग अपनी पारिवारिक समस्याओं के समाधन हेतु केंद्र में आये तो उन्हें अपनी समस्याओं को बताने में आसानी हो।
2. परिवार परामर्श केंद्रों में कार्यकर्ताओं के ज्ञान और अनुभव के साथ–साथ उनकी योग्यता के आधार पर कम से कम स्नातक स्तर तक की योग्यता रखने वाले कार्यकर्ताओं का ही चयन किया जाना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं के अनुभव के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त जानकारी हो जिससे वे परिवारों के पुनर्गठन में अपनी शिक्षा का भी सदुपयोग कर सके।
3. अधिकांश कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हैं और जिनको केंद्र से अपने निवास स्थान तक के यातायात के लिये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसका असर कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने के साथ–साथ उनका समय भी नष्ठ होता है, जिसका असर कि केंद्र पर पड़ना स्वाभाविक ही है, अतः यदि कार्यकर्ताओं का यातायात संबंधी वाहन अथवा किराया आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तो कार्यकर्ता और भी अधिक रूचि लेकर अपने कार्य को सफलता प्रदान कर सकेंगी।
4. परिवार परामर्श केंद्र में अपनी पारिवारिक समस्याओं के निवारणार्थ गरीबी रेखा से नीचे के भी परिवार आते हैं, यदि सरकार की ओर से इन गरीब परिवारों की आर्थिक मदद की जाये तो शायद इन परिवारों में उत्पन्न होने वाले तनाव में कुछ हद तक कमी आयेगी।
5. पारिवारिक पुनर्गठन में परिवार परामर्श केंद्र की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये कुछ विचार उल्लेखित है : **1.** समाचार पत्र, टेलीविजन आदि में विज्ञापन प्रकाशित करवायें। **2.** घर–घर में इश्तहार बंटवायें और प्रचार–प्रसार करवायें। **3.** गली–गली और गांवों में प्रचार–प्रसार करवाया जाये, प्रत्येक महीने शिविर लगाये जायें। **4.** हर कार्यकर्ता को थोड़ा बेहुत कानून का ज्ञान कराया जाये, ताकि वे उसका उपयोग परामर्श देते समय कर सकें।

परिवार परामर्श केंद्र से लाभान्वित व्यक्तियों, जिन्होंने पारिवारिक तनाव से उत्पन्न समस्याओं का निदान पाने के लिये इन केंद्रो से संपर्क कर सहायता प्राप्त की, से भी अनुसंधान के दौरान तथ्यों का संकलन किया गया। ये तथ्य विविध पहलुओं जैस लाभान्वित व्यक्तियों की परिचयात्मक जानकारी, इन व्यक्तियों के परिवार की महत्ता, परिवार के आस्तित्व की दृष्टि से

परिवार के सदस्यों के संबंध की महत्ता, पारिवारिक तनाव से क्षति, पारिवारिक तनाव के कारण, पारिवारिक तनाव की अवधि में पीड़ित व्यक्ति के निवास का स्थान, परिवार की संरचना का तनाव से संबंध, परिवार परामर्श केंद्र की भूमिका आदि के संबंध में दृष्टिकोण से संबंधित है। इन तथ्यों के निर्वचन से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष अग्रानुसार है। इनसे भी तनाव से ग्रसित परिवारों को पुनर्गठित करने में परिवार परामर्श केंद्र की प्रभावी भूमिका को समझने में मदद मिलेगी।

तनाव से पीड़ित व्यक्तियों, जिन्होंने परिवार परामर्श केंद्र से तनाव शैथिल्य हेतु सहायता प्राप्त की ओर जिनक परिवार पुनर्गठित हो गये की आयु से संबंधित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक व्यक्ति 69 प्रतिशत 25 से 45 वर्ष की आयु के हैं, इस प्रकार इस आयु समूह के ही व्यक्ति सर्वाधिक तौर पर पारिवारिक तनाव से पीड़ित पाये गये हैं। जातीय एवं धार्मिक प्रस्थिति से जुड़े तथ्यों के अनुसार तनाव से संबंधित व्यक्ति सभी जाति और धर्म से संबंधित है, हालांकि हिंदु धर्म से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया है। जहां तक लिंग संबंधी प्रस्थिति का प्रश्न है पारिवारिक तनाव से सर्वाधिक पीड़ित महिलायें 86 प्रतिशत ही है। यह तथ्य समाज में पुरूष की प्रधानता और उनके द्वारा स्त्रियों को यातना तथा परेशान किये जाने की वास्तविकता अभिव्यक्त करता है। निरक्षर एवं केवल साक्षर से लेकर स्नातक स्तर तक सभी शैक्षणिक स्तरों से संबंधित व्यक्ति पारिवारिक तनाव से पीड़ित पाये गये हैं, जिन्होंने परिवार परामर्श केंद्र से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया परंतु इस संदर्भ में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मिडिल स्तर एवं इससे निम्न स्तर के व्यक्तियों का 62 प्रतिशत, हाई–स्कूल एवं इससे उच्च स्तर के व्यक्तियों का 38 प्रतिशत है। इस प्रकार व्यक्तियों के शैक्षणिक स्तर एवं उनके पारिवारिक तनाव से पीड़ित होने के बीच प्रतिकूल संबंध की स्थिति स्पष्ट होती है। सर्वाधिक व्यक्ति 75 प्रतिशत रोजगार से असंबंधित पाये गये हैं। ऐसा इसलिये है कि तनाव से पीड़ित सर्वाधिक महिलाएं हैं जो प्रायः गृहणियां है पारिवारिक संरचना से संबंधित तथ्यों के अनुसार परिवार परामर्श केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में संयुक्त परिवार से संबंधित व्यक्तियों का 51 प्रतिशत एवं एकाकी परिवार से संबंधित व्यक्तियों का 49 प्रतिशत पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. तोमर राम, सिंह, – हिंदु परिवार एवं परिवार की समस्यायें, श्री राम मेहरा एंड कंपनी, आगरा।
2. अग्रवाल एवं पांडेय 1988 सामाजिक शोध, आगरा बुक डिपो।
3. बाजपेयी, एस.आर. – सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण
4. राय, पारसनाथ 1985 'अनुसंधान परिचय' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा।
5. श्रीवास्तव, ए.पी. एवं ताम्रकार, आर.बी. 2003 'यूनीफाईड समाजशास्त्र, भाग–1' राम–प्रसाद एंड संन्स, आगरा।
6. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ एवं अग्रवाल भरत 2003 'यूनीफाई समाजशास्र., भाग–3' शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा।
7. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा, डी.डी. 2003 'समाजशास्त्र भाग – 2' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
8. मजूमदार, बी.वी. 1951 प्रोब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पटना।
9. महाजन, पी. – परिवार और समाज।
10. मुखर्जी, रवींद्रनाथ 2003 'समाजिक शोध एवं सांख्यिकी' विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
11. यंग, वी. व्ही. 1960 साईन्टिफिक सोशियल सर्वे एवं रिसर्च, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे।
12. वेदालंकार, हरिदत्त – हिंदु परिवार मीमांसा।
13. सिंह तोमर, राम बिहारी 1976 परिवार समाज।

भारतीय संगीत में अवनद्ध वाद्यों का कमिक विकास

डॉ. अनुराधा सिंह

संगीत के मुख्य तीन तत्वों – गायन, वादन एवं नृत्य में वादन का विशेष महत्व है। वाद्यों कें प्रयोग के बिना गायन एवं नृत्य का सौंदर्य भी अधुरा माना जाता है। आदि काल से भारत में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता रहा है। रामायण उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के वाद्यों के प्रयोग की चर्चा की गई है। अध्ययन की सरलता के लिए विद्वानों ने समस्त वाद्यों को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम शारंगदेव ने संगीत–रत्नाकर में वाद्यों को मुख्य चार वर्गों में बाँटा– तत्, सुशिर, अवनद्ध और घन।

इनमें से अवनद्ध वाद्य का प्रयोग मुख्यतः ताल देने के लिए किया जाता है। जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है वे अवनद्ध वाद्य कहलाते हैं, जैसे – तबला, पखावज आदि। अवनद्ध वाद्यों का प्रचलन अत्यंत प्राचीन काल से ही माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यत्र–तत्र इन वाद्यों का उल्लेख मिलता है। जिस काल में लोग जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे और सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं हुआ था उसी समय चर्म वाद्यों का निर्माण हुआ। इस संदर्भ में किंवदन्तियों और जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि बहुत पहले मानव जमीन में गड्ठा खोदकर उसपर जानवरों के खाल मढ़ दिया करता था और उसी से गायन तथा नृत्य की संगत किया करता था। फिर रामायण तथा महाभारत काल मे भी अवनद्ध वाद्यों का वर्णन मिलता है। उन वाद्यों में दुन्दुभी वाद्य का स्थान अत्यन्त महत्वपुर्ण है। उस समय ढोल का भी प्रचलन था, जो काठ का बना होता था और उसके मुख पर चर्म मढ़ा रहता था। अवनद्ध वाद्यों का उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है। रामायण काल तक इसके स्वरूप में काफी विकास हो चुका था। इस काल के प्रमुख अवनद्ध वाद्यों मे घट, डिमडिम, भेरी, मृदंग, ढ़ोल तथा डमरू के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ वाद्यों का प्रयोग तो वर्तमान काल में भी देखने को मिलता है। इसके पश्चात् बौद्ध एवं जैन काल में पुष्कर, मुरज, मृदंग और भेरी आदि अवनद्ध वाद्यों का उल्लेख मिलता है।

उपर्युक्त अवनद्ध वाद्यों का प्रारंभिक स्वरूप कुछ अलग था। धीरे–धीरे उनका कमिक विकास हुआ और आज जो वाद्य हम देख रहे हैं ये उनका परिष्कृत स्वरूप है। चर्म को सुसंस्कृत करके उसे वादन के याग्य बनाने का उपाय मध्य काल से किया जाने लगा। इन वाद्यों के रूप और रंग को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया गया तथा इन्हे और भी अधिक वैज्ञानिक बनाया गया। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अवनद्ध वाद्यों के स्वरूप में भले ही थोड़ा अन्तर आ गया हो परंतु उसकी उपयोगिता जितनी पहले थी अब भी उतनी ही है। बल्कि थोड़ा ज्यादा ही है। भरत के नाट्य शास्त्र में अन्यान्य वाद्यों के भेदोपभेद का परिग्रणन करते समय अवनद्ध वाद्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसमे उल्लिखित वाद्यों में मृदंग, दुर्दुर, पणव, ऊध्वर्क, आलिंग्य, झझरी आदि के नाम आते हैं। आधुनिक काल का तबला उस काल के दुर्दुर वाद्य का ही विकसित रूप है। पाणिनी के अष्टाध्यायी में भी मड्डुक, ढ़क्का तथा दर्दुर वाद्यों का उल्लेख आता है। दर्दुर संभवतः बर्तननुमा होता था जो मिट्टी का भी बनाया जाता था। बौद्ध काल में प्रचलित पणव वाद्य को सायन मुदंग का एक प्रकार माना जाता है।

मध्यकाल और फिर आधुनिक काल तक पहुँचते–पहुँचते अवनद्ध वाद्यों के स्वरूप में और भी परिवर्तन हुए। मध्यकाल में ध्रुपद गायन शैली का अधिक प्रचलन था, जिसके साथ मृदंग तथा पखावज नामक वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में ये मृदंग, मृदंगम् या मर्दलम् नाम से प्रसिद्ध था। जब भारत में मुसलमानों का शासन पूर्णरूपेण स्थापित हो गया, तो ध्रुपद धमार के स्थान पर ख्याल, ठुमरी आदि गायन शैलियों का प्रचार होने लगा। जिनके साथ पखावज या मृदंग के स्थान पर तबले की संगति अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई। तबले का विकास अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही प्रारंभ हो चुका था। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने पखावज के दो भाग करके तबले को जन्म दिया, परंतु इसमें मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार तबले का आविष्कार खुसरो खॉं ने किया था। तबले के बोलों की मधुरता, सरलता तथा आकर्षण आदि तत्वों के कारण उसका प्रचार कालांतर में बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि उसका प्रयोग आजकल, ध्रुपद–धमार के साथ भी होने लगा है। हिन्दुस्तानी संगीत में तबला काफी लोकप्रिय हो गया है, परंतु

कर्नाटक संगीत में आज भी मृदंग का ही प्रयोग संगति हेतु किया जाता है।

आदिकाल से ही मानव ने अपने हृदय के सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के साधन अपनी परिस्थिति के अनुसार ढूँढ़ निकाले थे और उसी प्रयास में समय–समय पर उसने विभिन्न कलाओं का विकास किया, इस प्रक्रिया में जहाँ स्वतः स्फूर्त स्वरों का विकास हुआ, वहीं प्रकृति प्रदत्त स्पंदनानुभूति से उसने लय का अविष्कार किया। लय को अभिव्यक्त करने के लिए शुरू में वह हाथों से ताली बजाने से लेकर भूमि पर गड्ढ़ा खोदकर तथा शिकार द्वारा प्राप्त जानवर की खाल को मढ़कर बजाने की प्रक्रिया तक पहुँचा, विकास की इस प्रक्रिया में आगे चलकर मिट्टी, कांस्य, ताम्र आदि धातुओं के पात्रों के मुख पर पशुओं की खाल मढ़कर मानव ने भिन्न–भिन्न स्थान व कालानुसार विभिन्न अवनद्ध वाद्यों का सृजन किया। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर अब तक अवनद्ध वाद्यों का क्रमिक विकास होता आया है, और भविष्य में भी यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।

संदर्भ सूची :–

1. देव बी सी०, म्युजिक इंस्ट्रुमेंट ऑफ इंडिया।
2. शर्मा भगवत शरण, भारतीय संगीत का इतिहास

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

पंचायती राज व्यवस्था में मुस्लिम नेतृत्व

दुर्गा प्रसाद गुप्ता
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म. प्र.)

प्रस्तावना :— भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक पद्धति का मूल आधार लोगों की भागीदारी है। पंचायती राज उस प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी जड़े मनुष्यों में संबंधित है। भारतीय समाज में प्राचीन समय से जातिगत पंचायतें प्रचलन में थी, जो स्थानीय स्तर पर अपने समुदाय की समस्याओं का निपटारा करती थी। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायतों के गठन के संबंध में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की सरकार पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठायेगी, और पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगी कि वे स्थानीय स्तर की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।[1]

प्रजातंत्र उस अवस्था में ही सफल होगा जब देश के प्रत्येक वर्ग एवं व्यक्ति को शासन में पूर्ण भागीदारी प्राप्त हो। किसी भी देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास भी उस अवस्था में पूर्ण माना जायेगा जब देश का प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में भाग लें। विशेषकर समाज के कमजोर, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित एवं निम्नतर वर्ग की शासन में भागीदारी आवश्यक है। इस उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा सहित विकास के सभी क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक सहभागिता का मूल्यांकन करें तो उनकी स्थानीय निकायों से लेकर लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा में भागीदारी नाम मात्र की है। स्वतंत्रता के इतने वर्षो के पश्चात् अन्य वर्गो की अपेक्षा मुस्लिम समुदाय पिछड़ेपन के कारण राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाया है।[2]

भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था रही है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्यों ने जब समूहों में रहना सीखा तब से पंचायत के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आये है लेकिन पूरे देश में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर तक पंचायती राज की स्थापना और जनता के हाथों में सीधे अधिकार देने की शुरूआत संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है। पंचायतों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

पंचायत राज भारतीय समाज की एक विशेषता है। गांव के संपूर्ण विकास एवं ग्रामीण समाज को संगठित एवं व्यवस्थित बनाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायत राज के द्वारा नेतृत्व के स्तर को सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में जिला सरकार की स्थापना एवं गांव का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायतों के चुनाव कराये गये।[3]

पंचायत राज भारतीय समाज की एक विशेषता है। गांव के संपूर्ण विकास एवं ग्रामीण समाज को संगठित एवं व्यवस्थित बनाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायत राज के द्वारा नेतृत्व के स्तर को सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में जिला सरकार की स्थापना एवं गांव का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायतों के चुनाव कराये गये।

मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में अन्य वर्गो की अपेक्षा पिछड़ा था। सल्तनत काल में मुस्लिम समुदाय ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में रूचि दिखाई। सल्तनत काल में मुस्लिम महिलाओं ने भी राजनीतिक क्षेत्र में रूचि दिखाई। सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल काल में मुस्लिम समुदाय की स्थिति अधिक अच्छी थी राजकीय एवं उच्च वर्ग के मुस्लिम परिवार की स्थिति में बहुत सुधार हुआ था परन्तु निर्धन मुस्लिम परिवार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था परन्तु वे राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यो में भाग ले सकते थे।

पूर्व की अपेक्षा वर्तमान समय में अन्य वर्गो की तरह मुस्लिम समुदाय में भी आत्मनिर्भरता व राजनीति के प्रति जागरूकता आयी है वर्तमान में मुस्लिम समुदाय में शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की स्थिति न के बराबर है परन्तु पंचायत राज जिसे राजनीति की प्रथम पाठशाला कहा जाता है के माध्यम से पंचायतीराज के आरक्षण का लाभ उठाते हुए न केवल मुस्लिम समुदाय के पुरूष वरन् महिलायें भी पंचायतीराज चुनाव में अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास कर रहे है।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 7, No. – 3, Jan. 2020
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

भारत में पंचायती राज व्यवस्था :– भारत में प्राचीन पंचायती राज के विषय में आधुनिक साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति "Das Capital" में लिखा है – प्राचीन काल से चले आ रहे ये छोटे–छोटे भारतीय ग्राम–समुदाय धार्मिक ढंग से संयुक्त स्वामित्व तथा किसान और मजदूर के श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है। ये ग्राम समुदाय अपने आप में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है।

"पंचायती राज भारत में एक ऐसी स्थानीय राजव्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास का दायित्व वहन किया जाता है। इस प्रकार मुलतः यह स्थानीय सार्वजनिक कार्यो से सम्बन्धित प्रशासन में जनता की सहभागिता की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के उद्भव के सन्दर्भ में मेटकाल्फ द्वारा प्रस्तुत विवरण इस ओर संकेत करता है कि उस समय ऐसी ग्राम समस्याएं थी जो ग्रामीण जीवन को संचालित करती थी।"[4]

भारत में पंचायतों की स्थिति एवं अनवरत क्रम हमें विभिन्न कालों में देखने को मिलता है। यह माना जाता है कि पंचायत पद्धति का प्रवर्तन एवं प्रयोग गंगा और यमूना नामक बस्तियों को बसाते समय प्रथु राजा ने किया था।

भारत में ग्राम पंचायत का इतिहास बहुत पुराना हैं। प्राचीन साहित्य में पंचायत शब्द को संस्कृत भाषा के **"पंचायत"** से पारिभाषिक किया गया है, जिसका अर्थ होता हैं। **"पॉच व्यक्तियों का समूह"।** प्राचीन काल में आपसी झगडों के फैसले पंचायतों द्वारा किया जाता था परन्तु अंग्रेजों की सत्ता में पंचायत धीरे–धीरे समाप्त होती गई, और सम्पूर्ण दायित्व प्रान्तीय सरकारे करने लगी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्यों की सरकारों ने पंचायतों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया।"[1] **प्रो. रजनी कोठारी** के अनुसार, "राष्ट्रीय, नेतृत्व का एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य या पंचायती राज की स्थापना।" इससे भारतीय राजव्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण हों रहा हैं। **पं. जवाहरलाल नेहरू** का कहना था कि "गॉव के लोगों को अधिकार सौपना चाहिए उनको काम करने दों चाहे वे हजारों गलतियॉ करे, इससे घबराने की जरूरत नहीं पंचायतों को अधिकार दो। **"जयप्रकाश नारायण** ने पंचायती राज को देशी और प्राचीन" सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया और साथ ही इसे पश्चिम के जनता को हॉथ बटाने का अवसर देने वाले लोकतंत्र से भी अधिक आधुनिक कहा हैं।"

पंचायती राज का महत्व :– भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पं. नेहरू द्वारा पंचायती राज को "भारत में सबसे बड़ी क्रांति" की संज्ञा दी गई तथा इसे जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग निरूपित किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय लोगों की विचाराधारा, कार्य और समाज की बनावट बदली है, बदल रही हैं तथा भविष्य में भी बदलते रहने की आशा व्यक्त की गई थीं।

पंचायती राज व्यवस्था का विकास :–

- वैदिक काल में पंचायती राज।
- महाकाव्य काल में पंचायती राज।
- बौद्ध काल में पंचायती राज।
- मौर्य काल में पंचायती राज।
- गुप्तकालीन व्यवस्था।
- मुगल कालीन व्यवस्था।
- मराठा काल।
- ब्रिटिश काल में पंचायती राज।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज :– लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों की स्थापना के बारे में जो सदियों से भारत के शासन संचालन का आधार रही थी, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही महात्मा गांधी के पंचायती राज व्यवस्था के स्वप्न को साकार करने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यत्मिक विकास की परिकल्पना जो गांधीजी के मस्तिष्क में थी, उसे वे पंचायती राज के माध्यम से साकार करना चाहते थे। उनका इस बात पर दृढ़ विश्वास था कि भारत की आत्मा उनके सात लाख गांवों में निवास करती है। गांधीजी का मानना था कि गांवों के लिए स्वतंत्र भारत का संविधान सुदृढ़ ताने बाने से बना हो तथा समन्वित ग्रामीण समुदाय पर आधारित होना चाहिए।

"स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रूप से संतुलित विकास करने, आम व्यक्ति का जीवन सुधारने तथा **समता, न्याय, एवं भाईचारे** के लक्ष्य पाने हेतु ऐसे लोक प्रशासन की जरूरत थी जो कि संवेदनशील, विशेषज्ञता युक्त तथा जनोन्मुख हो। इसी संदर्भ में भारतीय प्रशासन को **'विकास प्रशासन'** के रूप में ढ़ाला गया।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि **"स्थानीय स्वायत्त शासन किसी भी सच्ची प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार है और होना चाहिए। हमारा कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि**

हम उच्च स्तर पर ही लोकतंत्र की बात सोचते है, निम्न स्तर पर नही, किन्तु नीचे से नींव का निर्माण न किया गया तो संभव है कि लोकतंत्र सफल हो सके।'' वस्तुतः पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर सुखद भारत का निर्माण करना है। इसके फलस्वरूप राज्य के नीति निदेशक तत्वों में पंचायत को स्थान दिया गया।[5]

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)।
- अशोक मेहता समिति (1977)।
- जी .वी. के. राव समिति (1985)।
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)।
- 64 वॉ संविधान संशोधन विधेयक (1989)।
- 72 वाँ संविधान संशोधन (1991)।
- 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1993)।

पंचायती राज व्यवस्था में मुस्लिम महिला नेतृत्व :–
पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पूर्व की अपेक्षा अधिक बढ़ रही है। जिससे मुस्लिम समुदाय ग्राम पंचायतों के विकास हेतु किये गये कार्यो में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वर्ममान में पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर ग्राम पंचायतों में विकास हेंतु कार्य, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों में आने वाली समस्याओं का निराकरण करके पंचायतों में अपनी सहभागिता दे रही है। जिससे ग्राम पंचायतों का विकास संभव हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. **श्रीवास्तव, एन.के., ''भारत में पंचायतीराज'',** प्रकाशक विधि प्रकाशक पाटनकर बाजार ग्वालियर, 1989।
2. **पाण्डेय, राम (1989), ''पंचायती राज'',** जयपुर पब्लिसिंग हाऊस, जयपुर, वही।
3. **डॉं. महीपाल (1996) ''पंचायती राज अतीत, वर्तमान और भविष्य''** सारांश प्रकाशन दिल्ली।
4. **कुकरेजा, सुन्दरलाल(1998), कुरूक्षेत्र,** पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
5. **कुरूक्षेत्र (2008),**पंचायत राज विकास का राज, अगस्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।